दृष्टि
The Vision

करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

दिसंबर भाग-2
2021

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 8750187501
ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम 7

- लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग 7
- पहली हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना: आंध्र प्रदेश 8
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 10
- भूल जाने का अधिकार 12
- NGOs का FCRA लाइसेंस रद्द 13
- खनिज नियमों में संशोधन 15
- चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 17
- सुशासन सप्ताह 18
- मैनुअल स्कैवेंजिंग की समस्या 20
- मॉब लिंचिंग 22
- वर्नाक्युलर इनोवेशन प्रोग्राम: नीति आयोग 24
- हेट स्पीच 25
- शीतकालीन सत्र 2021 27
- गृह ऊर्जा लेखा परीक्षा पर प्रमाणन पाठ्यक्रम 29
- भारत में संस्थागत प्रसवों को निर्धारित करने वाले कारक 30
- सुशासन सूचकांक- 2021 32
- बेलागवी सीमा विवाद 33
- गृह ऊर्जा लेखा परीक्षा पर प्रमाणन पाठ्यक्रम 36
- भारत में संस्थागत प्रसवों को निर्धारित करने वाले कारक 37
- सुशासन सूचकांक- 2021 39
- बेलागवी सीमा विवाद 40

नोट :

- कचरा मुक्त शहरों का स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल 43
- तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची 44

आर्थिक घटनाक्रम 48

- बैंकों का निजीकरण 48
- सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम 50
- एल्गो ट्रेडिंग पर प्रस्ताव 53
- सेबी द्वारा कृषि जिंसों में डेरिवेटिव व्यापार पर प्रतिबंध 55
- भारतीय रुपए का मूल्यह्रास 58
- कीटनाशक अनुप्रयोग में ड्रोन का प्रयोग 59
- बहुराज्य सहकारी समितियाँ 60
- भारत में मसाला क्षेत्र 62
- कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक, 2021 63
- ईएसजी फंड 65
- कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइज़ेशन 66
- प्रमुख बंदरगाहों में पीपीपी परियोजनाओं के लिये टैरिफ दिशा-निर्देश 67
- एंटी-डंपिंग ड्यूटी 68
- एक आवश्यक वस्तु के रूप में सोया मील 69
- स्टेट ऑफ इंडियाज़ लाइवलीहुड (SOIL) रिपोर्ट 2021: FPOs 71
- प्रमुख बंदरगाहों में पीपीपी परियोजनाओं के लिये टैरिफ दिशा-निर्देश 73
- एंटी-डंपिंग ड्यूटी 74
- एक आवश्यक वस्तु के रूप में सोया मील 75
- स्टेट ऑफ इंडियाज़ लाइवलीहुड (SOIL) रिपोर्ट 2021: FPOs 77
- शहद किसान उत्पादक संगठन: TRIFED 79
- गिग वर्कर्स 80
- पशुधन संचालन का संयंत्र आधारित संचालन में परिवर्तन 82
- उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 84
- ऑनलाइन सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजन फॉर मर्चेंडाईज एक्सपोर्ट 86

नोट :

- डेयरी क्षेत्र और मुक्त व्यापार का विरोध 87
- वैश्विक क्रॉपलैंड विस्तार 89

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम 91

- पारस्परिक कानूनी सहायता संधि 91
- अमेरिका द्वारा चीन पर नए प्रतिबंध 93
- भारत-वियतनाम संबंध 95
- तीसरा भारत-मध्य एशिया संवाद 97
- अफगानिस्तान के लिये मानवीय ट्रस्ट फंड: OIC 99
- श्रीलंका के साथ मछुआरों का मुद्दा 101
- चीन के बीआरआई (BRI) निवेश में गिरावट 102
- रमना काली मंदिर: बांग्लादेश 104
- भारत-म्याँमार 106
- त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म सौदा: भारत-श्रीलंका 108
- मिशन सागर 109
- त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म सौदा: भारत-श्रीलंका 111
- मिशन सागर 113
- परमाणु पनडुब्बी गठबंधन: AUKUS 114
- रूस में तुर्की का रुख- यूक्रेन संकट 115
- चिली के संविधान का पुनर्लेखन 117

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 120

- भारत में 5G सेवा 120
- भारत में 5G सेवा 122
- कोविड के लिये नए टीके और दवा 124
- भारतीय सेना की 'क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला' और 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र' 126

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण 128

- जलवायु परिवर्तन पर मसौदा प्रस्ताव: संयुक्त राष्ट्र 128

नोट :

- जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021 130
- उत्तर भारत में शीतकालीन वायु प्रदूषण 132
- हरित वित्तपोषण 134
- उत्तर भारत में शीतकालीन वायु प्रदूषण 136
- त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म सौदा: भारत-श्रीलंका 139
- मिशन सागर 141
- फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स (FFV) 142
- भारत-अमेरिका: प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा समाधान 143
- नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य संबंधी भारत की उपलब्धियाँ 145

इतिहास 148

- मध्य भारत में ताम्रपाषाण संस्कृति 148
- तमिल साहित्य: संगम काल 149
- पं. मदन मोहन मालवीय 150
- पं. मदन मोहन मालवीय 151
- कोणार्क सूर्य मंदिर का संरक्षण: उड़ीसा 153

कला एवं संस्कृति 155

- यूनेस्को की ICH सूची में दुर्गा पूजा 155

सामाजिक न्याय 157

- महिलाओं के लिये विवाह की कानूनी आयु में वृद्धि 157
- राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण 158
- राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण 160
- उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2021 162

आंतरिक सुरक्षा 164

- अग्नि प्राइम मिसाइल 164

नोट :

चर्चा में **167**

- गोवा मुक्ति दिवस 167
- आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना 168
- सरदार वल्लभ भाई पटेल 169
- जल नवाचार चुनौती 170
- विहंगम 171
- महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़: SC 172
- जैतापुर परमाणु रिएक्टर: महाराष्ट्र 173
- पीएम को मिला भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 175
- इंडियन डेज़र्ट कैट 175
- अस्पतालों हेतु स्तनपान अनुकूल टैग 177
- कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम 178
- घड़ियाल 179
- काले-भूरे रंग का अल्बाट्रॉस 180
- 'चिल्लाई कलां' 181
- प्रलय' मिसाइल 182
- ओलिव रिडले' कछुए 183
- किसान दिवस 184
- टाइफून राय 185
- किसान दिवस 185
- टाइफून राय 186
- संकल्प स्मारक: अंडमान और निकोबार 186
- ARIIA 2021 रैंकिंग 188
- भारतीय पैंगोलिन 189
- साहित्य अकादमी पुरस्कार 191

विविध **192**

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संसद में भूमि, रोज़गार और स्थानीय आबादी की सांस्कृतिक पहचान के संरक्षण के लिये केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाई गई है।

- जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 द्वारा राज्य को दो अलग-अलग केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर (विधायिका के साथ) तथा लद्दाख (विधायिका के बिना) में विभाजित किया गया था।

प्रमुख बिंदु:

- छठी अनुसूची में शामिल करने की आवश्यकता:
  - केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख क्षेत्र का प्रशासन अब पूरी तरह नौकरशाहों के हाथ में है जिससे सरकार की श्रीनगर से बढ़ती दूरियाँ भी साफ नजर आ रही है।
  - जम्मू-कश्मीर में बदली हुई अधिवास नीति ने इस क्षेत्र में अपनी जमीन, रोज़गार, जनसांख्यिकी और सांस्कृतिक पहचान को लेकर आशंका पैदा कर दी है।
  - लद्दाख केंद्र शासितप्रदेश के लेह और कारगिल में दो हिल काउंसिल हैं, लेकिन कोई भी छठी अनुसूची के तहत नहीं है।
    - उनकी शक्तियाँ कुछ स्थानीय करों जैसे पार्किंग शुल्क और आवंटन तथा केंद्र द्वारा निहित भूमि के उपयोग तक सीमित हैं।
- NCST की सिफारिश:
  - राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने सिफारिश की है कि केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए।
    - अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा के लिये एक संवैधानिक निकाय NCST को केंद्र द्वारा लद्दाख में आदिवासियों की स्थिति की जाँच करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी।
    - यदि लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किया जाता है, तो वह छठी अनुसूची में में शामिल एकमात्र केंद्र शासितप्रदेश होगा। लद्दाख को ऐसा दर्जा देने के लिये एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी।
  - सिफारिश के पीछे के कारण:
    - यह अनुमान लगाया गया है कि लद्दाख की 90% से अधिक आबादी आदिवासी है। लद्दाख में बाल्टी बेडा, बॉट (या बोटो), ब्रोकपा (या द्रोकपा, दर्द, शिन), चांगपा, गर्रा, सोम और पुरिगपा अनुसूचित जनजाति (ST) हैं।
    - लद्दाख क्षेत्र में द्रोकपा, बलटी और चांगपा जैसे समुदायों की कई विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत हैं, जिन्हें संरक्षित और बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
    - केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के निर्माण से पहले लद्दाख क्षेत्र के लोगों के पास भूमि पर अधिकार सहित कुछ कृषि अधिकार थे, जो देश के अन्य हिस्सों के लोगों को लद्दाख में जमीन खरीदने या हासिल करने के लिये प्रतिबंधित करते थे।
    - छठी अनुसूची में शामिल करने से क्षेत्र में शक्तियों के लोकतांत्रिक हस्तांतरण में मदद मिलेगी तथा क्षेत्र के त्वरित विकास के लिये धन के हस्तांतरण में भी वृद्धि होगी।

नोट :

- लद्दाख को शामिल करने के पीछे की कठिनायाँ:
  - लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करना मुश्किल होगा। क्योकि संविधान में स्पष्ट है की छठी अनुसूची पूर्वोत्तर राज्यों के लिये है।
    - देश के बाकी हिस्सों में आदिवासी क्षेत्रों के लिये पाँचवीं अनुसूची है।
    - विशेष रूप से पूर्वोत्तर के बाहर के किसी भी क्षेत्र को छठी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है।
    - मणिपुर, जहाँ कुछ स्थानों पर आदिवासी बहुल आबादी है, की स्वायत्त परिषदों को भी छठी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है।
    - नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश, जो पूरी तरह से आदिवासी क्षेत्र हैं, भी छठी अनुसूची में शामिल नहीं हैं।
  - हालाँकि, यह सरकार का विशेषाधिकार बना रहता है, यदि वह ऐसा निर्णय लेती है, तो इस उद्देश्य के लिये संविधान में संशोधन हेतु एक विधेयक ला सकती है।

छठी अनुसूची

- अनुच्छेद 244: अनुच्छेद 244 के तहत छठी अनुसूची, स्वायत्त प्रशासनिक प्रभागों- स्वायत्त ज़िला परिषद (ADCs) - के गठन का प्रावधान करती है, जिनके पास राज्य के भीतर विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता होती है।
  - छठी अनुसूची में चार उत्तर-पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन हेतु विशेष प्रावधान शामिल हैं।
- स्वायत्त ज़िले: इन चार राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों को स्वायत्त ज़िलों के रूप में गठित किया गया है। राज्यपाल को स्वायत्त ज़िलों को व्यवस्थित और पुनर्गठित करने का अधिकार है।
  - संसद या राज्य विधायिका के अधिनियम स्वायत्त ज़िलों पर लागू नहीं होते हैं या निर्दिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ लागू होते हैं।
  - इस संबंध में निर्देशन की शक्ति या तो राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास होती है।
- ज़िला परिषद: प्रत्येक स्वायत्त ज़िले में एक ज़िला परिषद होती है, जिसमें 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से चार राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं और शेष 26 वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं।
  - निर्वाचित सदस्य पाँच साल के कार्यकाल के लिये पद धारण करते हैं (यदि परिषद को इससे पूर्व भंग नहीं किया जाता है) और मनोनीत सदस्य राज्यपाल के इच्छानुसार समय तक पद पर बने रहते हैं।
  - प्रत्येक स्वायत्त क्षेत्र में भी एक अलग क्षेत्रीय परिषद होती है।
- परिषद की शक्तियाँ: ज़िला और क्षेत्रीय परिषदें अपने अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्रों का प्रशासन करती हैं।
  - भूमि, वन, नहर के जल, स्थानांतरित कृषि, ग्राम प्रशासन, संपत्ति का उत्तराधिकार, विवाह एवं तलाक, सामाजिक रीति-रिवाजों जैसे कुछ निर्दिष्ट मामलों पर कानून बना सकती हैं, लेकिन ऐसे सभी कानूनों के लिये राज्यपाल की सहमति आवश्यक है।
  - वे जनजातियों के मध्य मुकदमों एवं मामलों की सुनवाई के लिये ग्राम परिषदों या न्यायालयों का गठन कर सकती हैं। वे उनकी अपील सुनते हैं। इन मुकदमों और मामलों के संबंध में उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है।
  - ज़िला परिषद ज़िले में प्राथमिक स्कूलों, औषधालयों, बाज़ारों, मत्स्यपालन क्षेत्रों, सड़कों आदि की स्थापना, निर्माण या प्रबंधन कर सकती है।
  - ज़िला एवं क्षेत्रीय परिषदों के पास भू राजस्व का आकलन एवं संग्रहण करने एवं कुछ निर्दिष्ट कर लगाने का अधिकार है।

पहली हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना: आंध्र प्रदेश

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा आंध्र प्रदेश में सिम्हाद्री (विशाखापत्तनम के पास) संयंत्र में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत की गई है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना के बारे में:
  - यह अनूठी परियोजना के प्रारूप को NTPC द्वारा इन-हाउस डिज़ाइन किया गया है। यह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं का अग्रदूत होगा। यह वर्ष 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
  - परियोजना के पास स्थापित फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट से इनपुट पावर लेकर उन्नत 240 kW सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइज़र का उपयोग कर हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा।
    - इससे पहले NTPC ने तेलंगाना के रामागुंडम् में भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट के विकास का काम शुरू किया था।
  - दिन के दौरान उत्पादित हाइड्रोजन को उच्च दबाव पर संग्रहीत किया जाएगा और 50 किलोवाट ठोस ऑक्साइड ईंधन सेल का उपयोग करके विद्युतीकृत किया जाएगा।
    - एक ठोस ऑक्साइड ईंधन सेल (या SOFC) एक विद्युत रासायनिक रूपांतरण उपकरण है जो ईंधन के ऑक्सीकरण द्वारा सीधे विद्युत उत्पन्न करता है।
- महत्त्व:
  - एक से अधिक माइक्रोग्रिड को परिनियोजित करने में सहायक:
    - यह परियोजना देश के विभिन्न ऑफ-ग्रिड और रणनीतिक स्थानों में मल्टीपल माइक्रोग्रिड के अध्ययन के लिये उपयोगी होगी।
    - स्वच्छ ऊर्जा विकास जलवायु परिवर्तन और इसके विनाशकारी प्रभावों को सीमित करने के खिलाफ एक महत्त्वपूर्ण हथियार है।
  - डीकार्बोनाइजिंग के लिये संभावनाएँ:
    - यह देश के दूर-दराज के क्षेत्रों जैसे- लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, आदि जो डीजल जनरेटर पर निर्भर है में डीकार्बोनाइज (Decarbonizing) की संभावनाओं को खोलेगा हैं।
    - डीकार्बोनाइजिंग का अर्थ है पर्यावरण में जारी गैसीय कार्बन यौगिकों की मात्रा को हटाना या कम करना।
    - NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (NTPC REL) ने भी हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना हेतु केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के साथ एक समझौता किया है।
  - ऊर्जा सुरक्षा:
    - हाइड्रोजन ईंधन भारत की ऊर्जा सुरक्षा में निर्णायक भूमिका अदा कर सकता है, जिसके द्वारा अपने 85% तेल और 53% गैस आवश्यकताओं का आयात करता है।
    - स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिये भारत उर्वरक संयंत्रों और तेल रिफाइनरियों हेतु हरित हाइड्रोजन खरीदना अनिवार्य करने पर विचार कर रहा है।
    - NTPC परिवहन के लिये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (City Gas Distribution- CGD) नेटवर्क के लिये ईंधन को प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर हाइड्रोजन का लाभ उठाने पर भी विचार कर रही है।
- संबंधित पहल:
  - भारतीय रेलवे द्वारा मौजूदा डीज़ल इंजन को रेट्रोफिटिंग करके हाइड्रोजन-ईंधन सेल प्रौद्योगिकी-आधारित ट्रेन के देश के पहले प्रयोग की घोषणा की गई है।
  - राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन (NHM):
    - केंद्रीय बजट (2021-22) ने ऊर्जा स्रोत के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग करने के मिशन की घोषणा की है।
  - राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (आईएनडीसी) लक्ष्य: यह वर्ष 2022 तक 100 गीगावॉट ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखता है।
  - जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना
  - अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए)

नोट :

ग्रीन हाइड्रोजन

- यह पवन और सौर जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित इलेक्ट्रोलाइज़र का उपयोग करके जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके उत्पादित किया जाता है।
- ईंधन भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिये एक गेम-चेंजर हो सकता है, जो अपने तेल का 85% और गैस आवश्यकताओं का 53% आयात करता है।
- स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिये भारत उर्वरक संयंत्रों और तेल रिफाइनरियों के लिये हरित हाइड्रोजन खरीदना अनिवार्य करने पर विचार कर रहा है।

हाइड्रोजन

- स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन विकल्प के लिये हाइड्रोजन पृथ्वी पर सबसे प्रचुर तत्त्वों में से एक है।
- हाइड्रोजन का प्रकार उसके बनने की प्रक्रिया पर निर्भर करता है:
  - ग्रीन हाइड्रोजन अक्षय ऊर्जा (जैसे सौर, पवन) का उपयोग करके जल के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा निर्मित होता है और इसमें कार्बन फुटप्रिंट कम होता है।
    - इसके तहत विद्युत द्वारा जल (H_2O) को हाइड्रोजन (H) और ऑक्सीजन (O_2) में विभाजित किया जाता है।
    - उपोत्पाद: जल, जलवाष्प।
  - ब्राउन हाइड्रोजन का उत्पादन कोयले का उपयोग करके किया जाता है जहाँ उत्सर्जन को वायुमंडल में निष्कासित किया जाता है।
  - ग्रे हाइड्रोजन (Grey Hydrogen) प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है जहाँ संबंधित उत्सर्जन को वायुमंडल में निष्कासित किया जाता है।
  - ब्लू हाइड्रोजन (Blue Hydrogen) प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होती है, जहाँ कार्बन कैप्चर और स्टोरेज का उपयोग करके उत्सर्जन को कैप्चर किया जाता है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (NTPC)

- NTPC लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (Public Sector Undertaking- PSU) है।
  - NTPC आरईएल (REL) की 100 % हिस्सेदारी वाली कंपनी है।
- भारत की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी, NTPC की स्थापना वर्ष 1975 में भारत के विद्युत विकास में तेज़ी लाने के लिये की गई थी।
- इसका उद्देश्य नवाचार द्वारा संचालित किफायती, कुशल और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से विश्वसनीय बिजली तथा संबंधित समाधान प्रदान करना है।
- मई 2010 में इसे महारत्न कंपनी (Maharatna company) घोषित किया गया।
- यह नई दिल्ली में स्थित है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने 93,068 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वर्ष 2026 तक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojna- PMKSY) के विस्तार को मंज़ूरी दी।

सरकार ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP), हर खेत को पानी (HKKP) और PMKSY के वाटरशेड विकास घटकों को चार वर्ष (2021-22 से 2025-26) तक के लिये मंज़ूरी दे दी है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में:
  - यह वर्ष 2015 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना (कोर योजना) है। केंद्र-राज्य की हिस्सेदारी 75:25 प्रतिशत में होगी। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों के मामले में यह अनुपात 90:10 रहेगा।
    - इससे ढाई लाख अनुसूचित जाति और दो लाख अनुसूचित जनजाति के किसानों सहित लगभग 22 लाख किसानों को लाभ होगा।
  - जल शक्ति मंत्रालय ने वर्ष 2020 में PMKSY के तहत परियोजनाओं के घटकों की जियो-टैगिंग हेतु एक मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया।
  - इसके तीन मुख्य घटक हैं- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP), हर खेत को पानी (HKKP) और वाटरशेड डेवलपमेंट।
    - वर्ष 1996 में AIBP को राज्यों की संसाधन क्षमताओं से अधिक सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेज़ी लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
    - HKKP का उद्देश्य लघु सिंचाई के माध्यम से नए जल स्रोत निर्मित करना है। जल निकायों की मरम्मत, बहाली और नवीनीकरण, पारंपरिक जल स्रोतों की वहन क्षमता को मज़बूत करना, वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण।
    - इसके उप घटकों में शामिल हैं: कमान क्षेत्र विकास (CAD), भूतल लघु सिंचाई (SMI), जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली (RRR), भूजल विकास।
    - वाटरशेड डेवलपमेंट में अपवाह जल का प्रभावी प्रबंधन और मिट्टी और नमी संरक्षण गतिविधियों में सुधार जैसे कि रिज क्षेत्र उपचार, ड्रेनेज़ लाइन ट्रीटमेंट, वर्षा जल संचयन, इन-सीटू नमी संरक्षण और वाटरशेड के आधार पर अन्य संबद्ध गतिविधियाँ शामिल हैं।
- उद्देश्य:
  - क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश का अभिसरण,
  - सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना (हर खेत को पानी),
  - पानी की बर्बादी को कम करने के लिये ऑन-फार्म जल उपयोग दक्षता में सुधार,
  - 'जलभृत' (Aquifers) के पुनर्भरण को बढ़ाने के लिये और पेरी-अर्बन कृषि के लिये उपचारित नगरपालिका आधारित पानी के पुन: उपयोग की व्यवहार्यता की खोज करके स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को शुरू करना और एक परिशुद्ध सिंचाई प्रणाली में अधिक-से-अधिक निजी निवेश को आकर्षित करना।
    - 'जलभृत' भू-जल से संतृप्त चट्टान या तलछट का एक निकाय है। वर्षा का जल मिट्टी के रिसाव के कारण भूजल एक जलभृत में प्रवेश करता है। यह जलभृत के माध्यम से आगे बढ़ता है और झरनों तथा कुओं के माध्यम से फिर से सतह पर आ जाता है।
    - 'पेरी-अर्बन कृषि' शहर के नज़दीक कृषि इकाईयों को संदर्भित करती है, जो सब्जियों और अन्य बागवानी को विकसित करने, मुर्गियों तथा अन्य पशुओं को पालने और दूध तथा अंडे का उत्पादन करने के लिये गहन अर्द्ध या पूरी तरह से वाणिज्यिक खेतों का संचालन करती हैं।
    - परिशुद्ध सिंचाई एक नवीन तकनीक है, जो जल के बेहतर उपयोग से संबंधित है और किसानों को कम-से-कम पानी में उच्च स्तर की फसल उपज प्राप्त करने में मदद करती है।
- निरूपण: इसे निम्नलिखित योजनाओं को मिलाकर तैयार किया गया था:
  - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP)- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (अब जल शक्ति मंत्रालय)।
  - एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP)- भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय।
  - ऑन-फार्म जल प्रबंधन (OFWM)- कृषि और सहकारिता विभाग (DAC)।
- कार्यान्वयन: राज्य सिंचाई योजना और ज़िला सिंचाई योजना के माध्यम से विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन।

नोट :

भूल जाने का अधिकार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि भूल जाने के अधिकार की अंतर्राष्ट्रीय कानूनी अवधारणा भारत में विकसित हो रही है और यह निजता के अधिकार के अंतर्गत आता है।

- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, निजता के अधिकार में भूलने का अधिकार (RTBF) और अकेले रहने का अधिकार भी शामिल है।

प्रमुख बिंदु

- निजता का अधिकार: पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामले, 2017 में निजता के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार घोषित किया गया था।
  - निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आंतरिक हिस्से के रूप में और संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के एक हिस्से के रूप में संरक्षित है।
- भूल जाने का अधिकार: एक बार जब व्यक्तिगत जानकारी आवश्यक या प्रासंगिक नहीं रह जाती है, तो इंटरनेट, खोज, डेटाबेस, वेबसाइटों या किसी अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध व्यक्तिगत जानकारी को हटाने का अधिकार है।
  - गूगल स्पेन मामले में यूरोपीय संघ के न्यायालय (CJEU) द्वारा वर्ष 2014 में दिये गए फैसले के बाद RTBF को महत्त्व मिला।
  - भारतीय संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ, 2017 में कहा कि RTBF निजता के व्यापक अधिकार का एक हिस्सा था।
    - RTBF अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार से और आंशिक रूप से अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के अधिकार से निकलता है।
- अकेले रहने का अधिकार: इसका मतलब यह नहीं है कि कोई समाज से अलग हो रहा है। यह एक अपेक्षा है कि समाज व्यक्ति द्वारा किये गए विकल्पों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि वे दूसरों को नुकसान नहीं पहुँचाते।
- RTBF से जुड़े मुद्दे:
  - गोपनीयता बनाम सूचना: किसी दी गई स्थिति में RTBF का अस्तित्व अन्य परस्पर विरोधी अधिकारों जैसे कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार या अन्य प्रकाशन अधिकारों के साथ संतुलन पर निर्भर करता है।
    - उदाहरण के लिये एक व्यक्ति अपने आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी को गूगल से डी-लिंक करना चाहता है और लोगों के लिये कुछ पत्रकारिता रिपोर्टों तक पहुँचना मुश्किल बना सकता है।
    - यह अनुच्छेद 21 में वर्णित व्यक्ति के एकांतवास के अधिकार की अनुच्छेद 19 में वर्णित मीडिया द्वारा रिपोर्ट करने के अधिकारों से विरोधाभास की स्थिति को दर्शाता है।
  - निजी व्यक्तियों के खिलाफ प्रवर्तनीयता: RTBF का दावा आम तौर पर एक निजी पार्टी (एक मीडिया या समाचार वेबसाइट) के खिलाफ किया जाएगा।
    - इससे यह प्रश्न उठता है कि क्या निजी व्यक्ति के खिलाफ मौलिक अधिकारों को लागू किया जा सकता है, जो सामान्यत: राज्य राज्य के विरुद्ध लागू करने योग्य/प्रवर्तनीय है।
    - केवल अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 23 एक निजी पार्टी के एक निजी अधिनियम के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है जिसे संविधान के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी जाती है।
  - अस्पष्ट निर्णय: हाल के वर्षों में, RTBF को संहिताबद्ध करने के लिये डेटा संरक्षण कानून के बिना, विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा अधिकार के कुछ असंगत और अस्पष्ट निर्णय लिये गये हैं।
    - भारत में न्यायालयों ने बार-बार RTBF के आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर दिया गया है, जबकि इससे जुड़े व्यापक संवैधानिक प्रश्नों को पूरी तरह से अनदेखा किया गया।

नोट :

गोपनीयता की रक्षा हेतु सरकार द्वारा किये गये प्रयास

- व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019:
  - यह व्यक्तिगत डेटा से संबद्ध व्यक्तियों की गोपनीयता को सुरक्षा प्रदान करने एवं उक्त उद्देश्यों और किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा से संबंधित मामलों के लिये भारतीय डेटा संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है।
  - इसे बी. एन. श्रीकृष्ण समिति (2018) की सिफारिशों पर तैयार किया गया।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000:
  - यह कंप्यूटर सिस्टम से डेटा के संबंध में कुछ उल्लंघनों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम और उसमें संग्रहीत डेटा के अनधिकृत उपयोग को रोकने के प्रावधान हैं।

आगे की राह

- संसद और सर्वोच्च न्यायालय को RTBF का विस्तृत विश्लेषण करना चाहिये और निजता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के परस्पर विरोधी अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिये एक तंत्र विकसित करना चाहिये।
- इस डिजिटल युग में, डेटा एक मूल्यवान संसाधन है जिसे अनियंत्रित नहीं छोड़ा जाना चाहिये अत: इस संदर्भ में, भारत द्वारा एक मजबूत डेटा संरक्षण व्यवस्था को अपनाने का समय आ गया है।
  - इस प्रकार, सरकार को व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 के अधिनियमन में तीव्रता लेन की आवश्यकता है।

NGOs का FCRA लाइसेंस रद्द

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA), 2010 के तहत पंजीकरण को रद्द कर दिया है।

- FCRA लाइसेंस के निलंबन का मतलब है कि गैर-सरकारी संगठन अब दाताओं से विदेशी धन प्राप्त नहीं कर सकेंगे, जब तक कि गृह मंत्रालय द्वारा जाँच नहीं की जाती है। विदेशी धन प्राप्त करने हेतु संघों और गैर-सरकारी संगठनों के लिये FCRA पंजीकरण अनिवार्य है।

प्रमुख बिंदु

- पृष्ठभूमि:
  - वडोदरा स्थित एक गैर-सरकारी संगठन का FCRA पंजीकरण रद्द कर दिया गया है, क्योंकि उस पर हिंदू समुदाय के सदस्यों को अवैध रूप से धर्म परिवर्तित करने, CAA के विरोध प्रदर्शनों को वित्तपोषित करने से संबंधित आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने का आरोप लगाया गया है।
  - इसके अलावा दो अन्य ईसाई गैर-सरकारी संगठनों- तमिलनाडु स्थित 'न्यू होप फाउंडेशन' और कर्नाटक के 'होली स्पिरिट मिनिस्ट्री' का भी FCRA पंजीकरण रद्द कर दिया गया है।
  - साथ ही बीते दिनों अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 'AFMI चैरिटेबल ट्रस्ट' का FCRA पंजीकरण भी रद्द कर दिया गया था।
- पूर्व संदर्भ श्रेणी:
  - गृह मंत्रालय ने 10 ऑस्ट्रेलियाई, अमेरिकी और यूरोपीय दानदाताओं को अपनी निगरानी सूची में शामिल किया है।
    - जिसके बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी बैंकों को लिखा था कि इन विदेशी दानदाताओं द्वारा भेजे गए किसी भी फंड को मंत्रालय के संज्ञान में लाया जाना चाहिये और अनुमति के बिना इसकी मंज़ूरी नहीं दी जानी चाहिये।
  - सभी दानदाता जिन्हें वॉचलिस्ट या 'पूर्व संदर्भ श्रेणी' में रखा गया है, वे अधिकांशत: जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और बाल अधिकारों के क्षेत्र में काम करते हैं।

नोट :

- विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA), 2010: भारत में विदेशी वित्तपोषण को इस अधिनियम के तहत विनियमित किया जाता है और गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
  - किसी व्यक्ति विशिष्ट या गैर-सरकारी संगठन को गृह मंत्रालय की अनुमति के बिना विदेशी योगदान स्वीकार करने की अनुमति होती है।
  - हालाँकि इस तरह के विदेशी योगदान की स्वीकृति हेतु मौद्रिक सीमा 25,000 रुपए से कम होनी चाहिये।
  - अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले उस उद्देश्य का पालन करते हैं जिसके लिये ऐसा योगदान प्राप्त किया गया है।
  - अधिनियम के तहत संगठनों को प्रत्येक पाँच वर्ष में पंजीकरण कराना आवश्यक है।
  - पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन निम्नलिखित पाँच उद्देश्यों हेतु विदेशी योगदान प्राप्त कर सकते हैं:
    - सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक।
- विदेशी अंशदान विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020
  - विदेशी अंशदान स्वीकार करने पर रोक: अधिनियम लोक सेवकों को विदेशी अंशदान प्राप्त करने से रोकता है।
    - लोक सेवक में वे सभी व्यक्ति शामिल हैं, जो सरकार की सेवा में या वेतन पर कार्यरत हैं अथवा जिन्हें किसी लोक सेवा के लिये सरकार से मेहनताना मिलता है।
  - विदेशी अंशदान का हस्तांतरण: अधिनियम विदेशी अंशदान को स्वीकार करने के लिये पंजीकृत किसी अन्य व्यक्ति को विदेशी अंशदान के हस्तांतरण पर रोक लगाता है।
  - पंजीकरण के लिये आधार: अधिनियम पहचान दस्तावेज़ के रूप में विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले व्यक्ति, सभी पदाधिकारियों, निदेशकों या प्रमुख पदाधिकारियों के लिये आधार संख्या अनिवार्य बनाता है।
  - FCRA अकाउंट: विधेयक में यह निर्धारित किया गया है कि विदेशी अंशदान केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), नई दिल्ली की उस शाखा में ही लिया जाएगा, जिसे केंद्र सरकार अधिसूचित करेगी।
  - प्रशासनिक उद्देश्यों के लिये विदेशी अंशदान के उपयोग में कमी: अधिनियम के अनुसार, प्राप्त कुल विदेशी धन के 20% से अधिक का उपयोग प्रशासनिक खर्चों के लिये नहीं किया जा सकता है। FCRA, 2010 में यह सीमा 50% थी।
  - प्रमाण पत्र का समर्पण/विलोपन:अधिनियम केंद्र सरकार को किसी व्यक्ति के पंजीकरण प्रमाण पत्र को विलोपित (Surrender) करने की अनुमति देता है।

FCRA से संबंधित मुद्दे:

- FCRA भारत में कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के धन प्राप्ति के विदेशी स्रोतों को नियंत्रित करता है। यह "राष्ट्रीय हित के लिये हानिकारक किसी भी गतिविधि हेतु" विदेशी योगदान की प्राप्ति को प्रतिबंधित करता है।
  - अधिनियम में यह भी कहा गया है कि सरकार अनुमति देने से इनकार कर सकती है यदि उसे लगता है कि NGO को मिला दान "सार्वजनिक हित" या "राज्य के आर्थिक हित" पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।
  - हालाँकि 'सार्वजनिक हित' के निर्धारण हेतु कोई स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं है।
- FCRA प्रतिबंधों का संविधान के अनुच्छेद 19(1)(A) और 19(1)(C) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा संघ की स्वतंत्रता दोनों अधिकारों पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दो तरह से प्रभावित होता है:
  - केवल कुछ राजनीतिक समूहों को विदेशी सहायता प्राप्त करने की अनुमति देना और अन्य को नहीं, सरकार के पक्ष में पूर्वाग्रह पैदा उत्पन्न कर सकता है।
    - जब NGOs द्वारा शासन पद्धति की आलोचना की जाती है तो उन्हें बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि सरकार की बहुत अधिक आलोचना उनके अस्तित्व के लिये खतरा उत्पन्न कर सकती है।

नोट :

- FCRA मानदंड आलोचनात्मक आवाजों की जनहित के खिलाफ घोषणा करके उन्हें दबा सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इस द्रुतशीतन प्रभाव से 'सेल्फ-सेंसरशिप' का निर्माण हो सकता है।

◆ जनहित पर अस्पष्ट दिशा-निर्देशों की तरह श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) मामले में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 ए को रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस अधिनियम का इस्तेमाल इस तरह से किया जा सकता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित हो।

- इसके अलावा यह देखते हुए कि संघ की स्वतंत्रता का अधिकार 'मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा' (अनुच्छेद 20) का हिस्सा है, इस अधिकार का उल्लंघन भी मानवाधिकारों का उल्लंघन है।
- अप्रैल 2016 में शांतिपूर्ण सभा और एसोसिएशन की स्वतंत्रता के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक ने FCRA, 2010 का कानूनी विश्लेषण किया।
  - ◆ इसमें कहा गया है कि FCRA के तहत लागू 'जनहित' और 'आर्थिक हित' के नाम पर प्रतिबंध 'वैध प्रतिबंधों' के परीक्षण में विफल रहे हैं।
  - ◆ शर्तें बहुत अस्पष्ट थीं और इस प्रावधान को मनमाने ढंग से लागू करने के लिये राज्य को अत्यधिक विवेकाधीन शक्तियाँ प्रदान की गईं।
- इस संदर्भ में भ्रष्ट गैर-सरकारी संगठनों को विनियमित करना आवश्यक है और जनहित जैसे शब्दों पर स्पष्टता की आवश्यकता है।

आगे की राह

- विदेशी योगदान पर अत्यधिक विनियमन गैर-सरकारी संगठनों के काम-काज को प्रभावित कर सकता है जो कि ज़मीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं को लागू करने में सहायक होते हैं। ये उन अंतरालों को भरते हैं, जहाँ सरकार अपना काम करने में विफल रहती है।
- इस विनियम को वैश्विक समुदाय के कामकाज के लिये आवश्यक राष्ट्रीय सीमाओं के पार संसाधनों के बँटवारे में बाधा नहीं डालनी चाहिये और जब तक यह मानने का कारण न हो कि अवैध गतिविधियों की सहायता के लिये धन का उपयोग किया जा रहा है, तब तक इसे हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिये।

खनिज नियमों में संशोधन

चर्चा में क्यों ?

खनिज (खनिज सामग्री के साक्ष्य) दूसरा संशोधन नियम, 2021 और खनिज (नीलामी) चौथा संशोधन नियम, 2021 को अधिसूचित किया गया है।

- ये दोनों नियम क्रमश: खनिज (खनिज सामग्री के साक्ष्य) नियम, 2015 [एमईएमसी नियम] और खनिज (नीलामी) नियम, 2015 [नीलामी नियम] में संशोधन करते हैं।
- इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने खान और खनिज (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021 को मंज़ूरी दी थी।

खनिज (खनिज सामग्री के साक्ष्य) नियम, 2015:

- खनिज (खनिज सामग्री के साक्ष्य) नियम, 2015 को जून 2021 में संशोधित किया गया है ताकि अन्य बातों के साथ-साथ उन क्षेत्रों के संबंध में एक समग्र लाइसेंस प्रदान करने हेतु नीलामी का प्रावधान किया जा सके जहाँ कम-से-कम टोही सर्वेक्षण (जी4) स्तर पूरा हो चुका हो अथवा जहाँ उपलब्ध भू-विज्ञान के आँकड़ों के आधार पर ब्लॉक की खनिज क्षमता की पहचान कर ली गई हो लेकिन संसाधन अभी तक स्थापित नहीं किये गए हों।
  - ◆ एक टोही सर्वेक्षण किसी विशिष्ट स्थान एवं विशिष्ट समय में संभावित ऐतिहासिक संसाधनों का एक स्नैपशॉट (Snapshot) प्रदान करता है।
- इन संशोधनों का उद्देश्य नीलामी के लिये अधिक खनिज ब्लॉकों की पहचान करना और इस प्रकार अन्वेषण एवं उत्पादन की गति को बढ़ाना था जिसके परिणामस्वरूप देश में खनिजों की उपलब्धता में सुधार हुआ तथा इस क्षेत्र में रोज़गार में वृद्धि हुई।

नोट :

खनिज (नीलामी) नियम, 2015:

- अन्य बातों के साथ-साथ समग्र लाइसेंस के लिये ऐसे ब्लॉकों की नीलामी को सक्षम बनाने हेतु बोली सुरक्षा, प्रदर्शन सुरक्षा और अन्य पात्रता शर्तों को निर्धारित करने के लिये इसमें संशोधन किया गया।
- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने संभावित बोलीदाताओं और अन्य हितधारकों की सहायता के लिये ऑनलाइन कोर बिज़नेस इंटीग्रेटेड सिस्टम प्रोजेक्ट (ओसीबीआईएस) पोर्टल में भू-वैज्ञानिकों के लिये संभावित क्षेत्रों हेतु आधारभूत भू-विज्ञान डेटाबेस भी उपलब्ध कराया है।

प्रमुख बिंदु

- खनिज (खनिज सामग्री के साक्ष्य) द्वितीय संशोधन नियम, 2021:
  - यह किसी भी व्यक्ति (जो नीलामी में भाग लेने का इरादा रखता है) को समग्र लाइसेंसिंग प्रक्रिया के लिये नीलामी हेतु उपयुक्त ब्लॉक प्रस्तावित करने में सक्षम करेगा, जहाँ उपलब्ध भू-विज्ञान डेटा के आधार पर ब्लॉक की खनिज क्षमता की पहचान की गई है।
  - राज्य सरकार द्वारा गठित एक समिति इस प्रकार प्रस्तावित ब्लॉकों की खनिज क्षमता का आकलन करेगी और नीलामी के लिये ब्लॉक की सिफारिश करेगी।
- खनिज (नीलामी) चौथा संशोधन नियम, 2021:
  - यह प्रावधान करेगा कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित ब्लॉकों को नीलामी के लिये अधिसूचित किया जाता है, तो उक्त व्यक्ति को उसके द्वारा प्रस्तावित ब्लॉकों की नीलामी में बोली सुरक्षा राशि की केवल आधी राशि जमा करने के लिये प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
  - सभी मामलों में खनन पट्टा क्षेत्र के आंशिक समर्पण की अनुमति दी गई है।
    - अभी तक आंशिक समर्पण की अनुमति केवल वन संबंधी मंज़ूरी न मिलने की स्थिति में ही दी जाती थी।
  - खनन या खनिज प्रसाधन के दौरान उत्पन्न होने वाले थ्रेशोल्ड मूल्य से नीचे के ओवरबर्डन/अपशिष्ट रॉक/खनिज के निपटान की अनुमति देने के लिये भी प्रावधान शामिल किये गए हैं।
    - खनन पट्टा स्वीकृत करने के लिये न्यूनतम क्षेत्र सीमा को 5 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर कर दिया गया है। कुछ विशिष्ट जमाओं के लिये यह न्यूनतम 2 हेक्टेयर भी है।
- उद्देश्य:
  - नीलामी के लिये अधिक खनिज ब्लॉकों की पहचान करना और इस प्रकार अन्वेषण एवं उत्पादन की गति में वृद्धि करना, जिसके परिणामस्वरूप देश में खनिजों की उपलब्धता में सुधार हो सकेगा।
- महत्त्व:
  - यह नीलामी में अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा और प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देगा।
  - यह राज्य सरकारों को समग्र लाइसेंस की नीलामी के लिये और अधिक ब्लॉकों की पहचान करने की सुविधा प्रदान करेगा।
- खनन से संबंधित पहलें:
  - राष्ट्रीय खनिज नीति 2019
  - नीलाम किये गए ग्रीनफील्ड खनिज ब्लॉकों का शीघ्र संचालन सुनिश्चित करने हेतु पहल शुरू की गई है।
  - खनन क्षेत्र में करों को युक्तिसंगत बनाने पर भी विचार किया जा रहा है।
  - 'आत्मनिर्भर भारत योजना' के तहत खनिज क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाने और अन्य सुधारों की घोषणा की गई है।
  - ज़िला खनिज फाउंडेशन निधि

भारत में खनिज:

- भारत खनिज संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध है। अन्वेषणों में 20,000 से अधिक ज्ञात खनिज ज़मा और 60 से अधिक खनिजों के पुनर्प्राप्ति योग्य भंडार पाए गए हैं।
- भारत के 11 राज्यों (आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक) में कुल परिचालन खदानों की संख्या का 90% हिस्सा है।

नोट :

- विश्व स्तर पर भारत को क्रोमाइट, लौह अयस्क, कोयला और बॉक्साइट जैसे मूल्यवान खनिजों के प्रमुख उत्पादकों में से एक के रूप में स्थान दिया गया है।
- भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग 328 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से खनन पट्टा (ईंधन, परमाणु और लघु खनिजों के अलावा) लगभग 0.14% है, जिसका बमुश्किल 20% खनन किया जाता है।.
- भारतीय उप-मृदा तटवर्ती और अपतटीय कच्चे तेल एवं गैस, कोयला, लौह अयस्क, तांबा, बॉक्साइट, आदि से समृद्ध है।
- भारत 95 खनिजों का उत्पादन करता है, जिसमें 4 ईंधन, 10 धातु, 23 गैर-धातु, 3 परमाणु और 55 लघु खनिज (भवन और अन्य सामग्री सहित) शामिल हैं।

चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में लोकसभा में चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया गया। यह विधेयक मतदाता सूची डेटा और मतदाता पहचान पत्र को आधार पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ने का प्रयास करता है।

- हालाँकि विपक्षी सदस्यों ने विधेयक पर कई आपत्तियाँ जताई हैं।

प्रमुख बिंदु

- विधेयक की मुख्य विशेषताएँ:
  - निर्वाचक नामावली का 'डी-डुप्लीकेशन': यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23 में संशोधन का प्रावधान करता है, जिससे मतदाता सूची डेटा को आधार पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ा जा सके।
    - इसका उद्देश्य विभिन्न स्थानों पर एक ही व्यक्ति के एकाधिक नामांकन को रोकना है।
    - इससे फर्जी वोटिंग और फर्जी मतों को रोकने में मदद मिलेगी।
    - यह लिंकिंग विभाग से संबंधित व्यक्तिगत, लोक शिकायत और कानून तथा न्याय पर संसदीय स्थायी समिति की 105वीं रिपोर्ट के अनुरूप है।
  - मल्टीपल क्वालिफाइंग डेट्स: नागरिकों को 18 वर्ष कि आयु में वोटिंग का अधिकार मिल जाता है। हालाँकि 18 वर्ष की आयु के बाद भी कई लोग मतदाता सूची से बाहर रह जाते हैं। ऐसा इसलिये है क्योंकि 1 जनवरी को क्वालीफाइंग तारीख के रूप में माना जाता है।
    - विधेयक के अनुसार, वोटिंग रोल को अपडेट करने के लिये चार क्वालिफाइंग तारीखों की घोषणा की जाएगी, जिसमें जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्तूबर के महीनों के पहले दिन 18 वर्ष के हो चुके लोगों को शामिल किया जाएगा।
  - लैंगिक तटस्थता लाना: 'सेवा मतदाताओं की पत्नियों' के पंजीकरण की भाषा को अब 'जीवन साथी' से बदल दिया जाएगा। यह कानूनों को और अधिक "लिंग-तटस्थ" बना देगा।
    - सेवा मतदाता वे हैं जो सशस्त्र बलों में सेवारत हैं या इसके बाहर राज्य के सशस्त्र पुलिस बल में सेवारत हैं या भारत के बाहर तैनात सरकारी कर्मचारी हैं।
- संबद्ध चिंताएँ:
  - आधार अपने आप में अनिवार्य नहीं है: वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने के कदम को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था।
    - उस समय यह माना गया कि "आधार कार्ड योजना विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक है"।
    - इसके अलावा आधार का मतलब केवल यही था कि यह निवास का प्रमाण है नागरिकता का नहीं।
  - बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित होने का भय: विधेयक मतदाता पंजीकरण अधिकारियों को आवेदक की पहचान स्थापित करने हेतु मतदाता के रूप में पंजीकरण करने के इच्छुक आवेदकों के आधार नंबर मांगने की अनुमति देता है।
    - आधार के अभाव में सरकार कुछ लोगों को मताधिकार से वंचित करने और नागरिकों की प्रोफाइल बनाने के लिये मतदाता पहचान विवरण का उपयोग करने में सक्षम होगी।

नोट :

- डेटा संरक्षण कानून का अभाव: विशेषज्ञों का मानना है कि एक मज़बूत व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून (इस संबंध में एक विधेयक को संसद द्वारा अभी तक मंज़ूरी नहीं दी गई है) के अभाव में डेटा साझा करने की अनुमति देने का कोई भी कदम समस्या उत्पन्न कर सकता है।
- निजता संबंधी चिंताएँ: वर्तमान में चुनावी डेटा को भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा अपने डेटाबेस में रखा जाता है, जिसकी अपनी सत्यापन प्रक्रिया होती है और यह अन्य सरकारी डेटाबेस से अलग होती है।
  - आधार और चुनाव संबंधी डेटाबेस के बीच प्रस्तावित लिंकेज ECI और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) को डेटा उपलब्ध कराएगा।
  - इससे नागरिकों की निजता का हनन हो सकता है।

- सरकार का रुख:
  - स्वैच्छिक लिंकिंग: आधार और चुनाव डेटाबेस के बीच प्रस्तावित लिंकेज स्वैच्छिक है।
  - मताधिकार से वंचित होने का कोई जोखिम नहीं: मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिये किये किसी भी आवेदन को अस्वीकार नहीं किया जाएगा और किसी व्यक्ति द्वारा आधार संख्या प्रस्तुत करने या सूचित करने में असमर्थता की स्थिति में मतदाता सूची से कोई भी प्रविष्टि नहीं हटाई जाएगी।

आगे की राह

- व्यापक कानून की आवश्यकता: एक त्रुटि मुक्त मतदाता सूची स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिये अनिवार्य है। यद्यपि सरकार को चाहिये कि वह इसके लिये व्यापक विधेयक प्रस्तुत करे ताकि संसद में इस मुद्दे पर उचित चर्चा हो सके।
- अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता: विधेयक में दो डेटाबेस के बीच डेटा साझाकरण की सीमा, ऐसे तरीके जिनके माध्यम से सहमति प्राप्त की जाएगी और क्या डेटाबेस को जोड़ने के लिये सहमति रद्द की जा सकती है, जैसी बातों को निर्दिष्ट किया जाना चाहिये।

सुशासन सप्ताह

चर्चा में क्यों ?

केंद्र सरकार 20 दिसंबर से 26 दिसंबर तक एक राष्ट्रव्यापी 'सुशासन सप्ताह' मना रही है, जिसका उद्देश्य जनता की शिकायतों का निवारण और निपटान करना और ग्रामीण स्तर तक सेवा वितरण में सुधार करना है।

- नागरिक केंद्रित होने के उद्देश्य से "प्रशासन गाँव की ओर" नामक अभियान के तहत इस सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे।
- 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को चिह्नित करने के लिये 'सुशासन दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - यह प्रगतिशील भारत के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' समारोह के अनुरूप नागरिक-केंद्रित शासन को बढ़ावा देने और सेवा वितरण में सुधार के लिये भारत द्वारा उठाए गए कदमों का जश्न मनाने के लिये आयोजित किया जाता है।
  - इस सप्ताह के दौरान नियोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला का उद्देश्य केंद्र द्वारा की गई विभिन्न सुशासन पहलों को जनता के सामने लाना है।
  - इसमें सुशासन प्रथाओं पर प्रदर्शनी का उद्घाटन भी शामिल होगा।
- विभिन्न आयोजन:
  - जीवन की सुगमता और अनुपालन बोझ को कम करने के लिये सुधारों का अगला चरण।
  - सर्वोत्तम प्रथाओं पर DARPG द्वारा अनुभव साझा करने हेतु कार्यशाला।
  - मिशन कर्मयोगी- आगे की राह।

नोट :

- इस अवसर पर 'सुशासन सप्ताह पोर्टल' भी लॉन्च किया जाएगा तथा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सभी ज़िला कलेक्टरों को प्रगति एवं उपलब्धियों को अपलोड करने व साझा करने के लिये ऑनलाइन पोर्टल तक पहुँच प्रदान की जाएगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन लाने के उद्देश्य से 'प्रशासन गाँव की ओर' अभियान शुरू किया जाएगा।

- शासन:
  - यह निर्णय लेने तथा इन निर्णयों के कार्यान्वयन की एक प्रक्रिया है।
  - शासन शब्द का उपयोग कई संदर्भों में किया जा सकता है जैसे कि कॉर्पोरेट प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन, राष्ट्रीय प्रशासन और स्थानीय शासन।
- सुशासन के आठ लक्षण (संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्णित):
  - भागीदारी:
    - लोगों द्वारा सीधे या वैध मध्यवर्ती संस्थानों के माध्यम से भागीदारी जो कि उनके हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
    - निर्णय लेने में लोगों को स्वतंत्र होना चाहिये।
  - विधि का शासन:
    - कानूनी ढाँचा, विशेष रूप से मानव अधिकारों से संबंधित कानून सभी पर निष्पक्ष रूप से लागू होने चाहिये।
  - पारदर्शिता:
    - सूचना के मुक्त प्रवाह को लेकर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है ताकि प्रक्रियाओं, संस्थाओं और सूचनाओं तक लोगों की सीधी पहुँच हो तथा उन्हें इनको समझने व निगरानी करने के लिये पर्याप्त जानकारी प्रदान की जाती है।
  - जवाबदेही:
    - संस्थाओं और प्रक्रियाओं द्वारा सभी हितधारकों को एक उचित समयसीमा के भीतर सेवा सुलभ कराने का प्रयास किया जाता है।
  - आम सहमति:
    - सुशासन के लिये समाज में विभिन्न हितों को लेकर मध्यस्थता की आवश्यकता होती है, ताकि समाज में इस पर व्यापक सहमति बन सके कि यह पूरे समुदाय के सर्वोत्तम हित में है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है।
  - इक्विटी:
    - सभी समूहों, विशेष रूप से सबसे कमज़ोर वर्ग की स्थिति में सुधार करने या उसे बनाए रखने का अवसर प्रदान करना।
  - प्रभावशीलता और दक्षता:
    - संसाधन और संस्थान उन परिणामों को सुनिश्चित करते हैं जो संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग करते हुए ज़रूरतों को पूरा सकें।
  - जवाबदेही:
    - सरकार में निर्णय लेने वाले निजी क्षेत्र और नागरिक समाज संगठन जनता के साथ-साथ संस्थागत हितधारकों के प्रति जवाबदेह होते हैं।
- भारत में सुशासन के मार्ग में आने वाली बाधाएँ:
  - महिला सशक्तीकरण में कमी:
    - सरकारी संस्थानों और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है
  - भ्रष्टाचार:
    - भारत में उच्च स्तर के भ्रष्टाचार को शासन की गुणवत्ता के सुधार के मार्ग में एक बड़ी बाधा के रूप में माना जाता है।
    - एक नागरिक को समय पर न्याय पाने का अधिकार है, लेकिन कई कारक हैं, जिसके कारण एक सामान्य व्यक्ति को समय पर न्याय नहीं मिलता है। इस तरह के एक कारण के रूप में न्यायालयों में कर्मियों और संबंधित सामग्री की कमी है।
  - न्याय में देरी:
    - एक नागरिक को समय पर न्याय पाने का अधिकार है, किंतु कई ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से एक सामान्य व्यक्ति को समय पर न्याय नहीं मिल पाता है।

नोट :

- प्रशासनिक शक्तियों का केंद्रीकरण:
  - निचले स्तर की सरकारें केवल तभी कुशलता से कार्य कर सकती हैं जब वे ऐसा करने हेतु सशक्त हों। यह विशेष रूप से पंचायती राज संस्थानों के लिये प्रासंगिक है जो वर्तमान में निधियों की अपर्याप्तता के साथ-साथ संवैधानिक रूप से सौंपे गए कार्यों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना कर रही हैं।
- राजनीति का अपराधीकरण
  - राजनीतिक प्रक्रिया का अपराधीकरण और राजनेताओं, सिविल सेवकों तथा व्यावसायिक घरानों के बीच साँठगाँठ सार्वजनिक नीति निर्माण और शासन पर बुरा प्रभाव डाल रहा है।
- पर्यावरणीय सुरक्षा, सतत् विकास।
  - वैश्वीकरण, उदारीकरण और बाज़ार अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ।

- भारत में सुशासन के लिये पहल:
  - गुड गवर्नेंस इंडेक्स
    - GGI को देश में शासन की स्थिति निर्धारित करने के लिये कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।
    - यह राज्य सरकार और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के प्रभाव का आकलन करता है।
  - राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना:
    - इसका उद्देश्य "आम आदमी की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिये 'सामान्य सेवा वितरण आउटलेट्स' के माध्यम से सस्ती कीमत पर सभी सरकारी सेवाओं को स्थानीय स्तर पर सुलभ कराना और ऐसी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है।"
  - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
    - यह शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में एक प्रभावी भूमिका निभाता है।
    - अन्य पहल: नीति आयोग की स्थापना, मेक इन इंडिया कार्यक्रम, लोकपाल आदि।

मैनुअल स्कैवेंजिंग की समस्या

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय' ने लोकसभा में सूचित किया कि वर्ष 2021 के दौरान अब तक 'मैनुअल स्कैवेंजिंग' के कारण 22 लोगों की मौत हो चुकी है।

- 'सफाई कर्मचारी आंदोलन' के राष्ट्रीय संयोजक के अनुसार, वर्ष 2016 और वर्ष 2020 के बीच मैनुअल स्कैवेंजिंग के कारण देश भर में 472 मौतें दर्ज की गईं।
  - 'सफाई कर्मचारी आंदोलन' मैनुअल स्कैवेंजिंग के उन्मूलन हेतु एक आंदोलन है।
- संविधान का अनुच्छेद-21 'गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार' की गारंटी देता है। यह अधिकार नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों के लिये उपलब्ध है।

प्रमुख बिंदु

- मैनुअल स्कैवेंजिंग:
  - मैनुअल स्कैवेंजिंग (Manual Scavenging) को "सार्वजनिक सड़कों और सूखे शौचालयों से मानव मल को हटाने, सेप्टिक टैंक, नालियों तथा सीवर की सफाई" के रूप में परिभाषित किया गया है।
- कुप्रथा के प्रसार का कारण:
  - उदासीन रवैया: कई अध्ययनों में राज्य सरकारों द्वारा इस कुप्रथा को समाप्त कर पाने में असफलता को स्वीकार न करना और इसमें सुधार के प्रयासों की कमी को एक बड़ी समस्या बताया गया है।

नोट :

- आउटसोर्स की समस्या: कई स्थानीय निकायों द्वारा सीवर सफाई जैसे कार्यों के लिये निजी ठेकेदारों से अनुबंध किया जाता है परंतु इनमें से कई फ्लाई-बाय-नाइट ऑपरेटर" (fly-By-Night Operator), सफाई कर्मचारियों के लिये उचित दिशा-निर्देश एवं नियमावली का प्रबंधन नहीं करते हैं।
  - ऐसे में सफाई के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर इन कंपनियों या ठेकेदारों द्वारा मृतक से किसी भी प्रकार का संबंध होने से इनकार कर दिया जाता है।
- सामाजिक मुद्दा: मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा जाति, वर्ग और आय के विभाजन से प्रेरित है।
  - यह प्रथा भारत की जाति व्यवस्था से जुड़ी हुई है, जहाँ तथाकथित निचली जातियों से ही इस काम को करने की उम्मीद की जाती है।
  - 'मैनुअल स्कैवेंजर्स का रोज़गार और शुष्क शौचालय का निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993' के तहत देश में हाथ से मैला ढोने की प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया है, हालाँकि इसके साथ जुड़ा कलंक और भेदभाव अभी भी जारी है।
  - यह सामाजिक भेदभाव मैनुअल स्कैवेंजिंग कार्य को छोड़ चुके श्रमिकों के लिये आजीविका के नए या वैकल्पिक माध्यम प्राप्त करना कठिन बना देता है।

- उठाए गए कदम:
  - मैनुअल स्कैवेंजर्स के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013:
    - यह अधिनियम सभी रूपों में हाथ से मैला ढोने के निषेध को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है और हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास को सुनिश्चित करता है।
  - अत्याचार निवारण अधिनियम
    - यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ विशिष्ट अपराधों को गैर-कानूनी घोषित करता है।
  - सफाई कर्मचारियों का राष्ट्रीय आयोग:
    - आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के एक गैर-सांविधिक निकाय के रूप में कार्य कर रहा है, जिसका कार्यकाल समय-समय पर सरकारी प्रस्तावों के माध्यम से बढ़ाया जाता है।
  - स्वच्छ भारत अभियान
    - स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्तूबर, 2014 को सरकार द्वारा देश की सड़कों को साफ करने और सामाजिक बुनियादी अवसंरचना के निर्माण हेतु शुरू किया गया एक राष्ट्रीय अभियान है।
  - मैनुअल स्कैवेंजर्स के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास (संशोधन) विधेयक, 2020:
    - इसमें सीवर की सफाई को पूरी तरह से मशीनीकृत करने, 'ऑन-साइट' सुरक्षा के तरीके पेश करने और सीवर से होने वाली मौतों के मामले में मैनुअल स्कैवेंजर्स को मुआवज़ा प्रदान करने का प्रस्ताव है।
    - यह मैनुअल स्कैवेंजर्स के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 में संशोधन होगा।
  - सफाई मित्र सुरक्षा चुनौती:
    - इसे आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 में विश्व शौचालय दिवस (19 नवंबर) पर लॉन्च किया गया था।
    - सरकार ने सभी राज्यों के लिये अप्रैल 2021 तक सीवर-सफाई को मशीनीकृत करने हेतु इस 'चुनौती' का शुभारंभ किया है, इसके तहत यदि किसी व्यक्ति को अपरिहार्य आपात स्थिति में सीवर लाइन में प्रवेश करने की आवश्यकता होती है, तो उसे उचित गियर और ऑक्सीजन टैंक आदि प्रदान किये जाते हैं।
  - 'स्वच्छता अभियान एप':
    - इसे अस्वच्छ शौचालयों और हाथ से मैला ढोने वालों के डेटा की पहचान और जियोटैग करने के लिये विकसित किया गया है, ताकि अस्वच्छ शौचालयों को सेनेटरी शौचालयों से प्रतिस्थापित किया जा सके तथा हाथ से मैला ढोने वालों को जीवन की गरिमा प्रदान करने के लिये उनका पुनर्वास किया जा सके।
  - सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:
    - वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश के तहत सरकार के लिये उन सभी लोगों की पहचान करना अनिवार्य कर दिया था, जो वर्ष 1993 से सीवेज का काम करने के दौरान मारे गए हैं और साथ ही सभी के परिवारों को 10 लाख रुपए मुआवज़ा प्रदान करने के भी निर्देश दिये गए थे।

नोट :

आगे की राह

- उचित पहचान: राज्यों को दूषित कीचड़ की सफाई में संलग्न श्रमिकों की पहचान करनी चाहिये और उनका एक उचित रिकॉर्ड बनाना चाहिये।
- स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाना: 15वें वित्त आयोग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन को सर्वोच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है और स्मार्ट शहरों एवं शहरी विकास के लिये उपलब्ध धन से मैला ढोने की समस्या का समाधान करने की वकालत की गई थी।
- सामाजिक संवेदनशीलता: हाथ से मैला ढोने के पीछे की सामाजिक स्वीकृति को संबोधित करने के लिये पहले यह स्वीकार करना आवश्यक है कि हाथ से मैला ढोने की यह प्रथा जाति व्यवस्था में अंतर्निहित है।
- सख्त कानून की आवश्यकता: यदि कोई कानून राज्य एजेंसियों पर स्वच्छता सेवाएँ प्रदान करने के लिये एक वैधानिक दायित्व निर्धारित करता है, तो इसके माध्यम से अधिकारियों द्वारा श्रमिकों की अधिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।

मॉब लिंचिंग

चर्चा में क्यों ?

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री ने अमृतसर और कपूरथला में लिंचिंग की हालिया घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है।

प्रमुख बिंदु:

- परिचय:
  - मॉब लिंचिंग एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल लोगों के एक बड़े समूह द्वारा लक्षित हिंसा के कृत्यों का वर्णन करने के लिये किया जाता है।
  - भीड़ मानती है कि वह पीड़ित को गलत कार्य (ज़रूरी नहीं कि अवैध हो) करने के लिये दंडित कर रही है और किसी कानून का पालन किये बिना कथित आरोपी को दंडित करने हेतु कानून अपने हाथ में लेती है।
- मॉब लिंचिंग का कारण:
  - असहिष्णुता:
    - लोग कानून के कृत्यों को स्वीकार करने में असहिष्णु हैं और कथित व्यक्ति को अनैतिक मानते हुए दंडित करने के लिये आगे बढ़ते हैं।
  - पूर्वाग्रह:
    - जाति, वर्ग, धर्म आदि जैसी विभिन्न पहचानों पर आधारित पूर्वाग्रह: मॉब लिंचिंग एक घृणित अपराध है जो विभिन्न जातियों, लोगों और धर्मों के बीच पूर्वाग्रहों के कारण बढ़ रहा है।
  - गौ हत्या के आरोप में लिंचिंग:
    - यह उन महत्त्वपूर्ण कारणों में से एक है जो मॉब लिंचिंग की गतिविधियों में तेज़ी से वृद्धि करता है।
  - शीघ्र न्याय का अभाव:
    - न्याय प्रदान करने वाले अधिकारियों का अकुशल कार्य ही प्राथमिक कारण है कि लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं तथा परिणामों से डरते नहीं हैं।
  - पुलिस प्रशासन की अक्षमता:
    - पुलिस अधिकारी लोगों के जीवन की रक्षा करने और लोगों के बीच सद्भाव बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लेकिन उनकी अप्रभावी जाँच प्रक्रिया के कारण यह घृणित अपराध दिन-ब-दिन बढ़ता ही जा रहा है।
- मॉब लिंचिंग के प्रकार: कारणों के आधार पर मॉब लिंचिंग को छह प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
  - सांप्रदायिक आधारित
  - जादू-टोना

नोट :

- सम्मान की रक्षा हेतु हत्या
- गोजातीय-संबंधी मॉब लिंचिंग
- बच्चा चोरी का शक
- चोरी के मामले

- संबंधित मुद्दे:
  - मॉब लिंचिंग मानव गरिमा का उल्लंघन है, साथ ही यह संविधान के अनुच्छेद-21 और 'मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा' का भी उल्लंघन है।
  - ऐसी घटनाएँ 'समानता के अधिकार और 'भेदभाव के निषेध' संबंधी मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करती हैं, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद-14 और 15 में निहित हैं।
  - हालाँकि देश के कानून में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है और इसलिये इसे केवल हत्या के रूप में रखा गया है, क्योंकि इसे अभी तक भारतीय दंड संहिता के तहत शामिल नहीं किया गया है।
- उठाए गए संबंधित कदम:
  - निवारक उपाय:
    - जुलाई 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने तहसीन एस. पूनावाला बनाम यूओआई मामले में लिंचिंग और भीड़ की हिंसा से निपटने के लिये कई निवारक, उपचारात्मक और दंडात्मक उपाय निर्धारित किये थे।
    - इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मॉब लिंचिंग को 'भीड़ तंत्र का एक भयानक कृत्य' कहा।
  - नामित फास्ट ट्रैक कोर्ट:
    - राज्यों को हर ज़िले में विशेष रूप से मॉब लिंचिंग से जुड़े मामलों से निपटने के लिये नामित फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्देश दिया गया था।
  - स्पेशल टास्क फोर्स:
    - न्यायालय ने नफरत भरे भाषणों, भड़काऊ बयानों और फेक न्यूज़ फैलाने में शामिल लोगों के बारे में खुफिया रिपोर्ट हासिल करने के उद्देश्य से एक विशेष टास्क फोर्स के गठन पर भी विचार किया था, जिसके कारण मॉब लिंचिंग हो सकती है।
  - पीड़ित मुआवज़ा योजना:
    - पीड़ितों के राहत और पुनर्वास हेतु पीड़ित मुआवज़ा योजनाओं (Victim compensation schemes) को स्थापित करने के लिये भी निर्देश जारी किये गए।
    - एक साल बाद जुलाई 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और कई राज्यों को नोटिस जारी कर कहा कि वे उपायों को लागू करने की दिशा में उनके द्वारा उठाए गए कदमों को प्रस्तुत करें और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करें।
    - अब तक केवल तीन राज्यों मणिपुर, पश्चिम बंगाल और राजस्थान ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाए हैं।
    - हाल ही में झारखंड विधानसभा ने 'झारखंड मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 को पारित किया है।

आगे की राह

- लिंचिंग एक ऐसी घृणित घटना है जिसका उस लोकतांत्रिक समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिये, जिस पर भारत को गर्व है।
- लिंचिंग की घटना शासन को विशेष रूप से अस्थिर करती है, जबकि भीड़ द्वारा की गई हिंसा का कार्य स्वयं कानून प्रवर्तन की विफलता का संकेत है, यह एक स्पष्ट विचार के रूप में प्रतिबद्ध होती है जिसमें कानून की सहायता नहीं ली जाती है।
- भीड़ की हिंसा के मामलों में पुलिस की निष्क्रियता सिद्धांतों को विकृत रूप से तोड़मरोड़, पुलिस द्वारा न्यायेतर दंड की स्पष्ट सार्वजनिक स्वीकृति न दिये जाने के कारण देखी जाती है।
- यह देश के लिये घातक है। भीड़ की हिंसक घटनाओं के कारण वास्तव में देश की बदनामी होती है और इसे समाप्त करने के लिये पुलिस को सख्ती के साथ हस्तक्षेप करना चाहिये।
- भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसक कार्यवाहियों को अनुमति देने वाली सामाजिक सहमति पर सवाल उठाने में राजनीतिक नेतृत्व की भी भूमिका होती है।

नोट :

वर्नाक्युलर इनोवेशन प्रोग्राम: नीति आयोग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन (AIM), नीति आयोग ने अपनी तरह का पहला वर्नाक्युलर इनोवेशन प्रोग्राम (VIP) लॉन्च किया है, जो देश में नवोन्मेषकों और उद्यमियों को भारत सरकार की 22 अनुसूचित भाषाओं में नवाचार इको-सिस्टम तक पहुँच में सक्षम बनाएगा।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - VIP नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में भाषा की बाधा को दूर करने की एक पहल है, यह रचनात्मक अभिव्यक्तियों और लेन-देन की भाषाओं को व्यवस्थित रूप से अलग कर देगा।
  - VIP के लिये आवश्यक क्षमता का निर्माण करने हेतु AIM ने 22 अनुसूचित भाषाओं में से प्रत्येक में एक वर्नाक्युलर टास्क फोर्स (VTF) की पहचान की है और इसमें प्रशिक्षण देगा।
  - प्रत्येक टास्क फोर्स में स्थानीय भाषा के शिक्षक, विषय विशेषज्ञ, तकनीकी लेखक और क्षेत्रीय अटल इनक्यूबेशन सेंटर (AICs) के नेतृत्त्व शामिल हैं।
- महत्त्व
  - यह भारतीय नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में एक महत्त्वपूर्ण कदम होगा, जो युवा एवं महत्त्वाकांक्षी लोगों के संज्ञानात्मक और डिज़ाइन दृष्टिकोण को मज़बूत करेगा।
  - यह डिज़ाइन विशेषज्ञों और नवाचार करने वाले लोगों के एक मज़बूत स्थानीय नेटवर्क के निर्माण में भारत की सहायता करेगा।
  - यह भाषा की बाधाओं को दूर करने और देश के सबसे दूर के क्षेत्रों में नवप्रवर्तनकर्त्ताओं को सशक्त बनाने में मदद करेगा।
  - यह उन स्थानीय नवप्रवर्तनकर्त्ताओं के लिये समान अवसर पैदा करेगा, जो भारतीय आबादी के 90% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं।
    - वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, केवल 10.4% भारतीय अंग्रेज़ी बोलते हैं, जिसमें से अधिकांश लोग इसका प्रयोग अपनी दूसरी, तीसरी या चौथी भाषा के रूप में करते हैं।
    - केवल 0.02% भारतीय अपनी प्राथमिक भाषा के रूप में अंग्रेज़ी बोलते थे।
  - किसी की भाषा और संस्कृति में सीखने हेतु पहुँच प्रदान करके AIM स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक नवाचार पाइपलाइनों को समृद्ध करने के लिये तत्पर है।
- नवाचार/उद्यमिता से संबंधित अन्य पहलें:
  - भारत नवाचार सूचकांक
  - इम्प्रिंट (अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी को प्रभावित करना)
  - उच्चतर आविष्कार योजना (यूएवाई)
  - स्टार्टअप इंडिया पहल
  - मिशन इनोवेशन 2.0
  - एआईएम-प्राइम
  - AIM-iCREST: नीति आयोग
  - अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर
  - अटल टिंकरिंग लैब्स

अटल नवाचार मिशन (AIM)

- अटल नवाचार मिशन के बारे में:
  - AIM देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार की प्रमुख पहल है। इसकी स्थापना नीति आयोग ने की है।

नोट :

- उद्देश्य:
  - अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिये नए कार्यक्रम और नीतियाँ विकसित करना, विभिन्न हितधारकों को मंच और सहयोग के अवसर प्रदान करना, जागरूकता पैदा करना तथा देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी हेतु एक छत्र संरचना का निर्माण करना।
- अटल नवाचार मिशन के तहत की गई पहल:
- प्रमुख सफलता:
  - AIM की पहलों के तहत वर्ष 2015 में वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 81वें स्थान परऔर वर्ष 2020 में 48वें स्थान पर रहा है।

आठवीं अनुसूची

- इस अनुसूची में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान के भाग XVII में अनुच्छेद 343 से 351 तक शामिल अनुच्छेद आधिकारिक भाषाओं से संबंधित हैं।
  - हालाँकि यह ध्यान देने योग्य है कि किसी भी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिये कोई निश्चित मानदंड निर्धारित नहीं है।
- संविधान की आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएँ शामिल हैं:
  - असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगू, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी।
- इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था।
- वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को 21वें सविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया था।
- वर्ष 1992 में 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया।
- वर्ष 2003 में 92वें सविधान संशोधन अधिनियम जो कि वर्ष 2004 से प्रभावी हुआ, द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया।

हेट स्पीच

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तराखंड में एक नेता के खिलाफ समाज के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के मामले में FIR दर्ज की गई थी।

प्रमुख बिंदु:

- परिचय:
  - सामान्य तौर पर यह उन शब्दों को संदर्भित करता है जिनका इरादा किसी विशेष समूह के प्रति घृणा पैदा करना हो, यह समूह एक समुदाय, धर्म या जाति हो सकता है। लेकिन इसके परिणामस्वरूप हिंसा होने की संभावना होती है।
  - पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने हाल ही में साइबर उत्पीड़न के मामलों पर जाँच एजेंसियों के लिये एक मैनुअल प्रकाशित किया है, जिसमें हेट स्पीच को एक ऐसी भाषा के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी व्यक्ति की पहचान और अन्य लक्षणों जैसे- यौन, विकलांगता, धर्म आदि के आधार पर उसे बदनाम, अपमान, धमकी या लक्षित करती है।
  - भारत के विधि आयोग (Law Commission) की 267वीं रिपोर्ट में हेट स्पीच को मुख्य रूप से नस्ल, जातीयता, लिंग, यौन, धार्मिक विश्वास आदि के खिलाफ घृणा को उकसाने के रूप में देखा गया है।
  - यह निर्धारित करने के लिये कि भाषा अभद्र है या नहीं, भाषा का संदर्भ एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  - सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक स्वायत्तता और मुक्त भाषण के सिद्धांतों का प्रयोग नहीं करना है जो समाज के किसी भी वर्ग के लिये हानिकारक हो सकता है।
    - विचारों की बहुलता को बढ़ावा देने के लिये मुक्त भाषण आवश्यक है जहाँ अभद्र भाषा अनुच्छेद 19 (1) (ए) (भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) का अपवाद बन जाती है।

नोट :

- हेट स्पीच के प्रमुख कारण:
  - श्रेष्ठता की भावना:
    - लोग उन रूढ़ियों में विश्वास करते हैं जो कि उनके दिमाग में बसी हुई हैं और ये रूढ़ियाँ उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिये प्रेरित करती हैं कि एक वर्ग या व्यक्तियों का समूह उनसे हीन है तथा इसलिये सभी के एक समान अधिकार नहीं हो सकते।
  - विशेष विचारधारा के प्रति जिद:
    - शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के अधिकार की परवाह किये बिना किसी विशेष विचारधारा को मानते रहने की जिद हेट स्पीच को और बढ़ाती है।
- हेट स्पीच से संबंधित कानूनी प्रावधान:
  - भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत:
    - IPC की धारा 153A और 153B: ये दो समूहों के बीच दुश्मनी तथा नफरत पैदा करने वाले कृत्यों को दंडनीय बनाते हैं।
    - IPC की धारा 295A: यह धारा जान-बूझकर या दुर्भावनापूर्ण इरादे से लोगों के एक वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले कृत्यों को दंडित करने से संबंधित है।
    - IPC की धारा 505(1) और 505(2): ये धाराएँ ऐसी सामग्री के प्रकाशन तथा प्रसार को अपराध बनाती हैं जिससे विभिन्न समूहों के बीच द्वेष या घृणा उत्पन्न हो सकती है।
  - जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत:
    - जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of People's Act), 1951 की धारा 8 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के दोषी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोकती है।
    - RPA की धारा 123(3A) और 125: चुनावों के संदर्भ में जाति, धर्म, समुदाय, जाति या भाषा के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देने पर रोक लगाती हैं और इसे भ्रष्ट चुनावी कृत्य के अंतर्गत शामिल करती हैं।
- आईपीसी में बदलाव के लिये सुझाव:
  - विश्वनाथन समिति, 2019:
    - इसने धर्म, नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, लैंगिक पहचान, यौन, जन्म स्थान, निवास, भाषा, विकलांगता या जनजाति के आधार पर अपराध करने के लिये उकसाने हेतु आईपीसी में धारा 153 सी (बी) और धारा 505 ए का प्रस्ताव रखा।
    - इसने 5,000 रुपए के जुर्माने के साथ दो वर्ष तक की सज़ा का प्रस्ताव रखा।
  - बेज़बरुआ समिति, 2014:
    - इसने आईपीसी की धारा 153 सी (मानव गरिमा के लिये हानिकारक कृत्यों को बढ़ावा या बढ़ावा देने का प्रयास) में संशोधन कर पाँच वर्ष की सज़ा और जुर्माना या दोनों तथा धारा 509 ए (शब्द, इशारा या कार्य किसी विशेष जाति के सदस्य का अपमान करने का इरादा) में संशोधन कर तीन वर्ष की सज़ा या जुर्माना या दोनों का प्रस्ताव दिया।
- 'हेट स्पीच' से संबंधित कुछ मामले:
  - सर्वोच्च न्यायलय का हालिया निर्णय:
    - बीते दिनों सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वतंत्र अभिव्यक्ति (Free Speech) की सीमाओं और हेट स्पीच पर चर्चा करते हुए कहा गया है कि "ऐतिहासिक सत्यता (Historical Truths) का वर्णन समाज के विभिन्न वर्गों या समुदायों के मध्य बिना किसी घृणा या शत्रुता का खुलासा किये या प्रोत्साहन के किया जाना चाहिये।"
  - श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ:
    - संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) द्वारा गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के संदर्भ में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66A से संबंधित मुद्दे उठाए गए थे, जहाँ न्यायालय ने चर्चा, वकालत और उत्तेजना के बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा कि पहले दो तत्त्व (चर्चा और वकालत) अनुच्छेद 19(1) का हिस्सा हैं।
  - अरूप भुइयां बनाम असम राज्य:
    - न्यायालय ने कहा कि केवल एक कृत्य के लिये तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई व्यक्ति हिंसा का सहारा नहीं लेता या किसी अन्य व्यक्ति को हिंसा के लिये उकसाता नहीं है।

नोट :

- एस. रंगराजन बनाम पी. जगजीवन राम:
  - इस मामले में न्यायालय ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को तब तक प्रतिबंधित नहीं जा सकता जब तक कि इस तरह की स्थिति समुदाय/जनहित के लिये खतरनाक न हो जाए, जिसमें यह खतरा दूरस्थ या अनुमानित नहीं होना चाहिये। इस प्रकार प्रयुक्त अभिव्यक्ति के साथ एक निकट और प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिये।

आगे की राह

- 'शिक्षा' नफरत को कम करने का सबसे कारगर तरीका है। लोगों में करुणा की भावना को बढ़ावा देने और समझ विकसित करने में हमारी शिक्षा प्रणाली की प्रमुख भूमिका हो सकती है।
- 'हेट स्पीच' के विरुद्ध लड़ाई को एकदम अलग नज़रिये से नहीं देखा जा सकता है। इस पर संयुक्त राष्ट्र जैसे व्यापक मंच पर चर्चा होनी आवश्यक है। प्रत्येक ज़िम्मेदार सरकार, क्षेत्रीय निकायों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अभिनेताओं को इस खतरे का जवाब देना चाहिये।
- 'हेट स्पीच' के मामलों को वैकल्पिक विवाद समाधान के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है क्योंकि यह न्यायालय की लंबी प्रक्रियाओं से वार्ता, मध्यस्थता और/या सुलह के माध्यम से पक्षों के बीच विवाद के निपटारे के लिये एक बदलाव का प्रस्ताव करता है।
- साथ ही सार्वजनिक अधिकारियों को देखभाल के कर्तव्य की अवहेलना हेतु और सतर्कता समूहों को देश के नागरिकों के खिलाफ नफरत फैलाने से रोकने के लिये कार्रवाई नहीं करने हेतु जवाबदेह ठहराया जाना चाहिये।

शीतकालीन सत्र 2021

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र को अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया गया है (पुन: बैठक के लिये दिन निर्धारित किये बिना संसद की बैठक को समाप्त करना)। इस सत्र में कुछ महत्त्वपूर्ण विधानों को पारित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- संसद की बैठक की समाप्ति: दोनों सदनों में संसद की बैठक को निम्नलिखित प्रावधानों के द्वारा समाप्त किया जा सकता है:
  - स्थगन (Adjournment)
  - अनिश्चितकाल के लिये स्थगन (Adjournment sine die),
  - सत्रावसान (Prorogation)
  - विघटन (राज्यसभा के लिये लागू नहीं)
- स्थगन (Adjournment): स्थगन एक निश्चित समय के लिये बैठक में कामकाज को निलंबित कर देता है। स्थगन कुछ घंटे, दिन या सप्ताह के लिये हो सकता है।
  - जब बैठक अगली बैठक के लिये नियत किसी निश्चित समय/तिथि के बिना समाप्त हो जाती है तो इसे अनिश्चितकाल के लिये स्थगन कहा जाता है।
  - स्थगन और अनिश्चितकाल के लिये स्थगन की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है।
- अनिश्चितकाल के लिये स्थगन: अनिश्चितकाल के लिये स्थगन का अर्थ है अनिश्चितकाल के लिये संसद की बैठक को समाप्त करना, यानी सदन को फिर से शुरू करने हेतु कोई एक दिन निर्धारित किये बिना स्थगित कर दिया जाता है, तो इसे स्थगन कहा जाता है।
  - अनिश्चितकाल के लिये स्थगन की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है।
  - हालाँकि किसी सदन का पीठासीन अधिकारी उस तारीख या समय से पहले या सदन के अनिश्चितकाल के लिये स्थगित होने के बाद किसी भी समय सदन की बैठक बुला सकता है।
- सत्रावसान (Prorogation):.
  - सत्रावसान शब्द का अर्थ संविधान के अनुच्छेद 85(2)(ए) के तहत राष्ट्रपति द्वारा दिये गए आदेश द्वारा सदन के एक सत्र की समाप्ति से है।

नोट :

- सत्रावसान सदन की बैठक और सत्र दोनों को समाप्त करना है और आमतौर पर यह पीठासीन अधिकारी द्वारा सदन को अनिश्चितकाल के लिये स्थगित करने के कुछ दिनों के भीतर किया जाता है।
- राष्ट्रपति सत्र के सत्रावसान के लिये एक अधिसूचना जारी करता है।
- हालाँकि राष्ट्रपति सत्र के दौरान सदन का सत्रावसान भी कर सकता है।
- यह ध्यान दिया जाना चाहिये कि बिल पेश करने के अलावा सभी लंबित नोटिस व्यपगत हो जाते हैं।
- एक सदन के सत्रावसान और नए सत्र में उसके पुन: समवेत होने के बीच की अवधि को एक अवकाश कहा जाता है।

- विघटन (Dissolution): जब भी कोई विघटन होता है, तो इससे मौजूदा सदन का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और आम चुनाव के बाद एक नए सदन का गठन होता है।
  - हालाँकि केवल लोकसभा का विघटन हो सकता है राज्यसभा स्थायी सदन होने के कारण विघटित नहीं हो सकती है।

संसद के सदनों द्वारा पारित कुछ महत्त्वपूर्ण विधेयक:

- कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021: किसानों के विरोध को देखते हुए निम्नलिखित तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिये विधेयक पेश करके पारित किया गया:
  - मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020 पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता
  - किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020
  - आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020
- बाँध सुरक्षा विधेयक, 2021: यह बाँध की विफलता से संबंधित आपदाओं की रोकथाम के लिये निर्दिष्ट बाँध की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव का प्रावधान करता है।
  - यह उनके सुरक्षित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिये और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिये संस्थागत तंत्र प्रदान करने का भी प्रयास करता है।
- सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियम) विधेयक, 2021: यह सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी क्लीनिकों और सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी बैंकों के विनियमन एवं पर्यवेक्षण, दुरुपयोग की रोकथाम, सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी सेवाओं के सुरक्षित व नैतिक अभ्यास का प्रावधान करता है।
  - इसने राष्ट्रीय बोर्ड, राज्य बोर्डों और राष्ट्रीय रजिस्ट्री की स्थापना की भी परिकल्पना की।
- सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2021: यह देश में सरोगेसी सेवाओं के नियमन का प्रावधान करता है।
  - यह सरोगेट माताओं के संभावित शोषण को रोकता है तथा सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुए बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है।
- राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक, 2021: यह स्पष्टता प्रदान करता है कि राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम के तहत स्थापित संस्थान राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान होंगे।
  - इसने एक केंद्रीय निकाय की भी स्थापना की, जिसे औषधीय शिक्षा और अनुसंधान एवं मानकों के रखरखाव आदि के समन्वित विकास सुनिश्चित करने के लिये परिषद कहा जाएगा।
- उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021: यह स्पष्टता लाने का प्रयास करता है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर पेंशन या पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त मात्रा पाने के हकदार कब होते हैं।
- नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (संशोधन) विधेयक, 2021: बिल अधिनियम की धारा 27ए में प्रारूपण त्रुटि को ठीक करने के लिये इस वर्ष (2021) की शुरुआत में प्रख्यापित एक अध्यादेश की जगह लेगा।
- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2021: यह केंद्रीय जाँच ब्यूरो के निदेशक के कार्यकाल को जनहित में एक बार में एक वर्ष तक बढ़ाने का प्रावधान करता है, जब तक कि प्रारंभिक नियुक्ति में उल्लिखित अवधि सहित कुल मिलाकर पाँच साल पूरे नहीं हो जाते।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021: यह प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के कार्यकाल को जनहित में एक बार में एक वर्ष तक बढ़ाने का प्रावधान करता है, जब तक कि प्रारंभिक नियुक्ति में उल्लिखित अवधि सहित कुल मिलाकर पाँच वर्ष पूरे नहीं हो जाते।

नोट :

- चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021: यह विभिन्न स्थानों पर एक ही व्यक्ति के कई नामांकन के खतरे को रोकने के लिये मतदाता सूची डेटा को आधार पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ने का प्रावधान करता है।

गृह ऊर्जा लेखा परीक्षा पर प्रमाणन पाठ्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह के दौरान 8-14 दिसंबर, 2021 तक गृह ऊर्जा लेखा परीक्षा (HEA) पर एक प्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू किया है।

- इससे पहले बीईई ने ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिये राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस (14 दिसंबर) के अवसर पर 31वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार (एनईसीए) के साथ विभिन्न औद्योगिक संस्थानों और प्रतिष्ठानों को सम्मानित किया था।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE):

- BEE केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- यह भारतीय अर्थव्यवस्था में ऊर्जा आधिक्य को कम करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ नीतियों और रणनीतियों को विकसित करने में सहायता करता है।
- BEE अपने कार्यों को करने हेतु मौजूदा संसाधनों और बुनियादी ढाँचे की पहचान तथा उपयोग करने के लिये नामित उपभोक्ताओं, एजेंसियों एवं अन्य संगठनों के साथ समन्वय करता है।

प्रमुख बिंदु:

- गृह ऊर्जा लेखा परीक्षा (Home Energy Audit) :
  - HEA विभिन्न ऊर्जा खपत तथा ऊर्जा उपयोग के उपयुक्त लेखांकन, सत्यापन, निगरानी और विश्लेषण को सक्षम बनाता है।
  - यह ऊर्जा खपत को कम करने के लिये लागत-लाभ विश्लेषण और कार्य योजना के साथ ऊर्जा दक्षता में सुधार हेतु व्यवहार्य समाधान तथा सिफारिशों के साथ एक तकनीकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में भी सक्षम है।
  - प्रमाणन कार्यक्रम (पाठ्यक्रम) इंजीनियरिंग/डिप्लोमा कॉलेजों के छात्रों के बीच ऊर्जा लेखा परीक्षा और ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण के महत्त्व एवं लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करेगा।
- उद्देश्य:
  - उपभोक्ता की ज़रूरतों के आधार पर घरेलू ऊर्जा ऑडिट के लिये पेशेवरों के एक पूल का निर्माण करना।
  - घरेलू उपभोक्ता अपने संबंधित एसडीए (राज्य नामित एजेंसी) प्रमाणित गृह ऊर्जा लेखा परीक्षक के माध्यम से गृह ऊर्जा का ऑडिट किया जाएगा।
  - ऊर्जा ऑडिटिंग, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के महत्त्व तथा लाभों के बारे में जानकारी का प्रसार करते हुए इंजीनियरिंग/डिप्लोमा/आईटीआई छात्रों, ऊर्जा पेशेवरों और उद्योग भागीदारों के बीच जागरूकता बढ़ाना।
- महत्त्व:
  - इससे अंततः ऊर्जा बिलों (Energy Bills) में कमी के साथ उपभोक्ता के कार्बन फुटप्रिंट (Carbon Footprint) में कमी आएगी।
    - कार्बन फुटप्रिंट हमारे कार्यों से उत्पन्न होने वाली ग्रीनहाउस गैसों (कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन सहित) की कुल मात्रा है।
  - इससे ऊर्जा दक्षता (Energy Efficiency), जलवायु परिवर्तन शमन (Climate Change Mitigation) और स्थिरता (Sustainability) के क्षेत्र में युवाओं की रोज़गार क्षमता को बढ़ावा मिलेगा।
- ऊर्जा संरक्षण में भारत की स्थिति:
  - ग्लासगो में संपन्न COP-26 शिखर सम्मेलन में भारत द्वारा वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन से विद्युत उत्पादन क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाने की अपनी योजना की घोषणा की गई। भारत द्वारा विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम का क्रियांवयन किया जा रहा है जिसमें वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा क्षमता को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित है।

नोट :

- भारत द्वारा COP-21 के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contribution-NDC) की गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता के अपने 40% लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है।
- वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन से स्थापित विद्युत क्षमता 66% हो जाएगी। साथ ही भारत पहले ही 28% उत्सर्जन कमी के लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है।

ऊर्जा संरक्षण से संबंधित अन्य पहलें

- प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना
- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC)
- मानक और लेबलिंग
- ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ECBC)
- मांग पक्ष प्रबंधन
- इको निवास संहिता 2018
- भारत स्टेज- IV (BS-IV) से भारत स्टेज-VI (BS-VI) तक
- उजाला योजना
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन

भारत में संस्थागत प्रसवों को निर्धारित करने वाले कारक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पीयर-रिव्यू जर्नल ग्लोबल हेल्थ एक्शन में प्रकाशित आँकड़ों के अध्ययन में उन कारकों का विश्लेषण किया गया है जो संस्थागत प्रसव के कम कवरेज में बाधा के रूप में कार्य करते हैं।

- अध्ययन के अनुसार गरीबी, शिक्षा और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता के संपर्क में रहना शादी की उम्र से अधिक महत्त्वपूर्ण यह निर्धारित करने में है कि क्या एक माँ चिकित्सा सुविधा में सुरक्षित जन्म दे पाएगी या नहीं।
- यह शोध ऐसे समय में आया है जब सरकार ने मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिये महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा है।

संस्थागत प्रसव

- संस्थागत प्रसव का अर्थ है चिकित्सा संस्थान में प्रशिक्षित और सक्षम स्वास्थ्यकर्मियों की देख-रेख में बच्चे को जन्म देना।
- जहाँ किसी भी स्थिति को संभालने तथा माँ एवं बच्चे के जीवन को बचाने के लिये उत्तम सुविधाएँ उपलब्ध हों।

प्रमुख बिंदु:

- परिचय:
  - अध्ययन: यह देश में संस्थागत प्रसव के उपयोग पर अपनी तरह का पहला अध्ययन है।
    - यह अध्ययन सामाजिक-जनसांख्यिकीय कारकों के साथ-साथ संस्थागत प्रसव के कम कवरेज की बाधाओं को खोजने में अद्वितीय है और बच्चे के जन्म से संबंधित जटिलताओं के कारण मातृ मृत्यु दर के जोखिम को टालने में एक महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप है।
  - डेटा: यह अध्ययन राज्य-स्तरीय मातृ मृत्यु अनुपात (2016 से 2018) के साथ-साथ राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण- (एनएफएचएस) 4 (2015-2016) पर डेटा का विश्लेषण करता है।
  - अध्ययन का फोकस: यह कम प्रदर्शन करने वाले नौ राज्यों (LPS) असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पर केंद्रित है जहाँ मातृ मृत्यु दर अधिक है।
    - ये राज्य देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं और देश में मातृ मृत्यु में 62%, शिशु मृत्यु में 71%, पाँच साल से कम उम्र की मौतों में 72% तथा जन्म में 61% योगदान करते हैं।

नोट :

- वैश्विक मातृ मृत्यु में इनकी 12% हिस्सेदारी है।
- भारत में मातृ मृत्यु दर 113 प्रति 100,000 है और इन नौ राज्यों में प्रति 100,000 में 161 मौतों की दर "खतरनाक रूप से उच्च" बनी हुई है।

- अध्ययन के निष्कर्ष (सामाजिक-जनसांख्यिकीय कारक):
  - एक महिला संस्थागत प्रसव करेगी या नहीं, यह निर्धारित करने में गरीबी, शादी की उम्र की तुलना में दोगुने से अधिक के लिये ज़िम्मेदार है।
    - असम में सबसे रिचेस्ट वेल्थ इंडेक्स (Richest Wealth Index) की महिलाओं के स्वास्थ्य संस्थान में प्रसव कराने की संभावना सबसे पुअरेस्ट वेल्थ इंडेक्स (Poorest Wealth Index) की महिलाओं की तुलना में लगभग 14 गुना अधिक थी।
    - इसी तरह सबसे गरीब महिलाओं की तुलना में झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में सबसे अमीर महिलाओं के बीच स्वास्थ्य सुविधा में प्रसव की संभावना लगभग पाँच से छह गुना अधिक थी।
  - शादी के समय उम्र की तुलना में शिक्षा 1.5 गुना अधिक महत्त्वपूर्ण है।
  - अन्य कारकों के अलावा कार्यकर्त्ताओं और जागरूकता अभियानों का विवाह की उम्र पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा।
    - शिक्षा प्राप्ति का प्रभाव असम और छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक दिखाई दिया, जहाँ उच्च स्तर की शिक्षा वाली महिलाओं के स्वास्थ्य सुविधाओं में प्रसव कराने की संभावना उन महिलाओं की तुलना में लगभग पाँच गुना अधिक थी, जिनके पास शिक्षा का अभाव था।
  - हालाँकि स्वास्थ्य सुविधा तक पहुँच में दूरी और शादी की उम्र का संस्थागत प्रसव पर लगभग समान प्रभाव पड़ा।
    - जहाँ तक संस्थागत प्रसव में आने वाली बाधाओं का सवाल है, लगभग 17% महिलाओं ने दूरी या परिवहन की कमी को व्यक्त किया और 16% ने लागत का हवाला दिया।
  - अन्य कारणों में सुविधा का बंद (10%) होना, खराब सेवा या विश्वास के मुद्दे (6%) थे।
- भारत में संस्थागत प्रसव:
  - राष्ट्रीय परिदृश्य: पिछले दो दशकों में भारत ने संस्थागत प्रसव की संख्या में प्रगति की है।
    - 19 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में संस्थागत प्रसव में काफी वृद्धि हुई है, जिसमें चार से पाँच महिलाओं ने संस्थानों में प्रसव कराया है (NFHS-5).
    - कुल 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से 14 में संस्थागत प्रसव 90% से अधिक है। (NFHS-5)।
    - एनएफएचएस-4 के अनुसार, संस्थागत प्रसव वर्ष 2005-06 के 39% से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 79% हो गया।
    - इसके अलावा इसी अवधि में सार्वजनिक संस्थानों में संस्थागत जन्म 18% से बढ़कर 52% हो गया।
  - संस्थागत प्रसव बढ़ाने के लिये उठाए गए कदम:
    - जननी सुरक्षा योजना: जननी सुरक्षा योजना एक 100% केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है।
    - प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA): एनीमिया के मामलों का पता लगाने और उनका इलाज करने के लिये चिकित्सा अधिकारियों की मदद से हर महीने की 9 तारीख को विशेष प्रसवपूर्व जाँच (एएनसी) पर ध्यान केंद्रित करने हेतु इसे शुरू किया गया है।
    - प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY): यह एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है जिसे 1 जनवरी, 2017 से देश के सभी ज़िलों में लागू किया जा रहा है।
    - लक्ष्य कार्यक्रम: लक्ष्य (लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव) का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में लेबर रूम और मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना है।
    - पोषण अभियान: पोषण अभियान का लक्ष्य बच्चों (0-6 वर्ष) और गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण स्थिति में समयबद्ध तरीके से सुधार करना है।

नोट :

आगे की राह

- राज्य-विशिष्ट हस्तक्षेपों का उद्देश्य न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की संख्या में वृद्धि करना होना चाहिये बल्कि देखभाल की संबंधित गुणवत्ता में सुधार करना भी होना चाहिये।
  - अपर्याप्त नैदानिक प्रशिक्षण और अपर्याप्त कुशल मानव संसाधनों ने उपलब्ध मातृत्व सेवाओं की गुणवत्ता को प्रभावित किया है जिसके परिणामस्वरूप संस्थागत प्रसव की कवरेज कम है।
- सरकार को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा कर्मचारियों, आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं जैसे- एम्बुलेंस, टीकाकरण, मातृत्व देखभाल आदि की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिये।

सुशासन सूचकांक- 2021

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सुशासन दिवस (25 दिसंबर) के अवसर पर सरकार द्वारा सुशासन सूचकांक 2021 जारी किया गया है।

- इस सूचकांक को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा तैयार किया गया है।
- इस साल की शुरुआत में चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स (Chandler Good Government Index- CGGI) में भारत 49वें स्थान पर था।

प्रमुख बिंदु

- सुशासन सूचकांक- 2021 के बारे में:
  - GGI राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में शासन की स्थिति का आकलन करने हेतु एक व्यापक एवं कार्यान्वयन योग्य ढाँचा है जो राज्यों/ज़िलों की रैंकिंग का निर्धारण में सहायता करता है।
  - GGI का उद्देश्य एक ऐसा उपकरण तैयार करना है जिसका इस्तेमाल केंद्रशासित प्रदेशों सहित केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किये गए विभिन्न हस्तक्षेपों के प्रभाव का आकलन करने के लिये राज्यों में समान रूप से किया जा सके।
  - GGI फ्रेमवर्क के आधार पर यह सूचकांक सुधार हेतु प्रतिस्पर्द्धी भावना विकसित करते हुए राज्यों के मध्य एक तुलनात्मक आधार निर्मित करता है।
  - GGI 2021 के अनुसार, 20 राज्यों ने GGI 2019 इंडेक्स स्कोर की तुलना में अपने समग्र GGI स्कोर में सुधार किया है।.
  - GGI की परिकल्पना एक द्विवार्षिक अभ्यास के रूप में की गई है।
- रैंकिंग का आधार:
  - सुशासन सूचकांक- 2021 के ढाँचे में 58 संकेतक और 10 क्षेत्र शामिल किये गए हैं:
    - कृषि और संबद्ध क्षेत्र
    - वाणिज्य और उद्योग
    - मानव संसाधन विकास
    - सार्वजनिक स्वास्थ्य
    - सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा और उपयोगिताएँ
    - आर्थिक शासन
    - समाज कल्याण और विकास
    - न्यायिक और सार्वजनिक सुरक्षा
    - पर्यावरण
    - नागरिक केंद्रित शासन

नोट :

- राज्यों की रैंकिंग: सूचकांक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, अर्थात
  - अन्य राज्य- समूह ए:
    - गुजरात ने सुशासन सूचकांक- 2021 में 10 क्षेत्रों को कवर करते हुए समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है, इसके बाद महाराष्ट्र और गोवा का स्थान है।
  - अन्य राज्य- समूह बी:
    - मध्य प्रदेश इस सूची में सबसे ऊपर है, इसके बाद राजस्थान और छत्तीसगढ़ हैं।
  - उत्तर-पूर्व व पहाड़ी राज्य:
    - हिमाचल प्रदेश इस सूची में सबसे ऊपर है, इसके बाद मिज़ोरम और उत्तराखंड हैं।
  - केंद्रशासित प्रदेश:
    - GGI 2019 संकेतकों पर 14% की वृद्धि दर्ज करते हुए दिल्ली समग्र रैंक में सबसे ऊपर है।

क्षेत्रों के साथ-साथ सम्मिलित रैंकिंग में शीर्ष स्थान वाले राज्य:

क्षेत्र	समूह-ए	समूह-बी	उत्तर-पूर्व व पहाड़ी राज्य	केंद्रशासित प्रदेश
कृषि और संबद्ध क्षेत्र	आंध्र प्रदेश	मध्य प्रदेश	मिज़ोरम	दादरा और नगर हवेली
वाणिज्य और उद्योग	तेलंगाना	उत्तर प्रदेश	जम्मू और कश्मीर	दमन और दीव
मानव संसाधन विकास	पंजाब	ओडिशा	हिमाचल प्रदेश	चंडीगढ़
सार्वजनिक स्वास्थ्य	केरल	पश्चिम बंगाल	मिज़ोरम	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा और उपयोगिताएँ	गोवा	बिहार	हिमाचल प्रदेश	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
आर्थिक शासन	गुजरात	ओडिशा	त्रिपुरा	दिल्ली
समाज कल्याण और विकास	तेलंगाना	छत्तीसगढ़	सिक्किम	दादरा और नगर हवेली
न्यायिक और सार्वजनिक सुरक्षा	तमिलनाडु	राजस्थान	नगालैंड	चंडीगढ़
पर्यावरण	केरल	राजस्थान	मणिपुर	दमन और दीव
नागरिक केंद्रित शासन	हरियाणा	राजस्थान	उत्तराखंड	दिल्ली
सम्मिलित	गुजरात	मध्य प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	दिल्ली

- सुशासन के लिये अन्य पहलें:
  - राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना
  - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
  - डिजिटल इंडिया
  - MyGov

बेलागवी सीमा विवाद

चर्चा में क्यों ?

कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के मध्य बेलागवी को लेकर दशकों पुराना विवाद तथा महाराष्ट्र जिसे बेलगाम ज़िला कहता है फिर से सुर्खियों में बना हुआ है।

- बेलगाम या बेलागवी वर्तमान में कर्नाटक राज्य का हिस्सा है लेकिन महाराष्ट्र द्वारा इस पर अपना दावा किया जाता है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- बेलागवी सीमा विवाद के बारे में:
  - वर्ष 1957 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के कार्यान्वयन से आहत महाराष्ट्र ने कर्नाटक के साथ अपनी सीमा के पुन: समायोजन की मांग की।
  - महाराष्ट्र ने अधिनियम की धारा 21 (2) (b) को लागू किया और कर्नाटक में मराठी भाषी क्षेत्रों को जोड़ने पर अपनी आपत्ति व्यक्त करते हुए गृह मंत्रालय को एक ज्ञापन सौंपा।
  - महाराष्ट्र द्वारा 2,806 वर्ग मील के क्षेत्र पर अपना दावा प्रस्तुत किया गया जिसमें 814 गाँव शामिल थे और लगभग 6.7 लाख की कुल आबादी के साथ बेलागवी, कारवार और निप्पनी की तीन शहरी बस्तियाँ। स्वतंत्रता से पहले ये सभी मुंबई प्रेसीडेंसी का हिस्सा थे।
    - ये गाँव उत्तर-पश्चिमी कर्नाटक के बेलागवी, उत्तर कन्नड़ और उत्तर-पूर्वी कर्नाटक के बीदर और गुलबर्गा ज़िलों में फैले हुए हैं जो सभी महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करते हैं।
  - बाद में जब दोनों राज्यों द्वारा चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया, तो महाराष्ट्र ने मुख्य रूप से लगभग 3.25 लाख की आबादी और 1,160 वर्ग मील के कुल क्षेत्रफल के साथ कन्नड़ भाषी 260 गाँवों को स्थानांतरित करने की इच्छा व्यक्त की।।
    - यह 814 गाँवों और तीन शहरी बस्तियों की मांग को स्वीकार करने के बदले में था, जिसे कर्नाटक राज्य द्वारा मानने से इनकार कर दिया गया।
- महाराष्ट्र के दावे का आधार:
  - अपनी सीमा के पुन: समायोजन की मांग करने का महाराष्ट्र का दावा भाषायी बहुमत और लोगों की इच्छाओं के आधार पर था। बेलागवी और आसपास के क्षेत्रों पर दावा मराठी भाषी लोगों और भाषायी एकरूपता पर आधारित था, अत: इसने कारवार और सुपा पर अपना दावा प्रस्तुत किया क्योंकि यहाँ कोंकणी को मराठी की उपबोली के रूप में बोला जाता है।
  - यह तर्क इस सिद्धांत पर आधारित था कि गाँव गणना की इकाई हैं और प्रत्येक गाँव में भाषायी जनसंख्या की गणना की जाती है। महाराष्ट्र ऐतिहासिक तथ्य की ओर भी इशारा करता है कि इन मराठी भाषी क्षेत्रों में राजस्व रिकॉर्ड भी मराठी भाषा में ही रखा जाता है।
- कर्नाटक की स्थिति:
  - कर्नाटक ने तर्क दिया है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार सीमाओं का समझौता अंतिम है।
  - राज्य की सीमा न तो अस्थायी थी और न ही लचीली। राज्य का तर्क है कि यह मुद्दा उन सीमा मुद्दों को फिर से खोल देगा जिन परअधिनियम के तहत विचार नहीं किया गया है, अत: ऐसी मांग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।
- समस्या के समाधान के लिये उठाए गए कदम:
  - वर्ष 1960 में दोनों राज्य प्रत्येक राज्य के दो प्रतिनिधियों के साथ एक चार सदस्यीय समिति गठित करने पर सहमत हुए। निकटता के मुद्दे को छोड़कर समिति एक सर्वसम्मत निर्णय पर नहीं पहुँच सकी।
  - 1960 और 1980 के दशक के बीच कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों ने इस उलझे हुए मुद्दे का समाधान खोजने के लिये कई बार मुलाकात की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ।
- केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया:
  - केंद्र सरकार ने स्थिति का आकलन करने के लिये वर्ष 1966 में महाजन समिति का गठन किया। दोनों पक्षों, महाराष्ट्र और तत्कालीन मैसूर राज्य के प्रतिनिधि समिति का हिस्सा थे।
  - 1967 में समिति ने सिफारिश की कि कर्नाटक के कारवार, हलियाल और सुपर्णा तालुका के कुछ गाँव महाराष्ट्र को दे दिये जाएँ लेकिन बेलागवी को दक्षिणी राज्य के साथ छोड़ दिया।
- सर्वोच्च न्यायालय का जवाब:
  - 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इस मुद्दे को आपसी बातचीत से सुलझाया जाना चाहिये और भाषायी मानदंड पर विचार नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि इससे अधिक व्यावहारिक समस्याएँ पैदा हो सकती हैं।
  - इस मामले की सुनवाई अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में चल रही है।

नोट :

- विभिन्न राज्यों के बीच अन्य सीमा विवाद:
  - असम और मिज़ोरम के बीच सीमा विवाद
  - ओडिशा सीमा विवाद

भारत में राज्यों का पुनर्गठन:

- वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत में लगभग 550 असंबद्ध रियासतें शामिल थीं।
- वर्ष 1950 में संविधान में भारतीय संघ के राज्यों का चार गुना वर्गीकरण था- भाग A, भाग B, भाग C और भाग D राज्य।
  - भाग A राज्यों में ब्रिटिश भारत के नौ तत्कालीन गवर्नर प्रांत शामिल थे।
  - भाग B राज्यों में विधायिकाओं के साथ नौ पूर्ववर्ती रियासतें शामिल थीं।
  - भाग C राज्यों में तत्कालीन मुख्य आयुक्त के अंतर्गत ब्रिटिश भारत प्रांत और कुछ पूर्ववर्ती रियासतें शामिल थीं।
  - भाग D राज्य में केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल थे।
- उस समय राज्यों का समूहीकरण भाषायी या सांस्कृतिक विभाजन के बजाय राजनीतिक और ऐतिहासिक विचारों के आधार पर किया जाता था, लेकिन यह एक अस्थायी व्यवस्था थी।
- बहुभाषी प्रकृति और विभिन्न राज्यों के बीच मौजूद मतभेदों के कारण राज्यों को स्थायी आधार पर पुनर्गठित करने की आवश्यकता थी।
- इस संदर्भ में भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता पर गौर करने के लिये सरकार द्वारा 1948 में एस.के. धर समिति का गठन किया गया था।
  - आयोग द्वारा भाषायी आधार पर नहीं बल्कि ऐतिहासिक और भौगोलिक आधार को शामिल करते हुए प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को प्राथमिकता दी गई।
  - इससे बहुत आक्रोश पैदा हुआ और एक अन्य भाषायी प्रांत समिति की नियुक्ति की गई।
- दिसंबर 1948 में इस मुद्दे का अध्ययन करने के लिये जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभि सीतारमैया की जेवीपी समिति का गठन किया गया था।
  - समिति ने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विचार को खारिज़ करते हुए कहा कि जनता की मांग के आलोक में इस मुद्दे को नए सिरे से देखा जा सकता है।
- हालाँकि अक्तूबर 1953 में विरोध के कारण भारत सरकार ने तेलुगू भाषायी क्षेत्रों को मद्रास राज्य से अलग करके पहला भाषायी राज्य बनाया जिसे आंध्र राज्य के रूप में जाना जाता है।
- 22 दिसंबर, 1953 को जवाहरलाल नेहरू ने राज्यों के पुनर्गठन पर विचार करने के लिये फज़ल अली के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया।
  - आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा सुझाव दिया कि पूरे देश को 16 राज्यों और तीन केंद्र प्रशासित क्षेत्रों में विभाजित किया जाना चाहिये।
- सरकार ने सिफारिशों से पूरी तरह सहमत न होते हुए नवंबर 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत देश को 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया।
- वर्ष 1956 में राज्यों के बड़े पैमाने पर पुनर्गठन के बाद भी लोकप्रिय आंदोलनों और राजनीतिक परिस्थितियों के दबाव के कारण भारत के राजनीतिक मानचित्र में निरंतर परिवर्तन होते रहे।
- 5 अगस्त, 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संविधान (जम्मू और कश्मीर के लिये आवेदन) आदेश, 2019 जारी किया था।
  - इसके द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य को दो नए केंद्रशासित प्रदेशों (UTs)- जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दिया गया।
- हाल ही में दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव (केंद्रशासित प्रदेशों का विलय) अधिनियम, 2019 द्वारा केंद्रशासित प्रदेशों (UTs)- दमन और दीव (D&D) तथा दादरा और नागर हवेली (DNH) का विलय कर दिया गया है।
- वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं।

नोट :

गृह ऊर्जा लेखा परीक्षा पर प्रमाणन पाठ्यक्रम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह के दौरान 8-14 दिसंबर, 2021 तक गृह ऊर्जा लेखा परीक्षा (HEA) पर एक प्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू किया है।

- इससे पहले बीईई ने ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिये राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस (14 दिसंबर) के अवसर पर 31वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार (एनईसीए) के साथ विभिन्न औद्योगिक संस्थानों और प्रतिष्ठानों को सम्मानित किया था।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE):

- BEE केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- यह भारतीय अर्थव्यवस्था में ऊर्जा आधिक्य को कम करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ नीतियों और रणनीतियों को विकसित करने में सहायता करता है।
- BEE अपने कार्यों को करने हेतु मौजूदा संसाधनों और बुनियादी ढाँचे की पहचान तथा उपयोग करने के लिये नामित उपभोक्ताओं, एजेंसियों एवं अन्य संगठनों के साथ समन्वय करता है।

प्रमुख बिंदु:

- गृह ऊर्जा लेखा परीक्षा (Home Energy Audit) :
  - HEA विभिन्न ऊर्जा खपत तथा ऊर्जा उपयोग के उपयुक्त लेखांकन, सत्यापन, निगरानी और विश्लेषण को सक्षम बनाता है।
  - यह ऊर्जा खपत को कम करने के लिये लागत-लाभ विश्लेषण और कार्य योजना के साथ ऊर्जा दक्षता में सुधार हेतु व्यवहार्य समाधान तथा सिफारिशों के साथ एक तकनीकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में भी सक्षम है।
  - प्रमाणन कार्यक्रम (पाठ्यक्रम) इंजीनियरिंग/डिप्लोमा कॉलेजों के छात्रों के बीच ऊर्जा लेखा परीक्षा और ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण के महत्त्व एवं लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करेगा।
- उद्देश्य:
  - उपभोक्ता की ज़रूरतों के आधार पर घरेलू ऊर्जा ऑडिट के लिये पेशेवरों के एक पूल का निर्माण करना।
  - घरेलू उपभोक्ता अपने संबंधित एसडीए (राज्य नामित एजेंसी) प्रमाणित गृह ऊर्जा लेखा परीक्षक के माध्यम से गृह ऊर्जा का ऑडिट किया जाएगा।
  - ऊर्जा ऑडिटिंग, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के महत्त्व तथा लाभों के बारे में जानकारी का प्रसार करते हुए इंजीनियरिंग/डिप्लोमा/आईटीआई छात्रों, ऊर्जा पेशेवरों और उद्योग भागीदारों के बीच जागरूकता बढ़ाना।
- महत्त्व:
  - इससे अंतत: ऊर्जा बिलों (Energy Bills) में कमी के साथ उपभोक्ता के कार्बन फुटप्रिंट (Carbon Footprint) में कमी आएगी।
    - कार्बन फुटप्रिंट हमारे कार्यों से उत्पन्न होने वाली ग्रीनहाउस गैसों (कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन सहित) की कुल मात्रा है।
  - इससे ऊर्जा दक्षता (Energy Efficiency), जलवायु परिवर्तन शमन (Climate Change Mitigation) और स्थिरता (Sustainability) के क्षेत्र में युवाओं की रोज़गार क्षमता को बढ़ावा मिलेगा।
- ऊर्जा संरक्षण में भारत की स्थिति:
  - ग्लासगो में संपन्न COP-26 शिखर सम्मेलन में भारत द्वारा वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन से विद्युत उत्पादन क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाने की अपनी योजना की घोषणा की गई। भारत द्वारा विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम का क्रियांवयन किया जा रहा है जिसमें वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा क्षमता को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित है।

नोट :

- भारत द्वारा COP-21 के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contribution-NDC) की गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता के अपने 40% लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है।
- वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन से स्थापित विद्युत क्षमता 66% हो जाएगी। साथ ही भारत पहले ही 28% उत्सर्जन कमी के लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है।

ऊर्जा संरक्षण से संबंधित अन्य पहलें

- प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना
- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC)
- मानक और लेबलिंग
- ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ECBC)
- मांग पक्ष प्रबंधन
- इको निवास संहिता 2018
- भारत स्टेज- IV (BS-IV) से भारत स्टेज-VI (BS-VI) तक
- उजाला योजना
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन

भारत में संस्थागत प्रसवों को निर्धारित करने वाले कारक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पीयर-रिव्यू जर्नल ग्लोबल हेल्थ एक्शन में प्रकाशित आँकड़ों के अध्ययन में उन कारकों का विश्लेषण किया गया है जो संस्थागत प्रसव के कम कवरेज में बाधा के रूप में कार्य करते हैं।

- अध्ययन के अनुसार गरीबी, शिक्षा और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता के संपर्क में रहना शादी की उम्र से अधिक महत्त्वपूर्ण यह निर्धारित करने में है कि क्या एक माँ चिकित्सा सुविधा में सुरक्षित जन्म दे पाएगी या नहीं।
- यह शोध ऐसे समय में आया है जब सरकार ने मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिये महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा है।

संस्थागत प्रसव

- संस्थागत प्रसव का अर्थ है चिकित्सा संस्थान में प्रशिक्षित और सक्षम स्वास्थ्यकर्मियों की देख-रेख में बच्चे को जन्म देना।
- जहाँ किसी भी स्थिति को संभालने तथा माँ एवं बच्चे के जीवन को बचाने के लिये उत्तम सुविधाएँ उपलब्ध हों।

प्रमुख बिंदु:

- परिचय:
  - अध्ययन: यह देश में संस्थागत प्रसव के उपयोग पर अपनी तरह का पहला अध्ययन है।
    - यह अध्ययन सामाजिक-जनसांख्यिकीय कारकों के साथ-साथ संस्थागत प्रसव के कम कवरेज की बाधाओं को खोजने में अद्वितीय है और बच्चे के जन्म से संबंधित जटिलताओं के कारण मातृ मृत्यु दर के जोखिम को टालने में एक महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप है।
  - डेटा: यह अध्ययन राज्य-स्तरीय मातृ मृत्यु अनुपात (2016 से 2018) के साथ-साथ राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण- (एनएफएचएस) 4 (2015-2016) पर डेटा का विश्लेषण करता है।
  - अध्ययन का फोकस: यह कम प्रदर्शन करने वाले नौ राज्यों (LPS) असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पर केंद्रित है जहाँ मातृ मृत्यु दर अधिक है।
    - ये राज्य देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं और देश में मातृ मृत्यु में 62%, शिशु मृत्यु में 71%, पाँच साल से कम उम्र की मौतों में 72% तथा जन्म में 61% योगदान करते हैं।

नोट :

- वैश्विक मातृ मृत्यु में इनकी 12% हिस्सेदारी है।
- भारत में मातृ मृत्यु दर 113 प्रति 100,000 है और इन नौ राज्यों में प्रति 100,000 में 161 मौतों की दर "खतरनाक रूप से उच्च" बनी हुई है।

- अध्ययन के निष्कर्ष (सामाजिक-जनसांख्यिकीय कारक):
  - एक महिला संस्थागत प्रसव करेगी या नहीं, यह निर्धारित करने में गरीबी, शादी की उम्र की तुलना में दोगुने से अधिक के लिये ज़िम्मेदार है।
    - असम में सबसे रिचेस्ट वेल्थ इंडेक्स (Richest Wealth Index) की महिलाओं के स्वास्थ्य संस्थान में प्रसव कराने की संभावना सबसे पुअरेस्ट वेल्थ इंडेक्स (Poorest Wealth Index) की महिलाओं की तुलना में लगभग 14 गुना अधिक थी।
    - इसी तरह सबसे गरीब महिलाओं की तुलना में झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में सबसे अमीर महिलाओं के बीच स्वास्थ्य सुविधा में प्रसव की संभावना लगभग पाँच से छह गुना अधिक थी।
  - शादी के समय उम्र की तुलना में शिक्षा 1.5 गुना अधिक महत्त्वपूर्ण है।
  - अन्य कारकों के अलावा कार्यकर्त्ताओं और जागरूकता अभियानों का विवाह की उम्र पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा।
    - शिक्षा प्राप्ति का प्रभाव असम और छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक दिखाई दिया, जहाँ उच्च स्तर की शिक्षा वाली महिलाओं के स्वास्थ्य सुविधाओं में प्रसव कराने की संभावना उन महिलाओं की तुलना में लगभग पाँच गुना अधिक थी, जिनके पास शिक्षा का अभाव था।
  - हालाँकि स्वास्थ्य सुविधा तक पहुँच में दूरी और शादी की उम्र का संस्थागत प्रसव पर लगभग समान प्रभाव पड़ा।
    - जहाँ तक संस्थागत प्रसव में आने वाली बाधाओं का सवाल है, लगभग 17% महिलाओं ने दूरी या परिवहन की कमी को व्यक्त किया और 16% ने लागत का हवाला दिया।
  - अन्य कारणों में सुविधा का बंद (10%) होना, खराब सेवा या विश्वास के मुद्दे (6%) थे।
- भारत में संस्थागत प्रसव:
  - राष्ट्रीय परिदृश्य: पिछले दो दशकों में भारत ने संस्थागत प्रसव की संख्या में प्रगति की है।
    - 19 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में संस्थागत प्रसव में काफी वृद्धि हुई है, जिसमें चार से पाँच महिलाओं ने संस्थानों में प्रसव कराया है (NFHS-5).
    - कुल 22 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से 14 में संस्थागत प्रसव 90% से अधिक है। (NFHS-5)।
    - एनएफएचएस-4 के अनुसार, संस्थागत प्रसव वर्ष 2005-06 के 39% से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 79% हो गया।
    - इसके अलावा इसी अवधि में सार्वजनिक संस्थानों में संस्थागत जन्म 18% से बढ़कर 52% हो गया।
  - संस्थागत प्रसव बढ़ाने के लिये उठाए गए कदम:
    - जननी सुरक्षा योजना: जननी सुरक्षा योजना एक 100% केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है।
    - प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA): एनीमिया के मामलों का पता लगाने और उनका इलाज करने के लिये चिकित्सा अधिकारियों की मदद से हर महीने की 9 तारीख को विशेष प्रसवपूर्व जाँच (एएनसी) पर ध्यान केंद्रित करने हेतु इसे शुरू किया गया है।
    - प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY): यह एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है जिसे 1 जनवरी, 2017 से देश के सभी ज़िलों में लागू किया जा रहा है।
    - लक्ष्य कार्यक्रम: लक्ष्य (लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव) का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में लेबर रूम और मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना है।
    - पोषण अभियान: पोषण अभियान का लक्ष्य बच्चों (0-6 वर्ष) और गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण स्थिति में समयबद्ध तरीके से सुधार करना है।

नोट :

आगे की राह

- राज्य-विशिष्ट हस्तक्षेपों का उद्देश्य न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की संख्या में वृद्धि करना होना चाहिये बल्कि देखभाल की संबंधित गुणवत्ता में सुधार करना भी होना चाहिये।
  - अपर्याप्त नैदानिक प्रशिक्षण और अपर्याप्त कुशल मानव संसाधनों ने उपलब्ध मातृत्व सेवाओं की गुणवत्ता को प्रभावित किया है जिसके परिणामस्वरूप संस्थागत प्रसव की कवरेज कम है।
- सरकार को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा कर्मचारियों, आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं जैसे- एम्बुलेंस, टीकाकरण, मातृत्व देखभाल आदि की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिये।

सुशासन सूचकांक- 2021

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सुशासन दिवस (25 दिसंबर) के अवसर पर सरकार द्वारा सुशासन सूचकांक 2021 जारी किया गया है।

- इस सूचकांक को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा तैयार किया गया है।
- इस साल की शुरुआत में चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स (Chandler Good Government Index- CGGI) में भारत 49वें स्थान पर था।

प्रमुख बिंदु

- सुशासन सूचकांक- 2021 के बारे में:
  - GGI राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में शासन की स्थिति का आकलन करने हेतु एक व्यापक एवं कार्यान्वयन योग्य ढाँचा है जो राज्यों/ज़िलों की रैंकिंग का निर्धारण में सहायता करता है।
  - GGI का उद्देश्य एक ऐसा उपकरण तैयार करना है जिसका इस्तेमाल केंद्रशासित प्रदेशों सहित केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किये गए विभिन्न हस्तक्षेपों के प्रभाव का आकलन करने के लिये राज्यों में समान रूप से किया जा सके।
  - GGI फ्रेमवर्क के आधार पर यह सूचकांक सुधार हेतु प्रतिस्पर्द्धी भावना विकसित करते हुए राज्यों के मध्य एक तुलनात्मक आधार निर्मित करता है।
  - GGI 2021 के अनुसार, 20 राज्यों ने GGI 2019 इंडेक्स स्कोर की तुलना में अपने समग्र GGI स्कोर में सुधार किया है।.
  - GGI की परिकल्पना एक द्विवार्षिक अभ्यास के रूप में की गई है।
- रैंकिंग का आधार:
  - सुशासन सूचकांक- 2021 के ढाँचे में 58 संकेतक और 10 क्षेत्र शामिल किये गए हैं:
    - कृषि और संबद्ध क्षेत्र
    - वाणिज्य और उद्योग
    - मानव संसाधन विकास
    - सार्वजनिक स्वास्थ्य
    - सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा और उपयोगिताएँ
    - आर्थिक शासन
    - समाज कल्याण और विकास
    - न्यायिक और सार्वजनिक सुरक्षा
    - पर्यावरण
    - नागरिक केंद्रित शासन
- राज्यों की रैंकिंग: सूचकांक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, अर्थात

नोट :

- अन्य राज्य- समूह ए:
  - गुजरात ने सुशासन सूचकांक- 2021 में 10 क्षेत्रों को कवर करते हुए समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है, इसके बाद महाराष्ट्र और गोवा का स्थान है।
- अन्य राज्य- समूह बी:
  - मध्य प्रदेश इस सूची में सबसे ऊपर है, इसके बाद राजस्थान और छत्तीसगढ़ हैं।
- उत्तर-पूर्व व पहाड़ी राज्य:
  - हिमाचल प्रदेश इस सूची में सबसे ऊपर है, इसके बाद मिज़ोरम और उत्तराखंड हैं।
- केंद्रशासित प्रदेश:
  - GGI 2019 संकेतकों पर 14% की वृद्धि दर्ज करते हुए दिल्ली समग्र रैंक में सबसे ऊपर है।

क्षेत्रों के साथ-साथ सम्मिलित रैंकिंग में शीर्ष स्थान वाले राज्य:

क्षेत्र	समूह-ए	समूह-बी	उत्तर-पूर्व व पहाड़ी राज्य	केंद्रशासित प्रदेश
कृषि और संबद्ध क्षेत्र	आंध्र प्रदेश	मध्य प्रदेश	मिज़ोरम	दादरा और नगर हवेली
वाणिज्य और उद्योग	तेलंगाना	उत्तर प्रदेश	जम्मू और कश्मीर	दमन और दीव
मानव संसाधन विकास	पंजाब	ओडिशा	हिमाचल प्रदेश	चंडीगढ़
सार्वजनिक स्वास्थ्य	केरल	पश्चिम बंगाल	मिज़ोरम	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा और उपयोगिताएँ	गोवा	बिहार	हिमाचल प्रदेश	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
आर्थिक शासन	गुजरात	ओडिशा	त्रिपुरा	दिल्ली
समाज कल्याण और विकास	तेलंगाना	छत्तीसगढ़	सिक्किम	दादरा और नगर हवेली
न्यायिक और सार्वजनिक सुरक्षा	तमिलनाडु	राजस्थान	नगालैंड	चंडीगढ़
पर्यावरण	केरल	राजस्थान	मणिपुर	दमन और दीव
नागरिक केंद्रित शासन	हरियाणा	राजस्थान	उत्तराखंड	दिल्ली
सम्मिलित	गुजरात	मध्य प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	दिल्ली

- सुशासन के लिये अन्य पहलें:
  - राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना
  - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
  - डिजिटल इंडिया
  - MyGov

बेलागवी सीमा विवाद

चर्चा में क्यों ?

कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के मध्य बेलागवी को लेकर दशकों पुराना विवाद तथा महाराष्ट्र जिसे बेलगाम ज़िला कहता है फिर से सुर्खियों में बना हुआ है।

- बेलगाम या बेलागवी वर्तमान में कर्नाटक राज्य का हिस्सा है लेकिन महाराष्ट्र द्वारा इस पर अपना दावा किया जाता है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- बेलागवी सीमा विवाद के बारे में:
  - वर्ष 1957 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के कार्यान्वयन से आहत महाराष्ट्र ने कर्नाटक के साथ अपनी सीमा के पुन: समायोजन की मांग की।
  - महाराष्ट्र ने अधिनियम की धारा 21 (2) (b) को लागू किया और कर्नाटक में मराठी भाषी क्षेत्रों को जोड़ने पर अपनी आपत्ति व्यक्त करते हुए गृह मंत्रालय को एक ज्ञापन सौंपा।
  - महाराष्ट्र द्वारा 2,806 वर्ग मील के क्षेत्र पर अपना दावा प्रस्तुत किया गया जिसमें 814 गाँव शामिल थे और लगभग 6.7 लाख की कुल आबादी के साथ बेलागवी, कारवार और निप्पनी की तीन शहरी बस्तियाँ। स्वतंत्रता से पहले ये सभी मुंबई प्रेसीडेंसी का हिस्सा थे।
    - ये गाँव उत्तर-पश्चिमी कर्नाटक के बेलागवी, उत्तर कन्नड़ और उत्तर-पूर्वी कर्नाटक के बीदर और गुलबर्गा ज़िलों में फैले हुए हैं जो सभी महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करते हैं।
  - बाद में जब दोनों राज्यों द्वारा चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया, तो महाराष्ट्र ने मुख्य रूप से लगभग 3.25 लाख की आबादी और 1,160 वर्ग मील के कुल क्षेत्रफल के साथ कन्नड़ भाषी 260 गाँवों को स्थानांतरित करने की इच्छा व्यक्त की।।
    - यह 814 गाँवों और तीन शहरी बस्तियों की मांग को स्वीकार करने के बदले में था, जिसे कर्नाटक राज्य द्वारा मानने से इनकार कर दिया गया।
- महाराष्ट्र के दावे का आधार:
  - अपनी सीमा के पुन: समायोजन की मांग करने का महाराष्ट्र का दावा भाषायी बहुमत और लोगों की इच्छाओं के आधार पर था। बेलागवी और आसपास के क्षेत्रों पर दावा मराठी भाषी लोगों और भाषायी एकरूपता पर आधारित था, अत: इसने कारवार और सुपा पर अपना दावा प्रस्तुत किया क्योंकि यहाँ कोंकणी को मराठी की उपबोली के रूप में बोला जाता है।
  - यह तर्क इस सिद्धांत पर आधारित था कि गाँव गणना की इकाई हैं और प्रत्येक गाँव में भाषायी जनसंख्या की गणना की जाती है। महाराष्ट्र ऐतिहासिक तथ्य की ओर भी इशारा करता है कि इन मराठी भाषी क्षेत्रों में राजस्व रिकॉर्ड भी मराठी भाषा में ही रखा जाता है।
- कर्नाटक की स्थिति:
  - कर्नाटक ने तर्क दिया है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार सीमाओं का समझौता अंतिम है।
  - राज्य की सीमा न तो अस्थायी थी और न ही लचीली। राज्य का तर्क है कि यह मुद्दा उन सीमा मुद्दों को फिर से खोल देगा जिन परअधिनियम के तहत विचार नहीं किया गया है, अत: ऐसी मांग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।
- समस्या के समाधान के लिये उठाए गए कदम:
  - वर्ष 1960 में दोनों राज्य प्रत्येक राज्य के दो प्रतिनिधियों के साथ एक चार सदस्यीय समिति गठित करने पर सहमत हुए। निकटता के मुद्दे को छोड़कर समिति एक सर्वसम्मत निर्णय पर नहीं पहुँच सकी।
  - 1960 और 1980 के दशक के बीच कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों ने इस उलझे हुए मुद्दे का समाधान खोजने के लिये कई बार मुलाकात की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ।
- केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया:
  - केंद्र सरकार ने स्थिति का आकलन करने के लिये वर्ष 1966 में महाजन समिति का गठन किया। दोनों पक्षों, महाराष्ट्र और तत्कालीन मैसूर राज्य के प्रतिनिधि समिति का हिस्सा थे।
  - 1967 में समिति ने सिफारिश की कि कर्नाटक के कारवार, हलियाल और सुपर्णा तालुका के कुछ गाँव महाराष्ट्र को दे दिये जाएँ लेकिन बेलागवी को दक्षिणी राज्य के साथ छोड़ दिया।
- सर्वोच्च न्यायालय का जवाब:
  - 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इस मुद्दे को आपसी बातचीत से सुलझाया जाना चाहिये और भाषायी मानदंड पर विचार नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि इससे अधिक व्यावहारिक समस्याएँ पैदा हो सकती हैं।
  - इस मामले की सुनवाई अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में चल रही है।

नोट :

- विभिन्न राज्यों के बीच अन्य सीमा विवाद:
  - असम और मिज़ोरम के बीच सीमा विवाद
  - ओडिशा सीमा विवाद

भारत में राज्यों का पुनर्गठन:

- वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत में लगभग 550 असंबद्ध रियासतें शामिल थीं।
- वर्ष 1950 में संविधान में भारतीय संघ के राज्यों का चार गुना वर्गीकरण था- भाग A, भाग B, भाग C और भाग D राज्य।
  - भाग A राज्यों में ब्रिटिश भारत के नौ तत्कालीन गवर्नर प्रांत शामिल थे।
  - भाग B राज्यों में विधायिकाओं के साथ नौ पूर्ववर्ती रियासतें शामिल थीं।
  - भाग C राज्यों में तत्कालीन मुख्य आयुक्त के अंतर्गत ब्रिटिश भारत प्रांत और कुछ पूर्ववर्ती रियासतें शामिल थीं।
  - भाग D राज्य में केवल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल थे।
- उस समय राज्यों का समूहीकरण भाषायी या सांस्कृतिक विभाजन के बजाय राजनीतिक और ऐतिहासिक विचारों के आधार पर किया जाता था, लेकिन यह एक अस्थायी व्यवस्था थी।
- बहुभाषी प्रकृति और विभिन्न राज्यों के बीच मौजूद मतभेदों के कारण राज्यों को स्थायी आधार पर पुनर्गठित करने की आवश्यकता थी।
- इस संदर्भ में भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता पर गौर करने के लिये सरकार द्वारा 1948 में एस.के. धर समिति का गठन किया गया था।
  - आयोग द्वारा भाषायी आधार पर नहीं बल्कि ऐतिहासिक और भौगोलिक आधार को शामिल करते हुए प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को प्राथमिकता दी गई।
  - इससे बहुत आक्रोश पैदा हुआ और एक अन्य भाषायी प्रांत समिति की नियुक्ति की गई।
- दिसंबर 1948 में इस मुद्दे का अध्ययन करने के लिये जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभि सीतारमैया की जेवीपी समिति का गठन किया गया था।
  - समिति ने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विचार को खारिज़ करते हुए कहा कि जनता की मांग के आलोक में इस मुद्दे को नए सिरे से देखा जा सकता है।
- हालाँकि अक्तूबर 1953 में विरोध के कारण भारत सरकार ने तेलुगू भाषायी क्षेत्रों को मद्रास राज्य से अलग करके पहला भाषायी राज्य बनाया जिसे आंध्र राज्य के रूप में जाना जाता है।
- 22 दिसंबर, 1953 को जवाहरलाल नेहरू ने राज्यों के पुनर्गठन पर विचार करने के लिये फज़ल अली के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया।
  - आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा सुझाव दिया कि पूरे देश को 16 राज्यों और तीन केंद्र प्रशासित क्षेत्रों में विभाजित किया जाना चाहिये।
- सरकार ने सिफारिशों से पूरी तरह सहमत न होते हुए नवंबर 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत देश को 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया।
- वर्ष 1956 में राज्यों के बड़े पैमाने पर पुनर्गठन के बाद भी लोकप्रिय आंदोलनों और राजनीतिक परिस्थितियों के दबाव के कारण भारत के राजनीतिक मानचित्र में निरंतर परिवर्तन होते रहे।
- 5 अगस्त, 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संविधान (जम्मू और कश्मीर के लिये आवेदन) आदेश, 2019 जारी किया था।
  - इसके द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य को दो नए केंद्रशासित प्रदेशों (UTs)- जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दिया गया।
- हाल ही में दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव (केंद्रशासित प्रदेशों का विलय) अधिनियम, 2019 द्वारा केंद्रशासित प्रदेशों (UTs)- दमन और दीव (D&D) तथा दादरा और नागर हवेली (DNH) का विलय कर दिया गया है।
- वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं।

नोट :

कचरा मुक्त शहरों का स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल

चर्चा में क्यों ?

सुशासन दिवस की पूर्व संध्या पर आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने 'कचरा मुक्त शहरों का स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल-टूलकिट 2022' लॉन्च किया।

- यह कचरा प्रबंधन का सबसे महत्त्वपूर्ण शासकीय उपकरण है- कचरा मुक्त शहरों के लिये स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल।
- संशोधित प्रोटोकॉल में प्रमाणन के लिये आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया को सरल और पूरी तरह से डिजिटल, पेपरलेस बनाया गया है।
- सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी), क्षमता निर्माण, अपशिष्ट उप-उत्पादों की बिक्री के राजस्व से संबंधित नए घटकों को शहरों की अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को मज़बूत करने एवं एक स्वच्छ पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण हेतु प्रोत्साहित करने के लिये जोड़ा गया है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - MoHUA द्वारा 'स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल' वर्ष 2018 में शुरू किया गया था ताकि शहरों को कचरा मुक्त स्थिति प्राप्त करने के लिये एक तंत्र को संस्थागत रूप दिया जा सके और शहरों को स्थायी स्वच्छता संबंधी उच्च क्षमता प्राप्त करने के लिये प्रेरित किया जा सके।
  - कचरा मुक्त शहरों के लिये हाल ही में संपन्न प्रमाणन अभ्यास में लगभग 50% यूएलबी (शहरी स्थानीय निकाय- 2,238 शहर) ने प्रमाणन अभ्यास में भाग लिया, जिनमें से कुल 299 शहरों को प्रमाणित किया गया है।
    - 9 शहरों को 5-स्टार, 143 शहरों को 3-स्टार और 147 शहरों को 1-स्टार का दर्जा दिया गया है।
    - अक्तूबर 2021 में स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 को "कचरा मुक्त शहर" (GFC) बनाने के लिये लॉन्च किया गया था, जिससे भारत को समग्र स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के एक पारिस्थितिकी तंत्र की ओर विकास के एक नए प्रक्षेपवक्र पर रखा गया।
  - यह उन विभिन्न पहलों में से एक है जिसका उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन-शहरी को एक सफल परियोजना बनाना है।
- मानदंड:
  - यह 12 मापदंडों पर आधारित है जो एक स्मार्ट फ्रेमवर्क का पालन करते हैं- जैसे एकल मीट्रिक, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, कठोर सत्यापन तंत्र और परिणाम लक्षित।
    - स्टार रेटिंग की स्थिति को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि शहर धीरे-धीरे एक मॉडल (7-स्टार) शहर में विकसित हो सकें, जिसमें उनकी समग्र स्वच्छता में प्रगतिशील सुधार हो।
  - यह एक व्यापक ढाँचा है जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के 23 विभिन्न घटकों में शहरों का आकलन करता है और प्राप्त कुल अंकों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।

प्रक्रिया:

- स्टार रेटिंग एक निश्चित स्टार रेटिंग प्राप्त करने हेतु स्व-मूल्यांकन (Self-Assessment) और स्व-सत्यापन (Self-Verification) पर आधारित है। यह स्व-घोषणा (Self-Declaration) की पारदर्शी प्रणाली हेतु नागरिक समूहों की भागीदारी भी सुनिश्चित करती है।
- इसके अलावा स्व-घोषणा को MoHUA द्वारा नियुक्त एक तृतीय स्वतंत्र पक्ष एजेंसी के माध्यम से सत्यापित किया जाता है।
- महत्त्व:
  - स्वच्छ सर्वेक्षण सरकार द्वारा किया जाने वाला वार्षिक शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है।
  - स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत शहरों का प्रदर्शन महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह स्वच्छ सर्वेक्षण में उनके अंतिम मूल्यांकन में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।
  - यह ढाँचे में परिभाषित पूर्वापेक्षाओं के एक सेट (Set of Prerequisites) के माध्यम से स्वच्छता के कुछ न्यूनतम मानकों को भी सुनिश्चित करता है।
  - चूंकि रेटिंग का निर्धारण शहर के स्तर पर किया जाता है, इससे प्रक्रिया को लागू करना आसान हो जाता है और शहरों को उनकी समग्र स्वच्छता में सुधार करने में मदद मिलती है।

नोट :

- रेटिंग प्रोटोकॉल एक परिणाम आधारित उपकरण है जो MoHUA और अन्य हितधारकों को इस एकल रेटिंग के आधार पर शहरों का मूल्यांकन करने में मदद करता है।

भारत में कचरा

- भारत विश्व में सर्वाधिक कचरा उत्पन्न करता है (जनवरी 2020 तक प्रतिदिन 147,613 मीट्रिक टन (एमटी) ठोस कचरा उत्पन्न), जो कि चीन से भी अधिक है लेकिन वर्तमान में भारत और चीन दोनों द्वारा उत्पन्न प्रति व्यक्ति कचरा विकसित देशों द्वारा उत्पन्न कचरे का एक छोटा सा ही अंश है।
  - भारतीय शहरों में प्रति व्यक्ति अपशिष्ट उत्पादन प्रतिदिन 200 ग्राम से 600 ग्राम तक होता है। नगरपालिका द्वारा लगभग 75-80% कचरा ही एकत्र किया जाता है और इस कचरे का केवल 22-28% ही संसाधित और उपचारित होता है।
  - यह अनुमान है कि वर्ष 2050 तक भारत का कचरा उत्पादन दोगुना हो जाएगा, जबकि चीन के अपशिष्ट उत्पादन में बहुत धीमी वृद्धि होगी।
- संबंधित पहलें:
  - खुले में शौच मुक्त (ODF) प्लस स्थिति।
  - स्वच्छ भारत मिशन।
  - ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016
  - सीएसआईआर-सीएमईआरआई की नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा।

तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में रक्षा मंत्रालय (MoD) ने रक्षा विनिर्माण में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिये तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची के एक भाग के रूप में 351 प्रणालियों और घटकों के आयात को प्रतिबंधित कर दिया है।

- जून 2021 में MoD ने दूसरी नकारात्मक आयात सूची को 108 वस्तुओं की 'सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची' के रूप में नामित किया था।
- 101 वस्तुओं वाली 'प्रथम नकारात्मक स्वदेशीकरण' (First Negative Indigenisation) सूची को अगस्त 2020 में अधिसूचित किया गया था।

प्रमुख बिंदु:

- वसूली:
  - सभी 351 वस्तुओं को अब रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी) 2020 में दिये गए प्रावधानों के अनुसार स्वदेशी स्रोतों से खरीदा जाएगा।
    - डीएपी 2020 में निम्नलिखित खरीदारी से संबंधित श्रेणियाँ - खरीद (भारतीय स्वदेशी रूप से विकसित और निर्मित), खरीद (भारतीय), खरीद और बनाना (भारतीय), खरीद (भारत में वैश्विक निर्माण) और खरीद (वैश्विक) शामिल हैं।
- समय-सीमा:
  - दिसंबर 2022 से 172 प्रणालियों और घटकों के आयात को रोक दिया जाएगा, जबकि 89 वस्तुओं के एक अन्य बैच पर प्रतिबंध दिसंबर 2023 से लागू होगा। तथा 90 वस्तुओं का आयात दिसंबर 2024 से रोक दिया जाएगा।
- शामिल वस्तुएँ:
  - इस सूची में सेंसर, सिम्युलेटर, हथियार और गोला-बारूद जैसे- हेलीकॉप्टर, नेक्स्ट जेनरेशन कॉर्वेट, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल (AEW&C) सिस्टम, टैंक इंजन, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल (MRSAM) आदि को शामिल किया गया है।
- महत्त्व:
  - यह आत्मनिर्भर पहल हर वर्ष लगभग 3,000 करोड़ रुपए के बराबर विदेशी मुद्रा की बचत करेगी।

नोट :

- यह आत्मनिर्भरता आत्मनिर्भर भारत की स्थिति प्राप्त करने और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिये सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी के साथ स्वदेशीकरण को बढ़ावा देगी।
- यह सूची न केवल स्थानीय रक्षा उद्योग की क्षमता को महत्त्व देती है, बल्कि प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षमताओं में नए निवेश को आकर्षित करके घरेलू अनुसंधान तथा विकास को भी गति प्रदान करेगी।
- यह सूची 'स्टार्ट-अप' के लिये एक उत्कृष्ट अवसर भी प्रदान करती है, क्योंकि इस पहल से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को अत्यधिक बढ़ावा मिलेगा।

रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण

- परिचय:
  - स्वदेशीकरण आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और आयात के बोझ को कम करने के दोहरे उद्देश्य के लिये देश के भीतर किसी भी रक्षा उपकरण के विकास और उत्पादन की क्षमता है।
  - रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता रक्षा उत्पादन विभाग के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है।
    - रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (डीआरडीओ), रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (डीपीएसयू) और निजी संगठन रक्षा उद्योगों के स्वदेशीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
  - भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में से एक है और अगले पाँच वर्षों में सशस्त्र बलों द्वारा रक्षा खरीद पर लगभग 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने की उम्मीद है।
- भूमिका:
  - सोवियत संघ पर अत्यधिक निर्भरता के कारण रक्षा औद्योगीकरण के प्रति भारत के दृष्टिकोण में बदलाव लाया।
  - वर्ष 1980 के दशक के मध्य से सरकार ने अनुसंधान एवं विकास (Research and Development) में संसाधनों का इस्तेमाल किया ताकि डीआरडीओ को हाई प्रोफाइल परियोजनाएँ शुरू करने हेतु सक्षम बनाया जा सके।
  - रक्षा स्वदेशीकरण में एक महत्त्वपूर्ण शुरुआत वर्ष 1983 में हुई थी जब सरकार ने 5 मिसाइल सिस्टम (पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग) विकसित करने के लिये एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP) को मंज़ूरी दी थी।
  - सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये स्वदेशी प्रयास पर्याप्त नहीं थे, जिसके परिणामस्वरूप विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी में सह-विकास और सह-उत्पादन की ओर ध्यान केंद्रित किया गया।
  - इसकी शुरुआत वर्ष1998 में हुई थी, जब भारत और रूस ने संयुक्त रूप से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल का उत्पादन करने के लिये एक अंतर-सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किये थे।
- आवश्यकता:
  - राजकोषीय घाटा कम करना:
    - भारत दुनिया में (सऊदी अरब के बाद) दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक है।
    - उच्च आयात निर्भरता से राजकोषीय घाटे में वृद्धि होती है।
    - दुनिया में पाँचवाँ सबसे बड़ा रक्षा बजट होने के बावजूद, भारत अपने हथियार प्रणालियों का 60% विदेशी बाज़ारों से खरीदता है।
  - सुरक्षा दृष्टिकोण:
    - रक्षा में स्वदेशीकरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये भी महत्त्वपूर्ण है। यह तकनीकी विशेषज्ञता को बरकरार रखता है और स्पिन-ऑफ प्रौद्योगिकियों एवं नवाचार को प्रोत्साहित करता है जो अक्सर इससे उत्पन्न होते हैं।
    - उरी, पठानकोट और पुलवामा हमलों जैसे लगातार संघर्ष विराम उल्लंघन से जुड़े खतरों से बचने के लिये स्वदेशीकरण की आवश्यकता है।
  - रोज़गार सृजन:
    - इससे उपग्रह उद्योगों का निर्माण होगा जो बदले में रोज़गार के अवसरों के सृजन का मार्ग प्रशस्त करेगा।
    - सरकारी अनुमानों के अनुसार, रक्षा संबंधी आयातों में 20-25% की कमी से भारत में सीधे तौर पर अतिरिक्त 100,000 से 120,000 अत्यधिक कुशल रोज़गार सृजन हो सकता है।

नोट :

- सामरिक क्षमता:
  - एक आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग भारत को शीर्ष वैश्विक शक्तियों में स्थान प्रदान करेगा।
- देशभक्ति की धारणा:
  - राष्ट्रीयता और देशभक्ति रक्षा उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन से बढ़ सकती है, जो बदले में न केवल भारतीय बलों के विश्वास को बढ़ावा देगी बल्कि उनमें अखंडता और संप्रभुता की भावना को भी मज़बूत करेगी।

- चुनौतियाँ:
  - रक्षा के स्वदेशीकरण के उद्देश्य से विभिन्न नीतियों को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने के लिये एक संस्थागत क्षमता का अभाव।
  - बुनियादी ढाँचे की कमी से भारत की रसद लागत बढ़ जाती है जिससे देश की लागत प्रतिस्पर्द्धात्मकता और दक्षता कम हो जाती है।
  - भूमि अधिग्रहण के मुद्दे रक्षा निर्माण और उत्पादन में नए प्लेयर्स के प्रवेश को प्रतिबंधित करते हैं।
  - DPP (रक्षा खरीद नीति, जिसे अब DAP 2020 से बदल दिया गया है) के तहत नीतिगत दुविधा ऑफसेट आवश्यकताओं के कारण अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद नहीं मिली। (ऑफसेट एक विदेशी आपूर्तिकर्त्ता के साथ अनुबंधित मूल्य का एक हिस्सा है जिसे भारतीय रक्षा क्षेत्र में फिर से निवेश किया जाना चाहिये, या जिसके खिलाफ सरकार प्रौद्योगिकी खरीद सकती है)।
    - केवल सरकार-से-सरकारी समझौते (G2G), एकल विक्रेता अनुबंध या अंतर-सरकारी समझौते (IGA) में अब ऑफसेट क्लॉज़ नहीं होंगे।
    - DAP 2020 के अनुसार, अन्य सभी अंतर्राष्ट्रीय सौदे जो प्रतिस्पर्द्धी हैं और इसके लिये कई विक्रेता हैं, उनके पास 30% ऑफसेट क्लॉज़ जारी रहेगा।

- संबंधित पहलें:
  - FDI सीमा में वृद्धि:
    - मई 2020 में रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया था।
  - आयुध निर्माणी बोर्डों का निगमीकरण:
    - अक्तूबर 2021 में, सरकार ने चार दशक पुराने आयुध निर्माणी बोर्ड (OFB) को भंग कर दिया और युद्ध सामग्री से लेकर भारी हथियारों और वाहनों तक के रक्षा हार्डवेयर के निर्माण के लिये सात नई राज्य-स्वामित्व वाली कंपनियों के तहत 41 कारखानों को मिला दिया।
  - डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज:
    - DISC का उद्देश्य राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में प्रोटोटाइप बनाने और/या उत्पादों/समाधानों का व्यावसायीकरण करने के लिये स्टार्टअप्स/एमएसएमई/इनोवेटर्स का समर्थन करना है।
    - इसे रक्षा मंत्रालय ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ साझेदारी में लॉन्च किया है।
  - सृजन पोर्टल:
    - यह एक वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल है जो विक्रेताओं को स्वदेशीकरण के लिये उपकरण लेने की सुविधा प्रदान करता है।
  - ई-बिज पोर्टल:
    - ई-बिज पोर्टल पर औद्योगिक लाइसेंस (IL) और औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (IEM) के लिये आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है।

आगे की राह

- सभी आपत्तियों और विवादों से निपटने के लिये एक स्थायी मध्यस्थता प्रकोष्ठ की स्थापना की जा सकती है।
- निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना आवश्यक है क्योंकि यह कुशल और प्रभावी प्रौद्योगिकी तथा स्वदेशी रक्षा उद्योग के आधुनिकीकरण के लिये आवश्यक मानव पूंजी का संचार कर सकता है।

नोट :

- सॉफ्टवेयर उद्योग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं साइबर सुरक्षा जैसी तकनीकों का उपयोग स्वदेशी रूप से "चिप" के विकास और निर्माण के लिये किया जाना चाहिये।
- DRDO का विश्वास और अधिकार बढ़ाने के लिये उसे वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान करना।
- रक्षा उत्पादन विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिये लंबे कार्यकाल दिये जाने की आवश्यकता है।
- तीनों सेवाओं के बीच इन-हाउस डिज़ाइन क्षमता में सुधार किया जाना चाहिये, नौसेना ने स्वदेशीकरण के पथ पर अच्छी तरह से प्रगति की है, मुख्य रूप से इन-हाउस डिज़ाइन क्षमता, नौसेना डिज़ाइन ब्यूरो के कारण।
- एक रक्षा निर्माता के लिये मज़बूत आपूर्ति शृंखला महत्त्वपूर्ण है जो लागत को अनुकूलित करना चाहती है।

दृष्टि The Vision

नोट :

आर्थिक घटनाक्रम

बैंकों का निजीकरण

प्रमुख बिंदु

हाल ही में सरकार ने बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक 2021 के कुछ प्रमुख पहलुओं पर फिर से विचार करने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) का निजीकरण करना है।

- पिछले सत्र में सरकार ने इस संबंध में एक विधेयक पारित किया था, जो सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021 के माध्यम से राज्य के स्वामित्त्व वाली सामान्य बीमा कंपनियों के निजीकरण की अनुमति देता है।

बैंकिंग कानून (संशोधन विधेयक) 2021

- केंद्रीय बजट 2021-22 में वित्त मंत्री द्वारा बताए गए विनिवेश लक्ष्यों को पूरा करने के लिये दो सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के निजीकरण हेतु विधेयक का उद्देश्य वर्ष 1970 और वर्ष 1980 के बैंकिंग कंपनियों के अधिग्रहण और हस्तांतरण कानूनों तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन करना है।
  - इन्हीं कानूनों के माध्यम से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ऐसे में निजीकरण का मार्ग प्रशस्त करने हेतु इन कानूनों के प्रासंगिक प्रावधानों को बदलना आवश्यक है।
- इस कदम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में न्यूनतम सरकारी हिस्सेदारी 51% से कम होकर 26% हो जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- परिचय
  - निजीकरण
    - सरकार से निजी क्षेत्र में स्वामित्व, संपत्ति या व्यवसाय के हस्तांतरण को निजीकरण कहा जाता है। इसके तहत सरकार इकाई या व्यवसाय की स्वामी नहीं रह जाती है।
    - निजीकरण को कंपनी में अधिक दक्षता और निष्पक्षता लाने की दृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है।
    - भारत वर्ष 1991 के ऐतिहासिक सुधार के बाद निजीकरण की ओर आगे बढ़ा था, जिसे 'नई आर्थिक नीति या एलपीजी नीति' के रूप में भी जाना जाता है।
  - राष्ट्रीयकरण
    - राष्ट्रीयकरण निजी तौर पर नियंत्रित कंपनियों, उद्योगों या संपत्तियों को सरकार के नियंत्रण में रखने की प्रक्रिया है।
    - ऐसा अक्सर विकासशील देशों में होता है और संपत्ति को नियंत्रित करने या विदेशी स्वामित्व वाले उद्योगों पर अपने प्रभुत्व का दावा करने की देश की इच्छा को प्रतिबिंबित करता है।
- पृष्ठभूमि
  - केंद्र सरकार ने वर्ष 1969 में देश के 14 सबसे बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया था, इस निर्णय का उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र को तत्कालीन सरकार के समाजवादी दृष्टिकोण के साथ संरेखित करना था।
    - भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का वर्ष 1955 में और देश के बीमा क्षेत्र का वर्ष 1956 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था।
  - पिछले 20 वर्षों में विभिन्न सरकारें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के विरुद्ध रही हैं। वर्ष 2015 में सरकार ने निजीकरण का सुझाव प्रस्तुत किया था, हालाँकि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के तत्कालीन गवर्नर इस विचार के पक्ष में नहीं थे।
  - बैंकों द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (बैड बैंक) की स्थापना के साथ निजीकरण के वर्तमान प्रयास वित्तीय क्षेत्र में चुनौतियों से निपटने के लिये बाज़ार आधारित समाधान खोजने के दृष्टिकोण का नेतृत्त्व करते हैं।

नोट :

- निजीकरण के कारण
  - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की खराब वित्तीय स्थिति:
    - केंद्र सरकार द्वारा वर्षों तक पूंजीगत निवेश और शासन व्यवस्था में सुधार किये जाने के बाद भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार नहीं हो पाया है।
    - इनमें से कई सार्वजानिक बैंकों की तनावग्रस्त संपत्तियाँ निजी बैंकों की तुलना में काफी अधिक हैं और साथ ही उनकी लाभप्रदता, बाज़ार पूंजीकरण और लाभांश भुगतान रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है।
  - दीर्घकालिक परियोजना का हिस्सा
    - दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण से एक दीर्घकालिक परियोजना की शुरुआत होगी, जिसके तहत भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में कुछ चुनिंदा सार्वजनिक बैंकों की परिकल्पना की गई है।
    - सरकार की प्रारंभिक योजना चार बैंकों के निजीकरण की थी। पहले दो बैंकों के सफल निजीकरण के बाद सरकार आने वाले वित्तीय वर्षों में अन्य दो या तीन बैंकों के विनिवेश पर ज़ोर दे सकती है।
    - यह निर्णय सरकार, जो कि बैंकों में सबसे बड़ी हिस्सेदार है, को बैंकों को वर्ष-प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान करने के दायित्व से मुक्त करेगा।
    - बीते कुछ वर्षों में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप अब सरकार के पास केवल 12 सार्वजनिक बैंक मौजूद हैं, जिनकी संख्या पूर्व में कुल 28 थी।
  - बैंकों को मज़बूती प्रदान करना
    - सरकार बड़े बैंकों को और अधिक मज़बूत बनाने का प्रयास कर रही है तथा निजीकरण के माध्यम से बैंकों की संख्या में भी कमी की जा रही है।
  - अलग-अलग समितियों की सिफारिशें
    - कई समितियों ने सार्वजनिक बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी को 51% तक सीमित करने का प्रस्ताव रखा है:
    - नरसिम्हन समिति ने हिस्सेदारी को 33% तक सीमित करने की बात की थी।
    - पी.जे. नायक समिति ने हिस्सेदारी को 50% से कम करने का सुझाव दिया था।
    - हाल ही में RBI के एक कार्यकारी समूह ने बैंकिंग क्षेत्र में बड़े व्यावसायिक घरानों के प्रवेश का सुझाव दिया है।
  - बड़े बैंकों का निर्माण:
    - निजीकरण का एक उद्देश्य बड़े बैंक बनाना भी है। जब तक निजीकृत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का मौजूदा बड़े निजी बैंकों में विलय नहीं किया जाता है, तब तक वे उच्च जोखिम लेने की क्षमता और उधार देने की क्षमता विकसित नहीं कर सकते हैं।
    - ऐसे में निजीकरण एक बहुआयामी कार्य है, जिसमें कई चुनौतियों से निपटने और नए विचारों की खोज करने के लिये सभी दृष्टिकोण पर विचार किया जाता है, लेकिन यह सभी हितधारकों को लाभान्वित करने के लिये एक अधिक सतत् और मज़बूत बैंकिंग प्रणाली विकसित करने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।
- मुद्दे:
  - क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा:
    - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण बैंकों को निजी कंपनियों को बेचने के समान है, जिनमें से कई ने PSBs के ऋण को वापस नहीं किया है जिससे क्रोनी पूँजीवाद को बढावा मिला है।
  - नौकरी के नुकसान:
    - निजीकरण से बेरोज़गारी, शाखा बंद होना और वित्तीय बहिष्करण जैसी गतिविधियाँ प्रभावित होंगी।
    - निजीकरण से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिये रोज़गार के अवसरों को कम होंगे क्योंकि निजी क्षेत्र कमज़ोर वर्गों के लिये आरक्षण नीतियों का पालन नहीं करता है।
  - कमज़ोर वर्गों का वित्तीय बहिष्करण:
    - निजी क्षेत्र के बैंक अधिक संपन्न वर्गों और महानगरीय/शहरी क्षेत्रों की आबादी पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे समाज के कमज़ोर वर्गों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय बहिष्कार होता है।

नोट :

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बैंकिंग को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच और वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करते है। इन्होंने आशंका जताई है कि अगर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण किया गया तो इन लाभों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

- बेलआउट ऑपरेशन:
  - बैंक यूनियनों ने निजीकरण प्रक्रिया को कॉरपोरेट डिफॉल्टरों के लिये "बेलआउट ऑपरेशन" का नाम दिया है।
  - बड़े पैमाने पर फँसे ऋण के लिये निजी क्षेत्र ज़िम्मेदार है और उन्हें इस अपराध की सज़ा मिलनी चाहिये। लेकिन सरकार बैंकों को निजी क्षेत्र के हवाले कर उन्हें पुरस्कृत कर रही है।
- शासन के मुद्दे:
  - इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (ICICI) बैंक के एमडी और सीईओ को कथित तौर पर संदिग्ध ऋण देने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया था।
  - यस बैंक के सीईओ को आरबीआई ने एक्सटेंशन नहीं दिया और अब विभिन्न एजेंसियों की जाँच का सामना करना पड़ता है ।
  - लक्ष्मी विलास बैंक को परिचालन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा और हाल ही में इसे डीबीएस बैंक ऑफ सिंगापुर के साथ विलय कर दिया गया।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949

- यह भारत में बैंकिंग फर्मों को नियंत्रित करता है। इसे बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 के रूप में पारित किया गया था।
- यह अधिनियम भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को अधिकार देता है:
  - वाणिज्यिक बैंकों को लाइसेंस जारी करना, शेयरधारकों की हिस्सेदारी और वोटिंग अधिकारों को विनियमित करना, बोर्डों और प्रबंधन की नियुक्ति का पर्यवेक्षण करना, बैंकों के संचालन को नियंत्रित करना, ऑडिट के लिये निर्देश देना, नियंत्रण स्थगन, विलय और परिसमापन, जन कल्याण के हित में बैंकों को निर्देश जारी करना, बैंकिंग नीति और यदि आवश्यक हो तो बैंकों पर जुर्माना लगाना आदि ।
- सरकार ने वर्ष 2020 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन के लिये एक अध्यादेश पारित किया, जिससे सभी सहकारिताएँ रिज़र्व बैंक की निगरानी में आ गईं, ताकि जमाकर्त्ताओं के हितों की ठीक से रक्षा की जा सके।

आगे की राह:

- बैंक ऋणों पर विलफुल डिफॉल्ट (Wilful Defaults) को "आपराधिक कृत्य" मानने के लिये एक उपयुक्त वैधानिक ढाँचा लाने की तत्काल और अनिवार्य आवश्यकता है।
- उधार देने और गैर-निष्पादित आस्तियों के प्रभावी समाधान के लिये विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करने की आवश्यकता है।
- PSBs के शासन और प्रबंधन में सुधार करना होगा। ऐसा करने का एक उपाय पी.जे. नायक समिति द्वारा सुझाया गया था, जहाँ सरकार और शीर्ष सार्वजनिक क्षेत्र नियुक्तियों (जिसके संबंध में सारे कार्य बैंक बोर्ड ब्यूरो को करने थे लेकिन वह अक्षम रहा) के बीच दूरी रखने की अनुशंसा की गई थी।
- अंधाधुंध निजीकरण के बजाय PSBs को जीवन बीमा निगम (LIC) जैसे निगम में रूपांतरित किया जा सकता है । सरकारी स्वामित्व बनाए रखते हुए इनका निगमीकरण PSBs को अधिक स्वायत्तता प्रदान करेगा।

सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम

चर्चा में क्यों ?

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology-MeitY) ने देश में सेमीकंडक्टर्स/अर्द्धचालकों (Semiconductors) और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम (Display Manufacturing Ecosystems) के विकास के लिये एक व्यापक कार्यक्रम को मंज़ूरी दे दी है।

- सरकार द्वारा अगले छह वर्षों में सेमीकंडक्टर्स और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास हेतु 76,000 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि को मंज़ूरी प्रदान की गई है।

नोट :

अर्द्धचालक/सेमीकंडक्टर

- एक कंडक्टर (Conductor) और इन्सुलेटर (Insulator) के बीच विद्युत चालकता में मध्यवर्ती क्रिस्टलीय ठोस का कोई भी वर्ग।
- अर्द्धचालकों का उपयोग डायोड, ट्रांजिस्टर और एकीकृत सर्किट सहित विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। इस तरह के उपकरणों को उनकी कॉम्पैक्टनेस, विश्वसनीयता, बिजली दक्षता और कम लागत के कारण व्यापकरूप से प्रयोग में लाया जाता है।
- अलग-अलग घटकों के रूप में, इनका उपयोग सॉलिड-स्टेट-लेज़र सहित बिजली उपकरणों, ऑप्टिकल सेंसर और प्रकाश उत्सर्जक में किया जाता है।

प्रमुख बिंदु

- कार्यक्रम के तहत प्रोत्साहन
  - सेमीकंडक्टर फैब्स और डिस्प्ले फैब्स:
    - यह सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब्रिकेशन इकाइयों की स्थापना के लिये परियोजना लागत के 50% तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
    - केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर ज़मीन और सेमीकंडक्टर-ग्रेड वाटर (Semiconductor-Grade Water) जैसे आवश्यक बुनियादी ढाँचे वाले हाई-टेक क्लस्टर स्थापित करने के लिये राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी।
  - सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी (SCL)
    - इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी(SCL) के आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण हेतु आवश्यक कदम उठाएगा।
    - यह मंत्रालय ब्राउनफील्ड फैब संयंत्र के आधुनिकीकरण हेतु एक वाणिज्यिक फैब पार्टनर के साथ SCL के संयुक्त उद्यम की संभावनाओं की तलाश करेगा।
  - कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स:
    - सरकार योजना के तहत स्वीकृत इकाइयों को पूंजीगत व्यय की 30 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
    - सरकार के सहयोग से कंपाउंड सेमीकंडक्टरों और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग की कम-से-कम 15 ऐसी इकाइयाँ स्थापित किये जाने की संभावना है।
  - सेमीकंडक्टर डिज़ाइन कंपनियाँ:
    - डिज़ाइन सह प्रोत्साहन (DLI) योजना के तहत पाँच वर्षों के लिये शुद्ध बिक्री पर 6 प्रतिशत– 4 प्रतिशत के पात्र व्यय एवं प्रोडक्ट डिप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव के 50 प्रतिशत तक उत्पाद डिज़ाइन से जुड़े प्रोत्साहन दिये जाएंगे।
    - इंटीग्रेटेड सर्किट (IC), चिपसेट, सिस्टम ऑन चिप्स (SOC), सिस्टम एवं आईपी कोर तथा सेमीकंडक्टर लिंक्ड डिज़ाइन हेतु 100 घरेलू कंपनियों को सहायता प्रदान की जाएगी।
  - इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन:
    - सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले के उत्पादन की एक सतत् प्रणाली विकसित करने हेतु दीर्घकालिक रणनीतियों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक विशेष और स्वतंत्र "इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM)" स्थापित किया जाएगा।
    - इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का नेतृत्व सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले उद्योग के क्षेत्र से जुड़े वैश्विक विशेषज्ञ करेंगे। यह सेमीकंडक्टरों एवं डिस्प्ले प्रणाली पर आधारित योजनाओं के कुशल तथा सुचारू कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।
  - उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन राशि:
    - PLI के तहत बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, PLI के लिये आईटी हार्डवेयर, SPECS योजना और संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना के लिये 55,392 करोड़ रुपए (7.5 बिलियन अमरीकी डालर) की प्रोत्साहन सहायता को मंज़ूरी दी गई है।
    - इसके अलावा, एसीसी बैटरी, ऑटो घटकों, दूरसंचार तथा नेटवर्किंग उत्पादों, सौर पीवी मॉड्यूल एवं व्हाइट गुड्स सहित संबद्ध क्षेत्रों के लिये 98,000 करोड़ रुपए (13 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की PLI प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई हैं।

नोट :

- महत्त्व:
  - सामरिक महत्त्व: वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य में, अर्द्धचालक और डिस्प्ले के विश्वसनीय स्रोत सामरिक महत्त्व रखते हैं जो महत्त्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण भी हैं।
  - रोज़गार: यह देश के जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन करने के लिये अत्यधिक कुशल रोज़गार के अवसर भी पैदा करेगा।
  - गुणक प्रभाव: सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले प्रणाली के विकास का वैश्विक मूल्य शृंखला के साथ गहन एकीकरण के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा।
  - इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को बढ़ावा: यह कार्यक्रम सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के साथ-साथ डिज़ाइन में कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करके इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में एक नए युग की शुरुआत करेगा।
  - आत्मनिर्भरता: यह रणनीतिक महत्त्व और आर्थिक आत्मनिर्भरता के इन क्षेत्रों में भारत के तकनीकी नेतृत्व का मार्ग प्रशस्त करेगा।

भारतीय इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र

- परिचय:
  - भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र वर्ष 2023-24 तक 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने की उम्मीद के साथ मज़बूती से आगे से बढ़ रहा है।
  - घरेलू उत्पादन वर्ष 2014-15 में 29 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2019-20 में लगभग 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर (25% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) हो गया है।
  - इस उत्पादन का अधिकांश भाग भारत में स्थित अंतिम असेंबल इकाइयों (अंतिम-मील उद्योग) में होता है और उन पर ध्यान केंद्रित करने से अति पिछडेन क्षेत्रों को विकसित करने में मदद मिलेगी, इस प्रकार औद्योगिकीकरण को प्रेरित किया जाएगा।
- आवश्यकता:
  - राष्ट्रीय सुरक्षा का विचार:
    - अधिकांश चिपों के साथ ही भारतीय संचार और महत्त्वपूर्ण प्रणालियों में उपयोग किये जाने वाले घटकों का आयात किया जाता है।
    - यह राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को बाधित कर सकता है क्योंकि विनिर्माण के दौरान गुप्त सूचनाओं को चिपों में प्रोग्राम किया जा सकता है, जो नेटवर्क और साइबर सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है।
  - आयात में वृद्धि:
    - यह उम्मीद की जाती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स आयात जल्द ही भारत की सबसे बड़ी आयात मद के रूप में कच्चे तेल से आगे निकल जाएगा।
  - कोविड के बीच बढ़ी मांग और कमी:
    - कोविड -19 महामारी और दुनिया भर में उसके बाद के लॉकडाउन ने जापान, दक्षिण कोरिया, चीन और अमेरिका सहित देशों में महत्त्वपूर्ण चिप बनाने वाली सुविधाओं को बंद कर दिया।
    - इसकी कमी व्यापक प्रभाव का कारण बनती है, यह देखते हुए कि पहली बार मांग में कमी आई है जो अनुवर्ती अकाल का कारण बन जाती है।
  - चीन विरोधी भावनाओं से लाभ:
    - कोविड -19, भारत-चीन संघर्ष और इसके परिणामस्वरूप हाल के घटनाक्रमों के लिये चीन पर संयुक्त राज्य अमेरिका के आरोपों के कारण, कई बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपने उत्पादन को चीन से बाहर स्थानांतरित कर रही हैं।
  - मेक इन इंडिया को बढ़ावा:
    - भारत में असेंबली इकाइयों के साथ-साथ सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
    - यह घटकों के अधिक से अधिक स्थानीय उत्पादन को प्रेरित करेगा और समग्र रूप से उद्योग के विकास को बढ़ावा देगा, जिससे मेक इन इंडिया सफल हो सकेगा।
    - वर्ष 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 को अपनी मंज़ूरी दी, जो भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन और विनिर्माण के लिये एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की कल्पना करती है।

नोट :

- चुनौतियाँ:
  - अदृश्य लाभ:
    - भारत में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन की प्रभावशाली वृद्धि के बावजूद, उत्पादन इकाइयों द्वारा जोड़ा गया शुद्ध मूल्य बहुत कम है।
    - शुद्ध मूल्यवर्द्धन 5% और 15% के बीच होता है, क्योंकि अधिकांश घटक स्थानीय रूप से प्राप्त करने के बजाय आयात किये जाते हैं।
    - इसका तात्पर्य यह है कि 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक बाज़ार में से स्थानीय मूल्यवर्द्धन मात्र 7-10 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।
  - अपस्ट्रीम उद्योगों में सीमित स्वदेशी क्षमता:
    - वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं के युग में उत्पादन के अंतिम चरणों में मूल्यवर्द्धन बहुत कम है, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स में क्योंकि अधिक जटिल प्रक्रियाएँ, जिसमें अधिक मूल्यवर्द्धन शामिल है, असेंबली से पहले 'अपस्ट्रीम' उद्योगों में होती हैं।
    - इनमें प्रोसेसर, डिस्प्ले पैनल, मेमोरी चिप्स, कैमरा आदि का उत्पादन शामिल है।
  - फाउंड्री का अभाव:
    - फाउंड्री (अर्द्धचालक निर्माण संयंत्र जहाँ माइक्रोचिप्स का उत्पादन होता है) की अनुपस्थिति में, भारत को माइक्रोचिप्स का उत्पादन करने के लिये विदेशी ठेकेदारों पर निर्भर रहना पड़ता है।
    - फाउंड्रीज की स्थापना के लिये 2 बिलियन अमरीकी डालर और अधिक के बड़े पैमाने पर पूंजीगत व्यय की आवश्यकता होती है।
    - प्रतिस्पर्द्धात्मकता सुनिश्चित करने के लिये फाउंड्री को लगभग हर 18 महीने में नई तकनीकों और प्रक्रियाओं को अपनाने की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है- उच्च पूंजी मूल्यह्रास जो अक्सर उत्पादन लागत का 50-60% हिस्सा होता है।

आगे की राह

- सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की नींव हैं जो उद्योग 4.0 के तहत डिजिटल परिवर्तन के अगले चरण को चला रहे हैं।
- नए मिशन को कम-से-कम अभी के लिये, डिज़ाइन केंद्रों, परीक्षण सुविधाओं, पैकेजिंग आदि सहित चिप बनाने वाली शृंखला के अन्य भागों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
  - इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और सेमीकंडक्टर्स (SPECS) के निर्माण को माइक्रोचिप दिग्गजों को आकर्षित करने के लिये योजना के कुल परिव्यय को मौजूदा 3300 करोड़ रुपए से बढ़ाया जाना चाहिये।
  - भारत के सार्वजनिक उपक्रम जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड का उपयोग एक वैश्विक प्रमुख की मदद से सेमीकंडक्टर फैब फाउंड्री स्थापित करने के लिये किया जा सकता है।
- भारत को स्वदेशी सेमीकंडक्टर्स के लक्ष्य को छोड़ने की ज़रूरत है। इसके बजाय, इसका लक्ष्य एक विश्वसनीय, बहुपक्षीय अर्द्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख अभिकर्त्ता बनना चाहिये।
  - बहुपक्षीय अर्द्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिये अनुकूल व्यापार नीतियाँ महत्त्वपूर्ण हैं।

एल्गो ट्रेडिंग पर प्रस्ताव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने एल्गोरिथम या एल्गो ट्रेडिंग, या स्वचालित निष्पादन और तर्क से उत्पन्न ट्रेडों को विनियमित करने पर एक चर्चा पत्र जारी किया है।

एल्गो ट्रेडिंग (Algo Trading)

- डिजिटल दुनिया में लगभग सब कुछ एल्गोरिदम पर आधारित है। एल्गोरिदम उपयोगककर्त्ता डेटा, व्यवहार और उपयोग पैटर्न का लाभ उठाते हैं तथा कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये पूर्व-निर्दिष्ट निर्देश प्राप्त करते हैं।

नोट :

- एल्गो ट्रेडिंग उन्नत गणितीय मॉडल के उपयोग से सुपरफास्ट गति से उत्पन्न ऑर्डर को संदर्भित करता है जिसमें व्यापार का स्वचालित निष्पादन शामिल होता है।
  - यहाँ तक कि स्प्लिट-सेकंड फास्ट एक्सेस को भी ट्रेडर को भारी लाभ दिलाने हेतु सक्षम माना जाता है।
- एल्गो ट्रेडिंग सिस्टम स्वचालित रूप से लाइव स्टॉक की कीमतों की निगरानी करता है और दिये गए मानदंडों को पूरा करने पर एक ऑर्डर शुरू करता है।
- यह व्यापारियों के लिये लाइव स्टॉक की कीमतों की निगरानी और मैन्युअल ऑर्डर प्लेसमेंट शुरू करने को सरल बनता है।
- यह एक ब्रोकर को एक विशिष्ट समय पर या एक निश्चित कीमत पर शेयर खरीदने या बेचने के लिये कहने जैसा है, सिवाय इसके कि एल्गोरिथम ट्रेडिंग की गति तेज़ है कंप्यूटर कम त्रुटि की गुंजाइश के साथ एक निश्चित समय में मानव की तुलना में बहुत अधिक डेटा का विश्लेषण करता है।
  - इसके अलावा, महत्त्वपूर्ण मूल्य परिवर्तन से बचा जा सकता है क्योंकि ऑर्डर सेकंडो के अंदर निष्पादित होते हैं।
  - इस प्रकार, निवेशक अधिक ट्रेडों को तेज़ी से निष्पादित कर सकते हैं क्योंकि मॉनिटर करने, चयन करने, खरीदने, बेचने, ऑर्डर प्लेसमेंट शुरू करने आदि में मैन्युअल की अपेक्षा एल्गो ट्रेडिंग सिस्टम में कम समय लगता है।

प्रमुख बिंदु:

- सेबी का प्रस्ताव:
  - रेगुलेटिंग फ्रेमवर्क: एल्गो ट्रेडिंग के लिये एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है।
  - एल्गो-ऑर्डर: API (एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) से निकलने वाले सभी ऑर्डर को एल्गो ऑर्डर के रूप में माना और स्टॉक ब्रोकर द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिये तथा एल्गो ट्रेडिंग करने के लिये API को स्टॉक द्वारा प्रदान की गई अद्वितीय एल्गो आईडी के साथ टैग किया जाना चाहिये। स्टॉक एक्सचेंज एल्गो को मंज़ूरी दे रहा है।
    - एक्सचेंज स्वीकृति: प्रत्येक एल्गो रणनीति, चाहे वह ब्रोकर या क्लाइंट द्वारा उपयोग की जाती हो आदि को एक्सचेंज द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिये और जैसा कि वर्तमान स्वरुप के अनुसार प्रत्येक एल्गो रणनीति को प्रमाणित सूचना प्रणाली लेखा परीक्षक (सीआईएसए)/सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा (डीआईएसए) लेखा परीक्षकों में डिप्लोमा द्वारा प्रमाणित किया जाना है।
  - एल्गो-आईडी: स्टॉक एक्सचेंजों को यह सुनिश्चित करने के लिये एक प्रणाली विकसित करनी होगी कि केवल उन्हीं एल्गो को तैनात किया जा रहा है जो एक्सचेंज द्वारा अनुमोदित हैं और एक्सचेंज द्वारा प्रदान की गई एल्गो आईडी अद्वितीय हैं।
  - स्टॉक एक्सचेंजों को यह सुनिश्चित करने के लिये एक प्रणाली विकसित करनी होगी जो केवल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा अनुमोदित हो बल्कि साथ ही स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रदान की गई विशिष्ट एल्गो आईडी को ही तैनात किया जा रहा है।
  - क्लाइंट ऑर्डर को नियंत्रित करने के लिये ब्रोकर: किसी भी संस्था द्वारा विकसित सभी एल्गो को ब्रोकरों के सर्वर पर चलाना होता है, जिसमें ब्रोकर के पास क्लाइंट ऑर्डर पुष्टिकरण और मार्ज़िन जानकारी का नियंत्रण होता है।
  - प्रमाणीकरण: ऐसी प्रत्येक प्रणाली में दो ऐसे प्रमाणीकरण कारक बनाए जाने चाहिये जो किसी भी एपीआई/एल्गो व्यापार हेतु निवेशको तक पहुँच को आसान बनाता हो।
- सेबी की चिंताएँ:
  - बाज़ार के लिये जोखिम: अनियंत्रित और अस्वीकृत एल्गो, बाज़ार के लिये जोखिम पैदा करते हैं और व्यवस्थित बाज़ार में हेरफेर के साथ-साथ खुदरा निवेशकों को उच्च रिटर्न की गारंटी देकर उन्हें लुभाने के लिये इसका दुरुपयोग किया जा सकता है।
  - पहचान का मुद्दा: वर्तमान में एक्सचेंज केवल दलालों द्वारा प्रस्तुत किये गए एल्गो को मंज़ूरी देते हैं। हालाँकि APIs का उपयोग करने वाले खुदरा निवेशकों द्वारा तैनात किये गए एल्गो के लिये न तो एक्सचेंज और न ही दलाल यह पहचान सकते हैं कि APIs लिंक से निकलने वाला व्यापार एक एल्गो या गैर-एल्गो व्यापार है।
  - निवारण तंत्र का अभाव: असफल एल्गो रणनीति के मामले में संभावित नुकसान खुदरा निवेशकों के लिये बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि इस संबंध में कोई भी निवेशक शिकायत निवारण तंत्र मौजूद नहीं है।

नोट :

- महत्त्व
  - खुदरा निवेशकों का संरक्षण: यह सुनिश्चित करेगा कि खुदरा निवेशकों के हितों की रक्षा हो और यह एल्गो ट्रेडिंग करने हेतु निवेशकों के विश्वास को बढ़ावा देगा।
  - मूल्य हेरफेर पर अंकुश: नियमों के एक सेट के साथ, किसी भी प्रकार का मूल्य हेरफेर संभव नहीं होगा और निवेशकों को इस प्रक्रिया में कोई भारी नुकसान नहीं होगा।
  - दलालों का सशक्तीकरण: इसके अतिरिक्त, यह दलालों के लिये अपने तकनीकी कौशल को बढ़ाने और अपने ग्राहकों का विस्तार करने में भी मदद करेगा।
- बाज़ार संबंधी चिंताएँ
  - प्रक्रिया को थकाऊ बनाता है: एल्गो ट्रेडिंग शेयर बाज़ारों को गहरा करेगी और खुदरा निवेशकों की सहायता करेगी, जो स्टॉक ट्रेडिंग में पूर्णकालिक तौर पर संलग्न नहीं हैं। हालाँकि स्टॉक एक्सचेंजों से अपेक्षित अनुमति प्राप्त करना एक कठिन प्रक्रिया है, इसलिये ब्रोकरों को APIs सिस्टम का उपयोग बंद करना पड़ सकता है।
  - बाज़ार का नकारात्मक प्रभाव विकास: एक मौका है कि अगर API की अनुमति नहीं है तो निवेशक किसी अन्य प्रणाली में स्थानांतरित हो सकते हैं, प्रतिबंध लगाने से बाज़ार के विकास पर असर पड़ेगा।

एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का कार्य

- भारत में कई दलालों ने अपने ग्राहकों को API एक्सेस प्रदान करना शुरू कर दिया है, जो एक डेटा प्रदाता (स्टॉक ब्रोकर) और एक अंतिम-उपयोगकर्त्ता (क्लाइंट) के बीच एक ऑनलाइन कनेक्शन स्थापित करता है।
- API एक्सेस निवेशकों को एक तृतीय-पक्ष एप्लिकेशन का उपयोग करने में सक्षम बनाता है जो उनकी सुविधा की ज़रूरतों के अनुरूप है या ऐसे निवेशक जिनके पास अपनी स्वयं की फ्रंट-एंड सुविधाओं का निर्माण करने की तकनीकी क्षमताएँ हैं।
- ये तृतीय-पक्ष एप्लिकेशन किसी निवेशक को बाज़ार डेटा का विश्लेषण करने या किसी ट्रेडिंग या निवेश रणनीति का बैक-टेस्ट करने में मदद करते हैं। इन APIs का उपयोग निवेशक अपने व्यापार को स्वचालित करने के लिये कर रहे हैं।
- वर्तमान में ब्रोकर API से निकलने वाले ऑर्डर की पहचान कर सकते हैं, लेकिन वे API से निकलने वाले एल्गो और नॉन-एल्गो ऑर्डर के बीच अंतर करने में असमर्थ हैं।

आगे की राह

- कोई भी विनियम किसी विशिष्ट बाज़ार के लिये किसी भी खतरे को समाप्त करने में महत्त्वपूर्ण होता है। लेकिन ऐसा करने में, इसे अक्सर नवाचारों को दबाना पड़ता है और कदाचार या दुरुपयोग से बचने के लिये जाँच-पड़ताल करनी पड़ती है।
- यह आवश्यक है कि नियामक एल्गोरिदम के संचालन में अच्छी तरह से वाकिफ हों और जहाँ आवश्यक हो नए कानून में संलग्न होने में सक्षम होने के लिये लचीलापन हो।

सेबी द्वारा कृषि जिंसों में डेरिवेटिव व्यापार पर प्रतिबंध

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने नेशनल कमोडिटीज़ एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (एनसीडीईएक्स) के फ्यूचर प्लेटफॉर्म पर सात कृषि जिंसों के डेरिवेटिव व्यापार पर एक वर्ष के लिये प्रतिबंध लगा दिया है।

- नियामक ने चना, गेहूँ, धान (गैर-बासमती), सोयाबीन और इसके डेरिवेटिव, सरसों और इसके डेरिवेटिव, कच्चे पाम तेल और मूँग में डेरिवेटिव अनुबंध व्यापार पर तत्काल प्रभाव से एक वर्ष के लिये प्रतिबंध लगा दिया है।
- कमोडिटी डेरिवेटिव बाज़ार तब से कृषि वस्तुओं में व्यापार के ऐसे अचानक निलंबन के लिये प्रवण रहा है जब से इसे पूर्ववर्ती वायदा बाज़ार आयोग (एफएमसी) के तहत पेश किया गया था।

नोट :

सेबी:

- यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल, 1992 को स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- सेबी का मूल कार्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और प्रतिभूति बाज़ार को बढ़ावा देना एवं विनियमित करना है।

प्रमुख बिंदु

- प्रतिबंध के कारण:
  - खाद्य मुद्रास्फीति को समाप्त करना:
    - भारत की खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर में बढ़कर तीन महीने के उच्च स्तर 4.91% पर पहुँच गई, जो पिछले महीने में 4.48% थी, इसका मुख्य कारण इस अवधि में खाद्य मुद्रास्फीति में 0.85% से 1.87% तक की वृद्धि होना था।
  - द्विअंकीय WPI:
    - थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल से शुरू होने वाले लगातार आठ महीनों से दोहरे अंकों में बनी हुई है, जिसका मुख्य कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि है।
    - नवंबर में खनिज तेलों, मूल धातुओं, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की कीमतों में कठोरता होने के बीच थोक मूल्य-आधारित मुद्रास्फीति 14.23% के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुँच गई।
  - भविष्य के मूल्य को इंसुलेट करना:
    - रबी उत्पादन देश के कई हिस्सों में उर्वरक की कमी का सामना किये जाने के कारण रुग्ण रूप से प्रभावित हो सकता है।
    - भविष्य के व्यापार पर प्रतिबंध लगाकर सरकार बराबर उत्पादन नहीं होने की स्थिति में आने वाले दिनों में बाज़ार को लगने वाले किसी भी कीमत संबंधी झटके से बचाने की कोशिश कर रही है।
- प्रभाव:
  - यह 'सस्पेंसन' की स्थिति सर्दियों में बोई जाने वाली रबी की फसल से पहले आती है, जो कि कुछ ही महीनों में बाज़ारों में आ जाती है। कोई संदर्भ मूल्य नहीं होने से व्यापारियों को भविष्य के रुख बारे में पता नहीं होगा।
  - आयातक, जो खुद को कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाने के लिये डेरिवेटिव बाज़ार में हेज करते हैं, अधिक असुरक्षित हो सकते हैं।

डेरिवेटिवस (Derivatives):

- परिचय:
  - डेरिवेटिव वे उपकरण हैं जिनमें ऋण लिखत शेयर, ऋण, जोखिम लिखत या किसी अन्य प्रकार की सुरक्षा अंतर के लिये अनुबंध, जो अंतर्निहित प्रतिभूतियों की कीमतों के मूल्य/सूचकांक से अपना मूल्य प्राप्त करते हैं, से प्राप्त सुरक्षा शामिल है।
  - वित्त क्षेत्र में डेरिवेटिव्स एक अनुबंध है जो एक अंतर्निहित इकाई के प्रदर्शन से अपना मूल्य प्राप्त करता है। यह अंतर्निहित इकाई एक परिसंपत्ति, सूचकांक या ब्याज दर हो सकती है और इसे अक्सर "अंतर्निहित" कहा जाता है।
- प्रकार:
  - फॉरवर्ड और फ्यूचर:
    - ये वित्तीय अनुबंध हैं जो अनुबंध के तहत खरीदारों को एक निर्दिष्ट भविष्य की तारीख पर पूर्व-सहमत मूल्य पर संपत्ति खरीदने के लिये बाध्य करते हैं। फॉरवर्ड (Forwards) और फ्यूचर (Futures) दोनों अपने स्वभाव में अनिवार्य रूप से समान हैं।
  - ऑप्शन:
    - ऑप्शन/विकल्प अनुबंध के खरीदार को पूर्व निर्धारित मूल्य पर अंतर्निहित परिसंपत्ति को खरीदने या बेचने का अधिकार प्रदान करते हैं, लेकिन दायित्व (Obligation) नहीं।
    - ऑप्शन प्रकार के आधार पर खरीदार परिपक्वता तिथि पर या परिपक्वता से पहले किसी भी तिथि पर ऑप्शन का प्रयोग कर सकता है।

नोट :

- स्वैप्स:
  - स्वैप्स (Swaps) डेरिवेटिव अनुबंध होते हैं जो दो पक्षों के मध्य नकदी प्रवाह के आदान-प्रदान की अनुमति देते हैं।
  - स्वैप में आमतौर पर अस्थायी नकदी प्रवाह के लिये एक निश्चित नकदी प्रवाह का आदान-प्रदान शामिल होता है।
  - सबसे लोकप्रिय प्रकार के स्वैप इंटरेस्ट रेट स्वैप, कमोडिटी स्वैप और करेंसी स्वैप हैं।

- महत्त्व:
  - हेजिंग रिस्क एक्सपोज़र:
    - चूँकि डेरिवेटिव का मूल्य अंतर्निहित परिसंपत्ति के मूल्य से जुड़ा हुआ होता है, अत: अनुबंधों का उपयोग मुख्य रूप से जोखिमों से बचाव के लिये किया जाता है।
    - इस तरह डेरिवेटिव कांट्रेक्ट/व्युत्पन्न अनुबंध (Derivative Contract) में लाभ अंतर्निहित परिसंपत्ति में नुकसान की भरपाई कर सकता है।
  - अंतर्निहित परिसंपत्ति मूल्य निर्धारण:
    - अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत निर्धारित करने के लिये अक्सर डेरिवेटिव का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिये फ्यूचर/वायदा की वर्तमान कीमतें कमोडिटी की कीमत के अनुमान के रूप में कार्य कर सकती हैं।
  - बाज़ार की कार्यक्षमता:
    - यह माना जाता है कि डेरिवेटिव वित्तीय बाज़ारों की दक्षता में वृद्धि करते हैं। डेरिवेटिव कांट्रेक्ट का उपयोग करके किसी संपत्ति के भुगतान को दोहरा सकता है।
    - अत: अंतर्निहित परिसंपत्ति और संबंधित डेरिवेटिव की कीमतें मध्यस्थता के अवसरों से बचने के लिये संतुलन स्थापित करती हैं।
  - अनुपलब्ध संपत्तियों या बाज़ारों तक पहुँच:
    - डेरिवेटिव संगठनों को अनुपलब्ध संपत्तियों या बाज़ारों तक पहुँच प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं।
    - ब्याज दर स्वैप को नियोजित करके एक कंपनी प्रत्यक्ष उधार से प्राप्त ब्याज दरों के सापेक्ष अधिक अनुकूल ब्याज दर प्राप्त कर सकती है

- मुद्दे:
  - उच्च जोखिम:
    - डेरिवेटिव की उच्च अस्थिरता संभावित रूप से इन्हें भारी नुकसान पहुँचाती है। अनुबंधों का परिष्कृत डिज़ाइन इनके मूल्यांकन को अत्यंत जटिल या असंभव बना देता है। इस प्रकार ये एक उच्च अंतर्निहित जोखिम को वहन करते हैं।
  - अव्यवहारिक विशेषताएँ:
    - डेरिवेटिव्स को व्यापक रूप से अटकलों का एक उपकरण माना जाता है। डेरिवेटिव की अत्यधिक जोखिम भरी प्रकृति और उनके अप्रत्याशित व्यवहार के चलते अनुचित अटकलों के कारण भारी नुकसान हो सकता है।
  - प्रतिपक्ष जोखिम:
    - हालाँकि एक्सचेंजों पर कारोबार किये जाने वाले डेरिवेटिव्स आमतौर पर पूरी तरह से उचित परिश्रम प्रक्रिया से गुज़रते हैं, लेकिन काउंटर पर कारोबार करने वाले कुछ अनुबंधों में उचित परिश्रम हेतु बेंचमार्क शामिल नहीं होता है। इस प्रकार प्रतिपक्ष डिफॉल्ट (Counterparty Default) की संभावना होती है।

नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज:

- NCDEX एक ऑनलाइन कमोडिटी एक्सचेंज है जो मुख्य रूप से कृषि संबंधी उत्पादों में व्यवहार करता है।
- यह सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी (Public Limited Company) है, जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 23 अप्रैल, 2003 को स्थापित किया गया था।
- इस एक्सचेंज की स्थापना भारत के कुछ प्रमुख वित्तीय संस्थानों जैसे- ICICI बैंक लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक आदि द्वारा की गई थी।

नोट :

- NCDEX का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, लेकिन व्यापार की सुविधा के लिये देश के कई अन्य हिस्सों में भी इसके कार्यालय हैं।
- इनमें कृषि उत्पादों के 25 अनुबंध शामिल हैं। NCDEX का परिचालन एक स्वतंत्र निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है जिसका कृषि में कोई प्रत्यक्ष हित नहीं है।

भारतीय रुपए का मूल्यह्रास

चर्चा में क्यों ?

सितंबर-दिसंबर 2021 की तिमाही में भारतीय मुद्रा में 2.2% की गिरावट आई। मुद्रा का यह मूल्यह्रास (Depreciation of Currency) देश के शेयर बाज़ार से 4 बिलियन डॉलर मूल्य के वैश्विक फंडों के बाहर निकलने के कारण है।

- मुद्रा के मूल्य में आई इस गिरावट ने भारतीय रुपए को एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बना दिया है।

प्रमुख बिंदु

- मूल्यह्रास के बारे में:
  - मुद्रा का मूल्यह्रास/अवमूल्यन अस्थायी विनिमय दर प्रणाली में मुद्रा के मूल्य में गिरावट है।
  - रुपए के मूल्यह्रास का मतलब है कि डॉलर के मुकाबले रुपए का कमज़ोर होना।
    - इसका मतलब है कि रुपया अब पहले की तुलना में कमज़ोर है।.
    - उदाहरण के लिये पहले एक अमेरिकी डॉलर 70 रुपए के बराबर हुआ करता था। अब एक अमेरिकी डॉलर 76 रुपए के बराबर है जिसका अर्थ है कि डॉलर के मुकाबले रुपए का अवमूल्यन हुआ है यानी एक डॉलर को खरीदने में अधिक रुपए लगते हैं।
- भारतीय रुपए के मूल्यह्रास का प्रभाव:
  - रुपए में गिरावट भारतीय रिज़र्व बैंक के लिये एक दोधारी तलवार (नकारात्मक एवं सकारात्मक) की भाँति होती है।
    - सकारात्मक प्रभाव: एक कमज़ोर मुद्रा महामारी के समय नए आर्थिक सुधार के बीच निर्यात को प्रोत्साहित कर सकती है।
    - नकारात्मक प्रभाव: यह आयातित मुद्रास्फीति का जोखिम उत्पन्न करता है और केंद्रीय बैंक के लिये ब्याज दरों को रिकॉर्ड स्तर पर लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल बना सकता है।

मुद्रा का अभिमूल्यन और अवमूल्यन

- लचीली विनिमय दर प्रणाली (Floating Exchange Rate System) में बाज़ार की ताकतें (मुद्रा की मांग और आपूर्ति) मुद्रा का मूल्य निर्धारित करती हैं।
- मुद्रा अभिमूल्यन : यह किसी अन्य मुद्रा की तुलना में एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि है।
  - सरकार की नीति, ब्याज दर, व्यापार संतुलन और व्यापार चक्र सहित कई कारणों से मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है।
  - मुद्रा अभिमूल्यन किसी देश की निर्यात गतिविधि को हतोत्साहित करता है क्योंकि विदेशों से वस्तुएँ खरीदना सस्ता हो जाता है, जबकि विदेशी व्यापारियों द्वारा देश की वस्तुएँ खरीदना महँगा हो जाता है।
- मुद्रा अवमूल्यन: यह एक लचीली विनिमय दर प्रणाली में मुद्रा के मूल्य में गिरावट है।
  - आर्थिक बुनियादी संरचना, राजनीतिक अस्थिरता या जोखिम से बचने के कारण मुद्रा अवमूल्यन हो सकता है।
  - मुद्रा अवमूल्यन किसी देश की निर्यात गतिविधि को प्रोत्साहित करता है क्योंकि विदेशों से वस्तुएँ खरीदना महँगा हो जाता है, जबकि विदेशी व्यापारियों द्वारा संबंधित देश की वस्तुएँ खरीदना सस्ता हो जाता है।

अवमूल्यन और मूल्यह्रास

- सामान्य तौर पर अवमूल्यन और मूल्यह्रास प्राय: एक-दूसरे के स्थान पर उपयोग किये जाते हैं।
- उन दोनों का एक ही प्रभाव है- मुद्रा के मूल्य में गिरावट जो आयात को अधिक महँगा बनाती है, और निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाती है।

नोट :

- हालाँकि उन्हें लागू करने के तरीके में अंतर है।
- अवमूल्यन तब होता है जब किसी देश का केंद्रीय बैंक अपनी विनिमय दर को एक निश्चित या अर्द्ध-स्थिर विनिमय दर में कम करने का निर्णय लेता है।
- मूल्यह्रास तब होता है जब एक मुद्रा के मूल्य में अस्थायी विनिमय दर में गिरावट होती है।
- भारतीय रुपए के वर्तमान मूल्यह्रास का कारण:
  - रिकॉर्ड-उच्च व्यापार घाटा: उच्च आयात के बीच नवंबर में भारत का व्यापार घाटा बढ़कर लगभग 23 बिलियन डॉलर हो गया।
    - यह बढ़ता व्यापार घाटा तेल की कीमतों में उछाल से प्रेरित है।
  - आरबीआई और फेडरल रिज़र्व के बीच नीतिगत अंतर: अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बेहतर विकास और फेडरल रिज़र्व (यूएस सेंट्रल बैंक) द्वारा पेश किये गए अनुकूल ब्याज की उम्मीदों के अनुरूप USD को मज़बूत करना।
    - रिज़र्व बैंक अपने भंडार का निर्माण करने और किसी भी अस्थिरता के लिये खुद को तैयार करने हेतु लगातार डॉलर खरीद रहा है।
  - पूंजी का बहिर्वाह: शेयरों से विदेशी पूंजी के पलायन ने बेंचमार्क 'एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स' को अक्तूबर 2021 में अब तक के उच्चतम स्तर से लगभग 10% कम कर दिया है।
  - ओमीक्रोन संबंधी चिंताएँ: वर्तमान में ओमीक्रोन वायरस संस्करण संबंधी चिंताएँ वैश्विक बाज़ारों में हलचल मचा रही हैं।

कीटनाशक अनुप्रयोग में ड्रोन का प्रयोग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि में ड्रोन के अनुप्रयोग हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedures-SOPs) जारी की है।

- आमतौर पर ड्रोन के रूप में प्रचलित मानव रहित हवाई वाहनों (UAVs) के इस्तेमाल से भारतीय कृषि में क्रांति लाने तथा देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में काफी संभावनाएँ दिखाई पड़ती हैं।
- देश के विभिन्न राज्यों में टिड्डियों के हमलों को रोकने के लिये पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था।
- इससे पहले स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने उत्तर पूर्व (i-Drone) में ड्रोन रिस्पांस एंड आउटरीच नाम से एक ड्रोन आधारित वैक्सीन वितरण मॉडल लॉन्च किया था।

प्रमुख बिंदु:

- मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) के बारे में: कीटनाशक के इस्तेमाल के लिये ड्रोन विनियमन हेतु SOP में शामिल हैं :
  - वैधानिक प्रावधान, उड़ान अनुमति, क्षेत्र दूरी संबंधी प्रतिबंध, वज़न वर्गीकरण, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों पर प्रतिबंध, ड्रोन का पंजीकरण, सुरक्षा बीमा, पायलट प्रमाणन, संचालन योजना, हवाई उड़ान क्षेत्र, मौसम की स्थिति जैसे महत्त्वर्ण पहलू।
  - ऑपरेशन से पहले, बाद में और ऑपरेशन के दौरान आपातकालीन प्रबंधन योजना के लिये मानक संचालन प्रक्रियाएँ।
- कीटनाशकों के अनुप्रयोग में ड्रोन प्रौद्योगिकी:
  - कीटनाशक: कीटनाशक बड़ी संख्या में कीटों से फसलों की सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण कृषि आदानों में से एक हैं तथा ये आवश्यक इनपुट के रूप में कार्य करते हैं जिससे किसानों को पर्याप्त लाभ मिलता है।
  - कीटनाशक का पारंपरिक छिड़काव: कीटनाशक स्प्रे के पारंपरिक तरीकों के कारण कई समस्याएँ पैदा होती हैं जैसे:
    - रसायनों का अत्यधिक प्रयोग स्प्रे की एकरूपता को कम करता है तथा अनावश्यक जमाव प्रदान करता है।
    - इनके अत्यधिक उपयोग के परिणामस्वरूप जल और मिट्टी प्रदूषण के साथ-साथ कीटनाशकों पर अधिक खर्च होता है।
    - पारंपरिक मैनुअल स्प्रेयर के साथ ऑपरेटरों की सुरक्षा भी एक प्रमुख चिंता का विषय है।
  - ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग: आधुनिक कृषि तकनीक के रूप में ड्रोन तकनीक के उपयोग का उद्देश्य कीटनाशकों और उर्वरक छिड़काव के माध्यम से उत्पादन को अधिक कुशल बनाना है।

नोट :

- इसका इस्तेमाल कृषि के कई क्षेत्रों में किया जा सकता है तथा यह न केवल क्षेत्र के भीतर रसायनों के समग्र उपयोग में कमी को सुनिश्चित करेगा बल्कि ऑपरेटरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखेगा।

- कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकी के अन्य उपयोग और लाभ:
  - फसल निगरानी: ड्रोन मल्टी-स्पेक्ट्रल तथा फोटो कैमरों जैसी कई विशेषताओं से सुसज्जित हैं।
    - ड्रोन का उपयोग किसी भी वनस्पति या फसल क्षेत्र जो खरपतवार संक्रमण और कीटों से प्रभावित है, के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिये किया जा सकता है।
    - इष्टतम पोषक तत्त्व वितरण: एक आकलन के आधार पर संक्रमण से लड़ने हेतु आवश्यक रसायनों की सटीक मात्रा को छिड़काव किया जा सकता है इस प्रकार किसान के लिये समग्र लागत का अनुकूलन किया जा सकता है।
    - इससे वर्ष 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी।
  - बेहतर फसल प्रबंधन: कई स्टार्ट-अप्स द्वारा ड्रोन प्लांटिंग सिस्टम भी विकसित किये गए हैं, जो ड्रोन को पॉड्स और मिट्टी में महत्त्वपूर्ण पोषक तत्त्वों को स्प्रे करने की अनुमति देती है।
    - इस प्रकार यह तकनीक लागत को कम करने के अलावा फसल प्रबंधन की निरंतरता और दक्षता को बढ़ाती है।
    - इससे कृषि क्षेत्र की उत्पादकता के साथ-साथ दक्षता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
    - कृषि में ड्रोन का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोज़गार प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर भी दे सकता है।

भारत में ड्रोन विनियमन हेतु नियम:

- ड्रोन नियम, 2021
- राष्ट्रीय काउंटर रोग ड्रोन दिशा-निर्देश 2019

बहुराज्य सहकारी समितियाँ

चर्चा में क्यों ?

केंद्र ने "अधिनियम में खामियों को दूर करने" के लिये बहु राज्य सहकारी समितियाँ (MSCS) अधिनियम, 2002 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

- इससे पहले एक नए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया था।

प्रमुख बिंदु:

- बहु राज्य सहकारी समितियाँ (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 के बारे में:
  - बहु राज्य सहकारी समितियाँ: हालाँकि सहकारी समितियाँ एक राज्य का विषय है, लेकिन कई समितियाँ जैसे कि चीनी और दूध बैंक, दूध संघ आदि हैं जिनके सदस्य व संचालन के क्षेत्र एक से अधिक राज्यों में फैले हुए हैं।
    - उदाहरण के लिये कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा पर अधिकांश चीनी मिलें दोनों राज्यों से गन्ना खरीदती हैं।
    - महाराष्ट्र में ऐसी सहकारी समितियों की संख्या सबसे अधिक 567 है, इसके बाद उत्तर प्रदेश (147) और नई दिल्ली (133) में हैं।
    - ऐसी सहकारी समितियों को संचालित करने के लिये MSCS अधिनियम पारित किया गया था।
  - कानूनी क्षेत्राधिकार: उनके निदेशक मंडल में उन सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है जिनमें वे काम करते हैं।
    - इन समितियों का प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण केंद्रीय रजिस्ट्रार के पास होता है और कानून यह स्पष्ट करता है कि राज्य सरकार का कोई भी अधिकारी उन पर कोई नियंत्रण नहीं रख सकता है।
    - केंद्रीय रजिस्ट्रार का विशेष नियंत्रण राज्य के अधिकारियों के हस्तक्षेप के बिना इन समितियों के सुचारु संचालन की अनुमति देने के लिये होता था।

नोट :

- संबद्ध चिंताएँ:
  - नियंत्रण और संतुलन की कमी: राज्य-पंजीकृत समाजों की प्रणाली में प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु कई स्तरों पर जाँच और संतुलन शामिल है, जबकि यह बहु-राज्य समाजों के मामले में मौजूद नहीं हैं।
    - केंद्रीय रजिस्ट्रार केवल विशेष परिस्थितियों में ही सोसायटियों के निरीक्षण की अनुमति दे सकता है।
    - आगे की जाँच समितियों को पूर्व सूचना देने के बाद ही की जा सकती है।
  - केंद्रीय रजिस्ट्रार का कमज़ोर संस्थागत ढाँचा: केंद्रीय रजिस्ट्रार का ज़मीनी बुनियादी ढाँचा कमज़ोर होने के साथ-साथ राज्य स्तर पर कोई अधिकारी या कार्यालय भी नहीं है तथा ज़्यादातर काम या तो ऑनलाइन या पत्राचार के माध्यम से किया जाता है।
    - इसके कारण शिकायत निवारण तंत्र बहुत खराब हो गया है।
    - इससे कई उदाहरण सामने आए हैं जब क्रेडिट समितियों ने इन खामियों का फायदा उठाते हुए पोंजी योजनाएँ शुरू की हैं।
- संभावित सुधार/संशोधन:
  - संस्थागत बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करना: केंद्र सरकार को विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श के बाद समाजों के बेहतर शासन को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक संस्थागत बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करना चाहिये। उदाहरण के लिये:
    - जनशक्ति में वृद्धि।
    - पारदर्शिता लाने के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।
  - शामिल राज्य: ऐसी समितियों का प्रशासनिक नियंत्रण राज्य आयुक्तों में निहित होना चाहिये।

भारत में सहकारिता

- परिभाषा
  - अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन (International Cooperative Alliance- ICA), सहकारिता (Cooperative) को "संयुक्त स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सामान्य ज़रूरतों एवं आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु स्वेच्छा से एकजुट व्यक्तियों के स्वायत्त संघ" के रूप में परिभाषित करता है।
    - भारत में सफल सहकारी समितियों के उदाहरण:
    - भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED)
    - भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (IFFCO)
    - अमूल (AMUL)
- संवैधानिक प्रावधान:
  - संविधान (97वाँ संशोधन) अधिनियम, 2011 द्वारा भारत में काम कर रही सहकारी समितियों के संबंध में नया भाग- IXB जोड़ा गया।
    - संविधान के भाग III के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1)(c) में "संघ और संगठन" के बाद "सहकारिता" शब्द जोड़ा गया था।
    - यह सहकारी समितियाँ बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार (Fundamental Right) का दर्जा प्रदान करता है।
    - राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों (DPSP- भाग IV) में "सहकारी समितियों के प्रचार" के संबंध में एक नया अनुच्छेद 43B जोड़ा गया था।
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय
  - जुलाई 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने 97वें संशोधन अधिनियम, 2011 के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया था।
    - सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, भाग IX B (अनुच्छेद 243ZH से 243ZT) ने अपने सहकारी क्षेत्र पर राज्य विधानसभाओं की 'अनन्य विधायी शक्ति' को 'महत्त्वपूर्ण और पर्याप्त रूप से प्रभावित' किया है।
    - साथ ही 97वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किये बिना संसद द्वारा पारित किया गया था।
    - सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्यों के पास विशेष रूप से उनके लिये आरक्षित विषयों पर कानून बनाने की विशेष शक्ति है (सहकारिता राज्य सूची का एक हिस्सा है)।
    - 97वें संविधान संशोधन के लिये अनुच्छेद 368(2) के तहत कम-से-कम आधे राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता है।

नोट :

- चूँकि 97वें संविधान संशोधन के मामले में अनुसमर्थन नहीं किया गया था, इसलिये इसे रद्द कर दिया गया।
- इसने भाग IX B के प्रावधानों की वैधता को बरकरार रखा, जो 'बहु-राज्य सहकारी समितियों' (MSCS) से संबंधित हैं।
- इसने कहा कि 'बहु-राज्य सहकारी समितियों' का विषय केवल एक राज्य तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इसमें विधायी शक्ति भारत संघ की होगी।

भारत में मसाला क्षेत्र

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने 'स्पाइस स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2021' पुस्तक का विमोचन किया है।

- यह पुस्तक देश में वर्ष 2014-15 से वर्ष 2020-21 तक के पिछले सात वर्षों के दौरान मसालों के उत्पादन में हुई वृद्धि पर प्रकाश डालती है।

प्रमुख बिंदु

- मसालों के विषय में:
  - मसाले बीज, फल, छाल, राइज़ोम और पौधों के अन्य भागों से प्राप्त सुगंधित खाद्य उत्पाद प्राप्त होते हैं।
  - उनका उपयोग भोजन के संरक्षण और दवाओं, रंगों एवं इत्र के रूप में किया जाता है।
  - मसालों को हज़ारों वर्षों से व्यापार की वस्तुओं के रूप में अत्यधिक महत्त्व दिया गया है।
    - मसाला शब्द लैटिन से आया है, जिसका अर्थ है 'माल'।
  - विशेष रूप से महामारी की अवधि के दौरान मसालों को स्वास्थ्य पूरक के रूप में मान्यता देने के कारण मसालों की मांग में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है।
    - इसे हल्दी, अदरक, जीरा, मिर्च आदि जैसे मसालों के बढ़ते निर्यात से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।
- भारत में मसाला उत्पादन:
  - भारत मसालों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है।
  - बदलती जलवायु के कारण उष्णकटिबंधीय से उपोष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय से समशीतोष्ण तक लगभग सभी जलवायु के मसालों का भारत में उत्पादन किया जाता है।
  - वास्तव में भारत के लगभग सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में किसी-न-किसी मसाले का उत्पादन किया जाता है।
  - संसदीय अधिनियम के तहत कुल 52 मसालों को मसाला बोर्ड के दायरे में लाया गया है।
    - मसाला बोर्ड (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) भारतीय मसालों के विकास और विश्वव्यापी प्रचार हेतु प्रमुख संगठन है।
    - यह मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 द्वारा स्थापित किया गया था।
  - भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जो उन मसालों का उत्पादन करते हैं जिनका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाज़ारों में बहुत अधिक मूल्य है।
    - सबसे अच्छा उदाहरण 'कश्मीरी केसर' है जो दुनिया का सबसे अच्छा केसर है।
    - कश्मीरी केसर को भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग का दर्जा मिला है।
- मसाला व्यापार:
  - मसालों का निर्यात देश में सभी बागवानी फसलों के कुल निर्यात आय में 41% का योगदान देता है।
  - यह समुद्री उत्पादों, गैर-बासमती चावल और बासमती चावल के बाद कृषि वस्तुओं में चौथे स्थान पर है।

संबंधित सरकारी पहल:

- हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन (CAC) के तहत स्थापित मसालों और पाक जड़ी बूटियों (CCSCH) पर कोडेक्स समिति के पाँचवें सत्र का उद्घाटन किया।

नोट :

- मसालों और पाक जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति (CCSCH) के बारे में:
  - स्थापना: इसका गठन वर्ष 2013 में किया गया था।
  - संदर्भ शर्तें:
    - मसालों और पाक कला से संबंधित जड़ी बूटियों हेतु उनकी सूखी और निर्जलित अवस्था संबंधी विश्वव्यापी मानकों को विस्तृत करना।
    - मानकों के विकास की प्रक्रिया में दोहराव से बचने के लिये अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ परामर्श करना आवश्यक है।

कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक, 2021

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक, 2021 कर्नाटक राज्य विधानसभा में पेश किया गया। यह विधेयक गलत बयानी, ज़बरदस्ती, धोखाधड़ी, लालच या शादी के माध्यम से एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण पर रोक लगाता है।

- अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे अन्य राज्यों ने भी धर्म परिवर्तन को प्रतिबंधित करने वाले कानून पारित किये हैं।

प्रमुख बिंदु

- विधेयक के मुख्य प्रावधान :
  - दंडात्मक प्रावधान: धर्मांतरण एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है।
    - कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों हेतु तीन से पाँच वर्ष के कारावास की सज़ा और 25,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है, वहीं नाबालिगों, महिलाओं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों के व्यक्तियों को ज़बरन धर्म परिवर्तित करने हेतु बाध्य करने पर 3 से 10 साल तक की जेल तथा 50,000 रुपए का जुर्माना होगा।
  - लोकस स्टैंडी लागू नहीं होता: प्रस्तावित कानून के अनुसार, धर्मांतरण की शिकायत परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों या संबंधित संस्था में किसी भी व्यक्ति द्वारा दर्ज की जा सकती है।
  - छूट: विधेयक उस व्यक्ति के मामले में जो कि "तत्काल अपने पूर्व धर्म में पुन: धर्मांतरित हो जाता है", छूट प्रदान करता है क्योंकि उसे "इस अधिनियम के तहत धर्मांतरण नहीं माना जाएगा"।
  - इच्छुक व्यक्ति के लिये प्रावधान: कानून लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति जो दूसरे धर्म में धर्मांतरित होने का इरादा रखता है, उसे कम-से-कम 30 दिन पहले ज़िला मजिस्ट्रेट को सूचित करना होगा।
  - इसके बाद धर्मांतरण की वास्तविक मंशा के पीछे के कारण को जानने के लिये पुलिस के माध्यम से ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जाएगी।
  - ज़िला मजिस्ट्रेट को सूचित न करने पर धर्मांतरण को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा।
- भारत में धर्मांतरण विरोधी कानून:
  - संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद-25 के तहत भारतीय संविधान धर्म को मानने, प्रचार करने और अभ्यास करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है तथा सभी धर्म के वर्गों को अपने धर्म के मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति देता है; हालाँकि यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है।
    - हालाँकि कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक विश्वासों को ज़बरन लागू नहीं करेगा और परिणामस्वरूप व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी भी धर्म का पालन करने के लिये मजबूर नहीं किया जाना चाहिये।
  - मौजूदा कानून: धार्मिक रूपांतरणों को प्रतिबंधित या विनियमित करने वाला कोई केंद्रीय कानून नहीं है।
    - हालाँकि वर्ष 1954 के बाद से कई मौकों पर धार्मिक रूपांतरणों को विनियमित करने हेतु संसद में निजी विधेयक पेश किये गए हैं।
    - इसके अलावा वर्ष 2015 में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने कहा था कि संसद के पास धर्मांतरण विरोधी कानून पारित करने की विधायी शक्ति नहीं है।

नोट :

- वर्षों से कई राज्यों ने बल, धोखाधड़ी या प्रलोभन द्वारा किये गए धार्मिक रूपांतरणों को प्रतिबंधित करने हेतु 'धार्मिक स्वतंत्रता' संबंधी कानून बनाए हैं।

- धर्मांतरण विरोधी कानूनों से संबद्ध मुद्दे:
  - अनिश्चित और अस्पष्ट शब्दावली: गलत बयानी, बल, धोखाधड़ी, प्रलोभन जैसी अनिश्चित और अस्पष्ट शब्दावली इसके दुरुपयोग हेतु एक गंभीर अवसर प्रस्तुत करती है।
    - ये काफी अधिक अस्पष्ट और व्यापक हैं, जो धार्मिक स्वतंत्रता के संरक्षण से परे भी कई विषयों को कवर करती हैं।
  - अल्पसंख्यकों का विरोध: एक अन्य मुद्दा यह है कि वर्तमान धर्मांतरण विरोधी कानून धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु धर्मांतरण के निषेध पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं।
    - हालाँकि धर्मांतरण निषेधात्मक कानून द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली व्यापक भाषा का इस्तेमाल अधिकारियों द्वारा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और भेदभाव करने के लिये किया जा सकता है।
  - धर्मनिरपेक्षता विरोधी: ये कानून भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने और हमारे समाज के आंतरिक मूल्यों और कानूनी व्यवस्था की अंतर्राष्ट्रीय धारणा के लिये खतरा पैदा कर सकते हैं।

- विवाह और धर्मांतरण पर सर्वोच्च न्यायालय:
  - वर्ष 2017 का हादिया मामला:
    - हादिया मामले में निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 'अपनी पसंद के कपड़े पहनने, भोजन करने, विचार या विचारधाराओं और प्रेम तथा जीवनसाथी के चुनाव का मामला किसी व्यक्ति की पहचान के केंद्रीय पहलुओं में से एक है।
    - ऐसे मामलों में न तो राज्य और न ही कानून किसी व्यक्ति को जीवन साथी के चुनाव के बारे में कोई आदेश दे सकते हैं या न ही वे ऐसे मामलों में निर्णय लेने के लिये किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर सकते हैं।
    - अपनी पसंद के साथी को चुनना या उसके साथ रहने का अधिकार नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। (अनुच्छेद-21)
  - के.एस. पुत्तुस्वामी निर्णय (वर्ष 2017):
    - किसी व्यक्ति की स्वायत्तता से आशय जीवन के महत्त्वपूर्ण मामलों में उसकी निर्णय लेने की क्षमता से है।
  - अन्य निर्णय:
    - सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में यह स्वीकार किया है कि जीवन साथी के चयन के मामले में एक वयस्क नागरिक के अधिकार पर राज्य और न्यायालयों का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है यानी सरकार अथवा न्यायालय द्वारा इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।
    - सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न फैसलों में माना है कि जीवन साथी चुनने के वयस्क के पूर्ण अधिकार पर आस्था, राज्य और अदालतों का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।
    - भारत एक 'स्वतंत्र और गणतांत्रिक राष्ट्र' है तथा एक वयस्क के प्रेम एवं विवाह के अधिकार में राज्य का हस्तक्षेप व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
    - विवाह जैसे मामले किसी व्यक्ति की निजता के अंतर्गत आते हैं, विवाह अथवा उसके बाहर जीवन साथी के चुनाव का निर्णय व्यक्ति के 'व्यक्तित्व और पहचान' का हिस्सा है।
    - किसी व्यक्ति के जीवन साथी चुनने का पूर्ण अधिकार कम-से-कम धर्म/आस्था से प्रभावित नहीं होता है।

आगे की राह

ऐसे कानूनों को लागू करने के लिये सरकार को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सीमित न करते हों और न ही इनसे राष्ट्रीय एकता को क्षति पहुँचती हो; ऐसे कानूनों के मामले में स्वतंत्रता और दुर्भावनापूर्ण धर्मांतरण के मध्य संतुलन बनाना बहुत ही आवश्यक है।

नोट :

ईएसजी फंड

चर्चा में क्यों ?

ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) फंड की संपत्ति का आकार पिछले कुछ वर्षों में लगभग पाँच गुना बढ़कर 12,300 करोड़ रुपए हो गया है।

- एशिया में विशेष रूप से भारत में ईएसजी फंडों की मांग और वृद्धि ज़बर्दस्त (लगभग 32%) रही है।

प्रमुख बिंदु

ईएसजी फंड (ESG Funds):

- ईएसजी (ESG) तीन शब्दों अर्थात् पर्यावरण (Environment), सामाजिक (Social) और शासन (Governance) का संयोजन है।
- यह एक तरह का म्यूचुअल फंड है। इसमें निवेश स्थायी रूप से सतत् निवेश (Sustainable Investing) या सामाजिक रूप से उत्तरदायी निवेश (Socially Responsible Investing) के साथ किया जाता है।
- आमतौर पर म्युचुअल फंड किसी कंपनी के अच्छे स्टॉक को दर्शाता है जिसमें आय, प्रबंधन गुणवत्ता, नकदी प्रवाह, व्यवसाय संचालन, प्रतिस्पर्द्धा आदि की क्षमता होती है।
- हालाँकि निवेश के लिये एक स्टॉक का चयन करते समय सबसे पहले 'ESG फंड शॉर्टलिस्ट कंपनियों' के पर्यावरण, सामाजिक ज़िम्मेदारी एवं कॉर्पोरेट प्रशासन पर उच्च स्कोर को देखा जाता है, इसके बाद वित्तीय कारकों पर गौर किया जाता है।
  - इसलिये 'ईएसजी फंड' एवं अन्य फंडों के बीच महत्त्वपूर्ण अंतर 'निवेशक के विवेक' पर आधारित होता है अर्थात् ईएसजी फंड पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं, नैतिक व्यापार प्रथाओं एवं एक कर्मचारी-अनुकूल रिकॉर्ड वाली कंपनियों पर केंद्रित होता है।
- इस फंड को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा विनियमित किया जाता है।

लोकप्रियता का कारण:

- आधुनिक निवेशक पारंपरिक दृष्टिकोणों का पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं और पारंपरिक निवेश से पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभावों का भी मूल्यांकन कर रहे हैं। इस प्रकार निवेशकों ने अपनी निवेश प्रथाओं में ईएसजी कारकों को शामिल करना शुरू कर दिया है।
- 'यूनाइटेड नेशंस प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट' (United Nations Principles for Responsible Investment- UN-PRI) नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निवेश निर्णय लेने में पर्यावरणीय, सामाजिक एवं कॉर्पोरेट प्रशासन कारकों के समावेश को बढ़ावा देने के लिये कार्य करता है।

प्रभाव:

- जैसे-जैसे भारत में 'ईएसजी फंड्स' को गति मिलेगी कंपनियों को बेहतर प्रशासन, नैतिक प्रथाओं, पर्यावरण के अनुकूल उपायों एवं सामाजिक ज़िम्मेदारी का पालन करने के लिये भी मजबूर होना पड़ेगा।
- जो कंपनियाँ 'सतत् व्यवसाय मॉडल' का पालन नहीं करती हैं उन्हें इक्विटी एवं ऋण दोनों जुटाने में मुश्किल होगी।
- वैश्विक स्तर पर पेंशन फंड, सॉवरेन वेल्थ फंड आदि में निवेश करने वाले निवेशक उन कंपनियों में निवेश नहीं करते हैं जिन्हें प्रदूषणकारी के रूप में देखा जाता है और जो सामाजिक ज़िम्मेदारी का पालन नहीं करती हैं जैसे- तंबाकू कंपनियाँ।
  - वैश्विक तंबाकू उद्योग को प्रतिवर्ष 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लाभ होता है। हालाँकि तंबाकू की वजह से प्रतिवर्ष लगभग 6 मिलियन लोगों की मृत्यु हो जाती है। अत: निवेशक ऐसी वास्तविकताओं के प्रति संवेदनशील हो रहे हैं।

चिंताएँ:

- जलवायु जोखिम, उत्सर्जन, आपूर्ति शृंखला, श्रम अधिकार, भ्रष्टाचार आदि जैसे मुद्दों पर अधिक ध्यान देने के साथ-साथ कुछ और चिंताएँ भी संज्ञान में आई हैं।
- वैश्विक संस्थागत निवेशकों के बीच ग्रीनवॉशिंग शीर्ष चिंताओं में से एक है।

नोट :

- ग्रीनवॉशिंग को उपभोक्ताओं को यह विश्वास दिलाने के लिये एक निराधार दावा माना जाता है कि कंपनी के उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल हैं।
- निवेश विशेषज्ञों ने फंड मैनेजरों की प्रवृत्ति की ओर भी इशारा किया है कि वे कुछ शेयरों और कंपनियों को एक स्थिति में अधिक महत्त्व देते हैं जहाँ अधिकांश बड़ी निवेश-अनुकूल कंपनियाँ ईएसजी निवेश के लिये उपयोग किये जाने वाले गुणात्मक और मात्रात्मक मानकों से कम हो जाती हैं।

कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइज़ेशन

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने नए क्रेडिट और डेबिट कार्ड डेटा स्टोरेज मानदंड या कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइज़ेशन (CoF) के कार्यान्वयन के लिये समय सीमा छह महीने बढ़ाकर 30 जून, 2022 कर दी है।

- डिजिटल भुगतान फर्मों, व्यापारिक निकायों और बैंकों ने व्यापारिक लेन-देन में व्यवधान के डर के बीच सिस्टम को एकीकृत करने एवं सभी हितधारकों को जोड़ने के लिये और अधिक समय मांगा था।
- सितंबर 2021 में रिज़र्व बैंक ने व्यापारियों को 1 जनवरी, 2022 से अपने सर्वर पर ग्राहक कार्ड विवरण संग्रहीत करने से प्रतिबंधित कर दिया था और कार्ड भंडारण के विकल्प के रूप में CoF टोकन को अपनाना अनिवार्य कर दिया था।

प्रमुख बिंदु

- संदर्भ:
  - टोकनाइज़ेशन वास्तविक क्रेडिट या डेबिट कार्ड विवरण को "टोकन" नामक एक वैकल्पिक कोड के साथ बदलने को संदर्भित करता है, जो कार्ड, टोकन अनुरोधकर्त्ता और डिवाइस के संयोजन के लिये अद्वितीय होगा।
    - टोकनयुक्त कार्ड लेन-देन को सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि लेन-देन प्रसंस्करण के दौरान वास्तविक कार्ड विवरण व्यापारी के साथ साझा नहीं किया जाता है।
    - जिन ग्राहकों के पास टोकन की सुविधा नहीं है, उन्हें हर बार ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करने पर अपना नाम, 16 अंकों का कार्ड नंबर, समाप्ति तिथि और सीवीवी दर्ज करना होगा।
  - कार्ड-ऑन-फाइल (CoF): CoF एक ऐसा लेन-देन होता है जहाँ कार्डधारक के मास्टरकार्ड या वीज़ा भुगतान विवरण को संग्रहीत करने हेतु एक व्यापारी को अधिकृत किया जाता है।
    - कार्डधारक तब उसी व्यापारी को अपने संग्रहीत मास्टरकार्ड या वीज़ा खाते से बिल करने के लिये अधिकृत करता है।
    - ई-कॉमर्स कंपनियाँ और एयरलाइंस तथा सुपरमार्केट चेन सामान्य रूप से अपने सिस्टम में कार्ड विवरण को संग्रहीत करते हैं।
- कार्यान्वयन के लिये और समय की मांग:
  - यदि आरबीआई के नए जनादेश को वर्तमान स्थिति में लागू किया जाता है, तो यह विशेष रूप से व्यापारियों के लिये बड़े व्यवधान और राजस्व की हानि का कारण बन सकता है।
    - टोकन नियमों के कारण ऑनलाइन लेन-देन करने वाले व्यापारी 31 दिसंबर के बाद अपने राजस्व का लगभग 20-40% तक का नुकसान झेल सकते हैं और उनमें से कई व्यापारियों, विशेष रूप से छोटे व्यापारियों के लिये यह बहुत नुकसानदेह होगा, जिससे उन्हें अपना व्यापार भी बंद करना पड़ सकता है।
    - इस प्रकार के व्यवधान डिजिटल भुगतान के संदर्भ में विश्वास को कम करते हैं और उपभोक्ता को वापस नकद-आधारित भुगतान की ओर ले जाते हैं।
  - व्यापारी अपनी भुगतान प्रसंस्करण प्रणालियों का परीक्षण और प्रमाणन तब तक शुरू नहीं कर सकते जब तक कि बैंक एवं कार्ड नेटवर्क प्रमाणित नहीं हो जाते हैं तथा उपभोक्ता के लिये तैयार समाधानों हेतु स्थिर एपीआई (एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) के साथ नहीं आ जाते।

नोट :

आगे की राह

- आरबीआई ने कहा है कि जून 2022 के बाद व्यापारियों के ऑनलाइन सिस्टम से क्रेडिट और डेबिट कार्ड का डेटा हटा दिया जाएगा।
- टोकन के अलावा उद्योग के हितधारक किसी भी उपयोग के मामले को संभालने के लिये वैकल्पिक तंत्र तैयार कर सकते हैं, जिसमें आवर्ती ई-जनादेश और ईएमआई विकल्प या लेनदेन के बाद की गतिविधि, चार्जबैक हैंडलिंग, विवाद समाधान, पुरस्कार या ईमानदारी कार्यक्रम शामिल हैं, इसमें वर्तमान में कार्ड जारीकर्त्ता और कार्ड नेटवर्क के अलावा अन्य संस्थाओं द्वारा CoF डेटा का संग्रहण भी शामिल है।

प्रमुख बंदरगाहों में पीपीपी परियोजनाओं के लिये टैरिफ दिशा-निर्देश

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने प्रमुख बंदरगाहों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnership-PPP) परियोजनाओं के लिये नए टैरिफ दिशा-निर्देश, 2021 की घोषणा की है।

- नए दिशा-निर्देश प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के अनुरूप जारी किये गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- नए दिशा-निर्देश:
  - मौजूदा परिदृश्य: प्रमुख बंदरगाहों पर पीपीपी में रियायत प्राप्त करने वालो को दिशा-निर्देशों की शर्तों के तहत काम करने हेतु बाध्य किया गया था (प्रमुख बंदरगाहों के लिये टैरिफ प्राधिकरण-TAMP द्वारा)।
    - दूसरी ओर गैर-प्रमुख बंदरगाहों पर निजी परिचालक/पीपीपी रियायत प्राप्तकर्त्ता बाज़ार की स्थितियों के अनुसार शुल्क लगाने हेतु स्वतंत्र थे।
    - रियायत प्राप्तकर्त्ता/ग्राही वह व्यक्ति या कंपनी हो सकती है जिसे पीपीपी परियोजनाओं में उत्पाद बेचने या व्यवसाय चलाने का अधिकार प्राप्त होता है।
    - TAMP को प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के तहत समाप्त कर दिया गया है।
  - बाज़ार से जुड़े टैरिफ में ट्रांज़िशन: बड़े बंदरगाहों पर पीपीपी रियायतग्राही भारत के सभी प्रमुख बंदरगाहों के ज़रिये संचालित होने वाले कुल यातायात का लगभग 50 फीसदी हिस्सेदारी रखते हैं।
    - नए दिशा-निर्देश प्रमुख बंदरगाहों पर रियायत प्राप्तकर्त्ताओं को बाज़ार की गतिशीलता के अनुसार टैरिफ निर्धारित करने की अनुमति देते हैं।
- इन दिशा-निर्देशों का महत्त्व:
  - बाज़ार से जुड़े टैरिफ में ट्रांज़िशन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि निजी बंदरगाहों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने के लिये प्रमुख बंदरगाहों पर पीपीपी रियायत प्राप्तकर्त्ताओं को एक समान अवसर प्रदान किया जाएगा।
  - यह एक प्रमुख सुधार पहल है क्योंकि सरकार प्रमुख बंदरगाहों पर पीपीपी परियोजनाओं के लिये शुल्कों को नियंत्रण मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
  - दिशा-निर्देश बाज़ार आधारित अर्थव्यवस्था के एक नए युग की शुरुआत करेंगे और प्रमुख बंदरगाहों को अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाएंगे।
- प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021:
  - फरवरी 2021 में संसद ने प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक, 2020 पारित किया जो देश के प्रमुख बंदरगाहों को अधिक स्वायत्तता और लचीलापन प्रदान करने के साथ उनके शासन का व्यवसायीकरण करने का प्रयास करता है।
  - उद्देश्य:
    - विकेंद्रीकरण: इसने बंदरगाह प्राधिकरण को टैरिफ तय करने की शक्ति प्रदान की है जो पीपीपी परियोजनाओं के लिये बोली लगाने के प्रयोजनों हेतु एक संदर्भ टैरिफ के रूप में काम करेगा।
    - व्यापार और वाणिज्य: बंदरगाह के बुनियादी ढाँचे के विस्तार को बढ़ावा देना और व्यापार तथा वाणिज्य को सुविधाजनक बनाना।

नोट :

- निर्णय लेना: यह सभी हितधारकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से परियोजना निष्पादन क्षमता को बेहतर करते हुए तेज़ तथा पारदर्शी निर्णय प्रदान करता है।
- रीओरिएंटिंग मॉडल: वैश्विक अभ्यास के अनुरूप केंद्रीय बंदरगाहों में शासन मॉडल को भू-स्वामी बंदरगाह मॉडल हेतु पुन: पेश करना।
- लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल के अंतर्गत बंदरगाह के बुनियादी ढाँचे का विकास किया जाएगा, इसके लिये संचालन तथा प्रबंधन का कार्य निजी कंपनियों को पट्टे पर दिया जा रहा है।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाएँ:

- सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अंतर्गत एक सरकारी एजेंसी और एक निजी क्षेत्र की कंपनी के बीच सहयोग शामिल होता है जिसका उपयोग सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क, पार्क और सम्मेलन केंद्रों जैसी परियोजनाओं के वित्तपोषण, निर्माण और संचालन के लिये किया जा सकता है।
  - सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से किसी परियोजना को वित्तपोषित करने से परियोजना को जल्दी पूरा किया जा सकता है या पहले प्रयास में इसे संभव बनाया जा सकता है।
- पीपीपी के विभिन्न मॉडल: पीपीपी के अंतर्गत आमतौर पर अपनाए गए मॉडल में शामिल हैं: बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओटी), बिल्ड-ओन-ऑपरेट (बीओओ), बिल्ड-ऑपरेट-लीज-ट्रांसफर (बीओएलटी), डिज़ाइन-बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (डीबीएफओटी), लीज-डेवलप-ऑपरेट (एलडीओ), ऑपरेट-मेंटेन-ट्रांसफर (ओएमटी) आदि।
  - ये मॉडल निवेश स्वामित्व, नियंत्रण, ज़ोखिम साझाकरण, तकनीकी सहयोग, अवधि और वित्तपोषण आदि के स्तर पर भिन्न हैं।

भारत में प्रमुख बंदरगाह:

- कानूनी प्रावधान: भारत के प्रमुख बंदरगाह भारतीय संविधान की संघ सूची के अंतर्गत आते हैं और भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 व प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के तहत प्रशासित हैं।
- प्रमुख बंदरगाहों की संख्या: देश में 12 प्रमुख बंदरगाह और 200 गैर-प्रमुख बंदरगाह (छोटे बंदरगाह) हैं।
  - प्रमुख बंदरगाहों में दीनदयाल (पूर्ववर्ती कांडला), मुंबई, जेएनपीटी, मरमुगाओ, न्यू मैंगलोर, कोचीन, चेन्नई, कामराजार (पहले एन्नोर), वीओ चिदंबरनार, विशाखापत्तनम, पारादीप और कोलकाता (हल्दिया सहित) शामिल हैं।
- प्रमुख बंदरगाह बनाम छोटे बंदरगाह: भारत में बंदरगाहों को भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 के तहत परिभाषित केंद्र और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अनुसार प्रमुख और छोटे बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  - प्रमुख बंदरगाहों का स्वामित्व और प्रबंधन केंद्र सरकार के पास है।
  - छोटे बंदरगाहों का स्वामित्व और प्रबंधन राज्य सरकारों के पास होता है।
- प्रमुख बंदरगाहों का प्रशासन: प्रत्येक प्रमुख बंदरगाह भारत सरकार द्वारा नियुक्त न्यासी बोर्ड द्वारा शासित है।
  - ट्रस्ट भारत सरकार के नीति-निर्देशों और आदेशों के आधार पर काम करते हैं।
- बंदरगाहों में पीपीपी परियोजनाएँ: भारत में बंदरगाह क्षेत्र में पीपीपी मॉडल को बंदरगाहों के संचालन और प्रबंधन, तथा गहरे पानी के बंदरगाहों, कंटेनर टर्मिनल्स, शिपिंग यार्ड व थोक बंदरगाहों के निर्माण में देखा गया है।

एंटी-डंपिंग ड्यूटी

चर्चा में क्यों ?

व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) की सिफारिशों के अनुसार, भारत ने कुछ एल्युमीनियम वस्तुओं और रसायनों सहित पाँच चीनी उत्पादों पर पाँच वर्ष के लिये एंटी डंपिंग ड्यूटी Anti-Dumping Duty- ADD लगाई है।

- डीजीटीआर ने निष्कर्ष निकाला है कि इन उत्पादों को भारतीय बाज़ारों में सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया है जिसके परिणामस्वरूप घरेलू बाज़ारों को नुकसान हुआ है।
- अप्रैल-सितंबर 2021 की अवधि के दौरान चीन में भारत का निर्यात 12.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जबकि आयात 42.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जिससे 30.07 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार घाटा हुआ है।

नोट :

व्यापार उपचार महानिदेशालय:

- यह सभी डंपिंग-रोधी, काउंटरवेलिंग शुल्क और अन्य व्यापार सुधारात्मक उपायों को लागू करने के लिये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राधिकरण है।
- यह घरेलू उद्योग और निर्यातकों को अन्य देशों द्वारा उनके खिलाफ लागू किये गए व्यापार उपायों की जाँच के बढ़ते मामलों से निपटने में सहायता प्रदान करता है।

प्रमुख बिंदु:

- डंपिंग:
  - डंपिंग का अभिप्राय किसी देश के निर्माता द्वारा उत्पाद को या तो इसकी घरेलू कीमत से नीचे या उत्पादन लागत से कम कीमत पर किसी दूसरे देश में निर्यात करने से है।
  - यह एक अनुचित व्यापार प्रथा है जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर विकृत प्रभाव पड़ सकता है।
- डंपिंग-रोधी शुल्क (एडीडी) का उद्देश्य:
  - एंटी-डंपिंग शुल्क डंपिंग को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था में समानता स्थापित करने हेतु लगाया जाता है।
    - लंबी अवधि में एंटी-डंपिंग ड्यूटी समान वस्तुओं का उत्पादन करने वाली घरेलू कंपनियों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा को कम कर सकती है
  - यह एक संरक्षणवादी टैरिफ है जो एक घरेलू सरकार विदेशी आयातों पर इस विश्वास के साथ लगाती है कि इसकी कीमत उचित बाज़ार मूल्य से कम है।
  - विश्व व्यापार संगठन द्वारा उचित प्रतिस्पर्द्धा के साधन के रूप में डंपिंग-रोधी उपायों को अपनाने की अनुमति दी गई है।
- काउंटरवेलिंग ड्यूटी से भिन्न:
  - ADD आयात पर एक सीमा शुल्क है जो सामान्य मूल्य से काफी कम कीमतों पर माल की डंपिंग से सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि काउंटरवेलिंग ड्यूटी उन सामानों पर सीमा शुल्क है जिन्हें मूल या निर्यात करने वाले देश में सरकारी सब्सिडी प्राप्त हुई है।
- डंपिंग-रोधी शुल्क से संबंधित WTO के प्रावधान:
  - वैधता: एक एंटी-डंपिंग शुल्क लागू होने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिये वैध होता है जब तक कि इसे रद्द नहीं किया जाता है।
  - सूर्यास्त की समीक्षा: इसे सूर्यास्त या समाप्ति समीक्षा जाँच के माध्यम से पाँच वर्ष की अवधि के लिये और बढ़ाया जा सकता है।
    - एक सूर्यास्त समीक्षा/समाप्ति समीक्षा किसी कार्यक्रम या एजेंसी के निरंतर अस्तित्व हेतु आवश्यकता का मूल्यांकन है। यह कार्यक्रम या एजेंसी की प्रभावशीलता और प्रदर्शन का आकलन करने की अनुमति देता है।
    - इस तरह की समीक्षा स्वप्रेरणा या घरेलू उद्योग से या उसकी ओर से प्राप्त विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर शुरू की जा सकती है।

एक आवश्यक वस्तु के रूप में सोया मील

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सरकार ने 30 जून, 2022 तक 'सोया मील' को आवश्यक वस्तु घोषित करने के लिये आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत एक आदेश अधिसूचित किया है।

- इस कदम से बाज़ार में किसी भी अनुचित व्यवहार (जैसे ज़माखोरी, कालाबाज़ारी आदि) को रोका जा सकेगा, जिससे सोया मील की कीमतों में वृद्धि की संभावना हो।
- यह पोल्ट्री फार्म और मवेशियों के भोजन के निर्माताओं जैसे उपभोक्ताओं के लिये उपलब्धता में वृद्धि करेगा।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- सोयाबीन मील:
  - सोयाबीन मील सबसे महत्त्वपूर्ण प्रोटीन स्रोत है जिसका उपयोग कृषि में संलग्न जानवरों को खिलाने के लिये किया जाता है। इसका उपयोग कुछ देशों में मानव उपभोग के लिये भी किया जाता है।
  - यह प्रोटीन फीडस्टफ के कुल विश्व उत्पादन के लगभग दो-तिहाई का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें अन्य सभी प्रमुख तेल भोजन और मछली भोजन शामिल हैं।
  - सोयाबीन मील सोयाबीन तेल के निष्कर्षण का उप-उत्पाद है।
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955
  - भूमिका: ईसीए अधिनियम 1995 ऐसे समय में बनाया गया था जब देश खाद्यान्न उत्पादन के लगातार निम्न स्तर के कारण खाद्य पदार्थों की कमी का सामना कर रहा था।
    - देश आबादी की खाद्य आपूर्ति हेतु आयात और सहायता (जैसे पीएल-480 के तहत अमेरिका से गेहूँ का आयात) पर निर्भर था।
    - खाद्य पदार्थों की ज़माखोरी और कालाबाज़ारी को रोकने के लिये1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम बनाया गया था।
  - आवश्यक वस्तु: आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में आवश्यक वस्तुओं की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है।
    - धारा 2 (ए) में कहा गया है कि "आवश्यक वस्तु" का अर्थ अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तु है।
  - कानूनी क्षेत्राधिकार: अधिनियम केंद्र सरकार को अनुसूची में किसी वस्तु को जोड़ने या हटाने का अधिकार देता है।
    - केंद्र, यदि संतुष्ट है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, तो राज्य सरकारों के परामर्श से किसी वस्तु को आवश्यक रूप में अधिसूचित कर सकता है।
  - उद्देश्य: ईसीए 1955 का उपयोग केंद्र को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में व्यापार के राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रण को सक्षम करने की अनुमति देकर मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिये किया जाता है।
  - कार्यान्वयन एजेंसी: इस अधिनियम को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय लागू करता है।
  - प्रभाव: किसी वस्तु को आवश्यक घोषित करके सरकार उस वस्तु के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित कर सकती है और स्टॉक की सीमा तय कर सकती है।
- आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 से संबंधित मुद्दे:
  - आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि ईसीए 1955 के तहत सरकारी हस्तक्षेप ने अक्सर कृषि व्यापार को विकृत किया है, जबकि यह मुद्रास्फीति को रोकने में पूरी तरह से अप्रभावी रहा।
    - इस तरह के हस्तक्षेप से किराए की मांग और उत्पीड़न के अवसर बढ़ते' हैं। किराया मांगना अर्थशास्त्रियों द्वारा भ्रष्टाचार सहित अनुत्पादक आय का वर्णन करने के लिये इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है।
  - व्यापारी अपनी सामान्य क्षमता से बहुत कम खरीदारी करते हैं और किसानों को अक्सर खराब होने वाली फसलों के अतिरिक्त उत्पादन के दौरान भारी नुकसान होता है।
  - इसकी वजह से कोल्ड स्टोरेज, गोदामों, प्रसंस्करण और निर्यात में निवेश की कमी के कारण किसानों को बेहतर मूल्य नहीं मिल पा रहा था।
  - इन मुद्दों के चलते संसद ने आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया। हालाँकि, किसानों के विरोध के कारण सरकार को इस कानून को निरस्त करना पड़ा।

आगे की राह

- ECA 1955 तब लाया गया था जब भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था। हालाँकि अब भारत में अधिकांश कृषि-वस्तुओं में अधिशेष की स्थिति है और ECA 1955 में संशोधन सरकार द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने तथा व्यवसाय करने में आसानी के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

नोट :

स्टेट ऑफ इंडियाज़ लाइवलीहुड (SOIL) रिपोर्ट 2021: FPOs

चर्चा में क्यों ?

'स्टेट ऑफ इंडियाज़ लाइवलीहुड (SOIL) रिपोर्ट' 2021 में कहा गया है कि पिछले सात वर्षों में केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत सिर्फ 1-5% किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को फंडिंग प्राप्त हुई है।

प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट के संबंध में:
  - एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज़ नामक एक राष्ट्रीय आजीविका सहायता संगठन ने SOIL रिपोर्ट तैयार की है।
  - इसने केवल किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी- कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत FPO) का विश्लेषण किया है क्योंकि वे हाल के वर्षों में शुरू किये गए संगठनों का एक बड़ा बहुमत है।
    - सहकारी समितियों या समितियों के रूप में पंजीकृत FPO की संख्या बहुत कम है।
- किसान उत्पादक संगठन (FPOs):
  - अवधारणा: 'किसान उत्पादक संगठन (FPO)' की अवधारणा में उत्पादकों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों का सामूहिकीकरण शामिल है ताकि सामूहिक रूप से कृषि की कई चुनौतियों जैसे- निवेश, प्रौद्योगिकी, इनपुट और बाज़ारों तक बेहतर पहुँच का समाधान करने के लिये एक प्रभावी गठबंधन बनाया जा सके।
    - एफपीओ एक प्रकार का उत्पादक संगठन (PO) है जिसके सदस्य किसान होते हैं।
    - एक PO प्राथमिक उत्पादकों द्वारा गठित एक कानूनी इकाई है, अर्थात- किसान, दुग्ध उत्पादक, मछुआरे, बुनकर, ग्रामीण कारीगर, शिल्पकारों का समूह।
  - स्वैच्छिक संगठन: FPO अपने किसान-सदस्यों द्वारा नियंत्रित स्वैच्छिक संगठन हैं जो अपनी नीतियों को निर्धारित करने और निर्णय लेने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।
    - ये उन सभी व्यक्तियों के लिये खुले होते हैं जो अपनी सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम हैं और बिना लैंगिक, सामाजिक, नस्लीय, राजनीतिक या धार्मिक भेदभाव के सदस्यता की ज़िम्मेदारियों को स्वीकार करने के इच्छुक हैं।
  - शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना: FPO संचालक अपने किसान-सदस्यों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, प्रबंधकों और कर्मचारियों के लिये शिक्षा और प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करते हैं ताकि वे अपने FPO के विकास में प्रभावी रूप से योगदान कर सकें।
- FPOs का महत्त्व:
  - औसत भूमि जोत का घटता आकार: औसत खेत का आकार वर्ष 1970-71 में 2.3 हेक्टेयर (हेक्टेयर) था जो वर्ष 2015-16 में घटकर 1.08 हेक्टेयर रह गया। लघु और सीमांत किसानों की हिस्सेदारी वर्ष 1980-81 में 70% थी जो वर्ष 2015-16 में बढ़कर 86% हो गई।
    - FPOs किसानों को सामूहिक कृषि (Collective Farming) के लिये प्रेरित कर सकते हैं और छोटे आकार के खेतों की उत्पादकता के मुद्दों का समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं।
    - इसके परिणामस्वरूप खेती की बढ़ती गतिविधियों के कारण अतिरिक्त रोज़गार सृजन भी हो सकता है।
  - कॉरपोरेट्स के साथ बातचीत: FPOs किसानों को सौदेबाज़ी में बड़े कॉर्पोरेट उद्यमों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये सदस्यों को एक समूह के रूप में बातचीत करने हेतु एक मंच प्रदान करते हैं और छोटे किसानों को इनपुट व आउटपुट दोनों बाज़ारों में मदद कर सकते हैं।
  - समुच्चय/समूहन का अर्थशास्त्र: FPO सदस्य किसानों को कम लागत और गुणवत्तापूर्ण इनपुट प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिये फसलों हेतु ऋण, मशीनरी की खरीद, इनपुट कृषि-आदान (उर्वरक, कीटनाशक आदि) और कृषि उपज की खरीद के बाद प्रत्यक्ष विपणन की सुविधा।
    - यह सदस्यों को समय पर लेन-देन लागत,मूल्यों में उतार-चढ़ाव, परिवहन, गुणवत्ता रखरखाव आदि के मामले में बचत करने में सक्षम बनाएगा।

नोट :

- सामाजिक प्रभाव: सामाजिक पूंजी FPOs के रूप में विकसित होगी, क्योंकि इससे FPOs में शामिल महिला किसानों का लैंगिक अनुपात और उनकी निर्णय लेने की क्षमता में सुधार हो सकता है।
  - यह सामाजिक संघर्षों को कम कर सकता है और समुदाय में भोजन एवं पोषण मूल्यों में सुधार कर सकता है।

- FPOs का समर्थन:
  - संस्थानों/संसाधन एजेंसियों (RAs) को बढ़ावा: FPOs को आमतौर पर संस्थानों/संसाधन एजेंसियों (RAs) को बढ़ावा देकर संगठित किया जाता है।
    - लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ (SFAC) एफपीओ को बढ़ावा देने में सहायक होते हैं।
    - संसाधन एजेंसियाँ, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जैसी एजेंसियाँ सरकारों से उपलब्ध सहायता का लाभ उठाती हैं।
  - 10,000 एफपीओ का गठन और संवर्द्धन: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने केंद्रीय क्षेत्रक योजना के तहत '10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन एवं संवर्द्धन' (FPOs) शीर्षक से केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की है।
  - इक्विटी अनुदान योजना: वर्ष 2014 से SFAC द्वारा तीन वर्ष की अवधि के भीतर दो चरणों में अधिकतम 15 लाख रुपए तक इक्विटी अनुदान की पेशकश की गई है।
    - पिछले सात वर्षों में सितंबर 2021 तक केवल 735 संगठनों को अनुदान दिया गया जो देश में वर्तमान में पंजीकृत कुल उत्पादक कंपनियों (PCs) का केवल 5% है।
  - क्रेडिट गारंटी योजना: यह उन बैंकों को जोखिम कवर प्रदान करती है जो FPCs को 1 करोड़ रुपए तक के संपार्श्विक मुक्त सावधि ऋण (Advance Collateral-Free Loans) प्रदान करते हैं।
    - केवल 1% पंजीकृत निर्माता कंपनियाँ ही इसका लाभ उठा पाई हैं।

- FPOs के समक्ष चुनौतियाँ:
  - व्यावसायिक कौशल का अभाव: यद्यपि संसाधन एजेंसियों (RAs) में सामान्य रूप से सोशल मोबिलाइज़ेशन स्किल होती हैं लेकिन उनके पास व्यवसाय विकास और विपणन कौशल की कमी होती है जो एक व्यावसायिक इकाई के रूप में FPOs की सफलता के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
  - अनुपलब्ध आपूर्ति श्रृंखला संचालन क्षमताएँ: आपूर्ति श्रृंखला संचालन में प्रबंधन क्षमताओं, बाज़ार की गतिशीलता, लिंकेज की बारीकियाँ, बाज़ार की खुफिया जानकारी तथा FPOs की संरचना एवं कार्यप्रणाली में स्पष्टता और समरूपता का अभाव है।
  - व्यावसायिक कौशल का अभाव: यद्यपि संसाधन एजेंसियों (RAs) में सामान्य रूप से सोशल मोबिलाइज़ेशन स्किल होती हैं लेकिन उनके पास व्यवसाय विकास और विपणन कौशल की कमी होती है जो एक व्यावसायिक इकाई के रूप में FPOs की सफलता के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
  - अनुपलब्ध आपूर्ति श्रृंखला संचालन क्षमताएँ: आपूर्ति श्रृंखला संचालन में प्रबंधन क्षमताओं, बाज़ार की गतिशीलता, लिंकेज की बारीकियाँ, बाज़ार की खुफिया जानकारी तथा FPOs की संरचना एवं कार्यप्रणाली में स्पष्टता और समरूपता का अभाव है।
  - विभिन्न विकृतियाँ: वर्तमान प्रणाली कई बिचौलियों जैसी विकृतियों, ऊर्ध्वाधर एकीकरण की कमी (उत्पादन के दो या दो से अधिक चरणों की एक फर्म में संयोजन सामान्य रूप से अलग-अलग फर्मों द्वारा संचालित), कृषि वस्तुओं की आवाज़ाही पर खराब बुनियादी ढाँचे के प्रतिबंध आदि से ग्रस्त है।
  - सीमित बाज़ार विकल्प और पारदर्शिता की कमी: सीमित बाज़ार विकल्प और पारदर्शिता की कमी किसानों के लिये बेहतर मूल्य प्राप्ति में प्रमुख बाधाएँ रही हैं।
    - बिचौलियों के वर्तमान चक्रव्यूह को दरकिनार करते हुए सही बाज़ार खोजना महत्त्वपूर्ण है।
    - कई FPOs में आपूर्ति-श्रृंखला के संचालन के प्रबंधन और बिना बिके उत्पादों को संग्रहीत करने की क्षमता का अभाव है।

आगे की राह:

- क्षमता निर्माण: FPOs को अन्य बातों के अलावा फंडिंग सुरक्षित रखने, ग्राहकों की पहचान और उनके साथ संबंध स्थापित करने, आंतरिक शासन प्रक्रियाओं को स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके लिये उन्हें क्षमता निर्माण की आवश्यकता होती है ताकि वे स्टार्टअप चरण से विकास के साथ अंतत: परिपक्वता की ओर बढ़ सकें।

नोट :

- पात्रता के लिये सीमा को कम करना: FPOs को इक्विटी अनुदान और ऋण प्रदान करने के लिये सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं का लाभ उठाने की प्रक्रिया को आसान बनाना आवश्यक है। यह पात्रता के लिये सीमा को कम करके या पात्रता मानदंड तक पहुँचने के लिये FPOs का समर्थन करके या दोनों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
- संरचनात्मक मुद्दों से निपटना: कई FPOs में तकनीकी कौशल की कमी है, अपर्याप्त पेशेवर प्रबंधन, कमज़ोर वित्तीय स्थिति, ऋण, बाज़ार तथा बुनियादी ढाँचे तक अपर्याप्त पहुँच है।

प्रमुख बंदरगाहों में पीपीपी परियोजनाओं के लिये टैरिफ दिशा-निर्देश

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने प्रमुख बंदरगाहों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnership-PPP) परियोजनाओं के लिये नए टैरिफ दिशा-निर्देश, 2021 की घोषणा की है।

- नए दिशा-निर्देश प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के अनुरूप जारी किये गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- नए दिशा-निर्देश:
  - मौजूदा परिदृश्य: प्रमुख बंदरगाहों पर पीपीपी में रियायत प्राप्त करने वालो को दिशा-निर्देशों की शर्तों के तहत काम करने हेतु बाध्य किया गया था (प्रमुख बंदरगाहों के लिये टैरिफ प्राधिकरण-TAMP द्वारा)।
    - दूसरी ओर गैर-प्रमुख बंदरगाहों पर निजी परिचालक/पीपीपी रियायत प्राप्तकर्त्ता बाज़ार की स्थितियों के अनुसार शुल्क लगाने हेतु स्वतंत्र थे।
    - रियायत प्राप्तकर्त्ता/ग्राही वह व्यक्ति या कंपनी हो सकती है जिसे पीपीपी परियोजनाओं में उत्पाद बेचने या व्यवसाय चलाने का अधिकार प्राप्त होता है।
    - TAMP को प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के तहत समाप्त कर दिया गया है।
  - बाज़ार से जुड़े टैरिफ में ट्रांज़िशन: बड़े बंदरगाहों पर पीपीपी रियायतग्राही भारत के सभी प्रमुख बंदरगाहों के ज़रिये संचालित होने वाले कुल यातायात का लगभग 50 फीसदी हिस्सेदारी रखते हैं।
    - नए दिशा-निर्देश प्रमुख बंदरगाहों पर रियायत प्राप्तकर्त्ताओं को बाज़ार की गतिशीलता के अनुसार टैरिफ निर्धारित करने की अनुमति देते हैं।
- इन दिशा-निर्देशों का महत्त्व:
  - बाज़ार से जुड़े टैरिफ में ट्रांज़िशन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि निजी बंदरगाहों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने के लिये प्रमुख बंदरगाहों पर पीपीपी रियायत प्राप्तकर्त्ताओं को एक समान अवसर प्रदान किया जाएगा।
  - यह एक प्रमुख सुधार पहल है क्योंकि सरकार प्रमुख बंदरगाहों पर पीपीपी परियोजनाओं के लिये शुल्कों को नियंत्रण मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
  - दिशा-निर्देश बाज़ार आधारित अर्थव्यवस्था के एक नए युग की शुरुआत करेंगे और प्रमुख बंदरगाहों को अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाएंगे।
- प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021:
  - फरवरी 2021 में संसद ने प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक, 2020 पारित किया जो देश के प्रमुख बंदरगाहों को अधिक स्वायत्तता और लचीलापन प्रदान करने के साथ उनके शासन का व्यवसायीकरण करने का प्रयास करता है।
  - उद्देश्य:
    - विकेंद्रीकरण: इसने बंदरगाह प्राधिकरण को टैरिफ तय करने की शक्ति प्रदान की है जो पीपीपी परियोजनाओं के लिये बोली लगाने के प्रयोजनों हेतु एक संदर्भ टैरिफ के रूप में काम करेगा।
    - व्यापार और वाणिज्य: बंदरगाह के बुनियादी ढाँचे के विस्तार को बढ़ावा देना और व्यापार तथा वाणिज्य को सुविधाजनक बनाना।

नोट :

- निर्णय लेना: यह सभी हितधारकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से परियोजना निष्पादन क्षमता को बेहतर करते हुए तेज़ तथा पारदर्शी निर्णय प्रदान करता है।
- रीओरिएंटिंग मॉडल: वैश्विक अभ्यास के अनुरूप केंद्रीय बंदरगाहों में शासन मॉडल को भू-स्वामी बंदरगाह मॉडल हेतु पुन: पेश करना।
- लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल के अंतर्गत बंदरगाह के बुनियादी ढाँचे का विकास किया जाएगा, इसके लिये संचालन तथा प्रबंधन का कार्य निजी कंपनियों को पट्टे पर दिया जा रहा है।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाएँ:

- सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अंतर्गत एक सरकारी एजेंसी और एक निजी क्षेत्र की कंपनी के बीच सहयोग शामिल होता है जिसका उपयोग सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क, पार्क और सम्मेलन केंद्रों जैसी परियोजनाओं के वित्तपोषण, निर्माण और संचालन के लिये किया जा सकता है।
  - सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से किसी परियोजना को वित्तपोषित करने से परियोजना को जल्दी पूरा किया जा सकता है या पहले प्रयास में इसे संभव बनाया जा सकता है।
- पीपीपी के विभिन्न मॉडल: पीपीपी के अंतर्गत आमतौर पर अपनाए गए मॉडल में शामिल हैं: बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओटी), बिल्ड-ओन-ऑपरेट (बीओओ), बिल्ड-ऑपरेट-लीज-ट्रांसफर (बीओएलटी), डिज़ाइन-बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (डीबीएफओटी), लीज-डेवलप-ऑपरेट (एलडीओ), ऑपरेट-मेंटेन-ट्रांसफर (ओएमटी) आदि।
  - ये मॉडल निवेश स्वामित्व, नियंत्रण, ज़ोखिम साझाकरण, तकनीकी सहयोग, अवधि और वित्तपोषण आदि के स्तर पर भिन्न हैं।

भारत में प्रमुख बंदरगाह:

- कानूनी प्रावधान: भारत के प्रमुख बंदरगाह भारतीय संविधान की संघ सूची के अंतर्गत आते हैं और भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 व प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के तहत प्रशासित हैं।
- प्रमुख बंदरगाहों की संख्या: देश में 12 प्रमुख बंदरगाह और 200 गैर-प्रमुख बंदरगाह (छोटे बंदरगाह) हैं।
  - प्रमुख बंदरगाहों में दीनदयाल (पूर्ववर्ती कांडला), मुंबई, जेएनपीटी, मरमुगाओ, न्यू मैंगलोर, कोचीन, चेन्नई, कामराजार (पहले एन्नोर), वीओ चिदंबरनार, विशाखापत्तनम, पारादीप और कोलकाता (हल्दिया सहित) शामिल हैं।
- प्रमुख बंदरगाह बनाम छोटे बंदरगाह: भारत में बंदरगाहों को भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 के तहत परिभाषित केंद्र और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अनुसार प्रमुख और छोटे बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  - प्रमुख बंदरगाहों का स्वामित्व और प्रबंधन केंद्र सरकार के पास है।
  - छोटे बंदरगाहों का स्वामित्व और प्रबंधन राज्य सरकारों के पास होता है।
- प्रमुख बंदरगाहों का प्रशासन: प्रत्येक प्रमुख बंदरगाह भारत सरकार द्वारा नियुक्त न्यासी बोर्ड द्वारा शासित है।
  - ट्रस्ट भारत सरकार के नीति-निर्देशों और आदेशों के आधार पर काम करते हैं।
- बंदरगाहों में पीपीपी परियोजनाएँ: भारत में बंदरगाह क्षेत्र में पीपीपी मॉडल को बंदरगाहों के संचालन और प्रबंधन, तथा गहरे पानी के बंदरगाहों, कंटेनर टर्मिनल्स, शिपिंग यार्ड व थोक बंदरगाहों के निर्माण में देखा गया है।

एंटी-डंपिंग ड्यूटी

चर्चा में क्यों ?

व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR) की सिफारिशों के अनुसार, भारत ने कुछ एल्युमीनियम वस्तुओं और रसायनों सहित पाँच चीनी उत्पादों पर पाँच वर्ष के लिये एंटी डंपिंग ड्यूटी Anti-Dumping Duty- ADD लगाई है।

- डीजीटीआर ने निष्कर्ष निकाला है कि इन उत्पादों को भारतीय बाज़ारों में सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया है जिसके परिणामस्वरूप घरेलू बाज़ारों को नुकसान हुआ है।
- अप्रैल-सितंबर 2021 की अवधि के दौरान चीन में भारत का निर्यात 12.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जबकि आयात 42.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जिससे 30.07 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार घाटा हुआ है।

नोट :

व्यापार उपचार महानिदेशालय:

- यह सभी डंपिंग-रोधी, काउंटरवेलिंग शुल्क और अन्य व्यापार सुधारात्मक उपायों को लागू करने के लिये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राधिकरण है।
- यह घरेलू उद्योग और निर्यातकों को अन्य देशों द्वारा उनके खिलाफ लागू किये गए व्यापार उपायों की जाँच के बढ़ते मामलों से निपटने में सहायता प्रदान करता है।

प्रमुख बिंदु:

- डंपिंग:
  - डंपिंग का अभिप्राय किसी देश के निर्माता द्वारा उत्पाद को या तो इसकी घरेलू कीमत से नीचे या उत्पादन लागत से कम कीमत पर किसी दूसरे देश में निर्यात करने से है।
  - यह एक अनुचित व्यापार प्रथा है जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर विकृत प्रभाव पड़ सकता है।
- डंपिंग-रोधी शुल्क (एडीडी) का उद्देश्य:
  - एंटी-डंपिंग शुल्क डंपिंग को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था में समानता स्थापित करने हेतु लगाया जाता है।
    - लंबी अवधि में एंटी-डंपिंग ड्यूटी समान वस्तुओं का उत्पादन करने वाली घरेलू कंपनियों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा को कम कर सकती है
  - यह एक संरक्षणवादी टैरिफ है जो एक घरेलू सरकार विदेशी आयातों पर इस विश्वास के साथ लगाती है कि इसकी कीमत उचित बाज़ार मूल्य से कम है।
  - विश्व व्यापार संगठन द्वारा उचित प्रतिस्पर्द्धा के साधन के रूप में डंपिंग-रोधी उपायों को अपनाने की अनुमति दी गई है।
- काउंटरवेलिंग ड्यूटी से भिन्न:
  - ADD आयात पर एक सीमा शुल्क है जो सामान्य मूल्य से काफी कम कीमतों पर माल की डंपिंग से सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि काउंटरवेलिंग ड्यूटी उन सामानों पर सीमा शुल्क है जिन्हें मूल या निर्यात करने वाले देश में सरकारी सब्सिडी प्राप्त हुई है।
- डंपिंग-रोधी शुल्क से संबंधित WTO के प्रावधान:
  - वैधता: एक एंटी-डंपिंग शुल्क लागू होने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिये वैध होता है जब तक कि इसे रद्द नहीं किया जाता है।
  - सूर्यास्त की समीक्षा: इसे सूर्यास्त या समाप्ति समीक्षा जाँच के माध्यम से पाँच वर्ष की अवधि के लिये और बढ़ाया जा सकता है।
    - एक सूर्यास्त समीक्षा/समाप्ति समीक्षा किसी कार्यक्रम या एजेंसी के निरंतर अस्तित्व हेतु आवश्यकता का मूल्यांकन है। यह कार्यक्रम या एजेंसी की प्रभावशीलता और प्रदर्शन का आकलन करने की अनुमति देता है।
    - इस तरह की समीक्षा स्वप्रेरणा या घरेलू उद्योग से या उसकी ओर से प्राप्त विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर शुरू की जा सकती है।

एक आवश्यक वस्तु के रूप में सोया मील

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सरकार ने 30 जून, 2022 तक 'सोया मील' को आवश्यक वस्तु घोषित करने के लिये आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत एक आदेश अधिसूचित किया है।

- इस कदम से बाज़ार में किसी भी अनुचित व्यवहार (जैसे ज़माखोरी, कालाबाज़ारी आदि) को रोका जा सकेगा, जिससे सोया मील की कीमतों में वृद्धि की संभावना हो।
- यह पोल्ट्री फार्म और मवेशियों के भोजन के निर्माताओं जैसे उपभोक्ताओं के लिये उपलब्धता में वृद्धि करेगा।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- सोयाबीन मील:
  - सोयाबीन मील सबसे महत्त्वपूर्ण प्रोटीन स्रोत है जिसका उपयोग कृषि में संलग्न जानवरों को खिलाने के लिये किया जाता है। इसका उपयोग कुछ देशों में मानव उपभोग के लिये भी किया जाता है।
  - यह प्रोटीन फीडस्टफ के कुल विश्व उत्पादन के लगभग दो-तिहाई का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें अन्य सभी प्रमुख तेल भोजन और मछली भोजन शामिल हैं।
  - सोयाबीन मील सोयाबीन तेल के निष्कर्षण का उप-उत्पाद है।
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955
  - भूमिका: ईसीए अधिनियम 1995 ऐसे समय में बनाया गया था जब देश खाद्यान्न उत्पादन के लगातार निम्न स्तर के कारण खाद्य पदार्थों की कमी का सामना कर रहा था।
    - देश आबादी की खाद्य आपूर्ति हेतु आयात और सहायता (जैसे पीएल-480 के तहत अमेरिका से गेहूँ का आयात) पर निर्भर था।
    - खाद्य पदार्थों की ज़माखोरी और कालाबाज़ारी को रोकने के लिये1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम बनाया गया था।
  - आवश्यक वस्तु: आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में आवश्यक वस्तुओं की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है।
    - धारा 2 (ए) में कहा गया है कि "आवश्यक वस्तु" का अर्थ अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तु है।
  - कानूनी क्षेत्राधिकार: अधिनियम केंद्र सरकार को अनुसूची में किसी वस्तु को जोड़ने या हटाने का अधिकार देता है।
    - केंद्र, यदि संतुष्ट है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, तो राज्य सरकारों के परामर्श से किसी वस्तु को आवश्यक रूप में अधिसूचित कर सकता है।
  - उद्देश्य: ईसीए 1955 का उपयोग केंद्र को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में व्यापार के राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रण को सक्षम करने की अनुमति देकर मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिये किया जाता है।
  - कार्यान्वयन एजेंसी: इस अधिनियम को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय लागू करता है।
  - प्रभाव: किसी वस्तु को आवश्यक घोषित करके सरकार उस वस्तु के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित कर सकती है और स्टॉक की सीमा तय कर सकती है।
- आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 से संबंधित मुद्दे:
  - आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि ईसीए 1955 के तहत सरकारी हस्तक्षेप ने अक्सर कृषि व्यापार को विकृत किया है, जबकि यह मुद्रास्फीति को रोकने में पूरी तरह से अप्रभावी रहा।
    - इस तरह के हस्तक्षेप से किराए की मांग और उत्पीड़न के अवसर बढ़ते' हैं। किराया मांगना अर्थशास्त्रियों द्वारा भ्रष्टाचार सहित अनुत्पादक आय का वर्णन करने के लिये इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है।
  - व्यापारी अपनी सामान्य क्षमता से बहुत कम खरीदारी करते हैं और किसानों को अक्सर खराब होने वाली फसलों के अतिरिक्त उत्पादन के दौरान भारी नुकसान होता है।
  - इसकी वजह से कोल्ड स्टोरेज, गोदामों, प्रसंस्करण और निर्यात में निवेश की कमी के कारण किसानों को बेहतर मूल्य नहीं मिल पा रहा था।
  - इन मुद्दों के चलते संसद ने आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया। हालाँकि, किसानों के विरोध के कारण सरकार को इस कानून को निरस्त करना पड़ा।

आगे की राह

- ECA 1955 तब लाया गया था जब भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था। हालाँकि अब भारत में अधिकांश कृषि-वस्तुओं में अधिशेष की स्थिति है और ECA 1955 में संशोधन सरकार द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने तथा व्यवसाय करने में आसानी के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

नोट :

स्टेट ऑफ इंडियाज़ लाइवलीहुड (SOIL) रिपोर्ट 2021: FPOs

चर्चा में क्यों ?

'स्टेट ऑफ इंडियाज़ लाइवलीहुड (SOIL) रिपोर्ट' 2021 में कहा गया है कि पिछले सात वर्षों में केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत सिर्फ 1-5% किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को फंडिंग प्राप्त हुई है।

प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट के संबंध में:
  - एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज़ नामक एक राष्ट्रीय आजीविका सहायता संगठन ने SOIL रिपोर्ट तैयार की है।
  - इसने केवल किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी- कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत FPO) का विश्लेषण किया है क्योंकि वे हाल के वर्षों में शुरू किये गए संगठनों का एक बड़ा बहुमत है।
    - सहकारी समितियों या समितियों के रूप में पंजीकृत FPO की संख्या बहुत कम है।
- किसान उत्पादक संगठन (FPOs):
  - अवधारणा: 'किसान उत्पादक संगठन (FPO)' की अवधारणा में उत्पादकों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों का सामूहिकीकरण शामिल है ताकि सामूहिक रूप से कृषि की कई चुनौतियों जैसे- निवेश, प्रौद्योगिकी, इनपुट और बाज़ारों तक बेहतर पहुँच का समाधान करने के लिये एक प्रभावी गठबंधन बनाया जा सके।
    - एफपीओ एक प्रकार का उत्पादक संगठन (PO) है जिसके सदस्य किसान होते हैं।
    - एक PO प्राथमिक उत्पादकों द्वारा गठित एक कानूनी इकाई है, अर्थात- किसान, दुग्ध उत्पादक, मछुआरे, बुनकर, ग्रामीण कारीगर, शिल्पकारों का समूह।
  - स्वैच्छिक संगठन: FPO अपने किसान-सदस्यों द्वारा नियंत्रित स्वैच्छिक संगठन हैं जो अपनी नीतियों को निर्धारित करने और निर्णय लेने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।
    - ये उन सभी व्यक्तियों के लिये खुले होते हैं जो अपनी सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम हैं और बिना लैंगिक, सामाजिक, नस्लीय, राजनीतिक या धार्मिक भेदभाव के सदस्यता की ज़िम्मेदारियों को स्वीकार करने के इच्छुक हैं।
  - शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना: FPO संचालक अपने किसान-सदस्यों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, प्रबंधकों और कर्मचारियों के लिये शिक्षा और प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करते हैं ताकि वे अपने FPO के विकास में प्रभावी रूप से योगदान कर सकें।
- FPOs का महत्त्व:
  - औसत भूमि जोत का घटता आकार: औसत खेत का आकार वर्ष 1970-71 में 2.3 हेक्टेयर (हेक्टेयर) था जो वर्ष 2015-16 में घटकर 1.08 हेक्टेयर रह गया। लघु और सीमांत किसानों की हिस्सेदारी वर्ष 1980-81 में 70% थी जो वर्ष 2015-16 में बढ़कर 86% हो गई।
    - FPOs किसानों को सामूहिक कृषि (Collective Farming) के लिये प्रेरित कर सकते हैं और छोटे आकार के खेतों की उत्पादकता के मुद्दों का समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं।
    - इसके परिणामस्वरूप खेती की बढ़ती गतिविधियों के कारण अतिरिक्त रोज़गार सृजन भी हो सकता है।
  - कॉरपोरेट्स के साथ बातचीत: FPOs किसानों को सौदेबाज़ी में बड़े कॉर्पोरेट उद्यमों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये सदस्यों को एक समूह के रूप में बातचीत करने हेतु एक मंच प्रदान करते हैं और छोटे किसानों को इनपुट व आउटपुट दोनों बाज़ारों में मदद कर सकते हैं।
  - समुच्चय/समूहन का अर्थशास्त्र: FPO सदस्य किसानों को कम लागत और गुणवत्तापूर्ण इनपुट प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिये फसलों हेतु ऋण, मशीनरी की खरीद, इनपुट कृषि-आदान (उर्वरक, कीटनाशक आदि) और कृषि उपज की खरीद के बाद प्रत्यक्ष विपणन की सुविधा।
    - यह सदस्यों को समय पर लेन-देन लागत,मूल्यों में उतार-चढ़ाव, परिवहन, गुणवत्ता रखरखाव आदि के मामले में बचत करने में सक्षम बनाएगा।

नोट :

- सामाजिक प्रभाव: सामाजिक पूंजी FPOs के रूप में विकसित होगी, क्योंकि इससे FPOs में शामिल महिला किसानों का लैंगिक अनुपात और उनकी निर्णय लेने की क्षमता में सुधार हो सकता है।
  - यह सामाजिक संघर्षों को कम कर सकता है और समुदाय में भोजन एवं पोषण मूल्यों में सुधार कर सकता है।

- FPOs का समर्थन:
  - संस्थानों/संसाधन एजेंसियों (RAs) को बढ़ावा: FPOs को आमतौर पर संस्थानों/संसाधन एजेंसियों (RAs) को बढ़ावा देकर संगठित किया जाता है।
    - लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ (SFAC) एफपीओ को बढ़ावा देने में सहायक होते हैं।
    - संसाधन एजेंसियाँ, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जैसी एजेंसियाँ सरकारों से उपलब्ध सहायता का लाभ उठाती हैं।
  - 10,000 एफपीओ का गठन और संवर्द्धन: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने केंद्रीय क्षेत्रक योजना के तहत '10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन एवं संवर्द्धन' (FPOs) शीर्षक से केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की है।
  - इक्विटी अनुदान योजना: वर्ष 2014 से SFAC द्वारा तीन वर्ष की अवधि के भीतर दो चरणों में अधिकतम 15 लाख रुपए तक इक्विटी अनुदान की पेशकश की गई है।
    - पिछले सात वर्षों में सितंबर 2021 तक केवल 735 संगठनों को अनुदान दिया गया जो देश में वर्तमान में पंजीकृत कुल उत्पादक कंपनियों (PCs) का केवल 5% है।
  - क्रेडिट गारंटी योजना: यह उन बैंकों को जोखिम कवर प्रदान करती है जो FPCs को 1 करोड़ रुपए तक के संपार्श्विक मुक्त सावधि ऋण (Advance Collateral-Free Loans) प्रदान करते हैं।
    - केवल 1% पंजीकृत निर्माता कंपनियाँ ही इसका लाभ उठा पाई हैं।

- FPOs के समक्ष चुनौतियाँ:
  - व्यावसायिक कौशल का अभाव: यद्यपि संसाधन एजेंसियों (RAs) में सामान्य रूप से सोशल मोबिलाइज़ेशन स्किल होती हैं लेकिन उनके पास व्यवसाय विकास और विपणन कौशल की कमी होती है जो एक व्यावसायिक इकाई के रूप में FPOs की सफलता के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
  - अनुपलब्ध आपूर्ति शृंखला संचालन क्षमताएँ: आपूर्ति शृंखला संचालन में प्रबंधन क्षमताओं, बाज़ार की गतिशीलता, लिंकेज की बारीकियाँ, बाज़ार की खुफिया जानकारी तथा FPOs की संरचना एवं कार्यप्रणाली में स्पष्टता और समरूपता का अभाव है।
  - व्यावसायिक कौशल का अभाव: यद्यपि संसाधन एजेंसियों (RAs) में सामान्य रूप से सोशल मोबिलाइज़ेशन स्किल होती हैं लेकिन उनके पास व्यवसाय विकास और विपणन कौशल की कमी होती है जो एक व्यावसायिक इकाई के रूप में FPOs की सफलता के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
  - अनुपलब्ध आपूर्ति शृंखला संचालन क्षमताएँ: आपूर्ति शृंखला संचालन में प्रबंधन क्षमताओं, बाज़ार की गतिशीलता, लिंकेज की बारीकियाँ, बाज़ार की खुफिया जानकारी तथा FPOs की संरचना एवं कार्यप्रणाली में स्पष्टता और समरूपता का अभाव है।
  - विभिन्न विकृतियाँ: वर्तमान प्रणाली कई बिचौलियों जैसी विकृतियों, ऊर्ध्वाधर एकीकरण की कमी (उत्पादन के दो या दो से अधिक चरणों की एक फर्म में संयोजन सामान्य रूप से अलग-अलग फर्मों द्वारा संचालित), कृषि वस्तुओं की आवाज़ाही पर खराब बुनियादी ढाँचे के प्रतिबंध आदि से ग्रस्त है।
  - सीमित बाज़ार विकल्प और पारदर्शिता की कमी: सीमित बाज़ार विकल्प और पारदर्शिता की कमी किसानों के लिये बेहतर मूल्य प्राप्ति में प्रमुख बाधाएँ रही हैं।
    - बिचौलियों के वर्तमान चक्रव्यूह को दरकिनार करते हुए सही बाज़ार खोजना महत्त्वपूर्ण है।
    - कई FPOs में आपूर्ति-शृंखला के संचालन के प्रबंधन और बिना बिके उत्पादों को संग्रहीत करने की क्षमता का अभाव है।

आगे की राह:

- क्षमता निर्माण: FPOs को अन्य बातों के अलावा फंडिंग सुरक्षित रखने, ग्राहकों की पहचान और उनके साथ संबंध स्थापित करने, आंतरिक शासन प्रक्रियाओं को स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके लिये उन्हें क्षमता निर्माण की आवश्यकता होती है ताकि वे स्टार्टअप चरण से विकास के साथ अंतत: परिपक्वता की ओर बढ़ सकें।

नोट :

- पात्रता के लिये सीमा को कम करना: FPOs को इक्विटी अनुदान और ऋण प्रदान करने के लिये सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं का लाभ उठाने की प्रक्रिया को आसान बनाना आवश्यक है। यह पात्रता के लिये सीमा को कम करके या पात्रता मानदंड तक पहुँचने के लिये FPOs का समर्थन करके या दोनों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
- संरचनात्मक मुद्दों से निपटना: कई FPOs में तकनीकी कौशल की कमी है, अपर्याप्त पेशेवर प्रबंधन, कमज़ोर वित्तीय स्थिति, ऋण, बाज़ार तथा बुनियादी ढाँचे तक अपर्याप्त पहुँच है।

शहद किसान उत्पादक संगठन: TRIFED

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने TRIFED (भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ) के 14 शहद किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के साथ-साथ विभिन्न अन्य पहल, जैसे- TRIFED वन धन क्रॉनिकल, लघु वन उत्पादों (एमएफपी) के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिये MIS पोर्टल लॉन्च किया है। ।

- ट्राइफेड वन धन क्रॉनिकल देश में आदिवासी उद्यमों को बढ़ावा देने के लिये किये गए कार्यों और वन धन विकास योजना के तहत आदिवासी उद्यमियों की उपलब्धियों का दस्तावेज़ीकरण करता है।
- लघु वन उत्पादों (एमएफपी) के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिये एमआईएस पोर्टल, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और ट्राइफेड के अधिकृत उपयोगकर्ताओं हेतु तैयार किया गया एक डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड में खरीद केंद्रों और उनके स्थानों की सूची एवं देश भर में की जा रही एमएफपी की खरीद से संबंधित डेटा वास्तविक समय के आधार पर उपलब्ध है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - अगले पाँच वर्षों में किसानों के लिये मानकीकृत अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये वर्ष 2020 में "10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्द्धन" नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की गई थी।
    - इस योजना के अंतर्गत चिह्नित संभावित ज़िलों/राज्यों में 100 एफपीओ का गठन कर मधुमक्खी पालन पर विशेष बल दिया गया है।
  - मधुमक्खी पालन गतिविधियों द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास में "मीठी क्रांति" को इसके प्रचार और विकास के लिये भारत सरकार द्वारा महत्त्वपूर्ण गतिविधियों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है।
    - राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनएचबीएम) के तहत राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (एनबीबी) ने देश में 100 समूहों में शहद के लिये वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन मूल्य शृंखला विकसित करने की योजना बनाई गई है।
    - TRIFED को कृषि मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और गुजरात राज्यों में NAFED (नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) और NDDB (नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड) के साथ-साथ 14 शहद FPO के गठन के लिये कार्यान्वयन एजेंसी बनाया गया है।
- लाभ:
  - वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन में कौशल उन्नयन।
  - मधुमक्खी के मोम, प्रोपोलिस, रॉयल जेली, मधुमक्खी का ज़हर आदि जैसे शहद और संबद्ध मधुमक्खी पालन उत्पादों के प्रसंस्करण हेतु अत्याधुनिक अवसंरचनात्मक सुविधाएँ।
  - गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं द्वारा गुणवत्ता उन्नयन।
  - संग्रह, भंडारण, बॉटलिंग और विपणन केंद्रों में सुधार करके बेहतर आपूर्ति शृंखला प्रबंधन।
  - कृषि को आत्मनिर्भर कृषि में बदलने के लिये एफपीओ का प्रचार और गठन इस दिशा में पहला कदम है।

नोट :

- मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिये सरकार के अन्य प्रयास:
  - सरकार किसानों की आय को दोगुना करने और आदिवासी उत्थान को सुनिश्चित करने के अपने उद्देश्य के तहत मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दे रही है।
  - सरकार द्वारा आत्मानिर्भर अभियान के तहत मधुमक्खी पालन के लिये 500 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं।
  - एपिअरी ऑन व्हील्स: यह खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा डिज़ाइन की गई एक अनूठी अवधारणा है, जो मधुमक्खी के जीवित कॉलोनियों वाले मधुमक्खी बक्से के आसान रखरखाव और प्रवास को सुनिश्चित करने से संबंधित है।
  - राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (NBHM) जो कि एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, के तहत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये चार मॉड्यूल बनाए गए हैं।
    - इसके तहत 30 लाख किसानों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और सरकार द्वारा उन्हें आर्थिक सहायता भी दी जा रही है।
    - इस मिशन के अंतर्गत मिनी मिशन 1, मिनी मिशन 2 और मिनी मिशन 3 शामिल हैं।
  - सरकार ने 'मीठी क्रांति' के हिस्से के रूप में NBHM की शुरुआत की।
    - मधुमक्खी पालन और संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2016-17 में 'मीठी क्रांति' की शुरुआत की गई थी।

गिग वर्कर्स

चर्चा में क्यों ?

कोविड-19 महामारी के बाद गिग रोज़गार विशेष रूप से साझा सेवाओं और लॉजिस्टिक्स सेगमेंट में मांग में वृद्धि देखी गई है, जिससे रोज़गार की खोज के लिये प्लेटफार्मों में इससे संबंधित गतिविधियों में तेज़ी आई है।

प्रमुख बिंदु

- गिग अर्थव्यवस्था के बारे में:
- गिग इकॉनमी एक मुक्त बाज़ार प्रणाली है जिसमें अस्थायी अनुबंध होता है और संगठन अल्पकालिक जुड़ाव के लिये स्वतंत्र श्रमिकों के साथ अनुबंध करते हैं।
- बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के गिग वर्कफोर्स में सॉफ्टवेयर, साझा सेवाओं और पेशेवर सेवाओं जैसे उद्योगों में कार्यरत 1.5 मिलियन कर्मचारी शामिल हैं।
- भारत में अनुमानित 56% नए रोज़गार गिग इकॉनमी कंपनियों द्वारा ब्लू-कॉलर और व्हाइट-कॉलर वर्कफोर्स दोनों के लिये उत्पन्न किये जा रहे हैं।

विभिन्न कॉलर वर्कर:

- ब्लू-कॉलर वर्कर: इसमें मज़दूर वर्ग शारीरिक श्रम के माध्यम से आय अर्जन करता है।
- व्हाइट-कॉलर वर्कर: यह एक वेतनभोगी पेशेवर है, जो आमतौर पर कार्यालय के प्रबंधन का कार्य करता करता है।
- गोल्ड-कॉलर वर्कर: इस प्रकार के वर्कर का उपयोग अत्यधिक कुशल ज्ञान वाले लोगों को संदर्भित करने हेतु किया जाता है जो कंपनी के लिये अत्यधिक मूल्यवान होते हैं। उदाहरण: वकील, डॉक्टर, शोध वैज्ञानिक आदि।
- ग्रे-कॉलर वर्कर: यह व्हाइट या ब्लू-कॉलर के रूप में वर्गीकृत नहीं किये गए नियोजित लोगों को संदर्भित करता है।
  - हालाँकि ग्रे-कॉलर का प्रयोग उन लोगों का वर्णन करने के लिये भी किया जाता है जो सेवानिवृत्ति की आयु से परे काम करते हैं। उदाहरण: अग्निशामक, पुलिस अधिकारी, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर, सुरक्षा गार्ड आदि।
- ग्रीन-कॉलर वर्कर: ये ऐसे वर्कर हैं जो अर्थव्यवस्था के पर्यावरणीय क्षेत्रों में कार्यरत हैं।
  - उदाहरण: वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों जैसे- सौर पैनल, ग्रीनपीस, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर आदि में काम करने वाले वर्कर।

नोट :

- पिंक-कॉलर वर्कर: यह एक ऐसा रोज़गार है जिसे पारंपरिक रूप से महिलाओं का काम माना जाता है और अक्सर कम वेतन मिलता है।
- स्कारलेट-कॉलर वर्कर: यह एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल अक्सर पोर्नोग्राफी उद्योग में काम करने वाले लोगों, विशेष रूप से इंटरनेट पोर्नोग्राफी के क्षेत्र में महिला उद्यमियों को संदर्भित करने के लिये किया जाता है।
- रेड-कॉलर वर्कर: सभी प्रकार के सरकारी कर्मचारी।
- ओपन-कॉलर वर्कर: यह एक ऐसा वर्कर है जो घर से खासकर इंटरनेट के ज़रिये काम करता है।
- गिग इकॉनमी की घातीय वृद्धि का कारण:
  - डिजिटल युग में वर्कर्स को एक निश्चित स्थान पर बैठने की आवश्यकता नहीं है - काम कहीं से भी किया जा सकता है, इसलिये नियोक्ता किसी परियोजना के लिये उपलब्ध सर्वोत्तम प्रतिभा का चयन स्थान से परे कार्य कर सकते हैं।
  - ऐसा लगता है कि नई पीढ़ी का कॅरियर के प्रति काफी अलग रवैया है। वे ऐसा कॅरियर बनाने के बजाय सामान्य ज़रूरतों हेतु काम करना चाहते हैं।
  - बढ़ता प्रवास और सुप्राप्य कौशल प्रशिक्षण।
- संबद्ध चुनौतियाँ:
  - अनियमित प्रकृति: गिग इकॉनमी बड़े पैमाने पर अनियमित रूप से विकसित होती है, इसलिये श्रमिकों की नौकरी की सुरक्षा बहुत कम होती है और बहुत सीमित लाभ प्राप्त होते हैं।
    - हालाँकि कुछ लोगों का तर्क है कि श्रमिकों को कोई सामाजिक सुरक्षा, बीमा आदि नहीं मिलने के संबंध में भारत में गिग इकॉनमी भारत के अनौपचारिक श्रम का विस्तार है, जो लंबे समय से प्रचलित है और अनियंत्रित बनी हुई है।
  - कौशल की आवश्यकता: एक वर्कर्स को पर्याप्त रूप से कुशल होने की आवश्यकता होती है। जब तक कोई व्यक्ति अत्यंत प्रतिभाशाली नहीं होगा, उसकी सौदेबाज़ी की शक्ति अनिवार्य रूप से सीमित होगी।
    - जबकि कंपनियाँ नियमित रूप से कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने में निवेश करती हैं, एक गिग-इकॉनमी वर्कर्स को अपनी लागत पर अपने कौशल को अपग्रेड करना होगा।
  - मांग-पूर्ति असंतुलन: स्थायी नौकरियों की तुलना में अब पहले से ही कई अधिक संभावित ऑनलाइन स्वतंत्र या फ्रीलांस कर्मचारी हैं और विशेषज्ञों का मानना है कि मांग एवं पूर्ति के बीच यह असंतुलन समय के साथ और अधिक बढ़ जाएगा, जिसके कारण समय के साथ मज़दूरी में कमी आएगी।
- गिग अर्थव्यवस्था पर महामारी का प्रभाव:
  - कोविड-19 के कारण व्यवसाय बाधित हो गए और लोग आय के स्रोत की तलाश में थे। इससे महामारी के कारण 'गिग वर्कर्स' की मांग में तेज़ी देखने को मिली।
    - उदाहरण के लिये अगस्त 2020 में सोशल मीडिया कंपनी गूगल ने नौकरी चाहने वालों को ऑन-डिमांड व्यवसायों, खुदरा और आतिथ्य जैसे उद्योगों में अवसरों से जोड़ने के लिये 'Kormo Jobs' नाम से एक एप लॉन्च करने की घोषणा की।
  - हालाँकि जैसा कि पिछले कुछ वर्षों में 'गिग श्रमिकों' की संख्या बढ़ी है, विशेष रूप से उपभोक्ता इंटरनेट कंपनियों जैसे- ज़ोमैटो, स्विगी, उबर, ओला, अर्बन कंपनी आदि के साथ श्रमिकों की आय में गिरावट दर्ज की गई है।
  - संविदात्मक श्रम पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके दो महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़े हैं:
    - सर्वप्रथम इसने ऑन-डिमांड स्टाफिंग की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिये नए व्यवसाय मॉडल विकसित किये हैं।
    - साथ ही इसने एक बार फिर ऐसी श्रम संहिताओं की आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला है, जो गिग श्रमिकों को परिभाषित करती हैं और उनके लिये एक सार्वभौमिक न्यूनतम मज़दूरी निर्धारित करती हैं।

गिग इकॉनमी के लिये श्रम संहिता:

- मौजूदा कानून:
  - मज़दूरी संहिता, 2019 गिग श्रमिकों (संगठित और असंगठित क्षेत्रों सहित) के लिये सार्वभौमिक न्यूनतम मज़दूरी और न्यूनतम मज़दूरी का प्रावधान करती है।

नोट :

- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 गिग श्रमिकों को एक नई व्यावसायिक श्रेणी के रूप में मान्यता देती है।
  - यह गिग वर्कर को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों के बाहर काम करता है या कार्य व्यवस्था में भाग लेता है और ऐसी गतिविधियों से कमाई करता है।

- सुरक्षा संहिता से संबद्ध मुद्दे:
  - लाभ की कोई गारंटी नहीं: सामाजिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2020 में प्लेटफॉर्म वर्कर्स अब मातृत्व लाभ, जीवन और विकलांगता कवर, वृद्धावस्था सुरक्षा, भविष्य निधि, रोज़गार दुर्घटना लाभ आदि जैसे लाभों के लिये पात्र हैं।
    - हालाँकि इस पात्रता का यह अर्थ नहीं है कि लाभ की गारंटी दी गई है।
    - कोई भी प्रावधान सुरक्षित लाभ प्रदान नहीं करता है, जिसका अर्थ है कि केंद्र सरकार समय-समय पर कल्याणकारी योजनाएँ बना सकती है, जो व्यक्तिगत और कार्य सुरक्षा के इन पहलुओं को कवर करती हैं, लेकिन उनकी गारंटी नहीं देती है।
  - कोई निश्चित उत्तरदायित्व नहीं: संहिता के तहत बुनियादी कल्याण उपायों से संबंधित प्रावधानों को केंद्र सरकार, प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स और श्रमिकों की संयुक्त ज़िम्मेदारी के रूप में परिभाषित किया गया है।
    - हालाँकि इसमें यह नहीं बताया गया है कि कौन सा हितधारक कितना कल्याण प्रदान करने हेतु उत्तरदायी है।

आगे की राह

- स्पष्टता की आवश्यकता: स्पष्टीकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्लेटफॉर्म के काम की गुणवत्ता से समझौता किये बिना श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा उपाय प्रदान किया जाए।
- संयुक्त जवाबदेही: गिग इकॉनमी में काम की विविधता की सामाजिक-कानूनी स्वीकृति की आवश्यकता है और सामाजिक सेवाओं के वितरण के लिये राज्य और संबंधित कंपनियों को संयुक्त जवाबदेही का श्रेय देने की आवश्यकता है।
- समेकित प्रयास: कल्याणकारी सेवाएँ प्रदान करने में परिचालन संबंधी चुनौतियों को कम करने हेतु राज्य, कंपनियों और श्रमिकों द्वारा एक त्रिपक्षीय प्रयास महत्त्वपूर्ण है।

पशुधन संचालन का संयंत्र आधारित संचालन में परिवर्तन

चर्चा में क्यों ?

दुनिया भर में कृषि क्रांति हो रही है जहाँ पशुधन संचालन संयंत्र आधारित संचालन में परिवर्तित हो रहे हैं और सुरक्षित एवं बेहतर वेतन वाले रोज़गार का सृजन कर रहे हैं।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - पशुपालन:
    - यह केवल उनके मांस और उत्पादों (दूध, अंडे, चमड़ा, आदि) को प्राप्त करने के उद्देश्य से घरेलू, पशुधन का प्रबंधन और प्रजनन है।
    - इसे आर्थिक गतिविधि के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है जिसमें मानव उपभोग के लिये घरेलू पशुओं को पालना और मांस, दूध, ऊन, फर, शहद आदि प्राप्त करना शामिल है।
  - पशुपालन-खेती से संबंधित मुद्दे:
    - पशुपालन ने कई किसानों को खराब काम करने की स्थिति, कम आय, बाज़ार की ताकतों के लिये उच्च भेद्यता और अत्यधिक तनाव जैसे कुचक्रों में फँसाया है।
  - संयंत्र आधारित संचालन के लिये संक्रमण:
    - संयंत्र आधारित ऑपरेशंस (कृषि में सिर्फ संक्रमण) का विचार उत्पादन और उपभोग के आधार पर खाद्य प्रणालियों के पुनर्गठन के लिये रूपरेखा को संदर्भित करता है जो स्थिरता, डीकार्बोनाइज़ेशन और मानव, वित्तीय तथा पर्यावरणीय संसाधनों के उचित उपयोग को प्राथमिकता देता है।

नोट :

- केवल संक्रमण कृषि तकनीकों और प्रथाओं का पक्ष लेते हैं जो औद्योगिक कृषि की मानक प्लेबुक के तहत नहीं आते हैं, जो जानवरों, कृषक समुदायों और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हुए प्राकृतिक दुनिया से लाभ प्राप्त करते हैं।
- अक्सर सामान्य दावे के विपरीत पौधों से भरपूर आहार लेने से समान खाद्य वितरण और पोषण सुरक्षा में सुधार करने में मदद मिल सकती है। केवल मानव उपयोग के लिये फसल उगाने से उपलब्ध खाद्य कैलोरी में 70% तक की वृद्धि हो सकती है, जिससे अतिरिक्त चार अरब लोगों को लाभ हो सकता है।

- संक्रमण का महत्त्व:
  - स्वस्थ और सुरक्षित कार्य प्रदाता:
    - औद्योगीकृत पशुधन उत्पादन एक खतरनाक व्यवसाय है जो मानव स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक कल्याण के लिये एक गंभीर खतरा है।
    - चोटों, बीमारी और आघात का प्रभाव व्यक्तिगत कार्यकर्त्ता को प्रभावित करता है तथा उन परिवारों एवं समुदायों पर विनाशकारी प्रभाव डालता है जो इससे प्रभावित होते हैं।\
    - उदाहरण: हर साल बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू जैसे नए प्रकारों का उभरना मानव स्वास्थ्य के लिये एक बड़ा खतरा है।
  - जलवायु के अनुकूल खाद्य प्रणालियाँ:
    - औद्योगीकृत पशुधन उत्पादन से दूर संक्रमण किसानों को जलवायु और उसी भूमि की रक्षा करने का अधिकार देता है जिस पर वे काम करते हैं।
    - यदि उत्पादन बेरोकटोक जारी रहा तो वर्ष 2050 तक पशुधन क्षेत्र 1.5 डिग्री सेल्सियस उत्सर्जन बजट का 81% तक होने का अनुमान है।
    - पशुधन उत्पादन जलवायु परिवर्तन को बढ़ाता है लेकिन वैश्विक तापमान में वृद्धि पशुधन उत्पादन के लिये समान रूप से हानिकारक है, जो किसानों की आजीविका के लिये एक बड़ा खतरा है।
    - इसके अलावा जलवायु परिवर्तन पशुधन रोगों के उद्भव को बढ़ाता है, पशु प्रजनन को कम करता है और जैव विविधता के नुकसान को बढ़ाता है।
  - रोज़गार-सृजन की बड़ी क्षमता:
    - अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, पर्यावरण और सामाजिक रूप से स्थायी अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तन से रोज़गार सृजन, बेहतर रोज़गार सृजन, सामाजिक न्याय में वृद्धि तथा गरीबी कम हो सकती है।
    - यह अनुमान लगाया गया है कि एक ऊर्जा संक्रमण परिवर्तन 24-25 मिलियन रोज़गार का सृजन करेगा, जो वर्ष 2030 तक 6 या 7 मिलियन रोज़गार खोने से कहीं अधिक है। इसी तरह के लाभ पशुधन संक्रमण के माध्यम से देखे जाएंगे।
- संबंधित उदाहरण:
  - डेनमार्क ने हाल ही में वर्ष 2030 तक 70% ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की अपनी महत्त्वाकांक्षा के एक हिस्से के रूप में वर्ष 2030 तक कृषि उत्सर्जन को आधा करने के लिये एक बाध्यकारी निर्णय की घोषणा की है।
    - सरकार पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने वाले किसानों को पाँच वर्ष के लिये 90 मिलियन अमेरिकी डॉलर उपलब्ध कराएगी और पौधों पर आधारित भोजन के लिये संक्रमण का समर्थन करने हेतु वर्ष 2030 तक 11.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक कोष बनाने के लिये प्रतिबद्ध है।
- चुनौतियाँ:
  - प्रौद्योगिकी की पहुँच और खेती में निवेश की कमी, उत्सर्जन में कमी हेतु संक्रमण के लाभों के बारे में जागरूकता, खाद्य क्षेत्र के भीतर विविधीकरण के लिये संस्थागत समर्थन, नुकसान के लिये मुआवज़े के भुगतान और गारंटीकृत आय धाराओं आदि में कमी के साथ-साथ युवा कृषि से भी दूर होते जा रहे हैं।
  - इसके अलावा किसानों, विशेष रूप से ग्रामीण छोटे धारकों हेतु स्थायी और पुनर्योजी कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिये वित्तीय प्रोत्साहन की कमी है क्योंकि वे संबंधित लागतों और जोखिमों को स्वयं वहन नहीं कर सकते हैं।

नोट :

- भारत में पशुधन की स्थिति:
  - भारत दुनिया का सबसे अधिक पशुधन वाला देश है।
  - 20वीं पशुधन गणना-2018 के अनुसार देश में कुल पशुधन आबादी 535.78 मिलियन है, जिसमें पशुधन गणना- 2012 की तुलना में 4.6% की वृद्धि हुई है।
  - आर्थिक सर्वेक्षण-2021 के अनुसार, कुल कृषि और संबद्ध क्षेत्र में पशुधन का योगदान वर्ष 2014-15 में सकल मूल्य वर्द्धित (स्थिर कीमतों पर) का 24.32 प्रतिशत था जो वर्ष 2018-19 में बढ़कर 28.63% हो गया है।
- भारत में संयंत्र आधारित संचालन:
  - प्लांट-आधारित मीट या स्मार्ट प्रोटीन अगली पीढ़ी के खाद्य नवाचार हैं जो पूरी तरह से स्वाद, गंध और तीखेपन में जानवरों के मांस जैसे होते हैं, जबकि यह पूरी तरह से पौधों की सामग्री से बने होते हैं।
    - क्रूरता मुक्त और अधिक पर्यावरण के अनुकूल बहुत से भारतीयों द्वारा मांस का सेवन किया जाता है।
  - हाल ही में आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों की एक टीम ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) एक्सेलेरेटर लैब इंडिया द्वारा "पौधे आधारित नकली अंडे" के नवाचार के लिये आयोजित एक नवाचार प्रतियोगिता (इनोवेट 4 एसडीजी) जीती है।

आगे की राह

- विज्ञान और सामाजिक आर्थिक डेटा स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि हमेशा की तरह व्यवसाय अब एक विकल्प नहीं है। एक न्यायपूर्ण पशुधन संक्रमण को सक्षम करने के लिये सभी स्तरों पर महत्त्वाकांक्षी राजनीतिक कार्रवाई की आवश्यकता है।
- इसके अलावा उत्सर्जन रिसाव को रोकने और अधिक टिकाऊ खाद्य उत्पादन तथा खपत हेतु एक समग्र संक्रमण को सक्षम करने के लिये इस तरह के उपायों को पौधों पर आधारित खाद्य खपत बढ़ाने के उद्देश्य से नीतियों का पूरक होना चाहिये।

उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग के लिये उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है।

- यह पिरामिड योजनाओं के प्रचार और धन संचलन योजनाओं में भागीदारी को प्रतिबंधित करता है।
- इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित किया गया है।
- इससे पहले सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 के प्रावधानों को अधिसूचित और प्रभावी किया था।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - ये नियम "उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा" करने के लिये प्रत्यक्ष बिक्री संस्थाओं तथा उनके प्रत्यक्ष विक्रेताओं दोनों के कर्तव्यों और दायित्वों को निर्धारित करते हैं।
  - मौजूदा डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे 90 दिनों के भीतर नियमों का पालन करें।
  - हालाँकि प्रत्यक्ष विक्रेताओं के साथ-साथ बिक्री के लिये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाली प्रत्यक्ष बिक्री संस्थाएँ उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 की आवश्यकताओं का पालन करेंगी।
- नियमों की प्रयोज्यता- यह निम्नलिखित पर लागू होगा:
  - प्रत्यक्ष बिक्री के माध्यम से खरीदे या बेचे जाने वाले सभी सामान और सेवाएँ।
  - प्रत्यक्ष बिक्री के सभी मॉडल, भारत में उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं की पेशकश करने वाली सभी प्रत्यक्ष बिक्री संस्थाएँ।
  - प्रत्यक्ष बिक्री के सभी मॉडलों में सभी प्रकार के अनुचित व्यापार व्यवहार।

नोट :

- प्रत्यक्ष बिक्री वाली संस्थाओं के लिये जो भारत में स्थापित नहीं हैं, लेकिन भारत में उपभोक्ताओं को सामान या सेवाएँ प्रदान करती हैं।

- नए नियमों के प्रमुख प्रावधान:
  - गतिविधियों की निगरानी के लिये तंत्र:
    - इसने राज्य सरकारों को प्रत्यक्ष विक्रेताओं और प्रत्यक्ष बिक्री संस्थाओं की गतिविधियों की निगरानी या निगरानी के लिये एक तंत्र स्थापित करने हेतु निर्देशित किया।
  - शिकायत निवारण तंत्र:
    - डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को पर्याप्त शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता होगी।
    - ऐसी वस्तुओं या सेवाओं की प्रामाणिकता से संबंधित किसी भी कार्रवाई में प्रत्यक्ष बिक्री संस्थाओं को दायित्त्व वहन करना होगा।
    - प्रत्येक प्रत्यक्ष बिक्री इकाई को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा जो अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये ज़िम्मेदार होगा।
  - उपभोक्ताओं को खरीदारी के लिये उत्प्रेरित न करना:
    - प्रत्यक्ष बिक्री कंपनियाँ या उनके प्रत्यक्ष विक्रेता उपभोक्ताओं को इस आधार पर खरीदारी करने के लिये उत्प्रेरित नहीं कर सकती हैं कि वे संभावित ग्राहकों को समान खरीदने के लिये प्रत्यक्ष विक्रेताओं को संदर्भित करके कीमत को कम या वसूल कर सकते हैं।
  - प्रत्यक्ष बिक्री संस्थाओं पर दायित्व:
    - अधिनियमों के तहत निगमन:
    - कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निगमन या यदि एक साझेदारी फर्म है, तो साझेदारी अधिनियम, 1932 के तहत पंजीकृत हो, या यदि एक सीमित देयता भागीदारी है, तो सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत पंजीकृत हो।
    - भौतिक रूप से उपस्थित हो:
    - भारत के भीतर एक पंजीकृत कार्यालय के रूप भौतिक उपस्थिति होनी आवश्यक है।
    - स्व-घोषणा:
    - संस्थाओं को इस बात की स्व-घोषणा करनी होगी कि डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी ने डायरेक्ट सेलिंग नियमों के प्रावधानों का पालन किया है और किसी पिरामिड योजना या मनी सर्कुलेशन योजना में शामिल नहीं है।

- महत्त्व:
  - ये नए नियम बाज़ार में स्पष्टता लाएंगे और प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग को प्रोत्साहन देंगे, जो पहले से ही 70 लाख से अधिक भारतीयों को आजीविका प्रदान कर रहा है, जिसमें 50% से अधिक महिलाएँ हैं।

उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020

- परिचय:
  - उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 अनिवार्य है, सलाहकारी नहीं।
- प्रयोज्यता:
  - ये नियम सभी ई-कॉमर्स खुदरा विक्रेताओं पर लागू होते हैं, जो भारतीय उपभोक्ताओं को सामान और सेवाएँ प्रदान करते हैं, चाहे वे भारत में पंजीकृत हों अथवा विदेश में।
- नोडल अधिकारी:
  - ई-कॉमर्स संस्थाओं को अधिनियम या नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु भारत में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने की आवश्यकता है।
- कीमत और एक्सपायरी तिथि:
  - ई-कॉमर्स विक्रेताओं को बिक्री के लिये दी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कुल कीमत प्रदर्शित करनी होगी, जिसमें अन्य शुल्कों के साथ कुल शुल्क का ब्रेकअप भी शामिल होगा।
  - इसके अलावा वस्तु की एक्सपायरी तिथि का भी स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया जाना चाहिये।

नोट :

ऑनलाइन सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजन फॉर मर्चेंडाईज एक्सपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

केंद्र ने 31 जनवरी 2022 तक निर्यातकों पर प्रत्येक आउटबाउंड खेप के लिये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन (CoO) प्राप्त करने के लिये अनिवार्य दायित्व को निलंबित कर दिया है।.

प्रमुख बिंदु:

- परिचय:
  - जिन देशों के साथ भारत का अधिमानी व्यापार समझौता (PTA) हुआ था, उन देशों को निर्यात के लिये 2019 के अंत में ऑनलाइन CoO प्रणाली को नवंबर 2021 से सभी व्यापारिक निर्यात को कवर करने के लिये विस्तारित किया गया था।
  - यह मंच सभी निर्यातकों, सभी मुक्त व्यापार समझौतों (FTA)/अधिमान्य व्यापार समझौतों (PTA) और सभी संबंधित एजेंसियों के लिये एकल पहुँच बिंदु के रूप में कार्य करता है।
- निर्माण:
  - मंच को विदेश व्यापार महानिदेशक (DGFT) तथा क्षेत्रीय और बहुपक्षीय व्यापार संबंध (RMTR) डिवीजन, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा डिज़ाइन एवं विकसित किया गया है।
- महत्त्व:
  - यह ऑनलाइन सुविधा निर्यातक समुदाय को 'व्यापार करने में आसानी' प्रदान करती है और एक क्यूआर कोड के माध्यम से जारी किये गए CoO की वास्तविकता की पुष्टि करने के लिये भागीदार देशों को एक सत्यापन योग्य प्रमाणीकरण तंत्र प्रदान करती है जो जारी किये गए ई-CoO में विश्वसनीयता को जोड़ती है।
- मर्चेंडाईज़ एक्सपोर्ट की स्थिति:
  - भारत का मासिक व्यापारिक निर्यात लगातार सात महीनों में 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है और 2021-22 में सरकार के रिकॉर्ड 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य तक पहुँचने के लिये काफी हद तक प्रतिबद्ध है।
    - मर्चेंडाईज़ एक्सपोर्ट एक विदेशी उपभोक्ता बाज़ार में बिक्री के लिये खुदरा सामान की पेशकश करने की एक विधि है।
- भारत की निर्यात प्रोत्साहन योजनाएँ:
  - मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम:
    - MEIS को विदेश व्यापार नीति (FTP) 2015-20 में पेश किया गया था, MEIS के तहत, सरकार उत्पाद और देश के आधार पर शुल्क लाभ प्रदान करती है।
  - सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम:
    - इसके तहत वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा भारत में स्थित सेवा निर्यातकों को भारत से सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये प्रोत्साहन दिया जाता है।
  - 'निर्यात उत्पाद पर शुल्क या करों की छूट' (RoDTEP) योजना:
    - यह भारत में निर्यात बढ़ाने में मदद करने हेतु 'वस्तु और सेवा कर' में इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के लिये पूरी तरह से स्वचालित मार्ग है।
    - इसे जनवरी 2021 में MEIS के प्रतिस्थापन के रूप में शुरू किया गया था, जो विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप नहीं था।
  - राज्य और केंद्रीय करों और लेवी की छूट (RoSCTL):
    - RoSCTL को मार्च 2019 में ऐसे राज्य और केंद्रीय एम्बेडेड शुल्क एवं करों हेतु पेश किया गया था, जो वस्तु और सेवा कर (GST) के माध्यम से वापस नहीं किये जाते हैं।
    - यह केवल कपड़ों और मेड-अप्स के लिये उपलब्ध है। इसे कपड़ा मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था।
    - इससे पूर्व इसे 'रिबेट फॉर स्टेट लेवीज़' (ROSL) के नाम से जाना जाता था।

नोट :

व्यापार समझौतों के प्रकार

- मुक्त व्यापार समझौता (FTA):
  - FTA के तहत दो देशों के बीच आयात-निर्यात के तहत उत्पादों पर सीमा शुल्क, नियामक कानून, सब्सिडी और कोटा आदि को सरल बनाया जाता है।
  - 'मुक्त व्यापार समझौता' एक ऐसा समझौता है जिसमें दो या दो से अधिक देश एक दूसरे को सरल व्यापार शर्तें, टैरिफ रियायत आदि प्रदान करने हेतु सहमत होते हैं।
  - भारत ने कई देशों, जैसे- श्रीलंका के साथ-साथ विभिन्न व्यापारिक समूहों यथा- आसियान (ASEAN) से FTA पर बातचीत की है।
- अधिमान्य व्यापार समझौता (PTA):
  - PTAs या सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (GSP) विभिन्न देशों द्वारा व्यापार के संबंध में अपनाई गई एक विशेष स्थिति है। इस प्रकार के समझौते में, दो या दो से अधिक भागीदार एक निश्चित संख्या में टैरिफ लाइनों पर शुल्क को कम करके कुछ उत्पादों को प्रवेश का अधिमान्य अधिकार देते हैं।
  - अधिमान्य व्यापार समझौते में भी कुछ उत्पादों पर शुल्क घटाकर शून्य किया जा सकता है। भारत ने अफगानिस्तान के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।
- व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA):
  - 'व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता' FTA से अधिक व्यापक होता है।
  - इस समझौते के अंतर्गत सेवाओं, निवेश और आर्थिक साझेदारी के अन्य क्षेत्रों में व्यापार को कवर किया जाता है।
  - भारत ने दक्षिण कोरिया और जापान के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पर हस्ताक्षर किये हैं।
- व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (CECA):
  - CECA आमतौर पर व्यापार प्रशुल्क और TRQ (टैरिफ दर कोटा) दरों को कवर करता है। यह व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता की तरह व्यापक नहीं है। भारत ने मलेशिया के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किये हैं।

डेयरी क्षेत्र और मुक्त व्यापार का विरोध

चर्चा में क्यों ?

कुछ विशेषज्ञों के अनुसार, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP) से भारत का हटना किसान संगठनों, ट्रेड यूनियनों, छोटे और मध्यम औद्योगिक उत्पादकों के संघों के लिये एक बड़ी जीत है।

- इसी तरह का विचार भारतीय डेयरी क्षेत्र द्वारा भी व्यक्त किया जाता है, जिन्होंने डेयरी उत्पादों में मुक्त व्यापार का विरोध किया था।

RCEP विश्व के सबसे बड़े व्यापारिक ब्लॉकों में से एक है, जिस पर 15 देशों (चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आसियान के 10 देशों का समूह) के बीच हस्ताक्षर किये गए हैं। वर्ष 2020 में भारत RCEP वार्ता से हट गया है।

प्रमुख बिंदु

- भारत के डेयरी क्षेत्र द्वारा RCEP का विरोध:
  - ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे वैश्विक दुग्ध उत्पादक देश RCEP समझौते में शामिल हैं।
  - पिछले 25 वर्षों में, भारतीय नीति ने जानबूझकर निजी दूध कंपनियों के विकास को प्रोत्साहित किया है। फिलहाल ये कंपनियाँ भारतीय किसानों से दूध खरीदने को बाध्य हैं।
    - कारण यह है कि भारत में विदेशी डेयरी उत्पादों पर लागू टैरिफ लगभग 35% है।
    - यदि भारत ने RCEP पर हस्ताक्षर किये होते तो बाध्य शुल्क शून्य हो जाता।

नोट :

- तब भारतीय किसानों से दूध खरीदने के बजाय न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया से दूध आयात करना कहीं अधिक लाभदायक होता। इसलिये भारत समझौते के विरोध में था।
- इसके अलावा निकट भविष्य में ऐसा कोई नहीं है जो भारत दूध से वंचित होगा। नीति आयोग के अनुसार, भारत के वर्ष 2033 तक दुग्ध-अधिशेष देश होने की संभावना है।

नोट:

- विश्व व्यापार संगठन (WTO) एक देश को एक निश्चित सीमा तक अधिकतम टैरिफ या किसी दिये गए कमोडिटी लाइन के लिये बाध्य टैरिफ तय करने की अनुमति देता है ।
  - दूसरी ओर RCEP देशों को अगले 15 वर्षों के भीतर उस स्तर को शून्य करने के लिए बाध्य करता है।
  - किसी उत्पाद श्रेणी में अधिकतम टैरिफ को बाध्य टैरिफ दर कहा जाता है।
  - हालाँकि टैरिफ दरें सभी उत्पादों और देशों में भिन्न हैं। वास्तविक टैरिफ दर को लागू टैरिफ दर कहा जाता है।

श्वेत क्रांति (1970):

- भारत में श्वेत क्रांति की अवधारणा 'डॉ. वर्गीज़ कुरियन' द्वारा प्रस्तुत की गई थी।
- उनके अधीन गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) जैसे कई महत्त्वपूर्ण संस्थान स्थापित किये गए थे।
- ग्राम दुग्ध उत्पादकों की सहकारी समितियों को इस क्रांति की आधारशिला माना जाता हैं। 'ऑपरेशन फ्लड' के दौरान उनकी प्रमुख भूमिका को विकास के इंजन के रूप में देखा जाता है।
- नीति ने संयुक्त उद्यमों: विलय और अधिग्रहण के माध्यम से भारतीय डेयरी क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय डेयरी निगमों के प्रवेश का भी समर्थन किया है।

भारतीय डेयरी क्षेत्र

- डेयरी क्षेत्र का महत्त्व:
  - श्रम गहन क्षेत्र: खेत पर निर्भर आबादी में वैसे किसान और खेतिहर मज़दूर भी शामिल हैं जो डेयरी एवं पशुधन पर निर्भर हैं। इनकी संख्या लगभग 70 मिलियन है।
    - इसके अलावा मवेशी और भैंस पालन में कुल कार्यबल 7.7 मिलियन में 69 प्रतिशत महिला श्रमिक हैं।
  - अर्थव्यवस्था में योगदान: कृषि से सकल मूल्य वर्द्धित (GVA) में पशुधन क्षेत्र का योगदान 2019-20 में 28 प्रतिशत था।
    - दुग्ध उत्पादन में प्रति वर्ष 6 प्रतिशत की वृद्धि दर से किसानों को सूखे और बाढ़ के दौरान एक बड़ा आर्थिक सहारा प्राप्त होता है।
  - आपदा के समय किसानों की मदद करना: प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल खराब होने पर दूध का उत्पादन बढ़ जाता है क्योंकि किसान तब पशुपालन पर अधिक निर्भर होते हैं।
  - संबद्ध मुद्दे
    - अदृश्य श्रम: किसान प्राय: पाँच में से दो दुधारू पशु आजीविका के लिये रखते हैं। ऐसे में परिवार के उपयोग हेतु दुग्ध उत्पादन के लिये आवश्यक श्रम परिवार की अवैतनिक या औपचारिक रूप से बेरोज़गार महिलाओं के हिस्से आता है।
    - उनमें से भूमिहीन और सीमांत किसानों के पास दूध के लिये खरीदारों की कमी होने पर आजीविका का कोई विकल्प नहीं है।
    - डेयरी क्षेत्र की असंगठित प्रकृति: गन्ना, गेहूँ और चावल उत्पादक किसानों के विपरीत पशुपालक असंगठित हैं और उनके पास अपने अधिकारों की वकालत करने के लिये राजनीतिक ताकत नहीं है।
    - अलाभकारी मूल्य निर्धारण: हालाँकि उत्पादित दूध का मूल्य भारत में गेहूँ और चावल के उत्पादन के संयुक्त मूल्य से अधिक है लेकिन उत्पादन की लागत और दूध के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य का कोई आधिकारिक प्रावधान नहीं है।
    - अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव: भले ही डेयरी सहकारी समितियाँ देश में दूध के कुल विपणन योग्य अधिशेष का लगभग 40% संभालती हैं, लेकिन वे भूमिहीन या छोटे किसानों का पसंदीदा विकल्प नहीं हैं।
    - ऐसा इसलिये है क्योंकि डेयरी सहकारी समितियों द्वारा खरीदा गया 75% से अधिक दूध अपनी कम मूल्य सीमा पर है।

नोट :

डेयरी क्षेत्र से संबंधित सरकारी पहल:

- डेयरी विकास पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2022: यह दूध उत्पादन बढ़ाने और डेयरी किसानों की आय को दोगुना करने का प्रयास करता है।
- राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम: इसे देश में पशुओं के बीच पैर और मुँह की बीमारी (FMD) और ब्रुसेलोसिस को नियंत्रित करने और मिटाने के लिये शुरू किया गया था।
- पशु-आधार: यह जानवरों का पता लगाने की क्षमता के लिये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक अद्वितीय आईडी है।
- राष्ट्रीय गोकुल मिशन: इसे वर्ष 2019 में एकीकृत मवेशी विकास केंद्रों के रूप में 21 गोकुल ग्राम स्थापित करने के लिये लॉन्च किया गया था।

आगे की राह

- उत्पादकता में वृद्धि: पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने की भी आवश्यकता है ताकि बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और प्रजनन सुविधाएँ और डेयरी पशुओं का प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके तथा इससे दूध उत्पादन की लागत कम हो सकती है।
  - साथ ही पशु चिकित्सा सेवाओं, कृत्रिम गर्भाधान (एआई), चारा और किसान शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करके दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है।
  - सरकार और डेयरी उद्योग इस दिशा में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
- उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन बुनियादी ढाँचे में वृद्धि: भारत के लिये एक डेयरी निर्यातक देश के रूप में उभरने के लिये:
  - उचित उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन बुनियादी ढाँचे को विकसित करना अनिवार्य है जो अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो।
  - इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे और बिजली की कमी को दूर करने के लिये सौर ऊर्जा संचालित डेयरी प्रसंस्करण इकाइयों में निवेश करने की आवश्यकता है।
  - साथ ही डेयरी सहकारी समितियों को मज़बूत करने की ज़रूरत है। इस प्रयास में सरकार को किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देना चाहिये।

वैश्विक क्रॉपलैंड विस्तार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एक नए अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2003-2019 तक विश्व में क्रॉपलैंड क्षेत्र (Copland Area) में 9% और क्रॉपलैंड शुद्ध प्राथमिक उत्पादन (Net Primary Production- NPP) में 25% की वृद्धि हुई है।

- वृद्धि का मुख्य कारण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में कृषि का विस्तार था।

क्रॉपलैंड क्षेत्र

- क्रॉपलैंड को 'मानव उपभोग, चारा (घास सहित) और जैव ईंधन हेतु वार्षिक शाकाहारी फसलों के लिये उपयोग की जाने वाली भूमि' के रूप में परिभाषित किया गया है।
  - वार्षिक फसलें, स्थायी चरागाह और स्थानांतरित खेती को परिभाषा से बाहर रखा गया है।
  - शाकाहारी ऊर्जा फसलें (Herbaceous Energy Crops) बारहमासी होती हैं जिनकी सालाना कटाई की जाती है।

क्रॉपलैंड शुद्ध प्राथमिक उत्पादन

- शुद्ध प्राथमिक उत्पादन (NPP) को ऑटोट्रॉप (Autotrophs) और उनके श्वसन द्वारा निर्धारित ऊर्जा के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है, जो आमतौर पर भूमि की सतह तथा समय की प्रति यूनिट जैवभार में वृद्धि के बराबर है।
  - ऑटोट्रॉप एक ऐसा जीव है जो प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य रसायनों का उपयोग कर अपना भोजन स्वयं बना सकता है।
  - श्वसन एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जो सभी जीवित कोशिकाओं में होती है, ग्लूकोज से ऊर्जा उत्पन्न होती है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- क्रॉपलैंड विस्तार:
  - अफ्रीका में सबसे बड़ा क्रॉपलैंड विस्तार देखा गया।
  - अफ्रीका में, वर्ष 2004-2007 से वर्ष 2016-2019 तक क्रॉपलैंड विस्तार में तेज़ी आई, वार्षिक विस्तार दरों में दो गुना से अधिक की वृद्धि हुई।
    - क्रॉपलैंड्स (शुष्क भूमि सिंचाई को छोड़कर) में प्राकृतिक वनस्पति रूपांतरण का सबसे बड़ा अनुपात अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण अमेरिका में पाया गया।
    - जनसंख्या वृद्धि के कारण इस अवधि के दौरान वैश्विक प्रति व्यक्ति फसल क्षेत्र में 10% की कमी आई, लेकिन गहन कृषि भूमि उपयोग के परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति वार्षिक फसल भूमि NPP में 3.5% की वृद्धि हुई।
- विस्तार का कारण:
  - कृषि विस्तार को अक्सर निरंतर जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्य और ऊर्जा आवश्यकताओं में वैश्विक वृद्धि के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में समझाया जाता है।
    - वर्ष 2003-2019 से वैश्विक जनसंख्या में 21% की वृद्धि हुई।
- विस्तार के साथ मुद्दे:
  - SDG15 के विरुद्ध :
    - वन हानि में फसल भूमि का विस्तार एक प्रमुख कारक है, जो सतत् विकास लक्ष्य 15 (SDG 15) का प्रतिकूल है।
    - SDG 15 का उद्देश्य वनों की कटाई और प्राकृतिक आवासों के क्षरण को रोकना है।
    - नए क्रॉपलैंड के 49% क्षेत्र ने प्राकृतिक वनस्पतियों और वृक्षों के आवरण को बदल दिया, जो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा हेतु स्थिरता लक्ष्य के साथ संघर्ष का संकेत देते हैं।
  - पारिस्थितिक खतरा:
    - यह ग्रह के पारिस्थितिक स्वास्थ्य के लिये सबसे बड़े खतरों में से एक है।
    - क्रॉपलैंड का विस्तार ज़्यादातर मध्य और दक्षिण अमेरिका में जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट को प्रभावित करता है, जबकि क्रॉपलैंड गहनता से विशेष रूप से सब-सहारा अफ्रीका, भारत तथा चीन में जैव विविधता को खतरा है।
    - कृषि गहनता को तकनीकी रूप से कृषि उत्पादन में वृद्धि प्रति यूनिट इनपुट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
  - वनों की कटाई का कारण
    - कृषि विस्तार वनों की कटाई और वन विखंडन का मुख्य कारण बना हुआ है।
  - FAO's का अनुमान:
    - खाद्य और कृषि संगठन (FAO's) के अनुसार यदि वर्तमान रुझान कायम रहा तो वर्ष 2050 तक दुनिया की कृषि योग्य भूमि लगभग 70 मिलियन हेक्टेयर बढ़ जाएगी और अधिकांश नई कृषि भूमि उन क्षेत्रों में होगी जो वर्तमान में वनाच्छादित हैं।
- भारत में कृषि भूमि:
  - वर्ष 2018 में भारत में कृषि भूमि 60.43% बताई गई थी।
    - कृषि भूमि, उन भूमि क्षेत्र के हिस्से को संदर्भित करती है जो स्थायी फसलों के तहत और स्थायी चरागाह के तहत कृषि योग्य है।
    - कृषि भूमि के तहत FAO द्वारा अस्थायी फसलों के तहत परिभाषित भूमि (दोहरी फसल वाले क्षेत्रों को एक बार गिना जाता है), घास काटने या चारागाह के लिये अस्थायी घास का मैदान के तहत भूमि तथा अस्थायी रूप से परती भूमि शामिल होती है।

आहे की राह:

- बेहतर कृषि पद्धतियाँ और प्रौद्योगिकी आवास हानि को कम तथा वन्यजीवों की रक्षा करते हुए कृषि उत्पादकता में वृद्धि कर सकती है।
  - "टिकाऊ गहनता" के रूप में जाना जाने वाला यह दृष्टिकोण का उद्देश्य एकीकृत फसल प्रबंधन और उन्नत कीट नियंत्रण जैसी तकनीकों का उपयोग करके मौजूदा कृषि भूमि के उत्पादन को बढ़ावा देना है।
  - यदि व्यापक रूप से टिकाऊ गहनता लागू की जाती है तो वर्तमान में खेती के तहत भूमि की कुल मात्रा को भी कम किया जा सकता है।
- वन्यजीव आवासों की रक्षा हेतु विकासशील देशों को अधिक टिकाऊ कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करके भूमि के मौजूदा क्षेत्रों की उत्पादकता में वृद्धि करनी चाहिये।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

पारस्परिक कानूनी सहायता संधि

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और पोलैंड के बीच 'आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि' को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय
  - पारस्परिक कानूनी सहायता संधियाँ (MLATs):
    - आपराधिक मामलों में 'पारस्परिक कानूनी सहायता संधि' अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहायता प्रदान करने के लिये देशों के बीच की गई द्विपक्षीय संधियाँ हैं।
    - ये समझौते हस्ताक्षर करने वाले देशों के बीच आपराधिक और संबंधित मामलों में साक्ष्य एवं सूचनाओं के आदान-प्रदान की अनुमति देते हैं।
  - संधि का महत्त्व:
    - अपराध की जाँच और अभियोजन: यह आपराधिक मामलों में सहयोग और पारस्परिक कानूनी सहायता के माध्यम से अपराध की जाँच तथा अभियोजन में दोनों देशों की प्रभावशीलता को बढ़ाएगा।
    - अंतर्राष्ट्रीय अपराध और आतंकवाद से इसका संबंध: यह अपराध की जाँच और अभियोजन में पोलैंड के साथ द्विपक्षीय सहयोग के साथ-साथ अपराध साधनों तथा आतंकवाद को वित्तपोषित करने हेतु उपयोग धन का पता लगाने, रोकने एवं ज़ब्त करने के लिये एक व्यापक कानूनी ढाँचा प्रदान करेगी।
    - बेहतर इनपुट प्राप्त करना: यह संगठित अपराधियों और आतंकवादियों के तौर-तरीकों में बेहतर जानकारी तथा अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में सहायक होगा।
    - जिसका उपयोग आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में बेहतर नीतिगत निर्णयों के लिये किया जा सकता है।
  - भारत में नोडल एजेंसी:
    - गृह मंत्रालय आपराधिक कानून के मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता प्राप्त करने और प्रदान करने के लिये नोडल मंत्रालय तथा केंद्रीय प्राधिकरण है।
    - वहीं जब मंत्रालयों द्वारा राजनयिक चैनलों के माध्यम से ऐसे अनुरोध भेजे जाते हैं, तो विदेश मंत्रालय को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है।
  - कानूनी आधार
    - आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 105 केंद्र सरकार द्वारा विदेशी सरकारों के साथ समन/वारंट/न्यायिक प्रक्रियाओं के संबंध में पारस्परिक व्यवस्था का प्रावधान करती है।
    - भारत ने 42 देशों (नवंबर 2019) के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि/समझौते किये हैं।

भारत-पोलैंड संबंध

- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
  - भारत और पोलैंड के राजनयिक संबंध वर्ष 1954 में स्थापित हुए, जिसके पश्चात् वर्ष 1957 में वारसॉ में भारतीय दूतावास खोला गया।
  - उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नस्लवाद के विरोध के आधार पर दोनों देशों ने समान वैचारिक धारणाएँ साझा कीं।

नोट :

- पोलैंड के 'कम्युनिस्ट युग' (1944 से 1989) के दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध घनिष्ठ और सौहार्दपूर्ण थे, इस दौरान नियमित उच्च स्तरीय यात्राओं के साथ, राज्य के व्यापारिक संगठनों द्वारा नियोजित व्यापार और आर्थिक वार्ताओं का आयोजन किया गया।
- वर्ष 1989 में पोलैंड द्वारा लोकतांत्रिक मार्ग चुने जाने के बाद भी संबंध घनिष्ठ बने रहे।
- वर्ष 2004 में पोलैंड के यूरोपीय संघ में शामिल होने के बाद से दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बने हुए है और यह मध्य यूरोप में भारत के प्रमुख आर्थिक भागीदारों में से एक बन गया है।

- आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध:
  - निर्यात:
    - पोलैंड मध्य यूरोपीय क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार और निर्यात गंतव्य है, पिछले दस वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार लगभग सात गुना बढ़ रहा है।
    - भारतीय आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019 में द्विपक्षीय व्यापार का कुल मूल्य 2.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
  - निवेश:
    - पोलैंड में भारत का निवेश 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है।
    - भारत में पोलैंड का कुल निवेश लगभग 672 मिलियन अमेरिकी डॉलर है।
  - प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI):
    - अप्रैल 2000 से मार्च 2019 तक भारत ने पोलैंड से 672 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का FDI प्राप्त किया है जो भारत के कुल FDI प्रवाह का 0.16% है।
- सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंध:
  - पोलैंड में इंडोलॉजी के अध्ययन की एक मज़बूत परंपरा है, पोलिश विद्वानों ने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में संस्कृत का पोलिश में अनुवाद किया था।
    - इंडोलॉजी भारत के इतिहास, संस्कृतियों, भाषाओं और साहित्य का अकादमिक अध्ययन है और इस तरह एशियाई अध्ययनों का एक भाग है।
  - वर्ष 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ का आयोजन पोलिश मिशन द्वारा किया गया।
    - पोलिश पोस्ट ((Poczta Polska) द्वारा महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर एक स्मारक डाक टिकट को जारी किया गया।
  - गुरु नानक देव जी मिशन के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर पोलैंड के गुरुद्वारा साहिब और पोलिश मिशन के द्वारा संयुक्त रूप से गुरुद्वारा साहिब, पोलैंड में समारोह का आयोजन किया।
  - 21 जून, 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पोलैंड के 21 शहरों में आयोजित किया गया तथा लगभग 11000 लोगों द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लिया गया था।
- भारतीय समुदाय:
  - पोलैंड में लगभग 10,000 भारतीय समुदाय के होने का अनुमान है जिसमें व्यापारी (वस्त्र, वस्त्र और इलेक्ट्रॉनिक्स) शामिल हैं। जो बहुराष्ट्रीय या भारतीय कंपनियों और सॉफ्टवेयर/आईटी विशेषज्ञों के साथ साम्यवाद तथा पेशेवरों के पतन के बाद आए थे, जिनमें भारतीय छात्रों की बढ़ती संख्या भी शामिल थी।

आगे की राह:

- वर्ष 2017 में ब्लूमबर्ग द्वारा पोलैंड को 50 सबसे नवीन देशों में से एक के रूप में प्रशंसित किया गया था और यह महत्त्वपूर्ण है कि भारत इसे मध्य यूरोप में प्रौद्योगिकी केंद्र तथा व्यापार करने के लिये अनुकूल स्थान के रूप में देखें।
- हरित प्रौद्योगिकियों, स्मार्ट सिटी, साइबर सुरक्षा, फिनटेक और जल प्रबंधन के मामले में पोलैंड एक मज़बूत देश है।
- पोलैंड ऑटोमोटिव क्षेत्र में भारतीय निवेशकों और निर्यातकों को भी बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। पिछले 5 वर्षों में पोलैंड की रणनीतिक स्थिति, स्वास्थ्य कर्मियों की कमी और फार्मा बाज़ार में 25% की वृद्धि को देखते हुए भारतीय निर्यातकों तथा निवेशकों के लिये यह अच्छा अवसर हो सकता हैं।

नोट :

- भारत और पोलैंड के संबंध हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं। लेकिन हमारे बीच व्यापार को कोविड-19 के कारण नुकसान हुआ है।
- पोलैंड में बढ़ते भारतीय प्रवासी जिसमें लगभग 6,000 छात्र शामिल हैं। यह एक नया कारक है जिसने दोनों देशों के बीच संबंधों को मज़बूत किया है।
  - पोलैंड तब से छात्रों के लिये और अधिक आकर्षक बन गया है जब से उसने प्रमुख विश्वविद्यालयों में चिकित्सा तथा इंजीनियरिंग में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की शुरुआत गई है
- कोविड-19 से पहले दिल्ली से वारसा के लिये सीधी उड़ान होती थी। इस सीधी उड़ान की बहाली से दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध को मज़बूती प्रदान करेंगी।

अमेरिका द्वारा चीन पर नए प्रतिबंध

चर्चा में क्यों ?

चीन के शिनजियांग क्षेत्र में उइगर मुस्लिमों के मानवाधिकारों के हनन को लेकर अमेरिका चीन की कई बायोटेक और निगरानी एजेंसी एवं सरकारी संस्थाओं पर नए प्रतिबंध लगा रहा है।

- शिंजियांग तकनीकी रूप से चीन भू-भाग में एक स्वायत्त क्षेत्र है - इसका सबसे बड़ा क्षेत्र, खनिजों में समृद्ध तथा भारत, पाकिस्तान, रूस और अफगानिस्तान सहित आठ देशों के साथ सीमा साझा करता है।

प्रमुख बिंदु

- अमेरिकी प्रतिबंध:
  - अमेरिकी वाणिज्य विभाग चीन की सैन्य चिकित्सा विज्ञान अकादमी और उसके 11 शोध संस्थानों को लक्षित कर रहा है जो चीनी सेना का समर्थन करने के लिये जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
    - अमेरिकी ट्रेजरी विभाग भी कई चीन की संस्थाओं के खिलाफ पेनाल्टी जारी करने की तैयारी कर रहा है।
    - यह कदम अमेरिकी कंपनियों को बिना लाइसेंस के इकाइयों को कलपुर्जे बेचने से रोकेगा।
  - अमेरिकी प्रशासन ने द्वारा बाइपार्टिसन/द्विदलीय कानून का समर्थन किया गया जो शिनजियांग से यू.एस. में आयात पर प्रतिबंध लगाता है जब तक कि कंपनियों द्वारा इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि माल का उत्पादन करने में जबरन श्रम शक्ति का प्रयोग नहीं हुआ था।
  - इससे पूर्व वर्ष 2020 में यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न के लिये ज़िम्मेदार चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने हेतु एक कानून को मंज़ूरी दी थी।
    - विधेयक चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगरों और अन्य मुस्लिम समूहों के दमन के लिये ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का आह्वान करता है।
    - विधेयक संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनियों या शिनजियांग क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों हेतु यह सुनिश्चित करने के लिये लाया गया है कि उनके उत्पादों में उइगरों के जबरन श्रम का उपयोग शामिल नहीं हैं।
- उइगर मुसलमानों के लिये घोषणा:
  - हाल ही में 43 देशों ने चीन से शिनजियांग में मुस्लिम उइघुर समुदाय के लिये कानून के शासन हेतु पूर्ण सम्मान सुनिश्चित करने के लिये एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं।
  - इस उद्घोषणा पर अमेरिका और अन्य देशों ने चीन पर मानवाधिकारों के उल्लंघन तथा उइगर मुसलमानों के खिलाफ नृजातीय संहार का आरोप लगाते हुए हस्ताक्षर किये थे।
    - वर्ष 2019 और 2020 में इसी तरह की घोषणाओं ने शिनजियांग में अपनी नीतियों के लिये चीन की निंदा की, जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका ने बीजिंग पर नरसंहार करने का आरोप लगाया है।
  - इसने मानवाधिकारों की रक्षा के लिये शिनजियांग तक संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त सहित स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की पहुँच स्थापित करने का भी आह्वान किया।

नोट :

- इसने शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र में 'राजनीति संबंधी शिक्षा' शिविरों के एक बड़े नेटवर्क के अस्तित्त्व का उल्लेख किया, जहाँ एक लाख से अधिक लोगों को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया है।
  - हालाँकि चीन अपने शिविरों के 'शैक्षिक केंद्र' होने का दावा करता है, जहाँ उइगरों को व्यावसायिक कौशल सिखाकर उनके चरमपंथी विचारों को परिवर्तित किया जा रहा है।

- चीन का पक्ष:
  - चीन का दावा है कि उइगर समूह एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहते हैं और उइगरों के अपने पड़ोसी नेताओं के साथ सांस्कृतिक संबंधों के कारण उन्हें डर है कि पाकिस्तान शिनजियांग में अलगाववादी आंदोलन का समर्थन कर सकता है।
  - चीन ने किसी भी तरह के नृजातीय संहार के आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि आतंकवाद और अलगाववादी आंदोलन का मुकाबला करने के लिये उसने जो कदम उठाए हैं, वे ज़रूरी हैं।
- भारत का पक्ष:
  - उइगर संकट पर भारत सरकार ने लगभग चुप्पी साध रखी है।

उइगर मुस्लिम

- परिचय:
  - उइगर मुख्य रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक तुर्क जातीय समूह हैं, जिनकी उत्पत्ति मध्य एवं पूर्वी एशिया से मानी जाती है।
    - उइगरों की भाषा काफी हद तक तुर्की भाषा के समान है और उइगर स्वयं को सांस्कृतिक एवं जातीय रूप से मध्य एशियाई देशों के करीब पाते हैं।
  - उइगर मुस्लिमों को चीन में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त 55 जातीय अल्पसंख्यक समुदायों में से एक माना जाता है।
    - हालाँकि चीन उइगर मुस्लिमों को केवल एक क्षेत्रीय अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता देता है और यह अस्वीकार करता है कि वे स्वदेशी समूह हैं।
  - वर्तमान में उइगर जातीय समुदाय की सबसे बड़ी आबादी चीन के शिनजियांग क्षेत्र में रहती है।
    - उइगर मुस्लिमों की एक महत्त्वपूर्ण आबादी पड़ोसी मध्य एशियाई देशों जैसे- उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान और कज़ाखस्तान में भी रहती है।
- उइगरों का उत्पीड़न:
  - बहुसंख्यक हान समुदाय की घुसपैठ: पिछले कुछ दशकों में चीन के शिनजियांग प्रांत की आर्थिक समृद्धि में काफी बढ़ोतरी हुई है और इसी के साथ इस प्रांत में चीन के हान समुदाय के लोगों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है।
    - ये लोग इस क्षेत्र में बेहतर रोज़गार कर रहे हैं, जिसके कारण उइगर मुस्लिमों के समक्ष आजीविका एवं अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो गया है।
    - इसी वजह से वर्ष 2009 में दोनों समुदायों के बीच हिंसा भी हुई, जिसके कारण शिनजियांग प्रांत की राजधानी उरुमकी में 200 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें अधिकतर चीन के हान समुदाय से संबंधित थे।
  - राज्य द्वारा दमन: उइगर मुस्लिम दशकों से उत्पीड़न, ज़बरन नज़रबंदी, गहन जाँच, निगरानी और यहाँ तक कि गुलामी जैसे तमाम तरह के दुर्व्यवहारों का सामना कर रहे हैं।
  - उइगर मुस्लिमों को दबाने हेतु व्यवस्थित प्रयास: अमेरिकी खुफिया एजेंसी की मानें तो चीन ने शिनजियांग प्रांत में एक उच्च तकनीक निगरानी प्रणाली स्थापित की है, जो बायोमेट्रिक चेहरे की पहचान का उपयोग करती है और शिनजियांग में 12 से 65 वर्ष की आयु के सभी निवासियों से डीएनए नमूने एकत्र किये हैं।
    - चीन इन तकनीकों का उपयोग अपने लोगों पर नियंत्रण और जातीय एवं धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों के सदस्यों के दमन के लिये कर रहा है।

आगे की राह

- सभी देशों को उइगर मुस्लिमों को लेकर अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करना चाहिये और शिनजियांग प्रांत में मुस्लिमों के साथ हो रहे उत्पीड़न को रोकने के लिये चीन से तत्काल आग्रह करना चाहिये।

नोट :

- चीन को सही मायने में बहुसंस्कृतिवाद की अवधारणा को अपनाना चाहिये और उइगरों तथा चीन के अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को चीन के सामान्य नागरिक की तरह स्वीकार करना चाहिये।

भारत-वियतनाम संबंध

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, भारत और वियतनाम ने डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग करने हेतु एक 'आशय पत्र' (LOI) पर हस्ताक्षर किये हैं, जिससे दोनों देशों के बीच साझेदारी को और मज़बूत करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

- जब दो देश एक दूसरे के साथ व्यापार सौदा करते हैं तो 'आशय पत्र' दो पक्षों की प्रारंभिक प्रतिबद्धता को संदर्भित करता है। यह संभावित सौदे की मुख्य शर्तों को भी रेखांकित करता है।
- इससे पूर्व वर्ष 2020 में भारत और वियतनाम के रक्षा मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र (UN) शांति अभियानों, रक्षा उद्योग क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की थी।

प्रमुख बिंदु

- आशय पत्र: यह डाक और दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग हेतु दोनों देशों के संयुक्त उद्देश्यों को मान्यता प्रदान करता है।
  - यह सूचना और अनुभव के आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है और मानव संसाधन विकास में परियोजनाओं को लागू करने में सहयोग करता है।
  - साथ ही यह दोनों देशों के नामित डाक ऑपरेटरों और सेवा प्रदाताओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है।
  - यह नई प्रौद्योगिकियों और चुनौतियों, जैसे कि 'इन्फोडेमिक' को लेकर द्विपक्षीय सहयोग को आकार देगा।
- चर्चा का दायरा: वियतनाम ने 'आत्मनिर्भर भारत" के तहत स्वदेशी 5G नेटवर्क विकसित करने हेतु भारत के प्रयासों की सराहना की है।
  - वियतनाम के सूचना एवं संचार मंत्री ने सुझाव दिया कि भारत को 5G के क्षेत्र में सहयोग करना चाहिये ताकि विश्व स्तर के स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किये गए 5G दूरसंचार उपकरण का उत्पादन किया जा सके।

भारत-वियतनाम संबंध

- पृष्ठभूमि
  - यद्यपि रक्षा सहयोग, वर्ष 2016 में दोनों देशों द्वारा शुरू की गई 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' के सबसे महत्त्वपूर्ण स्तंभों में से एक रहा है, किंतु दोनों देशों के बीच संबंध काफी पुराने माने जाते हैं।
  - वर्ष 1956 में भारत ने हनोई (वियतनाम की राजधानी) में अपने महावाणिज्य दूतावास की स्थापना की थी।
    - वियतनाम ने वर्ष 1972 में भारत में अपने राजनयिक मिशन की स्थापना की।
  - भारत, वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप के विरूद्ध आवाज़ उठाने में वियतनाम के साथ खड़ा हुआ था, जिससे भारत-अमेरिका संबंधों पर काफी प्रभाव पड़ा था।
  - वर्ष 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों में दक्षिण-पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया के साथ आर्थिक एकीकरण तथा राजनीतिक सहयोग के विशिष्ट उद्देश्य से भारत द्वारा अपनी 'लुक ईस्ट नीति' की शुरुआत के चलते भारत एवं वियतनाम के संबंध और भी मज़बूत हुए।
- सहयोग के क्षेत्र
  - सामरिक भागीदारी
    - भारत और वियतनाम ने भारत की 'हिंद-प्रशांत सागरीय पहल' (Indo-Pacific Oceans Initiative- IPOI) और हिंद-प्रशांत के संदर्भ में आसियान के दृष्टिकोण ('क्षेत्र में सभी के लिये साझा सुरक्षा, समृद्धि और प्रगति') को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीतिक साझेदारी को मज़बूत करने पर सहमति व्यक्त की।

नोट :

- आर्थिक सहयोग:
  - 'आसियान-भारत मुक्त व्यापार संधि' पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद से भारत और वियतनाम के बीच आर्थिक क्षेत्र के सहयोग में काफी प्रगति देखने को मिली है।
  - भारत को पता है कि वियतनाम दक्षिण-पूर्व एशिया में राजनीतिक स्थिरता और पर्याप्त आर्थिक विकास के साथ एक संभावित क्षेत्रीय शक्ति है।
  - भारत द्वारा 'त्वरित प्रभाव परियोजनाओं' (Quick Impact Projects- QIP) के माध्यम से वियतनाम में विकास और क्षमता सहयोग में निवेश किया जा रहा है, इसके साथ ही वियतनाम के मेकांग डेल्टा क्षेत्र में जल संसाधन प्रबंधन, 'सतत् विकास लक्ष्य' (SDG), और डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी भारत द्वारा निवेश किया गया है।
- व्यापार सहयोग
  - वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान, भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय व्यापार 11.12 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँच गया।
  - इस दौरान वियतनाम को भारतीय निर्यात 4.99 बिलियन अमरीकी डॉलर और वियतनाम से भारतीय आयात 6.12 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा।
- रक्षा सहयोग:
  - भारत रणनीतिक क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिये अपने दक्षिण-पूर्व एशियाई भागीदारों की रक्षा क्षमताओं को पर्याप्त रूप से विकसित करने में रुचि रखता है जबकि वियतनाम अपने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण में रुचि रखता है।
  - वियतनाम भारत की ध्रुव उन्नत हल्के हेलीकाप्टरों, सतह से हवा में मार करने वाली आकाश प्रणाली और ब्रह्मोस मिसाइलों में रुचि रखता है।
  - इसके अलावा, रक्षा संबंधों में क्षमता निर्माण, सामान्य सुरक्षा चिंताओं से निपटना, कर्मियों का प्रशिक्षण और रक्षा अनुसंधान एवं विकास में सहयोग भी शामिल हैं।
  - दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने भारत और वियतनाम के बीच मज़बूत रक्षा संबंधों की पुष्टि की, जो कि दोनों देशों की 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' (2016) का एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ है।
  - इस वर्ष भारत और वियतनाम के बीच "व्यापक रणनीतिक साझेदारी" के पाँच वर्ष पूरे हो रहे हैं और वर्ष 2022 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के पचास साल पूरे हो जाएँगे।
  - भारतीय नौसेना के जहाज़ INS किल्टन ने मध्य वियतनाम के लोगों को बाढ़ राहत सामग्री पहुँचाने के लिये हो ची मिन्ह सिटी का दौरा किया।
  - इसने वियतनाम पीपुल्स नेवी के साथ PASSEX अभ्यास में भी भाग लिया।
  - भारत और वियतनाम की संबंधित रणनीतिक गणना में चीन भी बहुत रुचि रखता है।
  - दोनों देशों ने चीन के साथ युद्ध लड़े थे और दोनों देशों का इसके साथ सीमा संबंधी विवाद है। चीन आक्रामक तरीके से दोनों देशों के क्षेत्रों में अतिक्रमण कर रहा है।
  - इसलिये चीन को उसकी आक्रामक कार्रवाइयों से रोकने के लिये दोनों देशों का करीब आना स्वाभाविक है।
- एकाधिक मंचों पर सहयोग:
  - वर्ष 2021 में भारत और वियतनाम दोनों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्यों के रूप में एक साथ कार्य कर रहे हैं।
  - भारत और वियतनाम दोनों ही पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, मेकांग गंगा सहयोग, एशिया यूरोप बैठक (ASEM) जैसे विभिन्न क्षेत्रीय मंचों में घनिष्ठ सहयोग करते हैं।
- पीपल-टू-पीपल संपर्क:
  - वर्ष 2019 को आसियान-भारत पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया गया तथा दोनों देशों ने द्विपक्षीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये वीज़ा व्यवस्था को सरल बनाया है।
  - भारतीय दूतावास ने वर्ष 2018-19 में महात्मा@150 को मनाने के लिये विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। इनमें जयपुर कृत्रिम अंग फिटमेंट शिविर शामिल हैं, जो भारत सरकार की 'इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी' पहल के तहत वियतनाम के चार प्रांतों में 1000 लोगों को लाभान्वित करते हुए आयोजित किये गए थे।

नोट :

आगे की राह:

- वर्ष 2016 में 15 वर्षों में पहली बार, एक भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा वियतनाम का दौरा करते हुए यह संकेत दिया गया कि भारत अब चीन की परिधि क्षेत्र में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने में संकोच नहीं कर रहा है।
- भारत की विदेश नीति में भारत को एशिया एवं अफ्रीका में शांति, समृद्धि तथा स्थिरता के लिये एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने की परिकल्पना की गई है और यह लक्ष्य वियतनाम के साथ संबंधों को गहरा करने से मज़बूत होगा।
- चूँकि भारत तथा वियतनाम भौगोलिक रूप से उभरते हुए इंडो-पैसिफिक निर्माण के केंद्र में स्थित हैं और दोनों ही इस रणनीतिक क्षेत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाएंगे जो प्रमुख शक्तियों के बीच प्रभाव एवं प्रतिस्पर्द्धा के लिये एक प्रमुख रंगमंच बन रहा है।
- व्यापक भारत-वियतनाम सहयोग ढाँचे के तहत रणनीतिक साझेदारी भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति के तहत निर्धारित दृष्टिकोण के निर्माण की दिशा में महत्त्वपूर्ण होगी, जो पारस्परिक रूप से सकारात्मक जुड़ाव का विस्तार करना चाहती है तथा इस क्षेत्र में सभी के लिये समावेशी विकास सुनिश्चित करती है।
- वियतनाम के साथ संबंधों को मज़बूत करने से अंततः 'सागर' (Security and Growth for All in the Region -SAGAR) पहल को साकार करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ेगा।
- भारत और वियतनाम दोनों ही ब्लू इकोनॉमी और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में एक-दूसरे को लाभ पहुँचा सकते हैं।

तीसरा भारत-मध्य एशिया संवाद

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत-मध्य एशिया वार्ता की तीसरी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

- यह भारत और मध्य एशियाई देशों जैसे- कज़ाखस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच एक मंत्री स्तरीय संवाद है।
- भारत ने वर्ष 2020 में भारत-मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक की मेज़बानी की थी।

प्रमुख बिंदु:

- अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा:
  - भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिये अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और पारगमन गलियारे पर अश्गाबात समझौते के इष्टतम उपयोग पर ज़ोर दिया गया है।
    - INSTC के ढाँचे के भीतर चाबहार बंदरगाह को शामिल करने पर ज़ोर दिया और मध्य तथा दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय संपर्क के विकास एवं मज़बूती से संबंधित मुद्दों पर सहयोग में रुचि व्यक्त की गई है।
    - उत्तर-दक्षिण देशों की पारगमन और परिवहन क्षमता को विकसित करने, क्षेत्रीय रसद नेटवर्क में सुधार करने और नए परिवहन गलियारे बनाने के लिये संयुक्त पहल को बढ़ावा देने हेतु सहमति दर्ज की गई है।
    - भारत और मध्य एशियाई राज्यों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं की मुक्त आवाज़ाही के लिये संयुक्त कार्य समूहों की स्थापना की संभावना तलाशने हेतु सहमति व्यक्त की गई है।
- कनेक्टिविटी परियोजनाएँ:
  - कनेक्टिविटी पहल (चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव) पारदर्शिता, व्यापक भागीदारी, स्थानीय प्राथमिकताओं, वित्तीय स्थिरता और सभी देशों की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिये।
- अफगानिस्तान की स्थिति:
  - अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति और तालिबान के कब्ज़े के बाद क्षेत्र पर इसके प्रभाव पर चर्चा की गई।
    - वर्तमान मानवीय स्थिति, आतंकवाद, क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता के सम्मान और एकता जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई है।

नोट :

- सभी आतंकी समूहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने पर ज़ोर दिया।
  - इस बात पर ज़ोर दिया गया कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवादी हमलों की योजना बनाने के लिये नहीं किया जाना चाहिये, साथ ही अफगान लोगों को तत्काल मानवीय सहायता प्रदान करने का वचन भी दिया गया।
  - आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की गई और 'सुरक्षित पनाहगाह प्रदान करने, सीमा पार आतंकवाद, आतंकवादी वित्तपोषण, हथियारों और नशीली दवाओं की तस्करी, कट्टरपंथी विचारधारा के प्रसार व दुष्प्रचार तथा हिंसा को भड़काने हेतु साइबर स्पेस के दुरुपयोग द्वारा आतंकवादी प्रॉक्सी का उपयोग करने का विरोध किया गया।
- इस दौरान शांतिपूर्ण और स्थिर अफगानिस्तान का समर्थन किया गया और उसके आंतरिक मामलों में संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और गैर-हस्तक्षेप के सिद्धांतों पर बल दिया गया।
- 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद' के 'प्रस्ताव 2593' के महत्त्व को इंगित किया गया, जो कि 'स्पष्ट तौर पर मांग करता है कि अफगान क्षेत्र का उपयोग आतंकवादी कृत्यों को आश्रय, प्रशिक्षण, योजना या वित्तपोषण के लिये नहीं किया जाए और सभी आतंकवादी समूहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का आह्वान किया जाए।

- आतंकवाद विरोधी प्रयास:
  - आतंकवादी कृत्यों के अपराधियों, आयोजकों, वित्तपोषकों और प्रायोजकों को 'प्रत्यर्पण या मुकदमे' के सिद्धांत के अनुसार न्याय के दायरे में लाया जाना चाहिये।
  - विश्व समुदाय से प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों, वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति और वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स मानकों को लागू करने का आह्वान किया गया।
- लाइन ऑफ क्रेडिट
  - सभी देश वर्तमान में मध्य एशिया में बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के लिये पिछले वर्ष भारत द्वारा घोषित 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण के उपयोग पर चर्चा कर रहे हैं।
    - 'लाइन ऑफ क्रेडिट' एक पूर्व निर्धारित उधार सीमा है, जिसे किसी भी समय प्रयोग किया जा सकता है।
    - उधारकर्त्ता आवश्यकतानुसार पैसे निकाल सकता है, जब तक कि सीमा पूरी नहीं हो जाती है और जैसे ही लिये गए पैसों का भुगतान कर दिया जाता है, तो दोबारा उधार लिया जा सकता है।
- महामारी के बाद रिकवरी:
  - सभी देशों ने व्यापक टीकाकरण के महत्त्व पर ज़ोर दिया और वैक्सीन साझा करने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, स्थानीय उत्पादन क्षमता के विकास, चिकित्सा उत्पादों के लिये आपूर्ति शृंखला को बढ़ावा देने एवं मूल्य पारदर्शिता सुनिश्चित कर सहयोग का आह्वान किया गया।
- पर्यटन की बहाली:
  - भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच पर्यटन एवं व्यापारिक संबंधों की क्रमिक बहाली का समर्थन किया गया।
  - कज़ाखस्तान और किर्गिज़स्तान के विदेश मंत्रियों ने भारत एवं उनके देशों के बीच कोविड-19 टीकाकरण प्रमाणपत्रों की पारस्परिक मान्यता का स्वागत किया, जबकि ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के मंत्रियों ने प्रमाणपत्रों की शीघ्र पारस्परिक मान्यता की मांग की।
- ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध:
  - भारत के साथ अपने क्षेत्र के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की स्थापना और कनेक्टिविटी, परिवहन, पारगमन एवं ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावना को उजागर करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA):
  - भारत ने पेरिस समझौते के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये सौर ऊर्जा के सामूहिक, तीव्र और बड़े पैमाने पर परिनियोजन में "अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)" पहल की भूमिका पर प्रकाश डाला।
- आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे के लिये गठबंधन:
  - भारत ने आर्थिक नुकसान को कम करने एवं आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देने में "आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे के लिये गठबंधन (CDRI)" की भूमिका को भी रेखांकित किया।

नोट :

- UNSC में स्थायी सदस्यता:
  - विस्तारित और संशोधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में भारत की स्थायी सदस्यता के लिये अपने देशों के समर्थन को दोहराया गया।
  - UNSC में चल रहे भारत के अस्थायी कार्यकाल और इसकी प्राथमिकताओं का स्वागत किया गया।
- भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग:
  - अपने देशों के क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास, विशेष रूप से अंग्रेज़ी भाषा में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार कौशल में भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम की महत्त्वपूर्ण भूमिका की सराहना की गई।

भारत-मध्य एशिया वार्ता

- यह भारत और मध्य एशियाई देशों जैसे- कज़ाखस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान व उज़्बेकिस्तान के बीच एक मंत्री स्तरीय संवाद है।
- शीत युद्ध के पश्चात् वर्ष 1991 में USSR के पतन के बाद सभी पाँच राष्ट्र स्वतंत्र राज्य बन गए।
- तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर वार्ता में भाग लेने वाले सभी देश शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं।
- बातचीत कई मुद्दों पर केंद्रित है जिसमें कनेक्टिविटी में सुधार और युद्ध से तबाह अफगानिस्तान में स्थिरता संबंधी उपाय शामिल हैं।

अफगानिस्तान के लिये मानवीय ट्रस्ट फंड: OIC

चर्चा में क्यों ?

इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के विदेश मंत्रियों की एक बैठक में अफगानिस्तान में बढ़ते आर्थिक संकट को दूर करने के लिये एक मानवीय ट्रस्ट फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की गई, इस आर्थिक संकट की वजह से सर्दियों में लाखों लोगों को भूख का सामना करना पड़ा है।

- यह बैठक अमेरिका समर्थित सरकार के गिरने के बाद से अफगानिस्तान पर सबसे बड़ा सम्मेलन है।
- जुलाई 2021 में भारत ने पाकिस्तान और भारत के बीच बातचीत में सहायता के लिये OIC के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

प्रमुख बिंदु

- मानवीय ट्रस्ट फंड:
  - अन्य समूहों के साथ समन्वय में अफगानिस्तान को सहायता प्रदान करने के लिये इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के तहत कोष की स्थापना की जाएगी।
  - अफगानिस्तान को अपने वित्तीय संसाधनों तक पहुँच की अनुमति देना उसके आर्थिक पतन को रोकने के लिये महत्त्वपूर्ण होगा और कहा कि अफगानिस्तान के बंद केंद्रीय बैंक भंडार में से अरबों डॉलर को निकालने के लिये यथार्थवादी रास्ते तलाशे जाने चाहिये।
    - बैठक में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अफगानिस्तान के साथ-साथ अफगान शरणार्थियों को शरण देने वाले मुख्य देशों को तत्काल और निरंतर मानवीय सहायता प्रदान करने का भी आह्वान किया गया।
- संयुक्त राष्ट्र द्वारा ट्रस्ट फंड:
  - संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने अगस्त में तालिबान के अधिग्रहण के बाद से अफगानिस्तान के बंद केंद्रीय बैंक भंडार से अरबों डॉलर निष्कासित करने वाली प्रणाली के माध्यम से सीधे अफगानों को तत्काल आवश्यक नकदी प्रदान करने के लिये एक विशेष ट्रस्ट फंड की स्थापना की है।
  - इसे अफगान परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था ताकि वे आगामी सर्दियों में अपनी मातृभूमि में जीवित रह सके।
  - जर्मनी इस फंड में पहला योगदानकर्त्ता है। उसने इसके लिये 50 मिलियन यूरो (USD58 मिलियन) देने की प्रतिबद्धता ज़ाहिर की।

नोट :

इस्लामिक सहयोग संगठन' (OIC):

- परिचय:
  - कुल 57 देशों की सदस्यता के साथ यह संयुक्त राष्ट्र (UN) के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर-सरकारी संगठन है।
  - यह संगठन दुनिया भर में मुस्लिम जगत की सामूहिकता का प्रतिनिधित्व करता है। यह दुनिया के विभिन्न देशों के लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव की भावना को बढ़ावा देने के साथ ही दुनिया के मुस्लिम समुदायों के हितों की रक्षा एवं संरक्षण का प्रयास करता है।
  - इसका गठन सितंबर 1969 में मोरक्को के रबात में हुए ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया था।
  - मुख्यालय: जेद्दाह (सऊदी अरब)
- एक संगठन के रूप में OIC के साथ भारत का संबंध:
  - वर्ष 2018 में विदेश मंत्रियों के 45वें सत्र के शिखर सम्मेलन में मेजबान बांग्लादेश द्वारा सुझाव दिया गया कि भारत में विश्व की 10% से अधिक मुस्लिम आबादी निवास करती है, अत: भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया जाना चाहिये लेकिन पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव का विरोध किया।
  - वर्ष 2019 में भारत ने OIC के विदेश मंत्रियों की बैठक में "गेस्ट ऑफ ऑनर" के रूप में पहली बार अपनी उपस्थिति दर्ज की।
    - OIC की इस बैठक में पहली बार भारत को आमंत्रित किये जाने को भारत के लिये एक कूटनीतिक जीत के रूप में देखा गया, विशेष रूप से ऐसे समय में जब पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के साथ भारत का तनाव बढ़ गया था।
- OIC सदस्य देशों के साथ भारत के संबंध:
  - भारत OIC का सदस्य नहीं है। हालाँकि वर्ष 2019 में विदेश मंत्री परिषद के 46वें सत्र में भारत को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था।
  - व्यक्तिगत स्तर पर भारत के लगभग सभी सदस्य देशों के साथ अच्छे संबंध हैं।
  - हाल के वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ संबंधों में विशेष रूप से उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
    - वर्ष 2017 में 68वें गणतंत्र दिवस समारोह में अबू धाबी (UAE) के क्राउन प्रिंस विशेष मुख्य अतिथि थे।

इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक:

- इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के बारे में:
  - दिसंबर 1973 में जेद्दा में आयोजित मुस्लिम देशों के वित्त मंत्रियों के सम्मेलन मां की गई घोषणा के अनुसरण में इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की स्थापना एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के रूप में की गई तथा बैंक द्वारा अक्तूबर 1975 से औपचारिक रूप से कार्य शुरू किया गया।
  - बैंक का उद्देश्य सदस्य देशों और मुस्लिम समुदायों के आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति को व्यक्तिगत रूप से और साथ ही संयुक्त रूप से शरीयत के सिद्धांतों अर्थात् इस्लामिक कानून के अनुसार बढ़ावा देना है।
  - बैंक का प्रधान कार्यालय सऊदी अरब के जेद्दा में अवस्थित है।
- कार्य:
  - बैंक के कार्यों में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिये विभिन्न माध्यमों से सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के अलावा इक्विटी पूंजी में भाग लेना और उत्पादक परियोजनाओं एवं उद्यमों हेतु ऋण प्रदान करना है।
- सदस्य:
  - वर्तमान में 56 देश बैंक के सदस्य हैं।
  - सदस्यता के लिये मूल शर्त यह है कि संभावित सदस्य देश को OIC का सदस्य होना चाहिये, बैंक की पूंजी में योगदान करना चाहिये और उन नियमों एवं शर्तों को स्वीकार करने के लिये तैयार होना चाहिये जिनका निर्धारण OIC बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा निर्धारित किया गया हो।

नोट :

श्रीलंका के साथ मछुआरों का मुद्दा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में श्रीलंकाई नौसेना कर्मियों द्वारा तमिलनाडु के 43 मछुआरों को गिरफ्तार कर उनकी छह नौकाओं को जब्त कर लिया गया।

- श्रीलंका द्वारा वर्ष 2019 में 210, वर्ष 2020 में 74 मछुआरों सहित कुल 284 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया गया था।
- इससे पहले वर्ष 2020 में मत्स्य पालन पर भारत-श्रीलंका संयुक्त कार्य समूह (Joint Working Group- JWG) की चौथी बैठक वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित की गई थी।

प्रमुख बिंदु

- पृष्ठभूमि:
  - भारत और श्रीलंका दोनों देशों के मछुआरे सदियों से पाक खाड़ी क्षेत्र में मछली पकड़ते रहे हैं।
    - पाक खाड़ी भारत और श्रीलंका के दक्षिण-पूर्वी तट के मध्य एक अर्द्ध-संलग्न उथला जल निकाय क्षेत्र है।
  - वर्ष 1974 में भारत और श्रीलंका द्वारा एक समुद्री समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद से यह समस्या उत्पन्न हुई।
  - शुरुआत में वर्ष 1974 के सीमा समझौते ने सीमा के दोनों ओर मछली पकड़ने के मछुआरों के हितों को प्रभावित नहीं किया।
  - वर्ष 1976 में दोनों देशों के मध्य हुए दस्तावेज़ों के आदान-प्रदान द्वारा भारत और श्रीलंका एक-दूसरे के जल क्षेत्र में मछली न पकड़ने पर सहमत हुए।
    - वर्ष 1974 और वर्ष 1976 में दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (International Maritime Boundary Line- IMB) का सीमांकन करने हेतु संधियों पर हस्ताक्षर किये गए थे।
    - इन संधियों ने भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले पाक जलडमरूमध्य को 'टू नेशन पोंड' (Two-Nation Pond) बना दिया, जो कि संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UN Convention on the Law of the Sea-UNCLOS) के नियमों के तहत किसी तीसरे देश के हस्तक्षेप को रोकता है।
    - सरल शब्दों में यह द्विपक्षीय व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय फिशिंग और शिपिंग पर प्रतिबंध लगाती है।
  - हालाँकि समझौता मछुआरों को इस क्षेत्र में मछली पकड़ने से नहीं रोक सका।
    - समुद्री सीमा समझौतों पर हस्ताक्षर के बावजूद वर्ष 1983 में ईलम युद्ध (Eelam war) शुरू होने तक दोनों देशों के मछुआरा समुदायों ने शांतिपूर्वक पाक खाड़ी क्षेत्र में मछली पकड़ना जारी रखा।
  - बहरहाल वर्ष 2009 में युद्ध की समाप्ति के बाद से श्रीलंकाई मछुआरे भारतीय मछुआरों के उन्ही के जल क्षेत्र में मछली पकड़ने पर आपत्ति जताते रहे हैं।
  - बाद में भारत और श्रीलंका द्वारा मछुआरों के मुद्दे का स्थायी समाधान खोजने के लिये भारत-श्रीलंका के मध्य वर्ष 2016 में मत्स्य पालन पर एक संयुक्त कार्य समूह (JWG) के गठन पर सहमति व्यक्त की गई।
- कच्चातीवु द्वीप मुद्दा:
  - कच्चातीवु द्वीप का उपयोग मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियों को छाँटने और अपना जाल सुखाने के लिये किया जाता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के दूसरी तरफ स्थित है।
  - ऐसे में पारंपरिक मछुआरे अक्सर अपनी जान जोखिम में डालते हैं क्योंकि गहरे समुद्र से खाली हाथ लौटने के बजाय मछली पकड़ने के लिये वे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा को पार कर जाते हैं उनके ऐसा करने पर श्रीलंकाई नौसेना अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा को पार करने वाले भारतीय मछुआरों को पकड़कर या तो उनके जाल को नष्ट कर देती है या फिर उनकी नौकाओं को जब्त कर लेती है।
- विवाद जारी रहने का कारण:
  - भारतीय मछुआरों के साथ मुख्य समस्या यह है कि उनमें से बड़ी संख्या श्रीलंकाई जल में मछली पकड़ने पर निर्भर है, जो कि वर्ष 1976 के समुद्री सीमा समझौते द्वारा निषिद्ध है।
  - साथ ही बड़ी संख्या में भारतीय मछुआरे ट्रॉलिंग पर निर्भर हैं जो कि श्रीलंका में प्रतिबंधित है।

नोट :

- संबंधित पहल:
  - IMBL काल्पनिक है, लेकिन ग्लोबल पोज़िशनिंग सिस्टम (GPS) के माध्यम से इसे अब जियो-टैग प्रदान किया गया है जिससे मछुआरे IMBL को पहचानने में सक्षम हैं।
  - गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की योजना:
    - यह तमिलनाडु-विशिष्ट योजना है, इसका उद्देश्य राज्य के मछुआरों को तीन वर्ष में 2,000 नाव उपलब्ध कराना और उन्हें 'बॉटम ट्रालिंग' छोड़ने के लिये प्रेरित करना है।
    - इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को समाप्त करना है।
    - इसे 'ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम' के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था।

आगे की राह

- श्रीलंका में प्रतिबंधित मछली पकड़ने के उपकरणों को पाक खाड़ी में भारत द्वारा प्रतिबंधित किया जाना चाहिये।
  - ऐसे फिशिंग अभ्यासों को छोड़ देना चाहिये जो समुद्री पारिस्थितिकी को अपूरणीय क्षति पहुँचाते हैं।
- यदि घोषणा का दो चरणों में पालन किया जाए तो भारतीय मछुआरों को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है।
  - ट्रॉलर का उपयोग ओडिशा तट में किया जा सकता है जहाँ पानी बहुत गहरा है।
  - कुछ परिवर्तनों के साथ ट्रॉलर को मछली पकड़ने वाले छोटे जहाज़ों के रूप में उपयोग किया जा सकता है जो मदर शिप या मुख्य जहाज़ की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
- भारत, पाक खाड़ी को विवादित क्षेत्र से साझा विरासत में बदल सकता है।
  - पहला कदम इस बात को स्वीकार करना है कि यहाँ विभिन्न हितधारक हैं जिसमें दो संघीय एवं प्रांतीय सरकारें, नौसेना एवं तटरक्षक, मत्स्य विभाग और इन सबसे ऊपर दोनों देशों के मछुआरे समुदाय शामिल हैं।
  - अगला कदम समुद्री पारिस्थितिकीविदों, मत्स्य विशेषज्ञों, रणनीतिक विशेषज्ञों और सरकारी प्रतिनिधियों के साथ मिलकर पाक खाड़ी प्राधिकरण (Palk Bay Authority-PBA) के निर्माण का होना चाहिये।
    - PBA मछली पकड़ने (कैचिंग) की आदर्श एवं संधारणीय क्षमता, फिशिंग हेतु इस्तेमाल किये जा सकने वाले उपकरणों के प्रकार और श्रीलंकाई तथा भारतीय मछुआरों के लिये मछली पकड़ने की तारीखें व दिनों की संख्या आदि का निर्धारण कर सकता है।
    - समुद्री संसाधनों के संवर्द्धन और मछुआरों की आजीविका में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।

चीन के बीआरआई (BRI) निवेश में गिरावट

चर्चा में क्यों ?

चीन स्थित थिंक टैंक की रिपोर्ट के अनुसार, चीन के बहुप्रचारित बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (Belt and Road Initiative- BRI) परियोजना के निवेश में वर्ष 2019 के बाद से 5% की गिरावट आई है।

- निवेश में गिरावट का कारण असफल सौदे और कोविड-19 महामारी है।
- अवसंरचना ऋण (Infrastructure Debt) और ऋण चूक (Loan Defaults) हेतु चीन अब अफ्रीका में परियोजनाओं के लिये नकदी नहीं दे रहा है।

प्रमुख बिंदु

- BRI के बारे में:
  - यह 2013 में शुरू की गई एक मल्टी-अरब डॉलर की पहल है।
  - इसका उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप को भूमि एवं समुद्री मार्गों के नेटवर्क से जोड़ना है।
  - इसका उद्देश्य विश्व में बड़ी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को शुरू करना है जो बदले में चीन के वैश्विक प्रभाव को बढ़ाएगा।

नोट :

- रेलवे, बंदरगाह, राजमार्ग और अन्य बुनियादी ढाँचे जैसी बीआरआई परियोजनाओं में सहयोग करने के लिये 100 से अधिक देशों ने चीन के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं।
  - वर्ष 2000 से 2020 तक चीन ने अफ्रीकी देशों में 13,000 किलोमीटर से अधिक सड़क और रेलमार्ग, बड़े पैमाने पर 80 से अधिक विद्युत सुविधाओं के निर्माण में मदद की तथा 130 से अधिक चिकित्सा सुविधाओं, 45 खेल स्थलों व 170 से अधिक स्कूलों को वित्तपोषित किया है एवं अफ्रीकी संघ सम्मेलन केंद्र का निर्माण किया।

- BRI के तहत गतिविधियाँ:
  - इसमें पाँच प्रकार की गतिविधियाँ शामिल हैं
    - नीति समन्वय, व्यापार संवर्द्धन, भौतिक संपर्क, रॅन्मिन्बी (चीन की मुद्रा) का अंतर्राष्ट्रीयकरण और पीपल-टू-पीपल संपर्क।
- BRI के तहत मार्ग:
  - न्यू सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट: इसमें चीन के उत्तर में व्यापार और निवेश केंद्र शामिल हैं; जिसमें म्याँमार एवं भारत के माध्यम से यूरेशिया तक पहुँच बनाना है।
  - मैरीटाइम सिल्क रोड (MSR): यह दक्षिण चीन सागर से शुरू होकर भारत-चीन, दक्षिण-पूर्व एशिया की ओर जाती है और फिर हिंद महासागर के आसपास अफ्रीका एवं यूरोप तक पहुँचती है।
- संबंधित चिंताएँ (भारत और विश्व के लिये):
  - भारत के सामरिक हितों में बाधा:
    - चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) और बलूचिस्तान से होकर गुज़रता है, दोनों ही क्षेत्र लंबे समय से विद्रोह के केंद्र हैं जहाँ भारत को आतंकवाद एवं सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ता है।
    - CPEC दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत के रणनीतिक हितों को बाधित करेगा और कश्मीर विवाद मामले में पाकिस्तान को वैधता प्रदान करने में सहायक हो सकता है।
    - साथ ही CPEC को अफगानिस्तान तक विस्तारित करने का प्रयास अफगानिस्तान के आर्थिक, सुरक्षा और रणनीतिक साझेदार के रूप में भारत की स्थिति को कमज़ोर कर सकता है।
  - उपमहाद्वीप में चीन का सामरिक उदय: चीन द्वारा चीन-म्याँमार आर्थिक गलियारा (CMEC) और CPEC के साथ-साथ 'चीन-नेपाल आर्थिक गलियारा' (CNEC) भी विकसित किया जा रहा है जो तिब्बत को नेपाल से जोड़ेगा।
    - परियोजना का समापन बिंदु गंगा के मैदान की सीमाएँ होंगी।
    - इस प्रकार ये तीन गलियारे भारतीय उपमहाद्वीप में चीन के आर्थिक और रणनीतिक उदय को दर्शाते हैं।
  - पारदर्शिता की कमी:
    - बीआरआई समझौतों में पारदर्शिता की कमी और छोटे देशों पर चीन के बढ़ते कर्ज ने वैश्विक चिंताएँ बढ़ा दी हैं।
    - श्रीलंका द्वारा चीन को हंबनटोटा बंदरगाह 99 वर्ष के पट्टे पर देने के संबंध में बीआरआई के नकारात्मक पक्ष के बारे में चिंता व्यक्त की गई है और छोटे देशों में अरबों डॉलर की लागत वाली प्रमुख बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं पर ज़ोर दिया गया है।
- बीआरआई के प्रतिपक्ष में पहल:
  - B3W पहल: G7 देशों ने चीन के BRI का मुकाबला करने के लिये 47वें G7 शिखर सम्मेलन में 'बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड (B3W) पहल' का प्रस्ताव रखा।
    - इसका उद्देश्य विकासशील और कम आय वाले देशों में बुनियादी ढाँचे के निवेश घाटे को दूर करना है।
  - ब्लू डॉट नेटवर्क (BDN): यह अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया द्वारा गठित एक बहु-हितधारक पहल है, जो वैश्विक बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये उच्च गुणवत्ता, विश्वसनीय मानकों को बढ़ावा देने तथा सरकारों, निजी क्षेत्र एवं नागरिक समाज को एक साथ लाने के लिये बनाई गई है।
    - BDN को औपचारिक रूप से नवंबर 2019 में बैंकॉक, थाईलैंड में इंडो-पैसिफिक बिज़नेस फोरम में घोषित किया गया था।
  - ग्लोबल गेटवे: बीआरआई के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने के लिये यूरोपीय संघ ने हाल ही में ग्लोबल गेटवे नामक एक नई बुनियादी ढाँचा विकास योजना शुरू की।

नोट :

आगे की राह:

- चीन के BRI का मुकाबला करने के लिये अधिक उन्नत देशों द्वारा वैकल्पिक परियोजनाएँ शुरू की जानी चाहिये जो मेज़बान/प्राप्तकर्ता देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रकृति में भी सहभागी हों।
- भारत को अपने बुनियादी ढाँचे के निर्माण और उन्नयन के लिये आवश्यक होने पर जापान जैसे भागीदारों से मदद लेनी चाहिये और चीनी नेतृत्व वाले कनेक्टिविटी कॉरिडोर व बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का विकल्प बनाना चाहिये क्योंकि दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में अकेले कार्य करने की भारत की क्षमता सीमित है।
- भारत के लिये अपने पड़ोसियों को वैकल्पिक कनेक्टिविटी व्यवस्था प्रदान करने हेतु इस क्षेत्र में अपने भागीदारों के साथ काम करना महत्त्वपूर्ण है।
  - विदेश नीति के प्रभाव को बढ़ाने के लिये कनेक्टिविटी को एक उपकरण के रूप में देखा जा रहा है।

रमना काली मंदिर: बांग्लादेश

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति ने रमना, ढाका (बांग्लादेश) में पुनर्निर्मित रमना काली मंदिर का उद्घाटन किया, जहाँ ऐतिहासिक सुहरावर्दी उद्यान (पूर्व रमना रेस कोर्स) स्थित है।

- पुनर्निर्मित रमना कालीबाड़ी का उद्घाटन मुक्ति संग्राम में बांग्लादेश और भारत की जीत की 50वीं वर्षगाँठ के साथ हुआ, जो दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की स्वर्ण जयंती का भी प्रतीक है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - मार्च 1971 में ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा मंदिर को नष्ट कर दिया गया था और क्रूर कार्रवाई के कारण नरसंहार हुआ एवं बांग्लादेश मुक्ति युद्ध हुआ।
    - मार्च 1971 में पश्चिम पाकिस्तान ने बंगालवासियों के आत्मनिर्णय को दबाने के लिये पूर्वी पाकिस्तान में एक नरसंहार का नेतृत्व किया। पूर्वी पाकिस्तान ने बांग्लादेश में जनवादी गणराज्य की स्थापना हेतु लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में भारत ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  - पाकिस्तान से मुक्त होने के बाद बांग्लादेश के लोगों द्वारा प्रार्थना करने के लिये साइट पर एक छोटा मंदिर स्थापित किया गया।
  - वर्ष 2017 में परिसर के पुनर्निर्माण की घोषणा उस समय की गई थी, जब तत्कालीन भारतीय विदेश मंत्री ने बारीधारा, ढाका में 15 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
  - ऐतिहासिक रमना काली मंदिर भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीच आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक बंधन का प्रतीक है।
- रमना काली मंदिर:
  - माना जाता है कि देवी काली को समर्पित इस मंदिर का निर्माण मुगल काल के दौरान किया गया था। इसे 400 साल पुराना माना जाता है, हालाँकि यह बताना मुश्किल है कि इसे किस वर्ष बनाया गया था।
  - यह मंदिर एक हिंदू संप्रदाय द्वारा बनाया गया था, लेकिन यह पहचान करना मुश्किल है कि इसे किसने बनाया था। हालाँकि ऐसा कहा जाता है कि निश्चित ही इसे हरिचरण गिरि द्वारा बनाया गया था जो मंदिर में महंत थे।
  - यह एक बहुत बड़ा मंदिर नहीं था और वास्तुकला के मामले में काफी सामान्य था, हालाँकि यह ढाकेश्वरी मंदिर के बाद बांग्लादेश में दूसरा सबसे पुराना हिंदू मंदिर है।
  - 20वीं शताब्दी की शुरुआत में मंदिर को तब प्रमुखता मिली जब प्रसिद्ध संत माँ आनंदमयी ने अपने आश्रम को परिसर में बनाया।
    - आनंदमयी को लोकप्रिय रूप से "शाहबाग-एर मा" या शाहबाग की माँ के रूप में संबोधित किया जाता था।

नोट :

- मंदिर और युद्ध:
  - 27 मार्च, 1971 को पाकिस्तानी सेना द्वारा मंदिर को नष्ट कर दिया गया तथा पुजारियों और भक्तों सहित 85 हिंदुओं की हत्या कर दी गई।
  - 7 मार्च, 1971 को मंदिर तोड़े जाने से कुछ दिन पहले बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने रमना रेसकोर्स मैदान में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता हेतु संघर्ष के लिये बंगालियों का आह्वान किया था।
    - बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान (1920-1975) बांग्लादेश के संस्थापक नेता और देश के पहले प्रधानमंत्री थे।

भारत-बांग्लादेश संबंध

- सैन्य सहयोग:
  - बांग्लादेश सरकार ने अपनी सीमाओं से भारत विरोधी उग्रवादी तत्त्वों को समाप्त करने का कार्य किया है जिसके परिणामस्वरूप भारत-बांग्लादेश सीमा क्षेत्र के सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्रों में से एक बन गई है।
  - इसने भारत को अपनी अधिक विवादास्पद सीमाओं पर सैन्य संसाधनों की बड़े पैमाने पर पुन: तैनाती करने की अनुमति दी है।
- भूमि सीमा समझौता:
  - वर्ष 2015 में बांग्लादेश और भारत ने ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौते (Land Boundary Agreement) की पुष्टि कर अपनी सीमाओं से संबंधित मुद्दों को शांतिपूर्वक हल करने के क्रम में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की।
- व्यापार संबंध:
  - बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत से बांग्लादेश को किया जाने वाला निर्यात 9.21 बिलियन डॉलर और आयात 1.04 बिलियन डॉलर का था।
  - इसके साथ ही भारत ने कई बांग्लादेशी उत्पादों को शुल्क मुक्त पहुँच प्रदान करने की पेशकश भी की है।
- विकास के क्षेत्र:
  - विकास के मोर्चे पर भी दोनों देशों के बीच सहयोग में वृद्धि हुई है। हाल के वर्षों में भारत ने सड़कों, रेलवे, पुलों और बंदरगाहों के निर्माण हेतु बांग्लादेश को 8 बिलियन डॉलर की राशि लाइन ऑफ क्रेडिट (एक प्रकार का ऋण) के रूप में प्रदान की है।
- बेहतर कनेक्टिविटी: दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी में बहुत अधिक सुधार हुआ है।
  - कोलकाता और अगरतला के बीच एक सीधी बस सेवा (ढाका से होते हुए) शुरू होने से दोनों स्थानों के बीच यात्रा के लिये केवल 500 किमी. की दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि चिकेन नेक के माध्यम से यात्रा करने पर 1,650 किमी. की दूरी तय करनी पड़ती है।
  - बांग्लादेश अपने मोंगला और चटोग्राम (चटगाँव) बंदरगाह से माल ढुलाई की अनुमति देता है, जहाँ से सड़क, रेल और जलमार्ग के माध्यम से माल को अगरतला तक पहुँचाया जाता है।
- सहयोग के नए क्षेत्र:
  - भारत आने वाले पर्यटकों में एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेशी पर्यटकों का है, वर्ष 2017 में पश्चिमी यूरोप से आने वाले पर्यटकों के आँकड़ों को पीछे छोड़ते हुए भारत आने वाले पर्यटकों में से प्रत्येक पाँचवाँ पर्यटक बांग्लादेश से था।
  - भारत के अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा रोगियों (इलाज हेतु अन्य देशों से भारत आने वाले मरीज़) में 35% से अधिक हिस्सेदारी बांग्लादेश की है और भारत के राजस्व में 50% से अधिक योगदान चिकित्सा यात्रा का है।
- हालिया विकास:
  - इससे पूर्व वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध, जिसमें बांग्लादेश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बांग्लादेश सशस्त्र बलों (Bangladesh Armed Forces) के 122 सदस्यीय दल ने भारत की 72वीं गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया।

नोट :

भारत-म्याँमार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत द्वारा पड़ोसी देश (म्याँमार) को 'मेड इन इंडिया' कोरोनावायरस टीकों की 10 लाख खुराक और निरंतर मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में 10,000 टन चावल और गेहूँ का अनुदान प्रदान किया गया है।

- 1 फरवरी, 2021 को तख्तापलट में म्याँमार की सेना द्वारा लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई आंग सान सू की सरकार को अपदस्थ करने के बाद से किसी भारतीय विदेश सचिव की म्याँमार की यह पहली यात्रा थी।

प्रमुख बिंदु

- भारतीय विदेश मंत्री द्वारा म्याँमार में "जल्द-से-जल्द" "लोकतंत्र की वापसी", दोनों देशों के मध्य राजनीतिक कैदियों की "मुक्ति" का आह्वान किया गया। बातचीत के माध्यम से मुद्दों का समाधान और सभी प्रकार की हिंसा को पूर्ण रूप से समाप्त करने की बात की गई।
- आसियान पहल के लिये भारत के मज़बूत और लगातार समर्थन की पुष्टि की गई तथा आशा व्यक्त की कि पाँच सूत्रीय सहमति के आधार पर इस दिशा में व्यावहारिक और रचनात्मक तरीके से प्रगति की जाएगी।
  - आसियान के पाँच सूत्रीय सहमति के प्रति सर्वसम्मति व्यक्त करते हुए म्याँमार में हिंसा को तत्काल समाप्त करने की बात की गई तथा सभी पक्षों से संयम बरतने को कहा गया, लोगों के हित में शांतिपूर्ण समाधान तलाशने के लिये सभी संबंधित पक्षों के बीच रचनात्मक बातचीत शुरू करने पर भो सहमति व्यक्त की गई।
- भारत-म्याँमार सीमा क्षेत्रों के साथ-साथ व्यक्ति-केंद्रित सामाजिक-आर्थिक विकास परियोजनाओं के लिये भारत के निरंतर समर्थन से कालादान मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट परियोजना और त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसी परिचालित कनेक्टिविटी पहलों के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
- म्याँमार के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए रखाइन राज्य विकास कार्यक्रम और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं को जारी रखने के लिये भारत की प्रतिबद्धता दोहराई गई।
- इस बात पर ज़ोर दिया गया कि म्याँमार में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होने पर उत्तर पूर्व के राज्यों में भी शांति और सुरक्षा प्रभावित होती है।
  - हाल के दिनों में सिर्फ रोहिंग्या ही नहीं हैं जिन्होंने म्याँमार से भारत में घुसने की कोशिश की है। रिपोर्टों के अनुसार, म्याँमार की सेना में सेवारत पुलिसकर्मी और देश छोड़कर भागे अन्य लोगों द्वारा मिज़ोरम, मणिपुर जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में शरण ली गई है।

भारत-म्याँमार संबंध

- भूमिका:
  - भारत और म्याँमार के संबंध आधिकारिक तौर पर वर्ष 1951 में मैत्री संधि पर हस्ताक्षर के बाद शुरू हुए, इसके बाद वर्ष 1987 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की यात्रा के दौरान अधिक सार्थक संबंधों की नींव रखी गई।
- बहुआयामी संबंध:
  - बंगाल की खाड़ी के साथ एक लंबी भौगोलिक और समुद्री सीमा साझा करने के अलावा भारत और म्याँमार के बीच पारंपरिक रूप से सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, जातीय और धार्मिक संबंधों में बहुत कुछ समानता है।
- म्याँमार की भू-सामरिक स्थिति:
  - म्याँमार भारत के लिये भू-राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दक्षिण-पूर्व एशिया के केंद्र में स्थित है।
  - म्याँमार एकमात्र दक्षिण-पूर्व एशियाई देश है जो उत्तर-पूर्वी भारत के साथ लगभग 1,624 किलोमीटर की थल सीमा साझा करता है।
  - दोनों देश बंगाल की खाड़ी में 725 किलोमीटर की समुद्री सीमा भी साझा करते हैं।
- दो विदेश नीति सिद्धांतों का संगम:
  - म्याँमार एकमात्र ऐसा देश है जो भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट नीति' और "एक्ट ईस्ट" नीति के केंद्र में है।

नोट :

- भारत-प्रशांत क्षेत्रीय कूटनीति के संदर्भ में भारत के लिये म्याँमार एक महत्त्वपूर्ण देश है और दक्षिण एशिया व दक्षिण-पूर्व एशिया को जोड़ने के लिये एक भूमि पुल के रूप में कार्य करता है।

- चीन के साथ प्रतिस्पर्द्धा:
  - यदि भारत एशिया में एक मुखर क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित करना चाहता है, तो इसे ऐसी नीतियों के विकास की दिशा में काम करना होगा जो पड़ोसी देशों के साथ इसके संबंधों को बेहतर और मज़बूत बनाने में सहायक हों।
  - हालाँकि इस नीति के कार्यान्वयन में चीन एक बड़ी बाधा है, क्योंकि चीन का लक्ष्य भारत के पड़ोसियों पर इसके प्रभुत्व को समाप्त करना है। ऐसे में भारत और चीन दोनों ही म्याँमार पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिये एक अप्रत्यक्ष मुकाबला कर रहे हैं।
  - उदाहरण के लिये हिंद महासागर हेतु स्थापित अपनी 'सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन' या सागर (SAGAR) नीति के तहत भारत ने म्याँमार के रखाईन प्रांत में सित्वे बंदरगाह को विकसित किया है।
  - 'सित्वे' (Sittwe) बंदरगाह को म्याँमार में चीन समर्थित 'क्याउक्प्यू' (Kyaukpyu) बंदरगाह के लिये भारत की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है, गौरतलब है कि क्याउक्प्यू बंदरगाह का उद्देश्य रखाईन प्रांत में चीन की भू-रणनीतिक पकड़ को मज़बूत करना है।

- भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु महत्त्वपूर्ण:
  - पूर्वोत्तर भारत के राज्य वामपंथी उग्रवाद और मादक पदार्थों के व्यापार मार्गों (स्वर्णिम त्रिभुज) से प्रभावित हैं।
  - इन चुनौतियों से निपटने के लिये भारत और म्याँमार की सेनाओं द्वारा ऑपरेशन सनशाइन जैसे कई संयुक्त सैन्य अभियान संचालित किये गए हैं।

- आर्थिक सहयोग:
  - कई भारतीय कंपनियों ने म्याँमार में बुनियादी ढाँचा सहित बहुत से अन्य क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण आर्थिक तथा व्यापारिक समझौते किये हैं।
  - कुछ अन्य भारतीय कंपनियों जैसे- एस्सार (Essar), गेल और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ONGC Videsh Ltd.) ने म्याँमार के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश किया है।
  - भारत ने अपने "मेड इन इंडिया" रक्षा उद्योग और सैन्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिये एक प्रमुख घटक के रूप में म्याँमार की पहचान की है।

आगे की राह

- भले ही भारत द्विपक्षीय और विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली का आह्वान करता है लेकिन भारत की चिंता को दूर करने के लिये म्याँमार में सेना के साथ तालमेल बढ़ाना होगा तथा इसे एक हितधारक बनाना होगा जो राजनीतिक बंदियों की रिहाई सहित लोकतांत्रिक मोर्चे पर काम कर सके।
  - भारत यदि म्याँमार की सेना को अधिकारविहीन करता है तो वह चीन की तरफ अपना रुख करेगी। तख्तापलट के बाद से म्याँमार पर चीन की आर्थिक पकड़ केवल चीन-म्याँमार आर्थिक गलियारे के लिये महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देने मात्र से मज़बूत हो गई है।
- भारत की "बौद्ध सर्किट" पहल, जो भारत के विभिन्न राज्यों में प्राचीन बौद्ध विरासत स्थलों को जोड़कर विदेशी पर्यटकों के आगमन और राजस्व को दोगुना करने हेतु शुरू की गई है, में बौद्ध-बहुल म्याँमार को भी शामिल किया जा सकता है।
- रोहिंग्या मुद्दे को जितनी जल्दी सुलझाया जाएगा, भारत के लिये म्याँमार और बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों का प्रबंधन करना उतना ही आसान होगा, इसके अतिरिक्त द्विपक्षीय एवं उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग पर अधिक ध्यान देने की भी आवश्यकता है।
- अंततः आसियान और बिम्सटेक जैसे विभिन्न बहुपक्षीय मंचों में सहयोग दोनों देशों के बीच संबंधों को मज़बूत करेगा।

नोट :

त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म सौदा: भारत-श्रीलंका

चर्चा में क्यों ?

भारत और श्रीलंका जल्द ही त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्मों को संयुक्त रूप से विकसित करने हेतु लंबे समय से लंबित सौदे पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं।

- दोनों देशों के मध्य तनावपूर्ण संबंधों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर एक सकारात्मक संकेत को दर्शाएगा।

प्रमुख बिंदु

- 'त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म' के विषय में:
  - तेल टैंक फार्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ईंधन भरने वाले स्टेशन के रूप में अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था।
  - यह त्रिंकोमाली के गहरे पानी में स्थित प्राकृतिक बंदरगाह के करीब 'चाइना बे' में स्थित है।
  - इस संयुक्त विकास के प्रस्ताव की परिकल्पना 35 वर्ष पूर्व भारत-श्रीलंका समझौते (1987) में की गई थी।
  - इसमें 99 भंडारण टैंक शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक में 12,000 किलोलीटर की क्षमता है, जो लोअर टैंक फार्म और अपर टैंक फार्म के रूप में फैले हुए हैं।
  - वर्ष 2003 में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने इस तेल फार्म पर काम करने के लिये अपनी श्रीलंकाई सहायक कंपनी 'लंका IOC' की स्थापना की थी।
  - वर्तमान में 'लंका IOC' के पास 15 टैंक हैं। शेष टैंकों के लिये नए समझौते पर वार्ता चल रही है।
- समझौते का महत्त्व:
  - त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्मों की अवस्थिति इसे कई अनुकूल कारक प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिये:
    - आसान पहुँच: यह त्रिंकोमाली के गहरे जल के प्राकृतिक बंदरगाह पर स्थित है।
    - हिंद महासागर में रणनीतिक स्थान: ये तेल फार्म विश्व के कुछ सबसे व्यस्त शिपिंग लेन के साथ स्थित हैं।
  - इस प्रकार त्रिंकोमाली बंदरगाह से सटे एक अच्छी तरह से विकसित तेल भंडारण सुविधा और रिफाइनरी का भारत और श्रीलंका दोनों के लिये बहुत आर्थिक मूल्य होगा।

भारत-लंका समझौता:

- इस समझौते के सूत्रधार भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्धने थे, यह समझौता मुख्य रूप से राजीव-जयवर्धने समझौते के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1987 में इस समझोते पर हस्ताक्षर किये गए थे।
- इस समझौते पर श्रीलंका में गृहयुद्ध (तमिलों और सिंहल समुदाय के बीच) के बहाने हस्ताक्षर किये गए थे।
- समझौते में भारत के सामरिक हितों, श्रीलंका में भारतीय मूल के लोगों के हितों और श्रीलंका में तमिल अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संतुलित करने की मांग की गई थी।.
- समझौते के तहत श्रीलंकाई गृहयुद्ध को हल करने हेतु श्रीलंका में भारतीय शांति रक्षा बल (Indian Peace Keeping Force-IPKF) की नियुक्ति की गई।
- समझौते के परिणामस्वरूप श्रीलंका के संविधान में 13वें सविधान संशोधन और वर्ष 1987 के प्रांतीय परिषद अधिनियम को भी लागू किया गया।

भारत-श्रीलंका संबंधों में तनाव:

- चीन का हस्तक्षेप: श्रीलंका में चीन का तेज़ी से बढ़ता हस्तक्षेप (और इसके परिणाम के रूप में राजनीतिक दबदबा) भारत-श्रीलंका संबंधों को तनावपूर्ण बना रहा है।
  - चीन पहले से ही श्रीलंका में सबसे बड़ा निवेशक है, जिसका श्रीलंका में वर्ष 2010-2019 के दौरान कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में 23.6% हिस्सा है, जबकि भारत का हिस्सा 10.4% है।

नोट :

- चीन श्रीलंकाई सामानों के लिये सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक है और अपने विदेशी ऋण का 10% से अधिक रखता है।
- चीन श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह को भी संभाल रहा है, इस बंदरगाह को चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जाता है।

- कच्चातीवु द्वीप मुद्दा: भारत ने वर्ष 1974 में एक सशर्त समझौते के तहत कच्चातीवु नामक निर्जन द्वीप को अपने दक्षिणी पड़ोसी देश को सौंप दिया।
  - हालाँकि भारत-श्रीलंका के दृष्टिकोण के बजाय यह विवाद कई बार मछुआरों से संबंधित घरेलू संघर्ष के कारण उत्पन्न होता है।
- श्रीलंका के संविधान का 13वाँ संशोधन: श्रीलंका के संघर्ष के राजनीतिक समाधान के लिये वर्ष 1987 में भारत-श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे।
  - यह एक संयुक्त श्रीलंका के भीतर समानता, न्याय, शांति और सम्मान के लिये तमिल लोगों की उचित मांग को पूरा करने हेतु प्रांतीय परिषदों को आवश्यक शक्तियों के हस्तांतरण की परिकल्पना करता है।
  - इस समझौते के प्रावधान श्रीलंका के संविधान में 13वें संशोधन द्वारा किये गए थे।
  - बावजूद इसके प्रावधानों को धरातल पर लागू नहीं किया जा रहा है। आज भी श्रीलंकाई गृहयुद्ध (2009) से बचने वाले बहुत से श्रीलंकाई तमिल तमिलनाडु में शरण मांग रहे हैं।
- श्रीलंका का पीछे हटना: हाल ही में श्रीलंका घरेलू मुद्दों का हवाला देते हुए कोलंबो पोर्ट पर अपने ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट के लिये भारत और जापान के साथ त्रिपक्षीय साझेदारी से पीछे हट गया।

भारत-श्रीलंका सहयोग: हाल के घटनाक्रम:

- फोर-पिलर इनिशिएटिव: हाल ही में भारत और श्रीलंका ने श्रीलंका के आर्थिक संकट को कम करने में मदद हेतु खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा करने के लिये चार सूत्री रणनीति पर सहमति व्यक्त की है।
  - इस फोर-पिलर इनिशिएटिव में लाइन ऑफ क्रेडिट, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, मॉडर्नाइज़ेशन प्रोजेक्ट (जैसे द इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट) और भारतीय निवेश शामिल हैं।
- संयुक्त अभ्यास: भारत और श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास (मित्र शक्ति) तथा नौसैनिक अभ्यास- स्लीनेक्स (SLINEX) का आयोजन करते हैं।
- समूहों के बीच भागीदारी: श्रीलंका भी बिम्सटेक (बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिये बंगाल की खाड़ी पहल) और सार्क जैसे समूहों का सदस्य है जिसमें भारत प्रमुख भूमिका निभाता है।
- SAGAR विज़न: श्रीलंका अपनी 'पड़ोसी पहले' नीति और सागर (क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा और विकास) के साथ हिंद महासागर की सुरक्षा के लिये भारत की चिंता का समर्थन करता है।

आगे की राह

- श्रीलंका के साथ 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति का संपोषण भारत के लिये हिंद महासागर क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों को संरक्षित करने के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण है।
- श्रीलंका के प्रति अपनी 'द्वीपीय कूटनीति' के हिस्से के रूप में भारतीय विदेश नीति को भी आकस्मिक वास्तविकताओं और खतरों के अनुरूप विकसित करना होगा।
- दोनों देश आर्थिक लचीलापन पैदा करने के लिये निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने में भी सहयोग कर सकते हैं।

मिशन सागर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में आईएनएस केसरी, मोज़ाम्बिक की सरकार के प्रयासों का समर्थन करने हेतु चल रहे सूखे और महामारी की समवर्ती चुनौतियों से निपटने के लिये 500 टन खाद्य सहायता देने हेतु 'मापुटो' (मोज़ाम्बिक) के बंदरगाह पर पहुँच गया है।

नोट :

- भारत ने मोज़ाम्बिक को दो तेज़ इंटरसेप्टर क्राफ्ट और आत्मरक्षा सैन्य उपकरण भी दिये हैं।
- 'क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा और विकास' (सागर) के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप यह आठवीं ऐसी तैनाती है तथा विदेश मंत्रालय एवं भारत सरकार की अन्य एजेंसियों के साथ निकट समन्वय में आयोजित की जा रही है।

प्रमुख बिंदु

- मिशन सागर:
  - मई 2020 में शुरू किया गया 'मिशन सागर' हिंद महासागर के तटवर्ती राज्यों में देशों को कोविड-19 संबंधित सहायता प्रदान करने हेतु भारत की पहल थी। इसके तहत मालदीव, मॉरीशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशेल्स जैसे देश शामिल थे।
    - मिशन सागर 'के तहत भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) और उसके तटवर्ती देशों में चिकित्सा और मानवीय सहायता भेजने के लिये अपने जहाज़ों को तैनात कर रही है।
    - इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना ने 15 मित्र देशों को 3,000 मीट्रिक टन से अधिक खाद्य सहायता, 300 मीट्रिक टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन, 900 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 20 आईएसओ कंटेनरों की सहायता प्रदान की है।
  - नवंबर 2020 में मिशन सागर-द्वितीय के हिस्से के रूप में आईएनएस ऐरावत ने सूडान, दक्षिण सूडान, जिबूती और इरिट्रिया को खाद्य सहायता पहुँचाई।
  - मिशन सागर-III वर्तमान कोविड-19 महामारी के दौरान मित्र देशों को भारत की मानवीय सहायता और आपदा राहत सहायता का हिस्सा है।
    - यह सहायता वियतनाम और कंबोडिया को भी दी गई है। यह आसियान देशों को दिये गए महत्त्व पर प्रकाश डालता है और मौजूदा संबंधों को और मज़बूत करता है।
- महत्त्व:
  - भारत का विस्तारित समुद्री पड़ोस:
    - यह तैनाती भारत के विस्तारित समुद्री पड़ोस के साथ एकजुटता में आयोजित की गई है और इन विशेष संबंधों के माध्यम से भारत के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया।
    - यह मित्र राष्ट्रों की आवश्यकता के समय भारत की प्रथम प्रतिक्रिया के रूप में भूमिका के अनुरूप है।
  - आतंकवाद से निपटने में उपयोगी:
    - यह उपयोगी उपकरण होगा क्योंकि मोजाम्बिक का उत्तरी क्षेत्र आतंकवाद की चपेट में है।
    - आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट, जिसे दाएश (Da'esh) के नाम से भी जाना जाता है, इसके सहयोगी मध्य अफ्रीका में तेजी से फैल गया है।
  - सामान्य समुद्री चुनौतियों से निपटना:
    - यह इस क्षेत्र में आम समुद्री चुनौतियों (राष्ट्र-राज्यों के बीच पारंपरिक समुद्री संघर्ष, पर्यावरणीय खतरों, अन्य-राज्यों द्वारा उत्पन्न खतरों, समुद्री आतंकवाद और समुद्री डकैती), अवैध समुद्री व्यापार व तस्करी से निपटने में भी मदद करता है।
    - नवंबर (2021) में गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव के दूसरे संस्करण में यह चर्चा का एक प्रमुख विषय था, जो कि हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को एक साथ जोड़ता है।

सागर (SAGAR) पहल:

- सागर पहल (Security and Growth for All in the Region-SAGAR) को वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। यह हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) के लिये भारत की रणनीतिक पहल है।
- सागर के माध्यम से भारत अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को मज़बूत करने और उनकी समुद्री सुरक्षा क्षमताओं के निर्माण में सहायता करना चाहता है।
- इसके अलावा भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना चाहता है और हिंद महासागर क्षेत्र में समावेशी, सहयोगी तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना सुनिश्चित करता है।

नोट :

- सागर की प्रमुख प्रासंगिकता तब सामने आती है जब समुद्री क्षेत्र को प्रभावित करने वाली भारत की अन्य नीतियों जैसे- एक्ट ईस्ट पॉलिसी, प्रोजेक्ट सागरमाला, प्रोजेक्ट मौसम, को ब्लू इकोनॉमी आदि पर 'शुद्ध सुरक्षा प्रदाता' के रूप में देखा जाता है।

त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म सौदा: भारत-श्रीलंका

चर्चा में क्यों ?

भारत और श्रीलंका जल्द ही त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्मों को संयुक्त रूप से विकसित करने हेतु लंबे समय से लंबित सौदे पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं।

- दोनों देशों के मध्य तनावपूर्ण संबंधों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर एक सकारात्मक संकेत को दर्शाएगा।

प्रमुख बिंदु

- 'त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म' के विषय में:
  - तेल टैंक फार्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ईंधन भरने वाले स्टेशन के रूप में अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था।
  - यह त्रिंकोमाली के गहरे पानी में स्थित प्राकृतिक बंदरगाह के करीब 'चाइना बे' में स्थित है।
  - इस संयुक्त विकास के प्रस्ताव की परिकल्पना 35 वर्ष पूर्व भारत-श्रीलंका समझौते (1987) में की गई थी।
  - इसमें 99 भंडारण टैंक शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक में 12,000 किलोलीटर की क्षमता है, जो लोअर टैंक फार्म और अपर टैंक फार्म के रूप में फैले हुए हैं।
  - वर्ष 2003 में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने इस तेल फार्म पर काम करने के लिये अपनी श्रीलंकाई सहायक कंपनी 'लंका IOC' की स्थापना की थी।
  - वर्तमान में 'लंका IOC' के पास 15 टैंक हैं। शेष टैंकों के लिये नए समझौते पर वार्ता चल रही है।
- समझौते का महत्त्व:
  - त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्मों की अवस्थिति इसे कई अनुकूल कारक प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिये:
    - आसान पहुँच: यह त्रिंकोमाली के गहरे जल के प्राकृतिक बंदरगाह पर स्थित है।
    - हिंद महासागर में रणनीतिक स्थान: ये तेल फार्म विश्व के कुछ सबसे व्यस्त शिपिंग लेन के साथ स्थित हैं।
  - इस प्रकार त्रिंकोमाली बंदरगाह से सटे एक अच्छी तरह से विकसित तेल भंडारण सुविधा और रिफाइनरी का भारत और श्रीलंका दोनों के लिये बहुत आर्थिक मूल्य होगा।

भारत-लंका समझौता:

- इस समझौते के सूत्रधार भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्धने थे, यह समझौता मुख्य रूप से राजीव-जयवर्धने समझौते के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1987 में इस समझोते पर हस्ताक्षर किये गए थे।
- इस समझौते पर श्रीलंका में गृहयुद्ध (तमिलों और सिंहल समुदाय के बीच) के बहाने हस्ताक्षर किये गए थे।
- समझौते में भारत के सामरिक हितों, श्रीलंका में भारतीय मूल के लोगों के हितों और श्रीलंका में तमिल अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संतुलित करने की मांग की गई थी।.
- समझौते के तहत श्रीलंकाई गृहयुद्ध को हल करने हेतु श्रीलंका में भारतीय शांति रक्षा बल (Indian Peace Keeping Force-IPKF) की नियुक्ति की गई।
- समझौते के परिणामस्वरूप श्रीलंका के संविधान में 13वें सविधान संशोधन और वर्ष 1987 के प्रांतीय परिषद अधिनियम को भी लागू किया गया।

भारत-श्रीलंका संबंधों में तनाव:

- चीन का हस्तक्षेप: श्रीलंका में चीन का तेज़ी से बढ़ता हस्तक्षेप (और इसके परिणाम के रूप में राजनीतिक दबदबा) भारत-श्रीलंका संबंधों को तनावपूर्ण बना रहा है।

नोट :

- चीन पहले से ही श्रीलंका में सबसे बड़ा निवेशक है, जिसका श्रीलंका में वर्ष 2010-2019 के दौरान कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में 23.6% हिस्सा है, जबकि भारत का हिस्सा 10.4% है।
- चीन श्रीलंकाई सामानों के लिये सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक है और अपने विदेशी ऋण का 10% से अधिक रखता है।
- चीन श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह को भी संभाल रहा है, इस बंदरगाह को चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जाता है।

- कच्चातीवु द्वीप मुद्दा: भारत ने वर्ष 1974 में एक सशर्त समझौते के तहत कच्चातीवु नामक निर्जन द्वीप को अपने दक्षिणी पड़ोसी देश को सौंप दिया।
  - हालाँकि भारत-श्रीलंका के दृष्टिकोण के बजाय यह विवाद कई बार मछुआरों से संबंधित घरेलू संघर्ष के कारण उत्पन्न होता है।
- श्रीलंका के संविधान का 13वाँ संशोधन: श्रीलंका के संघर्ष के राजनीतिक समाधान के लिये वर्ष 1987 में भारत-श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे।
  - यह एक संयुक्त श्रीलंका के भीतर समानता, न्याय, शांति और सम्मान के लिये तमिल लोगों की उचित मांग को पूरा करने हेतु प्रांतीय परिषदों को आवश्यक शक्तियों के हस्तांतरण की परिकल्पना करता है।
  - इस समझौते के प्रावधान श्रीलंका के संविधान में 13वें संशोधन द्वारा किये गए थे।
  - बावजूद इसके प्रावधानों को धरातल पर लागू नहीं किया जा रहा है। आज भी श्रीलंकाई गृहयुद्ध (2009) से बचने वाले बहुत से श्रीलंकाई तमिल तमिलनाडु में शरण मांग रहे हैं।
- श्रीलंका का पीछे हटना: हाल ही में श्रीलंका घरेलू मुद्दों का हवाला देते हुए कोलंबो पोर्ट पर अपने ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट के लिये भारत और जापान के साथ त्रिपक्षीय साझेदारी से पीछे हट गया।

भारत-श्रीलंका सहयोग: हाल के घटनाक्रम:

- फोर-पिलर इनिशिएटिव: हाल ही में भारत और श्रीलंका ने श्रीलंका के आर्थिक संकट को कम करने में मदद हेतु खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा करने के लिये चार सूत्री रणनीति पर सहमति व्यक्त की है।
  - इस फोर-पिलर इनिशिएटिव में लाइन ऑफ क्रेडिट, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, मॉडर्नाइज़ेशन प्रोजेक्ट (जैसे द इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट) और भारतीय निवेश शामिल हैं।
- संयुक्त अभ्यास: भारत और श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास (मित्र शक्ति) तथा नौसैनिक अभ्यास- स्लीनेक्स (SLINEX) का आयोजन करते हैं।
- समूहों के बीच भागीदारी: श्रीलंका भी बिम्सटेक (बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिये बंगाल की खाड़ी पहल) और सार्क जैसे समूहों का सदस्य है जिसमें भारत प्रमुख भूमिका निभाता है।
- SAGAR विज़न: श्रीलंका अपनी 'पड़ोसी पहले' नीति और सागर (क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा और विकास) के साथ हिंद महासागर की सुरक्षा के लिये भारत की चिंता का समर्थन करता है।

आगे की राह

- श्रीलंका के साथ 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति का संपोषण भारत के लिये हिंद महासागर क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों को संरक्षित करने के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण है।
- श्रीलंका के प्रति अपनी 'द्वीपीय कूटनीति' के हिस्से के रूप में भारतीय विदेश नीति को भी आकस्मिक वास्तविकताओं और खतरों के अनुरूप विकसित करना होगा।
- दोनों देश आर्थिक लचीलापन पैदा करने के लिये निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने में भी सहयोग कर सकते हैं।

नोट :

मिशन सागर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में आईएनएस केसरी, मोज़ाम्बिक की सरकार के प्रयासों का समर्थन करने हेतु चल रहे सूखे और महामारी की समवर्ती चुनौतियों से निपटने के लिये 500 टन खाद्य सहायता देने हेतु 'मापुटो' (मोज़ाम्बिक) के बंदरगाह पर पहुँच गया है।

- भारत ने मोज़ाम्बिक को दो तेज़ इंटरसेप्टर क्राफ्ट और आत्मरक्षा सैन्य उपकरण भी दिये हैं।
- 'क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा और विकास' (सागर) के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप यह आठवीं ऐसी तैनाती है तथा विदेश मंत्रालय एवं भारत सरकार की अन्य एजेंसियों के साथ निकट समन्वय में आयोजित की जा रही है।

प्रमुख बिंदु

- मिशन सागर:
  - मई 2020 में शुरू किया गया 'मिशन सागर' हिंद महासागर के तटवर्ती राज्यों में देशों को कोविड-19 संबंधित सहायता प्रदान करने हेतु भारत की पहल थी। इसके तहत मालदीव, मॉरीशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशेल्स जैसे देश शामिल थे।
    - मिशन सागर 'के तहत भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) और उसके तटवर्ती देशों में चिकित्सा और मानवीय सहायता भेजने के लिये अपने जहाज़ों को तैनात कर रही है।
    - इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना ने 15 मित्र देशों को 3,000 मीट्रिक टन से अधिक खाद्य सहायता, 300 मीट्रिक टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन, 900 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 20 आईएसओ कंटेनरों की सहायता प्रदान की है।
  - नवंबर 2020 में मिशन सागर-द्वितीय के हिस्से के रूप में आईएनएस ऐरावत ने सूडान, दक्षिण सूडान, जिबूती और इरिट्रिया को खाद्य सहायता पहुँचाई।
  - मिशन सागर-III वर्तमान कोविड-19 महामारी के दौरान मित्र देशों को भारत की मानवीय सहायता और आपदा राहत सहायता का हिस्सा है।
    - यह सहायता वियतनाम और कंबोडिया को भी दी गई है। यह आसियान देशों को दिये गए महत्त्व पर प्रकाश डालता है और मौजूदा संबंधों को और मज़बूत करता है।
- महत्त्व:
  - भारत का विस्तारित समुद्री पड़ोस:
    - यह तैनाती भारत के विस्तारित समुद्री पड़ोस के साथ एकजुटता में आयोजित की गई है और इन विशेष संबंधों के माध्यम से भारत के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया।
    - यह मित्र राष्ट्रों की आवश्यकता के समय भारत की प्रथम प्रतिक्रिया के रूप में भूमिका के अनुरूप है।
  - आतंकवाद से निपटने में उपयोगी:
    - यह उपयोगी उपकरण होगा क्योंकि मोजाम्बिक का उत्तरी क्षेत्र आतंकवाद की चपेट में है।
    - आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट, जिसे दाएश (Da'esh) के नाम से भी जाना जाता है, इसके सहयोगी मध्य अफ्रीका में तेजी से फैल गया है।
  - सामान्य समुद्री चुनौतियों से निपटना:
    - यह इस क्षेत्र में आम समुद्री चुनौतियों (राष्ट्र-राज्यों के बीच पारंपरिक समुद्री संघर्ष, पर्यावरणीय खतरों, अन्य-राज्यों द्वारा उत्पन्न खतरों, समुद्री आतंकवाद और समुद्री डकैती), अवैध समुद्री व्यापार व तस्करी से निपटने में भी मदद करता है।
    - नवंबर (2021) में गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव के दूसरे संस्करण में यह चर्चा का एक प्रमुख विषय था, जो कि हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को एक साथ जोड़ता है।

सागर (SAGAR) पहल:

- सागर पहल (Security and Growth for All in the Region-SAGAR) को वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। यह हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) के लिये भारत की रणनीतिक पहल है।

नोट :

- सागर के माध्यम से भारत अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को मज़बूत करने और उनकी समुद्री सुरक्षा क्षमताओं के निर्माण में सहायता करना चाहता है।
- इसके अलावा भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना चाहता है और हिंद महासागर क्षेत्र में समावेशी, सहयोगी तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना सुनिश्चित करता है।
- सागर की प्रमुख प्रासंगिकता तब सामने आती है जब समुद्री क्षेत्र को प्रभावित करने वाली भारत की अन्य नीतियों जैसे- एक्ट ईस्ट पॉलिसी, प्रोजेक्ट सागरमाला, प्रोजेक्ट मौसम, को ब्लू इकोनॉमी आदि पर 'शुद्ध सुरक्षा प्रदाता' के रूप में देखा जाता है।

परमाणु पनडुब्बी गठबंधन: AUKUS

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन ने संवेदनशील 'नौसेना परमाणु प्रणोदन सूचना' के आदान-प्रदान की अनुमति देने वाले एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

- बीते दिनों प्रशांत क्षेत्र, जहाँ चीन-अमेरिका प्रतिद्वंद्विता बढ़ रही है, में सामरिक तनाव का सामना करने हेतु तीनों देशों ने रक्षा गठबंधन, 'ऑकस' का गठन किया था, जिसके बाद सार्वजनिक रूप से हस्ताक्षरित होने वाली प्रौद्योगिकी पर यह पहला समझौता है।
- 'ऑकस' सौदे के तहत ऑस्ट्रेलिया आठ अत्याधुनिक, परमाणु-संचालित लेकिन पारंपरिक रूप से सशस्त्र पनडुब्बियों को प्राप्त करेगा।

प्रमुख बिंदु

- ऑकस:
  - सितंबर 2021 में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका (AUKUS) के बीच इंडो-पैसिफिक के लिये एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की थी।
  - इस व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया हेतु अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी प्रौद्योगिकी का साझाकरण सुनिश्चित करना है।
  - इसका इंडो-पैसिफिक उन्मुखीकरण इसे दक्षिण चीन सागर में चीन की मुखर कार्रवाइयों के खिलाफ एक प्रमुख गठबंधन बनाता है।
  - इसमें तीन देशों के बीच बैठकों और वार्ताओं के साथ-साथ उभरती प्रौद्योगिकियों (जैसे- कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम प्रौद्योगिकियों और अंडरसी क्षमताओं) में सहयोग का एक नया फ्रेमवर्क शामिल होगा।
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र/क्वाड पर प्रभाव:
  - इस बात की चिंता है कि 'ऑकस' (AUKUS) अमेरिका-यूरोपीय संघ संबंधों और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) पर गहरा प्रभाव डाल सकता है और इंडो-पैसिफिक में अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन को कमज़ोर कर सकता है।
    - नाटो की स्थापना 4 अप्रैल, 1949 की उत्तरी अटलांटिक संधि (जिसे वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है) द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये की गई थी।
    - नाटो के प्राथमिक लक्ष्य अपने सदस्यों की सामूहिक रक्षा और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में लोकतांत्रिक शांति बनाए रखना है।
  - फ्राँस ने संयुक्त राष्ट्र में ऑस्ट्रेलिया, फ्राँस और भारत के विदेश मंत्रियों की एक निर्धारित बैठक रद्द कर दी थी।
    - पिछले कुछ वर्षों में उभरते हिंद-प्रशांत परिदृश्य में त्रिपक्षीय एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व बन गया है लेकिन बैठक का रद्द होना त्रिपक्षीय जुड़ाव के लिये एक झटका है।
  - यह स्पष्ट नहीं है कि क्वाड और AUKUS एक-दूसरे को सुदृढ़ करेंगे या परस्पर अनन्य रहेंगे।
    - कुछ मान्यताएँ हैं कि "एंग्लोस्फीयर नेशन" - जो यूनाइटेड किंगडम के साथ साझा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध साझा करते हैं - एक दूसरे में अधिक विश्वास को प्रेरित करते हैं।
    - क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक समूह है जिसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक राष्ट्रों के हितों की रक्षा करना और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है।

नोट :

- भारत के लिये निहितार्थ:
  - भारत ने कहा है कि नई साझेदारी न तो क्वाड के लिये प्रासंगिक है और न ही इसका उसके कामकाज पर कोई प्रभाव पड़ेगा।
  - AUKUS के प्रति उदासीनता के बावजूद भारत AUKUS व्यवस्था से द्वितीयक लाभ प्राप्त कर सकता है, जिसमें तीन उन्नत राष्ट्र हैं, जो दुनिया में सबसे परिष्कृत सैन्य शक्ति के साथ चीन के तेज़ी से मुखर रवैये के आलोक में एक स्वतंत्र हिंद-प्रशांत का समर्थन करने के लिये एक साथ आ रहे हैं। यह कुछ हद तक चीन का प्रतिरोध कर सकता है।
    - साथ ही चीन द्वारा 'घेरने' के संबंध में भारत की चिंताओं को AUKUS द्वारा आंशिक रूप से कम किया जा सकता है।
  - बुनियादी ढाँचा विकास परियोजनाओं और उपस्थिति के मामले में चीन ने भारत के पड़ोस में बड़े पैमाने पर पैठ बनाई है।
  - आशंका है कि इस सौदे से अंततः पूर्वी हिंद महासागर में परमाणु हमला करने वाली पनडुब्बियों (SSN/सबमर्सिबल शिप न्यूक्लियर) की भीड़ लग सकती है, जिससे भारत की क्षेत्रीय श्रेष्ठता खत्म हो जाएगी।

आगे की राह

- भारत को द्विपक्षीय वार्ताओ में अतिशयोक्तिपूर्ण, अस्पष्ट, वास्तविकता के प्रति सावधान रहना चाहिये। जबकि भारत-अमेरिका संबंधों का मज़बूत होना भारतीयों के लिये लाभदायक होगा।
  - "भारत को एक महान शक्ति बनाने के लिये" अमेरिका ने मदद का प्रस्ताव और घोषणाएँ की कि "दुनिया के दो महान लोकतंत्रों में दुनिया की दो सबसे बड़ी सेनाएँ भी होनी चाहिये"
- हमें स्टील्थ फाइटर्स, जेट इंजन एडवांस्ड रडार और पनडुब्बियों के साथ-साथ एयरक्राफ्ट-कैरियर्स के लिये न्यूक्लियर प्रोपल्शन सहित कई अन्य चीज़ो की "जानकारी" के अलावा ऑस्ट्रेलिया को दी जाने वाली सभी तकनीकों की आवश्यकता है।
- एक छोटे देश लक्ज़मबर्ग से लेकर उभरते पोलैंड तक हर यूरोपीय देश के पास यूरोप को देने के लिये कुछ-न-कुछ है जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक संपन्न केंद्र बन गया है।
  - पिछले कुछ वर्षों में फ्राँस के साथ भारत की सामरिक भागीदारी में तेज़ी आई है।
- भारत-प्रशांत की सुरक्षा में साझा हितों और मौजूदा झगड़े तथा इस बड़े लक्ष्य को कमज़ोर करने के खतरों के बारे में फ्राँस, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस को जानकारी प्रदान करना है।

रूस में तुर्की का रुख- यूक्रेन संकट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में तुर्की ने रूस से उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) और यूक्रेन के संबंध में अपनी एकतरफा मांगों को छोड़ने का आग्रह किया।

- तुर्की ने रूस से पश्चिमी गठबंधन (अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों) के साथ अपनी मांगों में एक उदारवादी दृष्टिकोण अपनाने का भी अनुरोध किया।
- इससे पहले अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों में कहा गया था कि रूस-यूक्रेन सीमा पर तनाव क्षेत्र एक बड़ा सुरक्षा संकट है।

प्रमुख बिंदु

- पृष्ठभूमि:
  - इतिहास:
    - यूक्रेन और रूस सैकड़ों वर्षों से सांस्कृतिक, भाषायी और पारिवारिक संबंध साझा करते रहे हैं।
    - रूस और यूक्रेन के जातीय रूप से रूसी भागों में कई लोगों के लिये, देशों की साझा विरासत एक भावनात्मक मुद्दा है जिसका चुनावी और सैन्य उद्देश्यों के लिये प्रयोग किया गया है।
    - सोवियत संघ के हिस्से के रूप में यूक्रेन रूस के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली सोवियत गणराज्य था और रणनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण था।

नोट :

- संघर्ष:
  - जब से यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ है, रूस और पश्चिमी देशों ने इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिये और यूक्रेन में अधिक प्रभाव हेतु संघर्ष किया है।
  - साथ ही काला सागर क्षेत्र का अद्वितीय भौगोलिक स्थिति रूस को कई भू-राजनीतिक लाभ प्रदान करता है।
  - पूर्वी यूक्रेन का डोनबास क्षेत्र (डोनेट्स्क और लुहान्स्क क्षेत्र) वर्ष 2014 से रूस समर्थक अलगाववादी आंदोलन का सामना कर रहा है।
  - वर्ष 2014 में, रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया पर कब्ज़ा कर लिया था, जो विश्व युद्ध-2 (1939-1945) के बाद एक यूरोपीय देश द्वारा किसी अन्य देश के क्षेत्र पर सबसे बड़ा कब्जा था।
  - वर्ष 2015 में रूस, यूक्रेन, यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन (ओएससीई) के प्रतिनिधियों और मध्यस्थता के तहत दो रूसी समर्थक अलगाववादी क्षेत्रों के नेताओं द्वारा फ्राँस और जर्मनी की मध्यस्थता से 'मिन्स्क II' शांति समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद एक खुला संघर्ष टल गया था।
  - हाल ही में यूक्रेन ने नाटो से गठबंधन में अपने देश की सदस्यता हेतु तेज़ी लाने का आग्रह किया।
  - रूस ने इस तरह के एक कदम को "रेड लाइन" घोषित कर दिया क्योंकि वह अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधनों के विस्तार के परिणामों से चिंतित था।
- वर्तमान स्थिति:
  - रूस अमेरिका से आश्वासन मांग रहा है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा। हालाँकि अमेरिका ऐसा कोई आश्वासन देने को तैयार नहीं है।
  - पश्चिमी देशों से प्रतिबंधों में राहत और अन्य रियायतें प्राप्त करने के लिये रूस यूक्रेन की सीमा पर तनाव बढ़ा रहा है।
  - रूस के खिलाफ अमेरिका या यूरोपीय संघ (ईयू) द्वारा किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई पूरी दुनिया के लिये एक बड़ा संकट पैदा करेगी।
  - हालाँकि अमेरिका ने रूस की चिंताओं को कम करने के लिये नाटो गठबंधन और रूस के बीच बातचीत को फिर शुरू करने की पेशकश की है।
    - जनवरी 2022 के लिये नाटो-रूस परिषद की एक बैठक प्रस्तावित की गई है, हालाँकि यूक्रेन सार्वजनिक रूप से सहमत नहीं हुआ है।
- तुर्की का पक्ष:
  - तुर्की ने यूक्रेन को लड़ाकू ड्रोन की आपूर्ति करके रूस को चिढ़ाया है और रूस को डर है कि यूक्रेन द्वारा पूर्वी क्षेत्रों में अलगाववादियों के साथ संघर्ष में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
  - साथ ही तुर्की ने रूस से एक उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली प्राप्त करके अमेरिका और नाटो को भी परेशान किया है जिसके परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा दिये थे।
  - तुर्की ने रूस और पश्चिमी रक्षा गठबंधन से नाटो प्रमुख 'जेन्स स्टोलटेनबर्ग' द्वारा प्रस्तावित प्रत्यक्ष वार्ता के माध्यम से अपने मतभेदों को दूर करने का आग्रह किया है।

भारत का पक्ष

- भारत, पश्चिमी शक्तियों द्वारा क्रीमिया में रूस के हस्तक्षेप की निंदा में शामिल नहीं हुआ और उसने इस मुद्दे पर एक तटस्थ स्थिति बनाए रखी।
- नवंबर 2020 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र (UN) में यूक्रेन द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया, जिसमें क्रीमिया में कथित मानवाधिकार उल्लंघन की निंदा की गई थी। भारत ने इस मुद्दे पर पुराने सहयोगी रूस का समर्थन किया था।

उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन

- नाटो की स्थापना 4 अप्रैल, 1949 की उत्तरी अटलांटिक संधि (जिसे वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है) द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों के ज़रिये सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये की गई थी।

नोट :

- संधि के एक प्रमुख प्रावधान (अनुच्छेद 5) में कहा गया है कि यदि गठबंधन के एक सदस्य पर हमला किया जाता है, तो इसे सभी सदस्यों पर किये गए हमले के रूप में देखा जाएगा। इसने पश्चिमी यूरोप को अमेरिका के 'परमाणु छत्र' के तहत प्रभावी रूप से सुरक्षित किया है।
- अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 के हमलों के बाद सितंबर 2001 में नाटो ने केवल एक बार अनुच्छेद 5 को लागू किया है।
- वर्ष 2019 तक इसमें 29 सदस्य राज्य हैं और 'मोंटेनेग्रो' वर्ष 2017 में गठबंधन में शामिल होने वाला नवीनतम सदस्य बन गया है।
- 'सुरक्षा और यूरोप में सहयोग के लिये संगठन' (OSCE)
- इसे वर्ष 1972 में स्थापित किया गया था और इसके पहले सम्मेलन (1973-75) में यूरोप के सभी 33 देशों (अल्बानिया के अपवाद के साथ) और संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा ने भाग लिया था।
- 'सुरक्षा और यूरोप में सहयोग के लिये संगठन' (OSCE) विश्व का सबसे बड़ा सुरक्षा-उन्मुख अंतर-सरकारी संगठन है। इसके जनादेश (Mandate) में हथियार नियंत्रण, मानवाधिकारों को बढ़ावा देना, प्रेस की स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव जैसे मुद्दे शामिल हैं।
- भाग लेने वाले सभी सभी 57 राज्यों को समान दर्जा प्राप्त है और निर्णय राजनीतिक रूप से सर्वसम्मति से लिये जाते हैं, लेकिन कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते हैं।
- भारत इसका भागीदार देश नहीं है।
- ओपन स्काईज़ कंसल्टेटिव कमीशन की नियमित रूप से वियना में OSCE के सचिवालय में बैठक होती है।
- यह ओपन स्काईज़ संधि का कार्यान्वयन निकाय है, जिसने वर्ष 2002 में अपने 33 हस्ताक्षरकर्त्ताओं के क्षेत्र में निहत्थे हवाई अवलोकन उड़ानों हेतु एक नियामक शासन स्थापित किया था।

आगे की राह

- स्थिति का एक व्यावहारिक समाधान 'मिन्स्क शांति प्रक्रिया' को पुनर्जीवित करना है। इसलिये पश्चिम देशों (अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों) को दोनों पक्षों को बातचीत फिर से शुरू करने तथा सीमा पर सापेक्ष शांति बहाल करने के लिये मिन्स्क समझौते के अनुसार अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने हेतु प्रेरित करना चाहिये।
- यूरोपीय सुरक्षा को हो रहे नुकसान और यूक्रेन की संप्रभुता के लिये खतरे को रोकने हेतु अमेरिका को सभी पक्षों से OSCE-मध्यस्थता प्रक्रिया में शामिल होने हेतु समझौता करना चाहिये।

चिली के संविधान का पुनर्लेखन

चर्चा में क्यों ?

दक्षिण अमेरिकी देश चिली ने 'जलवायु और पारिस्थितिक आपातकाल' से निपटने के लिये एक नया संविधान लिखने हेतु एक 'संविधान कन्वेंशन' का गठन किया है।

- जैसे-जैसे जलवायु आपदाएँ अपरिहार्य हो जाती हैं, वैसे देश जो पहले से ही संसाधन की कमी (चिली के मामले में जल) से जूझ रहे हैं, उन्हें अपने नागरिकों द्वारा कार्रवाई करने हेतु मज़बूर होना हो रहा है।

प्रमुख बिंदु

- पृष्ठभूमि
  - चिली के राजनेता देश को समृद्ध बनाने हेतु यहाँ मौजूद लिथियम का लाभ उठाना चाहते हैं। हालाँकि चिली के अधिकांश नागरिक सरकार के दृष्टिकोण से असहमत हैं, क्योंकि अतीत में इसी तरह के उपायों (पानी के निजीकरण सहित) ने उन लोगों को काफी प्रभावित किया था, जिन्हें इन संसाधनों की सबसे अधिक आवश्यकता है।
  - सैन्य शासक 'ऑगस्टो पिनोशे' (जिन्होंने वर्ष 1980 के तख्तापलट में कम्युनिस्ट 'सल्वाडोर अलेंदे' को उखाड़ फेंका था) के नेतृत्व में, चिली ने संसाधनों के शोषण को शुरू किया था।
  - लिथियम खनन में एक समस्या मौजूद है, क्योंकि इसके कारण मिट्टी की नमी कम हो जाती है और दिन के तापमान में वृद्धि होती है जिससे क्षेत्र में सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। जबकि अधिक-से-अधिक लिथियम निकाला जाना भी मनुष्यों के लिये अनुपयुक्त हो सकता है।

नोट :

- परिचय
  - यह नया संविधान लिथियम खनन और उसके विनियमन पर फोकस करेगा। इसके अलावा यह पूर्वाभास करेगा कि लिथियम खनन से स्वदेशी समुदायों को किस प्रकार लाभ होता है। नए संविधान के निर्माता यह भी आकलन करेंगे कि चिली की राजनीतिक व्यवस्था में सुधार की
  - ज़रूरत है या नहीं।
  - उनका कार्य न केवल यह निर्धारित करेगा कि 19 मिलियन का यह देश किस प्रकार शासित होगा, बल्कि यह एंडीज़ पर्वत के पास स्थित विशाल रेगिस्तान के नीचे खारे पानी में मौजूद नरम, चमकदार धातु- लिथियम के भविष्य का भी निर्धारण करेगा।
  - संविधान का यह पुनर्विक्रय जलवायु आपदाओं की ओर बढ़ रहे विश्व में बदलती प्राथमिकताओं को चिह्नित करता है।
- चुनौतियाँ
  - कई लोगों को डर है कि नया संविधान खनन पर भारी रॉयल्टी और प्रतिबंध लगाएगा तथा स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- चिली में लिथियम
  - चिली में अत्यधिक लिथियम (ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिथियम उत्पादक) मौजद है, जो कि बैटरी का एक अनिवार्य घटक है और लगभग सभी आधुनिक स्मार्ट उपकरणों में प्रयोग किया जाता है।
  - जैसे-जैसे विश्व स्तर पर जीवाश्म ईंधन को प्रतिस्थापित किया जा रहा है, लिथियम की मांग और इसकी कीमत में वृद्धि हो रही है।

भारत-चिली संबंध

- चिली लैटिन अमेरिका और प्रशांत गठबंधन के लिये भारत के द्वार के रूप में कार्य करता है।
- चिली लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में भारत का पाँचवाँ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- भारत-चिली ने व्यापार बढ़ाने के लिये वर्ष 2017 में वरीयता व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- द्विपक्षीय व्यापार बढ़ रहा है और वर्ष 2017-18 में 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।
- भारत और चिली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में भी भागीदार हैं।
- दोनों देश बहुपक्षीय मंचों में बड़े पैमाने पर सहयोग करते हैं और जलवायु परिवर्तन/नवीकरणीय ऊर्जा मुद्दों और UNSC (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद) के विस्तार और सुधारों पर समान विचार साझा करते हैं।
- भारत-चिली ने खनन, संस्कृति, विकलांगता के क्षेत्र में तीन समझौता ज्ञापनों (MOU) पर हस्ताक्षर किये हैं।

बैटरियों में लिथियम का उपयोग

- जिन देशों में डीकार्बोनाइज़ करने के त्वरित तरीके खोजे जा रहे हैं, लिथियम को धातु की पसंद के रूप में देखा जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों को परिवहन के भविष्य के रूप में पेश किया जा रहा है और सभी उद्योग स्वच्छ विकल्पों की तलाश कर रहे हैं, लिथियम को उनके सबसे अच्छे विकल्प के रूप में देखा जाता है।
  - इसे अक्षय ऊर्जा के एक प्रमुख भाग के रूप में देखा जाता है, लिथियम आयन बैटरी को "ऊर्जा-सघन, सस्ता और सुरक्षित" माना जाता है।
- लिथियम आयन बैटरी लंबे जीवन-चक्र के साथ एक छोटे पैकेज़ में बहुत अधिक शक्ति और ऊर्जा पैक करती हैं।
  - स्मार्टफोन और लैपटॉप सहित अधिकांश गैजेट लिथियम-पॉलीमर बैटरी का उपयोग करते हैं, जो लिथियम आयन बैटरी का विकल्प है।
- चूँकि लिथियम को मानक गैर-नवीकरणीय खनिज माना जाता है जो अक्षय ऊर्जा को संभव बनाता है, इसकी मांग में वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है।
- लेकिन जलवायु परिवर्तन के खिलाफ इस लड़ाई में, लिथियम खनन से ज़हरीले क्षेत्र बन सकते हैं, जहाँ पानी (खारे पानी की नमकीन) मानव उपभोग के लिये अनुपयुक्त है और वनस्पति बढ़ने की संभावना कम है।

नोट :

चिली

- चिली दक्षिण अमेरिका में एंडीज़ पर्वतमाला और प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है।
- चिली के उत्तर में पेरू, उत्तर-पूर्व में बोलीविया, पूर्व में अर्जेंटीना और दक्षिण छोर पर ड्रेक पैसेज स्थित है।
- चिली दक्षिण अमेरिका के उन दो देशों (दूसरा इक्वाडोर) में से है जिसकी सीमाएँ ब्राजील से नहीं मिलती है।
- विश्व के प्रमुख रेगिस्तानों में से एक 'अटाकामा रेगिस्तान' उत्तरी चिली में स्थित एक तटीय रेगिस्तान है।
- चिली की राजधानी 'सैंटियागो' चिली के मध्य में स्थित है।
- सैंटियागो शराब उत्पादन के लिये प्रसिद्ध है।
- विश्व का सबसे शुष्क स्थान 'अरिका' उत्तरी चिली में अवस्थित है।
- विश्व का सबसे बड़ा ताँबा उत्पादक शहर 'चुक्वीकमाटा' चिली में अवस्थित है ।

दृष्टि The Vision

नोट :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

भारत में 5G सेवा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में दूरसंचार विभाग (DoT) ने घोषणा की है कि भारत के प्रमुख महानगरों में अगले साल 5G सेवाएँ संचालित होंगी।

- अन्य वैश्विक देशों की तरह भारत ने वर्ष 2018 में अतिशीघ्र 5G सेवाओं को शुरू करने की योजना बनाई थी, जिसका उद्देश्य उस बेहतर नेटवर्क गति और शक्ति का लाभ उठाना था, जिसका वादा प्रौद्योगिकी ने किया था।

प्रमुख बिंदु

- 5G तकनीक:
  - 5G 5वीं पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क है। यह 1G, 2G, 3G और 4G नेटवर्क के बाद एक नया वैश्विक वायरलेस मानक है।
  - यह एक नए प्रकार के नेटवर्क को सक्षम बनाता है जिसे मशीनों, वस्तुओं और उपकरणों सहित लगभग सभी को और सब कुछ एक साथ जोड़ने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
  - 5G के हाई-बैंड स्पेक्ट्रम में इंटरनेट की गति का परीक्षण 20 Gbps (गीगाबिट प्रति सेकंड) के रूप में किया गया है, जबकि अधिकांश मामलों में 4G में अधिकतम इंटरनेट डेटा गति 1 Gbps दर्ज की गई है।

पहली पीढ़ी से पाँचवीं पीढ़ी तक का विकास

- 1G को 1980 के दशक में लॉन्च किया गया था, यह एनालॉग रेडियो सिग्नल पर काम करता था और केवल वॉयस कॉल का समर्थन करता था।
- 2G को 1990 के दशक में लॉन्च किया गया था जो डिजिटल रेडियो सिग्नल का उपयोग करता है और 64 Kbps की बैंडविड्थ के साथ वॉयस और डेटा ट्रांसमिशन दोनों को सपोर्ट करता है।
- 3G को 2000 के दशक में 1 एमबीपीएस से 2 एमबीपीएस की गति के साथ लॉन्च किया गया था और इसमें डिजिटल वॉयस, वीडियो कॉल और कॉन्फ्रेंसिंग सहित टेलीफोन सिग्नल प्रसारित करने की क्षमता है।
- 4G को वर्ष 2009 में 100 Mbps से 1 Gbps की 'पीक स्पीड' के साथ लॉन्च किया गया था और यह '3D वर्चुअल रियलिटी' को भी सक्षम बनाता है।
- विभिन्न प्रकार के 5G बैंड्स:
  - 5जी में बैंड्स- 5G मुख्य रूप से 3 बैंड (लो, मिड और हाई बैंड स्पेक्ट्रम) में कार्य करता है, जिसमें सभी के बैंड्स के कुछ विशिष्ट उपयोग और कुछ विशिष्ट सीमाएँ हैं।
    - इसका मतलब यह है कि दूरसंचार कंपनियाँ इसे वाणिज्यिक सेलफोन उपयोगकर्त्ताओं जिनकी बहुत तेज़ गति के इंटरनेट की विशिष्ट मांग नहीं होती, के उपयोग हेतु स्थापित कर सकती हैं।
    - हालाँकि उद्योग की विशेष ज़रूरतों के लिये लो बैंड स्पेक्ट्रम इष्टतम नहीं हो सकता है।
- इस बैंड का उपयोग उद्योगों और विशेष कारखाना इकाइयों द्वारा कैप्टिव नेटवर्क के निर्माण हेतु किया जा सकता है जिसे उस विशेष उद्योग की ज़रूरतों में ढाला जा सकता है।
- यह बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और स्मार्ट तकनीक जैसी भविष्य की 5G प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों को बढ़ावा देता है, लेकिन इसके लिये उचित बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता होगी।
- लो बैंड स्पेक्ट्रम (Low Band Spectrum): इसमें इंटरनेट की गति और डेटा के इंटरैक्शन-प्रदान की अधिकतम गति 100Mbps (प्रति सेकंड मेगाबिट्स) तक होती है।

नोट :

- मिड बैंड स्पेक्ट्रम (Mid-Band Spectrum): इसमें लो बैंड के स्पेक्ट्रम की तुलना में इंटरनेट की गति अधिक होती है, फिर भी इसके कवरेज क्षेत्र और सिग्नलों की कुछ सीमाएँ हैं।
- हाई बैंड स्पेक्ट्रम (High-Band Spectrum): इसमें उपरोक्त अन्य दो बैंड्स की तुलना में उच्च गति होती है, लेकिन कवरेज और सिग्नल भेदन की क्षमता बेहद सीमित होती है।

5G के अनुप्रयोग:

- उन्नत मोबाइल ब्रॉडबैंड: हमारे स्मार्टफोन को बेहतर बनाने के अलावा 5G मोबाइल तकनीक वर्चुअल रियलिटी (Virtual reality- VR) और ऑगमेंटेड रियलिटी (Augmented Reality- AR) जैसे नए इमर्सिव सेवाओं को शुरू कर सकती है, जिसमें तीव्र, अधिक समान डेटा दर, कम विलंबता और कम लागत-प्रतिशत-अंश शामिल हैं।
- मिशन-क्रिटिकल कम्युनिकेशंस: 5G नई सेवाओं को सक्षम कर सकता है जो उद्योगों को अति-विश्वसनीय, उपलब्ध, कम-विलंबता लिंक जैसे महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे, वाहनों और चिकित्सा प्रक्रियाओं के रिमोट कंट्रोल के साथ परिवर्तित कर सकता है।
- मैसिव इंटरनेट ऑफ थिंग्स: 5G डेटा दरों, पावर और मोबिलिटी को कम करने की क्षमता के माध्यम से बड़ी संख्या में एम्बेडेड सेंसरों को मूल रूप से जोड़ने से संबंधित है जो अत्यंत क्षीण और कम लागत वाला कनेक्टिविटी सल्यूशन प्रदान करता है।
- सामान्यत: 5G का उपयोग तीन मुख्य प्रकार की कनेक्टेड सेवाओं में किया जाता है, जिसमें उन्नत मोबाइल ब्रॉडबैंड, महत्त्वपूर्ण संचार मिशन और बड़े पैमाने पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) शामिल हैं।
- IoT, क्लाउड, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एज कंप्यूटिंग के साथ, 5G चौथी औद्योगिक क्रांति का एक महत्त्वपूर्ण प्रवर्तक हो सकता है।

नोट

- भारत की राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 में 5जी के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है, इसमें कहा गया है कि 5जी, क्लाउड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और डेटा एनालिटिक्स सहित क्रांतिकारी प्रौद्योगिकियों का एक समूह बढ़ते स्टार्ट-अप समुदाय के साथ अवसरों का नया क्षितिज खोलता है और डिजिटल जुड़ाव को अधिक तीव्र तथा मज़बूत करता है।
- भारत में 5G रोलआउट के लिये चुनौतियाँ:
  - कम फाइबराइज़ेशन फुटप्रिंट: पूरे भारत में फाइबर कनेक्टिविटी को अपग्रेड करने की आवश्यकता है, जो वर्तमान में भारत के केवल 30% दूरसंचार टावरों को जोड़ता है।
    - कुशलता पूर्वक 5G को लॉन्च करने के लिये इस संख्या को दोगुना करना होगा।
  - 'मेक इन इंडिया' हार्डवेयर चुनौती: कुछ विदेशी दूरसंचार OEMs (मूल उपकरण निर्माता) पर प्रतिबंध, जिस पर अधिकांश 5G प्रौद्योगिकी विकास निर्भर करता है, अपने आप में एक बाधा प्रस्तुत करता है।
  - उच्च स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण: भारत का 5G स्पेक्ट्रम मूल्य वैश्विक औसत से कई गुना महँगा है।
    - यह भारत के नकदी संकट से जूझ रही दूरसंचार कंपनियों के लिये नुकसानदायक होगा।
  - इष्टतम 5G प्रौद्योगिकी मानक का चयन: 5G प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन में तेज़ी लाने हेतु घरेलू 5Gi मानक और वैश्विक 3GPP मानक के बीच संघर्ष को समाप्त करने की आवश्यकता है।
    - जबकि 5Gi का स्पष्ट लाभ है, यह टेलीकॉम के लिये 5G इंडिया लॉन्च लागत और इंटरऑपरेबिलिटी मुद्दों को भी बढ़ाता है।

आगे की राह

- घरेलू 5G उत्पादन को बढ़ावा देना: देश को भारत में 5G के सपने को साकार करने के लिये अपने स्थानीय 5G हार्डवेयर निर्माण को अभूतपूर्व दर से प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- मूल्य निर्धारण युक्तिकरण: इस स्पेक्ट्रम के मूल्य निर्धारण के युक्तिकरण की आवश्यकता है, ताकि सरकार भारत में 5G के कार्यान्वयन योजनाओं को बाधित किये बिना नीलामी से पर्याप्त राजस्व उत्पन्न कर सके।
- ग्रामीण-शहरी अंतर को कम करना: 5G को विभिन्न बैंड स्पेक्ट्रम और निम्न बैंड स्पेक्ट्रम पर तैनात किया जा सकता है, यह सीमा बहुत लंबी है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिये भी सहायक हो सकती है।

नोट :

भारत में 5G सेवा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में दूरसंचार विभाग (DoT) ने घोषणा की है कि भारत के प्रमुख महानगरों में अगले साल 5G सेवाएँ संचालित होंगी।

- अन्य वैश्विक देशों की तरह भारत ने वर्ष 2018 में अतिशीघ्र 5G सेवाओं को शुरू करने की योजना बनाई थी, जिसका उद्देश्य उस बेहतर नेटवर्क गति और शक्ति का लाभ उठाना था, जिसका वादा प्रौद्योगिकी ने किया था।

प्रमुख बिंदु

- 5G तकनीक:
  - 5G 5वीं पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क है। यह 1G, 2G, 3G और 4G नेटवर्क के बाद एक नया वैश्विक वायरलेस मानक है।
  - यह एक नए प्रकार के नेटवर्क को सक्षम बनाता है जिसे मशीनों, वस्तुओं और उपकरणों सहित लगभग सभी को और सब कुछ एक साथ जोड़ने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
  - 5G के हाई-बैंड स्पेक्ट्रम में इंटरनेट की गति का परीक्षण 20 Gbps (गीगाबिट प्रति सेकंड) के रूप में किया गया है, जबकि अधिकांश मामलों में 4G में अधिकतम इंटरनेट डेटा गति 1 Gbps दर्ज की गई है।

पहली पीढ़ी से पाँचवीं पीढ़ी तक का विकास

- 1G को 1980 के दशक में लॉन्च किया गया था, यह एनालॉग रेडियो सिग्नल पर काम करता था और केवल वॉयस कॉल का समर्थन करता था।
- 2G को 1990 के दशक में लॉन्च किया गया था जो डिजिटल रेडियो सिग्नल का उपयोग करता है और 64 Kbps की बैंडविड्थ के साथ वॉयस और डेटा ट्रांसमिशन दोनों को सपोर्ट करता है।
- 3G को 2000 के दशक में 1 एमबीपीएस से 2 एमबीपीएस की गति के साथ लॉन्च किया गया था और इसमें डिजिटल वॉयस, वीडियो कॉल और कॉन्फ्रेंसिंग सहित टेलीफोन सिग्नल प्रसारित करने की क्षमता है।
- 4G को वर्ष 2009 में 100 Mbps से 1 Gbps की 'पीक स्पीड' के साथ लॉन्च किया गया था और यह '3D वर्चुअल रियलिटी' को भी सक्षम बनाता है।
- विभिन्न प्रकार के 5G बैंड्स:
  - 5जी में बैंड्स- 5G मुख्य रूप से 3 बैंड (लो, मिड और हाई बैंड स्पेक्ट्रम) में कार्य करता है, जिसमें सभी के बैंड्स के कुछ विशिष्ट उपयोग और कुछ विशिष्ट सीमाएँ हैं।
    - इसका मतलब यह है कि दूरसंचार कंपनियाँ इसे वाणिज्यिक सेलफोन उपयोगकर्त्ताओं जिनकी बहुत तेज़ गति के इंटरनेट की विशिष्ट मांग नहीं होती, के उपयोग हेतु स्थापित कर सकती हैं।
    - हालाँकि उद्योग की विशेष ज़रूरतों के लिये लो बैंड स्पेक्ट्रम इष्टतम नहीं हो सकता है।
- इस बैंड का उपयोग उद्योगों और विशेष कारखाना इकाइयों द्वारा कैप्टिव नेटवर्क के निर्माण हेतु किया जा सकता है जिसे उस विशेष उद्योग की ज़रूरतों में ढाला जा सकता है।
- यह बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और स्मार्ट तकनीक जैसी भविष्य की 5G प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों को बढ़ावा देता है, लेकिन इसके लिये उचित बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता होगी।
- लो बैंड स्पेक्ट्रम (Low Band Spectrum): इसमें इंटरनेट की गति और डेटा के इंटरैक्शन-प्रदान की अधिकतम गति 100Mbps (प्रति सेकंड मेगाबिट्स) तक होती है।
- मिड बैंड स्पेक्ट्रम (Mid-Band Spectrum): इसमें लो बैंड के स्पेक्ट्रम की तुलना में इंटरनेट की गति अधिक होती है, फिर भी इसके कवरेज क्षेत्र और सिग्नलों की कुछ सीमाएँ हैं।
- हाई बैंड स्पेक्ट्रम (High-Band Spectrum): इसमें उपरोक्त अन्य दो बैंड्स की तुलना में उच्च गति होती है, लेकिन कवरेज और सिग्नल भेदन की क्षमता बेहद सीमित होती है।

नोट :

5G के अनुप्रयोग:

- उन्नत मोबाइल ब्रॉडबैंड: हमारे स्मार्टफोन को बेहतर बनाने के अलावा 5G मोबाइल तकनीक वर्चुअल रियलिटी (Virtual reality- VR) और ऑगमेंटेड रियलिटी (Augmented Reality- AR) जैसे नए इमर्सिव सेवाओं को शुरू कर सकती है, जिसमें तीव्र, अधिक समान डेटा दर, कम विलंबता और कम लागत-प्रतिशत-अंश शामिल हैं।
- मिशन-क्रिटिकल कम्युनिकेशंस: 5G नई सेवाओं को सक्षम कर सकता है जो उद्योगों को अति-विश्वसनीय, उपलब्ध, कम-विलंबता लिंक जैसे महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे, वाहनों और चिकित्सा प्रक्रियाओं के रिमोट कंट्रोल के साथ परिवर्तित कर सकता है।
- मैसिव इंटरनेट ऑफ थिंग्स: 5G डेटा दरों, पावर और मोबिलिटी को कम करने की क्षमता के माध्यम से बड़ी संख्या में एम्बेडेड सेंसरों को मूल रूप से जोड़ने से संबंधित है जो अत्यंत क्षीण और कम लागत वाला कनेक्टिविटी सल्यूशन प्रदान करता है।
- सामान्यत: 5G का उपयोग तीन मुख्य प्रकार की कनेक्टेड सेवाओं में किया जाता है, जिसमें उन्नत मोबाइल ब्रॉडबैंड, महत्त्वपूर्ण संचार मिशन और बड़े पैमाने पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) शामिल हैं।
- IoT, क्लाउड, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एज कंप्यूटिंग के साथ, 5G चौथी औद्योगिक क्रांति का एक महत्त्वपूर्ण प्रवर्तक हो सकता है।

नोट

- भारत की राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 में 5जी के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है, इसमें कहा गया है कि 5जी, क्लाउड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और डेटा एनालिटिक्स सहित क्रांतिकारी प्रौद्योगिकियों का एक समूह बढ़ते स्टार्ट-अप समुदाय के साथ अवसरों का नया क्षितिज खोलता है और डिजिटल जुड़ाव को अधिक तीव्र तथा मज़बूत करता है।
- भारत में 5G रोलआउट के लिये चुनौतियाँ:
  - कम फाइबराइज़ेशन फुटप्रिंट: पूरे भारत में फाइबर कनेक्टिविटी को अपग्रेड करने की आवश्यकता है, जो वर्तमान में भारत के केवल 30% दूरसंचार टावरों को जोड़ता है।
    - कुशलता पूर्वक 5G को लॉन्च करने के लिये इस संख्या को दोगुना करना होगा।
  - 'मेक इन इंडिया' हार्डवेयर चुनौती: कुछ विदेशी दूरसंचार OEMs (मूल उपकरण निर्माता) पर प्रतिबंध, जिस पर अधिकांश 5G प्रौद्योगिकी विकास निर्भर करता है, अपने आप में एक बाधा प्रस्तुत करता है।
  - उच्च स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण: भारत का 5G स्पेक्ट्रम मूल्य वैश्विक औसत से कई गुना महँगा है।
    - यह भारत के नकदी संकट से जूझ रही दूरसंचार कंपनियों के लिये नुकसानदायक होगा।
  - इष्टतम 5G प्रौद्योगिकी मानक का चयन: 5G प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन में तेज़ी लाने हेतु घरेलू 5Gi मानक और वैश्विक 3GPP मानक के बीच संघर्ष को समाप्त करने की आवश्यकता है।
    - जबकि 5Gi का स्पष्ट लाभ है, यह टेलीकॉम के लिये 5G इंडिया लॉन्च लागत और इंटरऑपरेबिलिटी मुद्दों को भी बढ़ाता है।

आगे की राह

- घरेलू 5G उत्पादन को बढ़ावा देना: देश को भारत में 5G के सपने को साकार करने के लिये अपने स्थानीय 5G हार्डवेयर निर्माण को अभूतपूर्व दर से प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- मूल्य निर्धारण युक्तिकरण: इस स्पेक्ट्रम के मूल्य निर्धारण के युक्तिकरण की आवश्यकता है, ताकि सरकार भारत में 5G के कार्यान्वयन योजनाओं को बाधित किये बिना नीलामी से पर्याप्त राजस्व उत्पन्न कर सके।
- ग्रामीण-शहरी अंतर को कम करना: 5G को विभिन्न बैंड स्पेक्ट्रम और निम्न बैंड स्पेक्ट्रम पर तैनात किया जा सकता है, यह सीमा बहुत लंबी है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिये भी सहायक हो सकती है।

नोट :

कोविड के लिये नए टीके और दवा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत ने कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिये दो टीके कॉर्बेवैक्स और कोवोवैक्स एवं एक दवा मोलनुपिरवीर को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- कॉर्बेवैक्स प्रोटीन सब-यूनिट वैक्सीन:
  - परिचय:
  - यह एक प्रोटीन सब-यूनिट वैक्सीन है, जिसका अर्थ है कि पूरे वायरस के बजाय, यह प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करने के लिये इसके टुकड़ों का उपयोग करती है।
  - इस मामले में सबयूनिट वैक्सीन में एक हानिरहित स्पाइक (एस) प्रोटीन होता है।
    - एस प्रोटीन एक अत्यधिक ग्लाइकोसिलेटेड और बड़े प्रकार का ट्रांसमेम्ब्रेन फ्यूज़न प्रोटीन है जो वायरस के प्रकार के आधार पर 1,160 से 1,400 अमीनो एसिड से बना होता है।
    - एस प्रोटीन मेजबान कोशिकाओं में प्रवेश करने और संक्रमण शुरू करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  - एक बार जब प्रतिरक्षा प्रणाली प्रोटीन को पहचान लेती है, तो ऐसा होने पर यह वास्तविक संक्रमण से लड़ने के लिये एंटीबॉडी का उत्पादन करती है।
- दक्षत:
  - यह डेल्टा स्ट्रेन के खिलाफ तटस्थ एंटीबॉडी प्रकाशित अध्ययनों के आधार पर रोगसूचक संक्रमण की रोकथाम के लिये 80% से अधिक की वैक्सीन प्रभावशीलता को इंगित करती है।
  - इम्युनोजेनिक श्रेष्ठता के समापन बिंदु के साथ किये गए निर्णायक चरण III के अध्ययन में यह COVISHIELD वैक्सीन की तुलना में बेहतर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करता है, जब वुहान स्ट्रेन और विश्व स्तर पर प्रमुख डेल्टा संस्करण के खिलाफ एंटीबॉडी जियोमेट्रिक मीन टाइटर्स (जीएमटी) को निष्क्रिय करने के लिये मूल्यांकन किया जाता है।
- कोवोवैक्स- पुन: संयोजक नैनोपार्टिकल वैक्सीन:
  - परिचय:
    - सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) द्वारा निर्मित यह एक प्रोटीन सबयूनिट वैक्सीन भी है, लेकिन रिकॉम्बिनेंट नैनोपार्टिकल टेक्नोलॉजी (आरएनटी) का उपयोग करती है। इसे अमेरिका स्थित नोवावैक्स ने विकसित किया है।
    - कोविड-19 वायरस के खिलाफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन एक और तरीका है। यह तकनीक शरीर को स्पाइक प्रोटीन का उपयोग करके वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा विकसित करने का तरीका सिखाती है।
    - स्पाइक प्रोटीन की हानिरहित प्रतियाँ कीट कोशिकाओं में उगाई जाती हैं; फिर प्रोटीन को निकाला जाता है और वायरस जैसे नैनोकणों में इकट्ठा किया जाता है।
    - नोवावैक्स ने एक प्रतिरक्षा-बढ़ाने वाले यौगिक (सहायक) का उपयोग किया है। एचपीवी और हेपेटाइटिस बी के टीके में एक ही तकनीक का उपयोग किया जाता है।
  - दक्षता:
    - टीके का मूल्यांकन दो चरणों में 3 परीक्षणों के माध्यम से किया गया है: यूके में एक परीक्षण जिसने मूल वायरस स्ट्रेन के खिलाफ 96.4%, अल्फा के खिलाफ 86.3% और समग्र रूप से 89.7% प्रभावकारिता का प्रदर्शन किया।
- मोलनुपिरवीर - ओरल एंटीवायरल ड्रग:
  - परिचय:
    - यह वायरस के आनुवंशिक कोड में त्रुटियों को पेश करके काम करता है, जो प्रतिकृति को रोकता है।

नोट :

- दक्षता:
  - यूके ने मोलनुपिरवीर को "सुरक्षित और प्रभावी" रूप में मंज़ूरी दे दी।
  - अमेरिका ने इसे लगातार पाँच दिनों से अधिक समय तक या 18 वर्ष से कम उम्र के रोगियों में उपयोग के लिये अधिकृत नहीं किया क्योंकि यह हड्डी और उपास्थि के विकास को प्रभावित कर सकता है।
  - भारत में 93% से अधिक ऑक्सीजन स्तर वाले वयस्क कोविड रोगियों के इलाज के लिये सिफारिश की जाती है जिनके रोग के बढ़ने का उच्च जोखिम होता है और यह कि दवा केवल नुस्खे के तहत खुदरा द्वारा बेची जाती है।

टीकों के प्रकार

- निष्क्रिय टीका: बड़ी संख्या में सक्रिय रोगजनक उत्पन्न किये जाते हैं तत्पश्चात् उन्हें रसायनों अथवा ऊष्मा की सहायता से निष्क्रिय कर दिया जाता है। यद्यपि रोगजनक को निष्क्रिय कर दिया जाता है या इनकी प्रजनन क्षमता को समाप्त कर दिया जाता है, रोगजनक के विभिन्न हिस्से बरकरार रहते हैं जैसे-एंटीजन (रासायनिक संरचना) जिसकी पहचान प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा की जाती है, को अछूता रखा जाता है।
  - क्योंकि रोगजनक मृत होता है, इसलिये न तो यह प्रजनन करने में सक्षम होता है, न ही किसी रोग का कारण बन सकता है। अत: कम प्रतिरक्षा वाले लोगों जैसे कि वृद्ध एवं सहरुग्णता वाले लोगों को इन्हें दिया जाना सुरक्षित होता है।
- सक्रिय टीका: इनमें किसी रोगाणु के कमज़ोर (अथवा क्षीण) रूप का उपयोग किया जाता है।
  - क्योंकि यह वैक्सीन प्राकृतिक संक्रमण से इतनी मिलती-जुलती होती है कि एक शक्तिशाली एवं दीर्घकालीन प्रतिरक्षा प्रदान कर सकती है।
  - नोट: चूँकि इसमें अल्प मात्रा में कमज़ोर सक्रिय विषाणु होते हैं, इसलिये कमज़ोर प्रतिरक्षा तंत्र वाले लोग, दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं वाले व्यक्ति अथवा जिन व्यक्तियों का अंग प्रत्यारोपण हुआ हो, उन्हें स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के पूर्व परामर्श के बिना यह टीका नहीं लगाया जाता।
- मैसेंजर (m) RNA टीके:
  - mRNA टीके प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करने के लिये प्रोटीन बनाते हैं। mRNA टीकों के अन्य प्रकार के टीकों की तुलना में कई लाभ होते हैं जिनमें कम निर्माण समय भी शामिल है तथा टीकाकरण कराने वाले व्यक्ति में बीमारी पैदा करने का कोई ज़ोखिम नहीं होता है। क्योकि इसमे एक मृत वायरस प्रयोग होता है,
  - टीकों का उपयोग कोविड-19 जैसी महामारी से बचाव के लिये किया जाता है।
- सब-यूनिट, पुन: संयोजक, पॉलीसेकेराइड और संयुग्म टीके:
  - इनमें प्रोटीन, चीनी या कैप्सिड (रोगाणु के चारों ओर एक आवरण) जैसे रोगाणु के विशिष्ट टुकड़ों का उपयोग किया जाता है। यह बहुत मज़बूत प्रतिरक्षा प्रणाली प्रदान करते हैं।
  - इनका उपयोग कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों पर भी किया जा सकता है।
  - इन टीकों का उपयोग हिब (हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा टाइप बी) रोग, हेपेटाइटिस बी, एचपीवी (ह्यूमन पेपिलोमावायरस), न्यूमोकोकल रोग से बचाने के लिये किया जाता है।
- टॉक्सोइड टीके:
  - इनमें रोग का कारण बनने वाले रोगाणु द्वारा निर्मित विष (हानिकारक उत्पाद) का उपयोग किया जाता है। यह रोगाणु के उन हिस्सों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पैदा करते हैं जो रोगाणु के बजाय रोग का कारण बनते हैं। इसका मतलब है कि प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पूरे रोगाणु के बजाय विष को लक्षित करती है।
  - डिप्थीरिया, टेटनस से बचाव के लिये टॉक्सोइड टीकों का उपयोग किया जाता है।
- वायरल वेक्टर टीके:
  - वायरल वेक्टर टीके सुरक्षा प्रदान करने के लिये वेक्टर के रूप में एक अलग वायरस के संशोधित संस्करण का उपयोग करते हैं।

नोट :

- कई अलग-अलग वायरस को वैक्टर के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जिसमें इन्फ्लूएंज़ा, वेसिकुलर स्टामाटाइटिस वायरस (वीएसवी), खसरा वायरस और एडेनोवायरस शामिल हैं, जो सामान्य सर्दी का कारण बनते हैं।
  - एडिनोवायरस कुछ कोविड-19 टीकों में उपयोग किये जाने वाले वायरल वैक्टर में से एक है जिसका नैदानिक परीक्षणों में अध्ययन किया जा रहा है।
- टीकों का उपयोग कोविड-19 से बचाव के लिये किया जाता है

भारतीय सेना की 'क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला' और 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र'

चर्चा में क्यों ?

भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के महू में 'क्वांटम कंप्यूटिंग' प्रयोगशाला और 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' हेतु एक केंद्र स्थापित किया है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय
  - इस 'क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला' की स्थापना विभिन्न प्रमुख तकनीकी क्षेत्रों में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण का नेतृत्व करने हेतु 'राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय' (NSCS) की मदद से की गई है।
    - 'राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद' एक त्रिस्तरीय संगठन है जो सामरिक चिंता के राजनीतिक, आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा मुद्दों का प्रबंधन करता है।
  - भारतीय सेना ने इसी संस्थान में एक 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' (AI) केंद्र भी स्थापित किया है, जिसमें विभिन्न अग्रणी क्षेत्रों में 140 से अधिक उद्योगविदो और शिक्षाविदों का सक्रिय समर्थन शामिल है।
  - भारतीय सेना द्वारा अत्याधुनिक साइबर रेंज और साइबर सुरक्षा प्रयोगशालाओं के माध्यम से साइबर युद्ध पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- उद्देश्य:
  - दोनों केंद्र सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग के लिये परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियों के विकास में व्यापक शोध करेंगे।
  - साथ ही ये केंद्र क्वांटम प्रोद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धि जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान और प्रशिक्षण की सुविधा भी प्रदान करेंगे।
  - ये केंद्र संचार के क्षेत्र में प्रगति सुनिश्चित करने में मदद करेंगे और क्रिप्टोग्राफी की वर्तमान प्रणाली को पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में बदलने में भी मददगार साबित होंगे।
  - क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम संचार, क्वांटम प्रौद्योगिकी के प्रमुख क्षेत्र हैं।
    - 'क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन' जिसे 'क्वांटम क्रिप्टोग्राफी' भी कहा जाता है, सुरक्षित संचार विकसित करने का एक तंत्र है।

क्वांटम प्रौद्योगिकी/कंप्यूटिंग

- परिचय:
  - क्वांटम प्रौद्योगिकी, क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों पर आधारित है जिसे 20वीं शताब्दी की शुरुआत में परमाणुओं और प्राथमिक कणों की प्रकृति का वर्णन करने के लिये विकसित किया गया था।
    - क्वांटम सुपरपोज़िशन इनक्रिपटेड कोड या सुपर-स्पीड सूचना प्रसंस्करण का एक सेट है जो समानांतर में काम करने वाले कई क्लासिकल कंप्यूटरों की नकल कर सकता है।
  - क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स में गणना करते हैं। वे क्वांटम यांत्रिकी के गुणों का फायदा उठाते हैं और यह नियंत्रित करता है कि परमाणु पैमाने पर पदार्थ कैसे व्यवहार करता है।
  - इस क्रांतिकारी तकनीक के पहले चरण ने प्रकाश तथा पदार्थ की अंत:क्रिया सहित भौतिक जगत के बारे में हमारी समझ विकसित करने के लिये आधार प्रदान किया और लेज़र एवं अर्द्धचालक ट्रांजिस्टर जैसे आविष्कारों को बढ़ावा दिया।

नोट :

- अनुप्रयोग:
  - सुरक्षित संचार:
    - चीन ने हाल ही में स्थलीय स्टेशनों और उपग्रहों के बीच सुरक्षित क्वांटम संचार लिंक का प्रदर्शन किया।
    - यह अन्य क्षेत्रों के साथ उपग्रहों, सैन्य और साइबर सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह अपने उपयोगकर्त्ताओं को अकल्पनीय रूप से तीव्र कंप्यूटिंग और सुरक्षित एवं हैकरहित उपग्रह संचार की सुविधा प्रदान करता है।
  - अनुसंधान:
    - यह गुरुत्वाकर्षण, ब्लैक होल आदि से संबंधित भौतिकी के कुछ मूलभूत प्रश्नों को हल करने में मदद कर सकता है।
    - इसी तरह, क्वांटम पहल जीनोम इंडिया परियोजना को बड़ा बढ़ावा दे सकती है।
  - आपदा प्रबंधन:
    - क्वांटम अनुप्रयोगों से सुनामी, सूखा, भूकंप और बाढ़ का अधिक सटीकता से पूर्वानुमान लगाया जा सकता है।
    - क्वांटम प्रौद्योगिकी के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से संबंधित आँकड़ों के संग्रह को बेहतर तरीके से सुव्यवस्थित किया जा सकता है।
  - फार्मास्युटिकल:
    - क्वांटम कंप्यूटिंग नए अणुओं और संबंधित प्रक्रियाओं की खोज की समय सीमा को 10 साल तक कम कर सकता है जिसका अनुमान वैज्ञानिकों द्वारा लगाया है।
  - औद्योगिक क्रांति 4.0 को बढ़ावा:
    - क्वांटम कंप्यूटिंग औद्योगिक क्रांति 4.0 का एक अभिन्न अंग है।
    - इसमें सफलता अन्य औद्योगिक क्रांति 4.0 तकनीकों जैसे इंटरनेट-ऑफ-थिंग्स, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ उठाने के उद्देश्य से रणनीतिक पहल में मदद करेगी, जो आगे चलकर ज्ञान अर्थव्यवस्था की नींव रखने में मदद करेगी।
- क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़ी चुनौतियाँ:
  - क्वांटम कंप्यूटिंग का एक चुनौतिपूर्ण पक्ष विघटनकारी प्रभाव है जो क्रिप्टोग्राफिक एन्क्रिप्शन (जो संचार और कंप्यूटर को सुरक्षित करता है) से संबंधित हो सकता है।
  - यह सरकार के लिये एक चुनौती भी हो सकती है क्योंकि अगर यह तकनीक गलत हाथों में चली जाती है, तो सरकार के सभी आधिकारिक और गोपनीय डेटा के हैक होने और दुरुपयोग होने का खतरा होगा।
- संबंधित भारतीय पहल:
  - बजट 2020 में पाँच साल की अवधि के लिये 'क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लिकेशन' (NM-QTA) पर एक राष्ट्रीय मिशन को 8000 करोड़ रूपए आवंटित किये गए।
  - वर्ष 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को साइबर-भौतिक प्रणालियों में अग्रणी बनाने के लिये अंत:विषयक साइबर-भौतिक प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन (NM-ICPS) के शुभारंभ को मंज़ूरी दी गई।
  - वर्ष 2018 में सरकार ने क्वांटम प्रौद्योगिकियों पर गंभीर चर्चा शुरू की और QUEST - क्वांटम सक्षम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तहत 51 संगठनों में अनुसंधान परियोजनाओं को शुरू किया। हालाँकि NM-QTA तक इस क्षेत्र में कोई महत्त्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है।

नोट :

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

जलवायु परिवर्तन पर मसौदा प्रस्ताव: संयुक्त राष्ट्र

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत और रूस ने जलवायु परिवर्तन पर 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद' (UNSC) के प्रस्तावित मसौदे का विरोध किया है।

- यह प्रस्ताव आयरलैंड और नाइज़र द्वारा सह-प्रायोजित था और इसे पहली बार जर्मनी द्वारा वर्ष 2020 में 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद' में प्रस्तावित किया गया था।
- इसे 113 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों (कुल 193 में से) का समर्थन प्राप्त था, जिसमें 15 में से 12 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सदस्य शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

- परिचय
  - इस मसौदा प्रस्ताव में जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके प्रभावों पर चर्चा हेतु सुरक्षा परिषद में एक औपचारिक स्थान बनाने का प्रयास किया गया है।
  - इस प्रस्ताव ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव से इस विषय पर समय-समय पर रिपोर्ट प्रदान करने की भी मांग की है कि संघर्षों को रोकने हेतु जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न जोखिमों को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है।
  - इसमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव से 'जलवायु सुरक्षा' हेतु एक विशेष दूत नियुक्त करने को भी कहा गया है।
  - इसके अलावा, इसने संयुक्त राष्ट्र के फील्ड मिशनों को अपने संचालन के क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के आकलन पर नियमित रूप से रिपोर्ट करने और अपने नियमित कार्यों को करने में जलवायु विशेषज्ञों की मदद लेने के लिये कहा गया है।
- आवश्यकता
  - प्राय: यह तर्क दिया जाता है कि जलवायु परिवर्तन का एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा आयाम भी है।
  - जलवायु परिवर्तन से प्रेरित भोजन या जल की कमी, आवास या आजीविका का नुकसान, या प्रवास मौजूदा संघर्षों को बढ़ा सकता है या नए संघर्ष भी पैदा कर सकता है।
  - संयुक्त राष्ट्र के फील्ड मिशनों के लिये भी इसके महत्त्वपूर्ण निहितार्थ हो सकते हैं, जो शांति स्थापना के प्रयासों में दुनिया भर में तैनात किये गए हैं।
- आलोचना:
  - UNFCCC से UNSC की ओर स्थानांतरित
    - भारत ने कहा कि जलवायु वार्ता को संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) से सुरक्षा परिषद में स्थानांतरित करने और इस मुद्दे पर सामूहिक कार्रवाई के लिये यह "एक कदम पीछे" का प्रयास है।
    - वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भी भारत ने अंतिम मसौदा समझौते में अंतिम समय में संशोधन के लिये दबाव बनाया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोयले के "फेज-आउट" के प्रावधान को "फेज-डाउन" में बदल दिया जाय।
    - भारत के अनुसार यह मसौदा प्रस्ताव सही दिशा में की गई प्रगति को कमज़ोर करेगा।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन

- इसमें जलवायु परिवर्तन से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा होती है।
- 190 से अधिक देश जो UNFCCC के सदस्य है जलवायु परिवर्तन से निपटने तथा वैश्विक दृष्टिकोण पर कार्य करने के लिये वर्ष के अंतिम दो सप्ताह में वार्षिक कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस वर्ष यह बैठक ग्लासगो में होने वाली है।

नोट :

- यह वह प्रक्रिया है जिसने पेरिस समझौते को जन्म दिया है तथा इसके पूर्ववर्ती समझौते क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
  - UNSC के पास विशेषज्ञता नहीं है:
    - इस जलवायु वार्ता में यह तर्क दिया गया है कि UNFCCC को जलवायु परिवर्तन से संबंधित सभी मुद्दों को संबोधित करने के लिये उपयुक्त मंच बने रहना चाहिये और दावा किया कि सुरक्षा परिषद के पास ऐसा करने की विशेषज्ञता नहीं है।
  - जलवायु कार्रवाई पर आधिपत्य:
    - UNFCCC के विपरीत जहाँ सभी 190 से अधिक देशों की सर्वसम्मति से निर्णय लिये जाते हैं वहीं UNSC में कुछ मुट्ठी भर विकसित देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन से संबंधित के निर्णय लिये जाएँगे ।
    - UNSC के सदस्य "ऐतिहासिक उत्सर्जन के कारण जलवायु परिवर्तन में प्रमुख योगदानकर्त्ता" हैं
    - साथ ही इस मुद्दे को सुरक्षा परिषद में लाने का निर्णय अधिकांश विकासशील देशों की भागीदारी और आम सहमति के बिना किया गया था।
- हाल ही में भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन को सीमित करने संबंधी उपाय:
  - COP-26 में पाँच तत्त्वों के साथ एक महत्त्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई प्रारंभ की गई है।
    - वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 GW तक ले जाना
    - वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना
    - वर्ष 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को एक अरब टन कम करना
    - वर्ष 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से कम करना
    - वर्ष 2070 तक "शुद्ध शून्य" के लक्ष्य को प्राप्त करना।
  - भारत अब स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में चौथे स्थान पर है और पिछले सात वर्षों में गैर-जीवाश्म ऊर्जा में 25% से अधिक की वृद्धि हुई है और कुल ऊर्जा मिश्रण का 40% तक पहुँच गया है।
- भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे के लिये गठबंधन (सीडीआरआई) जैसी पहलों में भी अग्रणी भूमिका निभाई है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

- संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने UNSC सहित संयुक्त राष्ट्र के छह मुख्य अंगों की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 23 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद' की संरचना से संबंधित है।
- संयुक्त राष्ट्र के अन्य 5 अंगों में शामिल हैं- संयुक्त राष्ट्र महासभा, ट्रस्टीशिप परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय।
- 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद' को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक ज़िम्मेदारी दी गई है और जब भी वैश्विक शांति पर कोई खतरा उत्पन्न होता है तब परिषद की बैठक आयोजित की जाती है।
- यद्यपि संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंग सदस्य राज्यों के लिये सिफारिशें करते हैं, किंतु सुरक्षा परिषद के पास सदस्य देशों के लिये निर्णय लेने और बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने की शक्ति होती है।
- स्थायी और अस्थायी सदस्य: UNSC में 15 सदस्य हैं जिसमे 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्यों शामिल है।
  - पाँच स्थायी सदस्य: चीन, फ्राँस, रूसी संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।
  - दस अस्थायी सदस्य: इसका चुनाव महासभा द्वारा दो वर्षों के लिये किया जाता है।
    - प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दो वर्षीय कार्यकाल के लिये पाँच अस्थायी सदस्यों (कुल दस में से) का चुनाव किया जाता है। दस अस्थायी सीटों का वितरण क्षेत्रीय आधार पर होता है।
    - जैसा कि प्रक्रिया के नियमों के नियम 144 में निर्धारित है, एक सेवानिवृत्त सदस्य तत्काल पुन: चुनाव के लिये पात्र नहीं है।
    - प्रक्रिया के नियम 92 के अनुसार, चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होता है तथा इसमें कोई नामांकन प्रक्रिया शामिल नहीं है। प्रक्रिया के नियम 83 के तहत, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को दो-तिहाई बहुमत से चुना जाता है।

नोट :

- अफ्रीकी और एशियाई देशों के लिये पाँच सदस्य।
- पूर्वी यूरोपीय देशों के लिये एक सदस्य।
- दो सदस्य लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देशों के लिये।
- दो सदस्य पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देशों के लिये।

- भारत UNSC में अपनी एक स्थायी सीट का पक्ष करता रहा है।
- भारत जनसंख्या, क्षेत्रीय आकार, सकल घरेलू उत्पाद (GDP), आर्थिक क्षमता, संपन्न विरासत और सांस्कृतिक विविधता तथा संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों में विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में योगदान आदि सभी पैमानों पर खरा उतरता है।

जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021' को संसद में प्रस्तुत किया गया है।

- ये संशोधन राष्ट्रीय हितों से समझौता किये बिना कुछ प्रावधानों को अपराध से मुक्त करने और अनुसंधान, पेटेंट और वाणिज्यिक उपयोग सहित जैविक संसाधनों की शृंखला में अधिक विदेशी निवेश लाने का प्रयास करते हैं।
- हालाँकि, विपक्षी दलों ने विधेयक पर चिंता ज़ाहिर करते हुए इसे एक प्रवर समिति के पास भेजने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने विधेयक को संसद की स्थायी समिति के पास भेजने की मांग की है।

नोट

- किसी विशेष विधेयक की जाँच के लिये एक प्रवर समिति का गठन किया जाता है और इसकी सदस्यता एक सदन के संसद सदस्यों तक सीमित होती है। इसकी अध्यक्षता सत्तारूढ़ दल के सांसद करते हैं।

प्रमुख बिंदु

- उद्देश्य: यह विधेयक 'जैविक विविधता अधिनियम, 2002' में कुछ नियमों को शिथिल करता है।
  - वर्ष 2002 के अधिनियम ने भारतीय चिकित्सा व्यवसायियों, बीज क्षेत्र, उद्योग और शोधकर्त्ताओं पर भारी 'अनुपालन बोझ' अधिरोपित किया और सहयोगी अनुसंधान तथा निवेश को कठिन बना दिया।
- अनुसंधान प्रक्रिया को सरल बनाएँ: संशोधन पेटेंटिंग को प्रोत्साहित करने के लिये भारतीय शोधकर्त्ताओं के लिये पेटेंट की प्रक्रिया को भी कारगर बनाते हैं।
  - इसके लिये देशभर में क्षेत्रीय पेटेंट केंद्र खोले जाएंगे।
- भारतीय चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देना: यह 'भारतीय चिकित्सा प्रणाली' को बढ़ावा देना चाहता है, और भारत में उपलब्ध जैविक संसाधनों का उपयोग करते हुए अनुसंधान की ट्रैकिंग, पेटेंट आवेदन प्रक्रिया, अनुसंधान परिणामों के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है।
  - यह स्थानीय समुदायों को विशेष रूप से औषधीय मूल्य जैसे कि बीज के संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम होने के लिये सशक्त बनाना चाहता है।
  - यह विधेयक किसानों को औषधीय पौधों की खेती बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित करता है।
  - जैवविविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के उद्देश्यों से समझौता किये बिना इन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना है।
- कुछ प्रावधानों को अपराध से मुक्त करना: यह जैविक संसाधनों की शृंखला में कुछ प्रावधानों को अपराध से मुक्त करने का प्रयास करता है।
  - इन परिवर्तनों को वर्ष 2012 में भारत के नागोया प्रोटोकॉल (सामान्य संसाधनों तक पहुँच और उनके उपयोग से होने वाले लाभों का उचित तथा न्यायसंगत साझाकरण) के अनुसमर्थन के अनुरूप लाया गया था।
- विदेशी निवेश की अनुमति: यह जैवविविधता में अनुसंधान में विदेशी निवेश की भी अनुमति देता है हालाँकि यह निवेश आवश्यक रूप से जैवविविधता अनुसंधान में शामिल भारतीय कंपनियों के माध्यम से करना होगा।
  - विदेशी संस्थाओं के लिये राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण से अनुमोदन आवश्यक है।

नोट :

- आयुष चिकित्सकों को छूट: विधेयक पंजीकृत आयुष चिकित्सकों और संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करने वाले लोगों को कुछ उद्देश्यों के लिये जैविक संसाधनों तक पहुँचने हेतु राज्य, जैवविविधता बोर्डों को पूर्व सूचना देने से छूट देने का प्रयास करता है।
- जैवविविधता अधिनियम, 2002: इसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, जिसके तहत निम्नलिखित हेतु प्रावधान किया गया था:
  - जैवविविधता का संरक्षण,
  - इसके घटकों का सतत् उपयोग
  - जैविक संसाधनों और ज्ञान के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा।
- नागोया प्रोटोकॉल
  - यह अनिवार्य है कि जैविक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों को स्वदेशी और स्थानीय समुदायों के बीच निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से साझा किया जाए।
  - जब कोई भारतीय या विदेशी कंपनी या व्यक्ति औषधीय पौधों और संबंधित ज्ञान जैसे जैविक संसाधनों का उपयोग करता है, तो उसे राष्ट्रीय जैवविविधता बोर्ड (National Biodiversity Board) से पूर्व सहमति लेनी होती है।
  - बोर्ड एक लाभ-साझाकरण शुल्क या रॉयल्टी लगा सकता है या शर्तें लगा सकता है ताकि कंपनी इन संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग से होने वाले मौद्रिक लाभ को उन स्थानीय लोगों के साथ साझा करे जो क्षेत्र में जैवविविधता का संरक्षण कर रहे हैं।

विशेषज्ञों की चिंताएँ:

- संरक्षण की तुलना में व्यापार को प्राथमिकता: यह जैविक संसाधनों के संरक्षण के अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य की कीमत पर बौद्धिक संपदा और वाणिज्यिक व्यापार को प्राथमिकता देता है।
- बायो-पायरेसी का खतरा: आयुष प्रैक्टिशनर्स (AYUSH Practitioners) को छूट के लिए अब मंज़ूरी लेने की आवश्यकता नहीं है, इससे 'बायो पायरेसी' (Biopiracy) का मार्ग प्रशस्त होगा।
  - बायोपायरेसी के व्यापार में स्वाभाविक रूप से होने वाली आनुवंशिक या जैव रासायनिक सामग्री का दोहन करने की प्रथा है।
- जैवविविधता प्रबंधन समितियों (BMCs) का हाशिये पर होना: प्रस्तावित संशोधन राज्य जैवविविधता बोर्डों को लाभ साझा करने की शर्तों को निर्धारित करने हेतु BMCs का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देते हैं।
  - जैवविविधता अधिनियम 2002 के तहत, राष्ट्रीय और राज्य जैवविविधता बोर्डों को जैविक संसाधनों के उपयोग से संबंधित कोई भी निर्णय लेते समय जैवविविधता प्रबंधन समितियों (प्रत्येक स्थानीय निकाय द्वारा गठित) से परामर्श करना आवश्यक है।
- स्थानीय समुदाय को दरकिनार करना: विधेयक खेती वाले औषधीय पौधों को अधिनियम के दायरे से भी छूट देता है। हालाँकि यह पता लगाना व्यावहारिक रूप से असंभव है कि किन पौधों की खेती की जानी चाहिये और कौन-से पौधे जंगली हैं।
  - यह प्रावधान बड़ी कंपनियों को अधिनियम के दायरे और बेनिफिट-शेयरिंग प्रावधानों के तहत पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता से बचने या स्थानीय समुदायों के साथ लाभ साझा करने की अनुमति दे सकता है।

आगे की राह

- वन अधिकार अधिनियम (FRA) का प्रभावी कार्यान्वयन: सरकार को क्षेत्र में अपनी एजेंसियों और इन वनों पर निर्भर लोगों के बीच विश्वास बनाने का प्रयास करना चाहिये, उन्हें देश में हर किसी की तरह समान नागरिक माना जाना चाहिये।
  - FRA की खामियों की पहचान पहले ही की जा चुकी है; बस ज़रूरत है इसमें संशोधन पर काम करने की।
- अंतर्राष्ट्रीय संधियों का एकीकरण: नागोया प्रोटोकॉल का कार्यान्वयन अलग-अलग काम नहीं कर सकता है और इस प्रकार अन्य अंतरराष्ट्रीय संधियों के अनुरूप होना चाहिये।
  - इसलिये नागोया प्रोटोकॉल और खाद्य और कृषि के लिये पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि (ITPGRFA) के बीच एकीकरण को एक दूसरे के पथ को पार करने वाले विधायी, प्रशासनिक और नीतिगत उपायों पर विचार करने की आवश्यकता है।
- पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (PBR): PBR का उद्देश्य संसाधनों की स्थिति, उपयोग, इतिहास, चल रहे परिवर्तनों और जैवविविधता संसाधनों में बदलाव लाने वाली ताकतों और इन संसाधनों को कैसे प्रबंधित किया जाए, इस बारे में लोगों की धारणाओं के लोक ज्ञान का दस्तावेज़ीकरण करना चाहिये।

नोट :

- PBR पारंपरिक ज्ञान पर किसानों या समुदायों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिये उपयोगी हो सकते हैं जो वे एक विशेष किस्म पर धारण कर सकते हैं।

उत्तर भारत में शीतकालीन वायु प्रदूषण

चर्चा में क्यों ?

सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरनमेंट (CSE) ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) से बाहर के शहरों पर विशेष ध्यान देते हुए वायु गुणवत्ता के रुझान का विश्लेषण किया है।

- CSE द्वारा किये गए नवीनतम विश्लेषण में पाया गया है कि जब सर्दियों के दौरान प्रदूषण बढ़ता है, तो पूरे उत्तर भारत में धुंध का अनुभव किया जाता है।

नोट:

- पार्टिकुलेट मैटर:
  - पार्टिकुलेट मैटर (पीएम), जिसे कणिका पदार्थ भी कहा जाता है, हवा में पाए जाने वाले ठोस कणों और तरल बूँदों के मिश्रण हेतु एक शब्द है।
  - इसमें समाविष्ट हैं:
    - पीएम-2.5: इसका आकार 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है। ये आसानी से साँस के साथ शरीर के अंदर प्रवेश कर गले में खराश, फेफड़ों को नुकसान, जकड़न पैदा करते हैं। इन्हें एम्बियंट फाइन डस्ट सैंपलर पीएम-2.5 से मापते हैं।
    - पीएम-10: रिसपाइरेबल पार्टिकुलेट मैटर का आकार 10 माइक्रोमीटर से कम होता है। ये भी शरीर के अंदर पहुँचकर बहुत सारी बीमारियाँ फैलाते हैं।
  - पार्टिकुलेट मैटर के स्रोत: कुछ सीधे स्रोत से उत्सर्जित होते हैं, जैसे- निर्माण स्थल, कच्ची सड़कें, खेत, स्मोकस्टैक्स या आग।
- सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरनमेंट (CSE):
  - सीएसई नई दिल्ली स्थित एक जनहित अनुसंधान और वकालत संगठन है।
  - यह शोध करता है एवं विकास की तात्कालिकता को संप्रेषित करता है जो कि टिकाऊ व न्यायसंगत है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - इस विश्लेषण का उद्देश्य सर्दियों के दौरान प्रदूषण के उस समकालिक पैटर्न को समझना है, जब वायुमंडलीय परिवर्तन पूरे क्षेत्र में प्रदूषण हो जाता हैं।
  - इस विश्लेषण में छह राज्यों के 56 शहरों में फैले 137 निरंतर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों (CAAQMS) को शामिल किया गया है।
    - CAAQMS पूरे वर्ष वायु प्रदूषण की वास्तविक समय निगरानी को मापने की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें कणिका पदार्थ भी शामिल हैं।
  - उत्तरी क्षेत्र को पाँच उप-क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जिनमें शामिल हैं:
    - पंजाब और चंडीगढ़।
    - एनसीआर (दिल्ली और 26 अन्य शहर/कस्बे शामिल जो एनसीआर के भीतर आते हैं)।
    - हरियाणा (एनसीआर में पहले से शामिल शहरों के अलावा)।
    - उत्तर प्रदेश (एनसीआर में शामिल शहरों को छोड़कर)।
    - राजस्थान (एनसीआर में शामिल शहरों को छोड़कर)।

नोट :

- यह 1 जनवरी, 2019 से 30 नवंबर, 2021 की अवधि के लिये PM-2.5 के संकेंद्रण में वार्षिक और मौसमी रुझानों का आकलन है।

- कार्यप्रणाली और डेटा:
  - यूनाइटेड स्टेट्स एन्वायरनमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी (USEPA) की पद्धति के आधार पर बड़ी मात्रा में डेटा बिंदुओं को लेते हुए डेटा अंतराल को संबोधित किया गया है।
  - विश्लेषण के लिये मौसम संबंधी आँकड़े भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पालम, मौसम केंद्र से एकत्र किये गए हैं।
  - फायर काउंट डेटा को राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (NASA) के फायर इंफॉर्मेशन फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, विशेष रूप से विज़िबल इन्फ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सूट' (VIIRS) से लिया गया है।
  - दिल्ली की वायु गुणवत्ता में पराली के धुएँ के योगदान का अनुमान केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान एवं अनुसंधान प्रणाली (SAFAR) से लिया गया है।

- महत्त्वपूर्ण प्राप्तियाँ:
  - छोटे शहरों में प्रदूषण का स्तर: अधिकांश छोटे शहरों में PM-2.5 का स्तर वार्षिक औसत से काफी कम है, लेकिन सर्दियों की शुरुआत में जब धुंध पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेती है तथा पराली की आग और बढ़ जाती है, तो छोटे शहरों में इसका स्तर दिल्ली के बराबर होता है।
  - प्रारंभिक शीतकालीन धुंध पूरे क्षेत्र में फैली होती है, लेकिन दिल्ली-एनसीआर में यह लंबे समय तक बनी रहती है आमतौर पर नवंबर की धुंध पूरे उत्तरी क्षेत्र में सिंक्रनाइज़ रूप में फैली होती है।
    - लेकिन ये कण बाकी सर्दियों के दौरान केवल दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश में ही टिके रहते हैं।
    - सर्दियों के दौरान वायुमंडलीय परिवर्तन जिनसे शांत स्थिति, हवा की दिशा में परिवर्तन और परिवेश के तापमान में मौसमी गिरावट होती है, पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण का कारण बनते हैं।
    - नवंबर के दौरान खेत की आग और दिवाली के पटाखों से निकलने वाले धुएँ से यह एक गंभीर श्रेणी में आ जाता है।
  - 'बहुत खराब' और 'गंभीर' श्रेणियों में वायु गुणवत्ता वाले दिनों की संख्या: दिल्ली और एनसीआर शहर 2021 में 'सबसे गंभीर' (Most Severe) दिनों की श्रेणी में सबसे आगे हैं।
  - प्रदूषण उत्पन्न करने वाले सुभेद्य शहर: हालाँकि पूरा उत्तर भारत प्रदूषण की चपेट में है, वहीं दिल्ली और एनसीआर का कुल वार्षिक औसत इस क्षेत्र में सबसे अधिक है।
  - औद्योगिक शहर पूरे वर्ष प्रदूषण के प्रति सुभेद्य: इस वर्ष अधिक वर्षा और लंबी मानसून अवधि ने पूरे क्षेत्र में पीएम-2.5 के स्तर को काफी हद तक नीचे ला दिया है।
    - भले ही मानसून ने इस क्षेत्र में समग्र प्रदूषण को कम कर दिया, लेकिन औद्योगिक शहरों में प्रदूषण का स्तर मानसून के दौरान अन्य शहरों की तुलना में अधिक था।
  - खेत में आग की समस्या: सर्दियों के दौरान खेत में आग लगने की घटनाएँ सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है।
    - इसके लिये दो स्तरों पर विश्लेषण किये गए- खेतों में आग की संख्या पर दैनिक प्रवृत्ति जानने के लिये दैनिक रूप से खेतों में लगे आग के आँकड़े इकट्ठा किये गए और औसत अग्नि विकिरण शक्ति (एफआरपी) प्रक्रिया के तहत नासा के उपग्रहों द्वारा लिये गए आँकड़ों पर रिपोर्ट बनाई गई।
    - एफआरपी वास्तव में आग लगने के समय उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की दर है जिसे मेगावाट (MW) में अंकित किया जाता है।
    - एफआरपी बायोमास बर्निंग से उत्सर्जन को मापने का बेहतर तकनीक है क्योंकि इसमें एफआरपी तीव्रता जलाए गए बायोमास की मात्रा को इंगित करती है।
    - हरियाणा, यूपी, राजस्थान और दिल्ली के बाद इस साल, पंजाब में सर्वाधिक आग लगने की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है।
  - नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO_2) का स्तर: अक्तूबर और सितंबर की तुलना में नवंबर के दौरान हवा में NO_2 की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
    - NO_2 का उत्सर्जन दहन स्रोतों और महत्त्वपूर्ण रूप से वाहनों से होता है।
  - दिवाली के दौरान प्रदूषण में वृद्धि: पटाखे जलाने पर पाबंदी के बावजूद दिवाली की रात में प्रदूषण बढ़ जाता है।

नोट :

वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु पहल

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
- भारत स्टेज (बीएस) VI मानदंड
- वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिये डैशबोर्ड
- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम
- राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई)
- वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई)

आगे की राह:

- विश्लेषण ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और एनसीआर के शहरों को सर्दियों के दौरान होने वाले वायुमंडलीय परिवर्तन व प्रदूषण के चक्र को समझने के लिये केंद्र बिंदु में लाकर रख दिया है, ताकि प्रदूषण से संबंधित उलझाने वाली पहेली को समझा जा सके।
  - इससे पता चलता है कि कम वार्षिक औसत स्तर वाले छोटे शहरों में भी प्रदूषण का स्तर दिल्ली से खराब या उससे भी बदतर है।
  - प्रदूषण फैलाने वाले इन सभी स्रोतों व प्रमुख क्षेत्रों में नियंत्रण हेतु बड़े पैमाने पर तीव्र गति से कार्रवाई की जानी चाहिये।
- उत्तरी क्षेत्र के उद्योग और बिजली संयंत्रों में स्वच्छ ईंधन तथा प्रौद्योगिकी तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये वॉकिंग और साइकलिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं कचरे के पूर्ण पृथक्करण, पुनर्चक्रण हेतु नगरपालिका सेवाओं में वृद्धि के साथ सभी राज्यों में सामंजस्यपूर्ण कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

हरित वित्तपोषण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने COP-26 जलवायु शिखर सम्मेलन में घोषणा की है कि भारत वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन स्थिति प्राप्त करेगा।

- इन जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिये भारत जैसे देश को अगले दस वर्षों में अतिरिक्त वित्तपोषण के लिये लगभग 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी।

प्रमुख बिंदु:

- परिचय:
  - ग्रीन फाइनेंसिंग सार्वजनिक, निजी और गैर-लाभकारी क्षेत्रों से सतत् विकास प्राथमिकताओं के लिये वित्तीय प्रवाह (बैंकिंग, माइक्रो-क्रेडिट, बीमा और निवेश से) के स्तर को बढ़ाने के लिये है।
  - इसका एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करना है, ऐसे अवसरों का लाभ उठाना जो प्रतिफल की एक अच्छी दर और पर्यावरणीय लाभ के साथ ही अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं।
- जलवायु (हरित) वित्त की आवश्यकता:
  - 'प्रदूषणकर्त्ता द्वारा भुगतान' का सिद्धांत (Polluter Pays Principle)
    - 'प्रदूषणकर्त्ता द्वारा भुगतान' का सिद्धांत (Polluter Pays Principle) आमतौर पर स्वीकृत प्रथा है जिसके अनुसार प्रदूषण उत्पन्न करने वालों को मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिये इसके प्रबंधन की लागत वहन करनी चाहिये।
  - सामान्य लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमता (सीबीडीआर-आरसी):
    - यह जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने में अलग-अलग देशों की विभिन्न क्षमताओं और अलग-अलग ज़िम्मेदारियों को स्वीकार करता है।

नोट :

- अंतर्निहित सिद्धांत: विकसित देश ऐतिहासिक रूप से प्रमुख पर्यावरण प्रदूषक रहे हैं।
  - इसलिये उपर्युक्त सिद्धांतों के आधार पर विकसित देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये प्रौद्योगिकी और वित्त प्रदान करने हेतु नैतिक रूप से ज़िम्मेदार हैं।
- जलवायु वित्तपोषण की स्थिति:
  - विकसित देशों से अपेक्षित योगदान: विकसित देशों से आवश्यक जलवायु वित्त विकासशील देशों को उनके जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिये प्रतिवर्ष 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हस्तांतरित करना।
  - विकसित देशों द्वारा वास्तविक योगदान: वर्ष 2010 में 'कैनकन समझौतों' के माध्यम से विकसित देशों ने विकासशील देशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये वर्ष 2020 तक प्रतिवर्ष संयुक्त रूप से 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने के लक्ष्य हेतु प्रतिबद्धता ज़ाहिर की थी।
- हालाँकि 'ग्लासगो जलवायु समझौते' (COP26) ने नोट किया कि विकसित देशों की प्रतिबद्धता अभी तक पूरी नहीं हुई है।
- इस संबंध में 'COP26' ने 'संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज' (UNFCCC) को वित्त पर स्थायी समिति से वर्ष 2022 में ऐसे देशों पर एक रिपोर्ट तैयार करने का अनुरोध किया है, जो विकासशील देशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये प्रतिवर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति कर रहे हैं।
- ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट फाइनेंसिंग:
  - जलवायु वित्त के प्रावधान को सुविधाजनक बनाने हेतु UNFCCC ने विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन प्रदान करने के लिये वित्तीय तंत्र की स्थापना की है।
    - क्योटो प्रोटोकॉल के तहत अनुकूलन कोष: इसका उद्देश्य उन परियोजनाओं और कार्यक्रमों को वित्तपोषित करना है, जो विकासशील देशों में संवेदनशील समुदायों की मदद करते हैं और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के लिये क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकार हैं।
    - ग्रीन क्लाइमेट फंड: यह वर्ष 2010 में स्थापित UNFCCC का वित्तीय तंत्र है।
    - भारत, प्रतिवर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की पेरिस समझौते की जलवायु वित्त प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिये विकसित देशों पर ज़ोर दे रहा है।
    - वैश्विक पर्यावरण कोष (GEF): वर्ष 1994 में कन्वेंशन लागू होने के बाद से 'वैश्विक पर्यावरण कोष' ने वित्तीय तंत्र की एक परिचालन इकाई के रूप में कार्य किया है।
    - यह एक निजी इक्विटी फंड है जो जलवायु परिवर्तन के तहत स्वच्छ ऊर्जा में निवेश द्वारा दीर्घकालिक वित्तीय रिटर्न प्राप्त करने पर केंद्रित है।
    - जीईएफ दो अतिरिक्त फंड, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड (SCCF) और कम विकसित देशों के फंड (LDCF) का भी रखरखाव करता है।

भारत में जलवायु वित्तपोषण:

- घरेलू संसाधनों से वित्तपोषण: भारत की जलवायु क्रियाओं को अब तक बड़े पैमाने पर घरेलू संसाधनों द्वारा वित्तपोषित किया गया है।
  - वर्ष 2014 और 2019 के बीच यूएनएफसीसीसी द्वारा जारी भारत की तीसरी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट 2021 के अनुसार, वैश्विक पर्यावरण सुविधा और हरित जलवायु कोष ने कुल 165.25 मिलियन यूएसडी का अनुदान प्रदान किया है।
- हरित वित्तपोषण के लिये धन: जलवायु परिवर्तन से संबंधित हरित वित्तपोषण प्रमुख रूप से राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (एनसीईएफ) और राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (एनएएफ) द्वारा जुटाया जाता है।
  - भारत सरकार जलवायु परिवर्तन के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत स्थापित आठ मिशनों के माध्यम से वित्तपोषण भी प्रदान करती है।
  - इसने वित्त मंत्रालय में एक जलवायु परिवर्तन वित्त इकाई (सीसीएफयू) की स्थापना की है, जो सभी जलवायु परिवर्तन वित्तपोषण मामलों के लिये नोडल एजेंसी है।

नोट :

हाल ही में भारत सरकार की पहल:

- प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना: सरकार ने 13 ऊर्जा गहन क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन में कमी को लक्षित करते हुए पीएटी योजना शुरू की है।
- विदेशी पूंजी को प्रोत्साहित करना: सरकार ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दी है।
- अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहन:
  - सरकार ने परियोजनाओं के लिये सौर और पवन ऊर्जा की अंतर-राज्यीय बिक्री हेतु अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क माफ कर दिया है।
  - अक्षय खरीद दायित्व (आरपीओ) के लिये प्रावधान करना और अक्षय ऊर्जा पार्क स्थापित करना।
  - राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा।
- भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान: इसे पेरिस समझौते के तहत वर्ष 2015 में हस्ताक्षरकर्त्ता देशों द्वारा अपनाया गया था, भारत ने निर्धारित लक्ष्यों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NCD) प्रस्तुत किया था:
  - अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2030 तक वर्ष 2005 के स्तर से 33-35% तक कम करना।
  - वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करना।
  - वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्षों के आवरण के माध्यम से 2.5-3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक निर्मित करना।

आगे की राह

- सहयोग के दायरे का विस्तार: सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ वित्तीय बाज़ारों, बैंकों, निवेशकों, सूक्ष्म-ऋण संस्थाओं, बीमा कंपनियों में प्रमुख भागीदारों को शामिल करने हेतु बहु-हितधारक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- समग्र ढाँचा: निम्नलिखित को बढ़ावा देकर हरित वित्तपोषण को बढ़ावा दिया जा सकता है:
  - देशों के नियामक ढाँचे में बदलाव लाकर।
  - सार्वजनिक वित्तीय प्रोत्साहनों के सामंजस्य से।
  - विभिन्न क्षेत्रों से हरित वित्तपोषण में वृद्धि करके।
  - सतत् विकास लक्ष्यों के पर्यावरणीय आयाम के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तपोषण निर्णय लेने के संरेखण द्वारा
  - स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकियों के निवेश में वृद्धि करके।
  - टिकाऊ प्राकृतिक संसाधन-आधारित हरित अर्थव्यवस्थाओं और जलवायु स्मार्ट नीली अर्थव्यवस्था हेतु वित्तपोषण द्वारा।
  - ग्रीन बॉण्ड के उपयोग को बढ़ावा देकर।

उत्तर भारत में शीतकालीन वायु प्रदूषण

चर्चा में क्यों ?

सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरनमेंट (CSE) ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) से बाहर के शहरों पर विशेष ध्यान देते हुए वायु गुणवत्ता के रुझान का विश्लेषण किया है।

- CSE द्वारा किये गए नवीनतम विश्लेषण में पाया गया है कि जब सर्दियों के दौरान प्रदूषण बढ़ता है, तो पूरे उत्तर भारत में धुंध का अनुभव किया जाता है।

नोट :

नोट:

- पार्टिकुलेट मैटर:
  - पार्टिकुलेट मैटर (पीएम), जिसे कणिका पदार्थ भी कहा जाता है, हवा में पाए जाने वाले ठोस कणों और तरल बूँदों के मिश्रण हेतु एक शब्द है।
  - इसमें समाविष्ट हैं:
    - पीएम-2.5: इसका आकार 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है। ये आसानी से साँस के साथ शरीर के अंदर प्रवेश कर गले में खराश, फेफड़ों को नुकसान, जकड़न पैदा करते हैं। इन्हें एम्बियंट फाइन डस्ट सैंपलर पीएम-2.5 से मापते हैं।
    - पीएम-10: रिसपाइरेबल पार्टिकुलेट मैटर का आकार 10 माइक्रोमीटर से कम होता है। ये भी शरीर के अंदर पहुँचकर बहुत सारी बीमारियाँ फैलाते हैं।
  - पार्टिकुलेट मैटर के स्रोत: कुछ सीधे स्रोत से उत्सर्जित होते हैं, जैसे- निर्माण स्थल, कच्ची सड़कें, खेत, स्मोकस्टैक्स या आग।
- सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरनमेंट (CSE):
  - सीएसई नई दिल्ली स्थित एक जनहित अनुसंधान और वकालत संगठन है।
  - यह शोध करता है एवं विकास की तात्कालिकता को संप्रेषित करता है जो कि टिकाऊ व न्यायसंगत है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - इस विश्लेषण का उद्देश्य सर्दियों के दौरान प्रदूषण के उस समकालिक पैटर्न को समझना है, जब वायुमंडलीय परिवर्तन पूरे क्षेत्र में प्रदूषण हो जाता हैं।
  - इस विश्लेषण में छह राज्यों के 56 शहरों में फैले 137 निरंतर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों (CAAQMS) को शामिल किया गया है।
    - CAAQMS पूरे वर्ष वायु प्रदूषण की वास्तविक समय निगरानी को मापने की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें कणिका पदार्थ भी शामिल हैं।
  - उत्तरी क्षेत्र को पाँच उप-क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जिनमें शामिल हैं:
    - पंजाब और चंडीगढ़।
    - एनसीआर (दिल्ली और 26 अन्य शहर/कस्बे शामिल जो एनसीआर के भीतर आते हैं)।
    - हरियाणा (एनसीआर में पहले से शामिल शहरों के अलावा)।
    - उत्तर प्रदेश (एनसीआर में शामिल शहरों को छोड़कर)।
    - राजस्थान (एनसीआर में शामिल शहरों को छोड़कर)।
  - यह 1 जनवरी, 2019 से 30 नवंबर, 2021 की अवधि के लिये PM-2.5 के संकेंद्रण में वार्षिक और मौसमी रुझानों का आकलन है।
- कार्यप्रणाली और डेटा:
  - यूनाइटेड स्टेट्स एन्वायरनमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी (USEPA) की पद्धति के आधार पर बड़ी मात्रा में डेटा बिंदुओं को लेते हुए डेटा अंतराल को संबोधित किया गया है।
  - विश्लेषण के लिये मौसम संबंधी आँकड़े भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पालम, मौसम केंद्र से एकत्र किये गए हैं।
  - फायर काउंट डेटा को राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (NASA) के फायर इंफॉर्मेशन फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, विशेष रूप से विज़िबल इन्फ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सूट' (VIIRS) से लिया गया है।
  - दिल्ली की वायु गुणवत्ता में पराली के धुएँ के योगदान का अनुमान केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान एवं अनुसंधान प्रणाली (SAFAR) से लिया गया है।

नोट :

- महत्त्वपूर्ण प्राप्तियाँ:
  - छोटे शहरों में प्रदूषण का स्तर: अधिकांश छोटे शहरों में PM-2.5 का स्तर वार्षिक औसत से काफी कम है, लेकिन सर्दियों की शुरुआत में जब धुंध पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेती है तथा पराली की आग और बढ़ जाती है, तो छोटे शहरों में इसका स्तर दिल्ली के बराबर होता है।
  - प्रारंभिक शीतकालीन धुंध पूरे क्षेत्र में फैली होती है, लेकिन दिल्ली-एनसीआर में यह लंबे समय तक बनी रहती है आमतौर पर नवंबर की धुंध पूरे उत्तरी क्षेत्र में सिंक्रनाइज़ रूप में फैली होती है।
    - लेकिन ये कण बाकी सर्दियों के दौरान केवल दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश में ही टिके रहते हैं।
    - सर्दियों के दौरान वायुमंडलीय परिवर्तन जिनसे शांत स्थिति, हवा की दिशा में परिवर्तन और परिवेश के तापमान में मौसमी गिरावट होती है, पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण का कारण बनते हैं।
    - नवंबर के दौरान खेत की आग और दिवाली के पटाखों से निकलने वाले धुएँ से यह एक गंभीर श्रेणी में आ जाता है।
  - 'बहुत खराब' और 'गंभीर' श्रेणियों में वायु गुणवत्ता वाले दिनों की संख्या: दिल्ली और एनसीआर शहर 2021 में 'सबसे गंभीर' (Most Severe) दिनों की श्रेणी में सबसे आगे हैं।
  - प्रदूषण उत्पन्न करने वाले सुभेद्य शहर: हालाँकि पूरा उत्तर भारत प्रदूषण की चपेट में है, वहीं दिल्ली और एनसीआर का कुल वार्षिक औसत इस क्षेत्र में सबसे अधिक है।
  - औद्योगिक शहर पूरे वर्ष प्रदूषण के प्रति सुभेद्य: इस वर्ष अधिक वर्षा और लंबी मानसून अवधि ने पूरे क्षेत्र में पीएम-2.5 के स्तर को काफी हद तक नीचे ला दिया है।
    - भले ही मानसून ने इस क्षेत्र में समग्र प्रदूषण को कम कर दिया, लेकिन औद्योगिक शहरों में प्रदूषण का स्तर मानसून के दौरान अन्य शहरों की तुलना में अधिक था।
  - खेत में आग की समस्या: सर्दियों के दौरान खेत में आग लगने की घटनाएँ सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है।
    - इसके लिये दो स्तरों पर विश्लेषण किये गए- खेतों में आग की संख्या पर दैनिक प्रवृत्ति जानने के लिये दैनिक रूप से खेतों में लगे आग के आँकड़े इकट्ठा किये गए और औसत अग्नि विकिरण शक्ति (एफआरपी) प्रक्रिया के तहत नासा के उपग्रहों द्वारा लिये गए आँकड़ों पर रिपोर्ट बनाई गई।
    - एफआरपी वास्तव में आग लगने के समय उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की दर है जिसे मेगावाट (MW) में अंकित किया जाता है।
    - एफआरपी बायोमास बर्निंग से उत्सर्जन को मापने का बेहतर तकनीक है क्योंकि इसमें एफआरपी तीव्रता जलाए गए बायोमास की मात्रा को इंगित करती है।
    - हरियाणा, यूपी, राजस्थान और दिल्ली के बाद इस साल, पंजाब में सर्वाधिक आग लगने की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है।
  - नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO_2) का स्तर: अक्तूबर और सितंबर की तुलना में नवंबर के दौरान हवा में NO_2 की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
    - NO_2 का उत्सर्जन दहन स्रोतों और महत्त्वपूर्ण रूप से वाहनों से होता है।
  - दिवाली के दौरान प्रदूषण में वृद्धि: पटाखे जलाने पर पाबंदी के बावजूद दिवाली की रात में प्रदूषण बढ़ जाता है।

वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु पहल

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
- भारत स्टेज (बीएस) VI मानदंड
- वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिये डैशबोर्ड
- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम
- राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई)
- वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई)

नोट :

आगे की राह:

- विश्लेषण ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और एनसीआर के शहरों को सर्दियों के दौरान होने वाले वायुमंडलीय परिवर्तन व प्रदूषण के चक्र को समझने के लिये केंद्र बिंदु में लाकर रख दिया है, ताकि प्रदूषण से संबंधित उलझाने वाली पहेली को समझा जा सके।
  - इससे पता चलता है कि कम वार्षिक औसत स्तर वाले छोटे शहरों में भी प्रदूषण का स्तर दिल्ली से खराब या उससे भी बदतर है।
  - प्रदूषण फैलाने वाले इन सभी स्रोतों व प्रमुख क्षेत्रों में नियंत्रण हेतु बड़े पैमाने पर तीव्र गति से कार्रवाई की जानी चाहिये।
- उत्तरी क्षेत्र के उद्योग और बिजली संयंत्रों में स्वच्छ ईंधन तथा प्रौद्योगिकी तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये वॉकिंग और साइकलिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं कचरे के पूर्ण पृथक्करण, पुनर्चक्रण हेतु नगरपालिका सेवाओं में वृद्धि के साथ सभी राज्यों में सामंजस्यपूर्ण कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म सौदा: भारत-श्रीलंका

चर्चा में क्यों ?

भारत और श्रीलंका जल्द ही त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्मों को संयुक्त रूप से विकसित करने हेतु लंबे समय से लंबित सौदे पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं।

- दोनों देशों के मध्य तनावपूर्ण संबंधों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर एक सकारात्मक संकेत को दर्शाएगा।

प्रमुख बिंदु

- 'त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्म' के विषय में:
  - तेल टैंक फार्म द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ईंधन भरने वाले स्टेशन के रूप में अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था।
  - यह त्रिंकोमाली के गहरे पानी में स्थित प्राकृतिक बंदरगाह के करीब 'चाइना बे' में स्थित है।
  - इस संयुक्त विकास के प्रस्ताव की परिकल्पना 35 वर्ष पूर्व भारत-श्रीलंका समझौते (1987) में की गई थी।
  - इसमें 99 भंडारण टैंक शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक में 12,000 किलोलीटर की क्षमता है, जो लोअर टैंक फार्म और अपर टैंक फार्म के रूप में फैले हुए हैं।
  - वर्ष 2003 में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने इस तेल फार्म पर काम करने के लिये अपनी श्रीलंकाई सहायक कंपनी 'लंका IOC' की स्थापना की थी।
  - वर्तमान में 'लंका IOC' के पास 15 टैंक हैं। शेष टैंकों के लिये नए समझौते पर वार्ता चल रही है।
- समझौते का महत्त्व:
  - त्रिंकोमाली तेल टैंक फार्मों की अवस्थिति इसे कई अनुकूल कारक प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिये:
    - आसान पहुँच: यह त्रिंकोमाली के गहरे जल के प्राकृतिक बंदरगाह पर स्थित है।
    - हिंद महासागर में रणनीतिक स्थान: ये तेल फार्म विश्व के कुछ सबसे व्यस्त शिपिंग लेन के साथ स्थित हैं।
  - इस प्रकार त्रिंकोमाली बंदरगाह से सटे एक अच्छी तरह से विकसित तेल भंडारण सुविधा और रिफाइनरी का भारत और श्रीलंका दोनों के लिये बहुत आर्थिक मूल्य होगा।

भारत-लंका समझौता:

- इस समझौते के सूत्रधार भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्धने थे, यह समझौता मुख्य रूप से राजीव-जयवर्धने समझौते के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1987 में इस समझोते पर हस्ताक्षर किये गए थे।
- इस समझौते पर श्रीलंका में गृहयुद्ध (तमिलों और सिंहल समुदाय के बीच) के बहाने हस्ताक्षर किये गए थे।
- समझौते में भारत के सामरिक हितों, श्रीलंका में भारतीय मूल के लोगों के हितों और श्रीलंका में तमिल अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संतुलित करने की मांग की गई थी।

नोट :

- समझौते के तहत श्रीलंकाई गृहयुद्ध को हल करने हेतु श्रीलंका में भारतीय शांति रक्षा बल (Indian Peace Keeping Force-IPKF) की नियुक्ति की गई।
- समझौते के परिणामस्वरूप श्रीलंका के संविधान में 13वें सविधान संशोधन और वर्ष 1987 के प्रांतीय परिषद अधिनियम को भी लागू किया गया।

भारत-श्रीलंका संबंधों में तनाव:

- चीन का हस्तक्षेप: श्रीलंका में चीन का तेज़ी से बढ़ता हस्तक्षेप (और इसके परिणाम के रूप में राजनीतिक दबदबा) भारत-श्रीलंका संबंधों को तनावपूर्ण बना रहा है।
  - चीन पहले से ही श्रीलंका में सबसे बड़ा निवेशक है, जिसका श्रीलंका में वर्ष 2010-2019 के दौरान कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में 23.6% हिस्सा है, जबकि भारत का हिस्सा 10.4% है।
  - चीन श्रीलंकाई सामानों के लिये सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक है और अपने विदेशी ऋण का 10% से अधिक रखता है।
  - चीन श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह को भी संभाल रहा है, इस बंदरगाह को चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जाता है।
- कच्चातीवु द्वीप मुद्दा: भारत ने वर्ष 1974 में एक सशर्त समझौते के तहत कच्चातीवु नामक निर्जन द्वीप को अपने दक्षिणी पड़ोसी देश को सौंप दिया।
  - हालाँकि भारत-श्रीलंका के दृष्टिकोण के बजाय यह विवाद कई बार मछुआरों से संबंधित घरेलू संघर्ष के कारण उत्पन्न होता है।
- श्रीलंका के संविधान का 13वाँ संशोधन: श्रीलंका के संघर्ष के राजनीतिक समाधान के लिये वर्ष 1987 में भारत-श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे।
  - यह एक संयुक्त श्रीलंका के भीतर समानता, न्याय, शांति और सम्मान के लिये तमिल लोगों की उचित मांग को पूरा करने हेतु प्रांतीय परिषदों को आवश्यक शक्तियों के हस्तांतरण की परिकल्पना करता है।
  - इस समझौते के प्रावधान श्रीलंका के संविधान में 13वें संशोधन द्वारा किये गए थे।
  - बावजूद इसके प्रावधानों को धरातल पर लागू नहीं किया जा रहा है। आज भी श्रीलंकाई गृहयुद्ध (2009) से बचने वाले बहुत से श्रीलंकाई तमिल तमिलनाडु में शरण मांग रहे हैं।
- श्रीलंका का पीछे हटना: हाल ही में श्रीलंका घरेलू मुद्दों का हवाला देते हुए कोलंबो पोर्ट पर अपने ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट के लिये भारत और जापान के साथ त्रिपक्षीय साझेदारी से पीछे हट गया।

भारत-श्रीलंका सहयोग: हाल के घटनाक्रम:

- फोर-पिलर इनिशिएटिव: हाल ही में भारत और श्रीलंका ने श्रीलंका के आर्थिक संकट को कम करने में मदद हेतु खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा करने के लिये चार सूत्री रणनीति पर सहमति व्यक्त की है।
  - इस फोर-पिलर इनिशिएटिव में लाइन ऑफ क्रेडिट, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, मॉडर्नाइज़ेशन प्रोजेक्ट (जैसे द इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट) और भारतीय निवेश शामिल हैं।
- संयुक्त अभ्यास: भारत और श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास (मित्र शक्ति) तथा नौसैनिक अभ्यास- स्लीनेक्स (SLINEX) का आयोजन करते हैं।
- समूहों के बीच भागीदारी: श्रीलंका भी बिम्सटेक (बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिये बंगाल की खाड़ी पहल) और सार्क जैसे समूहों का सदस्य है जिसमें भारत प्रमुख भूमिका निभाता है।
- SAGAR विज़न: श्रीलंका अपनी 'पड़ोसी पहले' नीति और सागर (क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा और विकास) के साथ हिंद महासागर की सुरक्षा के लिये भारत की चिंता का समर्थन करता है।

आगे की राह

- श्रीलंका के साथ 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति का संपोषण भारत के लिये हिंद महासागर क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों को संरक्षित करने के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण है।

नोट :

- श्रीलंका के प्रति अपनी 'द्वीपीय कूटनीति' के हिस्से के रूप में भारतीय विदेश नीति को भी आकस्मिक वास्तविकताओं और खतरों के अनुरूप विकसित करना होगा।
- दोनों देश आर्थिक लचीलापन पैदा करने के लिये निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने में भी सहयोग कर सकते हैं।

मिशन सागर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में आईएनएस केसरी, मोज़ाम्बिक की सरकार के प्रयासों का समर्थन करने हेतु चल रहे सूखे और महामारी की समवर्ती चुनौतियों से निपटने के लिये 500 टन खाद्य सहायता देने हेतु 'मापुटो' (मोज़ाम्बिक) के बंदरगाह पर पहुँच गया है।

- भारत ने मोज़ाम्बिक को दो तेज़ इंटरसेप्टर क्राफ्ट और आत्मरक्षा सैन्य उपकरण भी दिये हैं।
- 'क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा और विकास' (सागर) के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप यह आठवीं ऐसी तैनाती है तथा विदेश मंत्रालय एवं भारत सरकार की अन्य एजेंसियों के साथ निकट समन्वय में आयोजित की जा रही है।

प्रमुख बिंदु

- मिशन सागर:
  - मई 2020 में शुरू किया गया 'मिशन सागर' हिंद महासागर के तटवर्ती राज्यों में देशों को कोविड-19 संबंधित सहायता प्रदान करने हेतु भारत की पहल थी। इसके तहत मालदीव, मॉरीशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशेल्स जैसे देश शामिल थे।
    - मिशन सागर 'के तहत भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) और उसके तटवर्ती देशों में चिकित्सा और मानवीय सहायता भेजने के लिये अपने जहाज़ों को तैनात कर रही है।
    - इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना ने 15 मित्र देशों को 3,000 मीट्रिक टन से अधिक खाद्य सहायता, 300 मीट्रिक टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन, 900 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 20 आईएसओ कंटेनरों की सहायता प्रदान की है।
  - नवंबर 2020 में मिशन सागर-द्वितीय के हिस्से के रूप में आईएनएस ऐरावत ने सूडान, दक्षिण सूडान, जिबूती और इरिट्रिया को खाद्य सहायता पहुँचाई।
  - मिशन सागर-III वर्तमान कोविड-19 महामारी के दौरान मित्र देशों को भारत की मानवीय सहायता और आपदा राहत सहायता का हिस्सा है।
    - यह सहायता वियतनाम और कंबोडिया को भी दी गई है। यह आसियान देशों को दिये गए महत्त्व पर प्रकाश डालता है और मौजूदा संबंधों को और मज़बूत करता है।
- महत्त्व:
  - भारत का विस्तारित समुद्री पड़ोस:
    - यह तैनाती भारत के विस्तारित समुद्री पड़ोस के साथ एकजुटता में आयोजित की गई है और इन विशेष संबंधों के माध्यम से भारत के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया।
    - यह मित्र राष्ट्रों की आवश्यकता के समय भारत की प्रथम प्रतिक्रिया के रूप में भूमिका के अनुरूप है।
  - आतंकवाद से निपटने में उपयोगी:
    - यह उपयोगी उपकरण होगा क्योंकि मोजाम्बिक का उत्तरी क्षेत्र आतंकवाद की चपेट में है।
    - आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट, जिसे दाएश (Da'esh) के नाम से भी जाना जाता है, इसके सहयोगी मध्य अफ्रीका में तेजी से फैल गया है।
  - सामान्य समुद्री चुनौतियों से निपटना:
    - यह इस क्षेत्र में आम समुद्री चुनौतियों (राष्ट्र-राज्यों के बीच पारंपरिक समुद्री संघर्ष, पर्यावरणीय खतरों, अन्य-राज्यों द्वारा उत्पन्न खतरों, समुद्री आतंकवाद और समुद्री डकैती), अवैध समुद्री व्यापार व तस्करी से निपटने में भी मदद करता है।

नोट :

- नवंबर (2021) में गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव के दूसरे संस्करण में यह चर्चा का एक प्रमुख विषय था, जो कि हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को एक साथ जोड़ता है।

सागर (SAGAR) पहल:

- सागर पहल (Security and Growth for All in the Region-SAGAR) को वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। यह हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) के लिये भारत की रणनीतिक पहल है।
- सागर के माध्यम से भारत अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को मज़बूत करने और उनकी समुद्री सुरक्षा क्षमताओं के निर्माण में सहायता करना चाहता है।
- इसके अलावा भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना चाहता है और हिंद महासागर क्षेत्र में समावेशी, सहयोगी तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना सुनिश्चित करता है।
- सागर की प्रमुख प्रासंगिकता तब सामने आती है जब समुद्री क्षेत्र को प्रभावित करने वाली भारत की अन्य नीतियों जैसे- एक्ट ईस्ट पॉलिसी, प्रोजेक्ट सागरमाला, प्रोजेक्ट मौसम, को ब्लू इकोनॉमी आदि पर 'शुद्ध सुरक्षा प्रदाता' के रूप में देखा जाता है।

फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स (FFV)

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सरकार द्वारा भारत में ऑटोमोबाइल निर्माताओं को समयबद्ध तरीके से बीएस-6 मानदंडों का अनुपालन करने वाले फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल (Flex Fuel Vehicles- FFV) और फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (Flex Fuel Strong Hybrid Electric Vehicles-FFV-SHEV) का निर्माण शुरू करने का आह्वान किया है।

प्रमुख बिंदु

- FFV और FFV-SHEV के बारे में:
  - फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल (FFV): इनमें ऐसे इंजन लगे होते हैं जो फ्लेक्सिबल फ्यूल (पेट्रोल और इथेनॉल का संयोजन, जिसमें 100% तक इथेनॉल शामिल हो सकता है।) पर चलने में सक्षम होते हैं।
  - फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FFV-SHEV): जब FFV को मज़बूत हाइब्रिड इलेक्ट्रिक तकनीक के साथ एकीकृत किया जाता है, तो इसे FFV-SHEV कहा जाता है।
    - पूर्ण हाइब्रिड व्हीकल्स/वाहनों (Full Hybrid Vehicles) के लिये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एक और शब्द है, जिसमें पूरी तरह से इलेक्ट्रिक या पेट्रोल मोड पर चलने की क्षमता होती है।
    - इसके विपरीत माइल्ड हाइब्रिड (Mild Hybrids) विशुद्ध रूप से इनमें से किसी एक मोड पर नहीं चल सकते हैं और द्वितीयक मोड का उपयोग केवल प्रणोदन के मुख्य मोड के पूरक के रूप में करते हैं।
  - FFVs की शुरुआत में तेज़ी लाने हेतु उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI) में फ्लेक्स ईंधन के ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों को शामिल किया गया है।
- पहल का महत्त्व:
  - आयात बिल में कमी: नीति से पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में कमी आने की उम्मीद है।
    - भारत वर्तमान में अपनी पेट्रोलियम आवश्यकता का 80% से अधिक आयात करता है, और यह देश से धन के सबसे बड़े बहिर्वाह में से एक का भी प्रतिनिधित्व करता है।
  - किसानों को लाभ: ईंधन के रूप में इथेनॉल या मेथनॉल के व्यापक उपयोग का उद्देश्य किसानों के लिये एक अतिरिक्त राजस्व धारा बनाना है।
    - इससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और किसान की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी।
  - आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा: यह प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण और परिवहन ईंधन के रूप में इथेनॉल को बढ़ावा देने की सरकार की नीति के अनुरूप है।

नोट :

- ग्रीनहाउस गैस को कम करना और जलवायु परिवर्तन से निपटना: इस कदम से वाहनों से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भारी कमी आएगी।
  - इस प्रकार वर्ष 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को एक बिलियन टन कम करने के लिये COP26 में की गई अपनी प्रतिबद्धता का पालन करने में भारत की मदद करना।
- संबंधित पहलें:
  - जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति-2018
  - E100 परियोजना।
  - प्रधानमंत्री जी-वन योजना, 2019
  - गोबर (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज़) धन योजना, 2018
  - रिपर्पज़ यूज़्ड कुकिंग ऑयल (RUCO)

बीएस-VI ईंधन मानदंड:

- भारत स्टेज (BS) मोटर वाहनों से वायु प्रदूषकों के उत्पादन को नियंत्रित करने के लिये भारत सरकार द्वारा स्थापित उत्सर्जन मानक है।
- भारत सीधे BS-IV से BS-VI मानदंडों में स्थानांतरित हो गया। BS-VI वाहनों में स्विच वर्ष 2022 में होना था, लेकिन खराब हवा की स्थिति को देखते हुए इस कदम को चार वर्ष आगे बढ़ा दिया गया था।
- BS-VI ईंधन में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की मात्रा 20 से 40 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक होती है जबकि BS-IV ईंधन में यह 120 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक होती है।
- BS-VI ईंधन मौजूदा BS-IV स्तरों से सल्फर की मात्रा को 5 गुना कम कर देगा। इसमें बीएस-IV में 50 पीपीएम के मुकाबले 10 पीपीएम सल्फर है।
  - ईंधन में सल्फर सूक्ष्म कणों के उत्सर्जन में योगदान देता है। ईंधन में उच्च सल्फर सामग्री भी ऑटोमोबाइल इंजन के क्षरण और घिसाव का कारण बनती है।
- BS-VI ईंधन के साथ प्रत्येक किलोमीटर पर एक कार 80% कम पार्टिकुलेट मैटर और लगभग 70% कम नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित करेगी।
- BS-VI ईंधन की तुलना में BS-VI ईंधन में वायु प्रदूषक बहुत कम होते हैं।
- BS-VI मानदंड ईंधन के अधूरे दहन के कारण उत्पन्न होने वाले उत्सर्जन में कुछ हानिकारक हाइड्रोकार्बन के स्तर को कम करने का भी प्रयास करते हैं।

भारत-अमेरिका: प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा समाधान

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत और अमेरिका ने जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा चुनौतियों से निपटने के लिये 'प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा समाधान: नेट ज़ीरो के लिये नवाचार' नामक एक कार्यक्रम शुरू किया।

- यह यूनाइटेड स्टेट्स-इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंडॉमेंट फंड (USISTEF) द्वारा इग्निशन ग्रांट के लिये किया गया है।

यूनाइटेड स्टेट्स-इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंडॉमेंट फंड (USISTEF)

- अमेरिकी सरकार (राज्य विभाग के माध्यम से) और भारत (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से) ने यूएस-इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंडॉमेंट फंड (USISTEF) की स्थापना की है।
- यह संयुक्त गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये स्थापित किया गया है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के माध्यम से नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देगा।
- इस फंड का उद्देश्य अमेरिका और भारतीय शोधकर्त्ताओं एवं उद्यमियों के बीच निरंतर भागीदारी के माध्यम से विकसित प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण द्वारा सार्वजनिक भलाई के लिये संयुक्त अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास को समर्थन और बढ़ावा देना है।.

नोट :

- यूएस-इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंडॉमेंट फंड गतिविधियों को द्वि-राष्ट्रीय इंडो-यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम (आईयूएसएसटीएफ) के माध्यम से कार्यान्वित और प्रशासित किया जाता है।

प्रमुख बिंदु:

- परिचय:
  - इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत-अमेरिका विज्ञान और प्रौद्योगिकी-आधारित उद्यमशीलता पहल की मदद तथा समर्थन किया जाएगा है जो अगली पीढ़ी की स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण तथा कार्बन पृथक्करण के विकास एवं कार्यान्वयन को संबोधित करता है।
  - नया कार्यक्रम यूएस-इंडिया स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप (एससीईपी) के लक्ष्यों के अनुरूप है और इसे द्वि-राष्ट्रीय इंडो-यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम (आईयूएसएसटीएफ) द्वारा प्रशासित किया जाएगा।
  - SCEP को वर्ष 2021 की शुरुआत में आयोजित 'लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट' में दोनों देशों द्वारा घोषित 'यूएस-इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप' के तहत लॉन्च किया गया था।.
    - आईयूएसएसटीएफ भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) और अमेरिकी राज्य विभाग के तहत एक द्विपक्षीय संगठन है।
    - यह इस क्षेत्र में 'प्रौद्योगिकी शोस्टॉपर्स' या होनहार संयुक्त भारत-अमेरिका एस एंड टी-आधारित उद्यमशीलता पहल की पहचान और समर्थन करेगा।
  - जलवायु परिवर्तन आज हमारी दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है जो इस संकट से निपटने के लिये वैश्विक सहयोग का आह्वान कर रही है।
- अमेरिका-भारत संबंधों में हाल के घटनाक्रम:
  - मालाबार अभ्यास: क्वाड राष्ट्रों (भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया) की नौसेनाओं ने अभ्यास के 25 वें संस्करण में भाग लिया।
  - ALUAV पर भारत-अमेरिका समझौता: भारत और अमेरिका ने एक एयर-लॉन्च मानव रहित हवाई वाहन (ALUAV) या ड्रोन को संयुक्त रूप से विकसित करने हेतु एक प्रोजेक्ट एग्रीमेंट (PA) पर हस्ताक्षर किये हैं जिसे एक विमान से लॉन्च किया जा सकता है।
  - मुक्त व्यापार समझौते के मुद्दे: अमेरिकी प्रशासन ने संकेत दिया है कि अब भारत के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) करने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है।
  - निसार: नासा और इसरो एक एसयूवी (स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल) के आकार का उपग्रह विकसित करने में सहयोग कर रहे हैं, जिसे निसार कहा जाता है, जो एक टेनिस कोर्ट के आधे आकार में 0.4 इंच जितना छोटा ग्रह की सतह की गतिविधियों का पता लगाएगा।
- अन्य राष्ट्रों के साथ जलवायु परिवर्तन पर साझेदारी
  - यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप।
  - भारत-यूरोपीय संघ: पेरिस समझौता, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे हेतु गठबंधन, पार्टियों का सम्मेलन (सीओपी 26)।
  - वन और भूमि उपयोग पर ग्लासगो नेताओं की घोषणा।
  - जैव विविधता पर कुनमिंग घोषणा।

जलवायु परिवर्तन

- जलवायु परिवर्तन' शब्द का तात्पर्य प्राकृतिक प्रक्रियाओं या मानव गतिविधि के परिणामस्वरूप सहस्राब्दियों से या हाल ही में वातावरण के व्यवहार के दीर्घकालिक पैटर्न में परिवर्तन से है।
  - जलवायु को मौसम से अलग परिभाषित किया जाता है, जो किसी विशेष समय पर जलवायु का विशिष्ट व्यवहार है। मौसम विशिष्ट घटनाओं से निर्मित होता है, उदाहरण के लिये एक विशेष तूफान, एक विशेष अवधि में वर्षा, एक विशेष समय पर तापमान।

नोट :

- हालाँकि, ऐसे कई संभावित तरीके हैं जिनके द्वारा सीप्रिलिमेट(Cprilimate) का वर्णन किया जा सकता है। ये आमतौर पर तापमान, वर्षा, हवा और बादल में औसत या परिवर्तनशीलता से जुड़े होते हैं।
- जलवायु स्थानिक रूप से भिन्न होती है, उदाहरण के लिये भूमध्य रेखा या समुद्र से दूरी के आधार पर तथा अस्थायी रूप से मौसमी और दैनिक विविधताओं के आधार पर।

जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने हेतु भारतीय पहलें:

- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)
- भारत स्टेज-VI (BS-VI) उत्सर्जन मानदंड
- उजाला योजना
- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NPCC)

आगे की राह

- हमें इनोवेशन पाइपलाइन को अभूतपूर्व गति से बढ़ाना है और महत्त्वपूर्ण स्वच्छ प्रौद्योगिकियों पर हरित प्रीमियम को कम करने के लिये भारी निवेश करना है और नेट जीरो में संक्रमण हेतु नए बाज़ार और उद्योग बनाने के लिये उद्यमशीलता को आकर्षित करना है।
- तेजी से स्केलेबल स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को आगे बढ़ाने के लिये आवश्यक वैश्विक पहल और परिवर्तनकारी रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये जैसे कि स्मार्ट ऊर्जा उपयोग, नवीकरणीय प्रौद्योगिकियाँ, परिवहन और भवनों का विद्युतीकरण।
- देश के हर शहर, व्यवसाय और वित्तीय संस्थान को नेट-जीरो में संक्रमण के लिये ठोस योजनाओं को अपनाने की तत्काल आवश्यकता है।
- सरकारों के लिये और भी जरूरी है कि वे इस दीर्घकालिक महत्त्वाकांक्षा को बढ़ाएँ, क्योंकि कोविड-19 महामारी को दूर करने के लिये खरबों डॉलर जुटाए गए हैं। अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करना हमारे भविष्य को फिर से सुधारने का मौका है।

नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य संबंधी भारत की उपलब्धियाँ

चर्चा में क्यों ?

भारत ने नवंबर 2021 में वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 40% हासिल करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है।

- भारत ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) के हिस्से के रूप में COP21 (UNFCCC) में इस लक्ष्य हेतु प्रतिबद्धता ज़ाहिर की थी।

प्रमुख बिंदु

- भारत की नवीकरणीय ऊर्जा (RE) क्षमता:
  - 30 नवंबर 2021 को देश की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा (RE) क्षमता 150.54 गीगावाट (सौर: 48.55 गीगावाट, पवन: 40.03 गीगावाट, लघु जलविद्युत: 4.83, जैव-शक्ति: 10.62, लार्ज हाइड्रो: 46.51 गीगावाट) है, जबकि भारत की परमाणु ऊर्जा आधारित स्थापित बिजली क्षमता 6.78 गीगावाट है।
    - भारत के पास विश्व की चौथी सबसे बड़ी पवन ऊर्जा क्षमता है।
  - इस प्रकार भारत की कुल गैर-जीवाश्म आधारित स्थापित ऊर्जा क्षमता 157.32 गीगावाट है, जो कि 392.01 गीगावाट की कुल स्थापित बिजली क्षमता का 40.1% है।
  - COP26 में भारत ने वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 GW स्थापित बिजली क्षमता प्राप्त करने हेतु प्रतिबद्धता ज़ाहिर की थी।

नोट :

- लक्ष्य प्राप्ति संबंधी चुनौतियाँ:
  - आवश्यक वित्त एकत्र करना:
    - बड़े परिनियोजन लक्ष्यों के लिये वित्त की व्यवस्था करने हेतु बैंकिंग क्षेत्र को तैयार करना, दीर्घावधिक अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण और तकनीकी एवं वित्तीय बाधाओं को संबोधित करके जोखिम कम करने या साझा करने के लिये एक उपयुक्त तंत्र का अभाव इस संबंध में एक चुनौती है।
  - भूमि अधिग्रहण
    - अक्षय ऊर्जा क्षमता के साथ भूमि की पहचान, उसका रूपांतरण (यदि आवश्यक हो), भूमि सीमा अधिनियम के तहत मंज़ूरी, भूमि पट्टा किराए पर निर्णय, राजस्व विभाग से मंज़ूरी और ऐसी अन्य मंज़ूरी में समय लगता है।
    - RE परियोजनाओं के लिये भूमि अधिग्रहण में राज्य सरकारों को प्रमुख भूमिका निभानी होगी।
  - पारितंत्र बनाना:
    - देश में एक नवाचार और विनिर्माण पारितंत्र बनाना।
  - अन्य:
    - ग्रिड के साथ अक्षय ऊर्जा के बड़े हिस्से को एकीकृत करना।
    - अक्षय ऊर्जा से फर्म और प्रेषण योग्य बिजली की आपूर्ति को सक्षम करना।
    - तथाकथित हार्ड टू डीकार्बोनाइज़ क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा के प्रवेश को सक्षम बनाना।

संबंधित पहलें:

PM-कुसुम:

यह ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफ-ग्रिड सौर पंपों की स्थापना का समर्थन करने और ग्रिड से जुड़े क्षेत्रों में ग्रिड पर निर्भरता को कम करने के लिये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा शुरू किया गया था।

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PIL) योजना:

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना "उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम" को भारत में सेल, वेफर्स और पॉलीसिलिकॉन जैसे अपस्टेज वर्टिकल घटकों सहित उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के निर्माण के समर्थन के लिये 4500 करोड़ रूपए के परिव्यय के साथ प्रारंभ किया गया था और यह सौर फोटोवोल्टिक (PV) क्षेत्र में आयात निर्भरता को कम करती है।

सौर पार्क योजना:

बड़े पैमाने पर ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं की सुविधा के लिये मार्च 2022 तक 40 गीगावाट क्षमता की लक्ष्य क्षमता के साथ "सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास" की एक योजना लागू की जा रही है।

रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम फेज-II:

- यह आवासीय क्षेत्र को 4 गीगावाट तक की सोलर रूफ टॉप क्षमता की वित्तीय सहायता प्रदान करता है और पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धिशील उपलब्धि के लिये बिजली वितरण कंपनियों को प्रोत्साहित करने का प्रावधान है।
- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (CPSU) योजना:
  - केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा घरेलू सेल और मॉड्यूल के साथ 12 गीगावाट ग्रिड-कनेक्टेड सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिये एक योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण सहायता प्रदान की जाती है।
- हाइड्रोजन मिशन:
  - प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के शुभारंभ की घोषणा की और भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन एवं निर्यात के लिये एक वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा।

नोट :

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन:
  - ISA एक अंतर-सरकारी संधि-आधारित संगठन है, जिसके पास वित्तपोषण और प्रौद्योगिकी की लागत को कम करने में मदद करके सौर विकास को उत्प्रेरित करने का वैश्विक जनादेश है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ISA में शामिल होने वाला 101वाँ सदस्य देश बन गया है।
- OSOWOG:
  - OSOWOG को भारत और यूके द्वारा संयुक्त रूप से ग्लासगो में COP26 क्लाइमेट मीट में जारी किया गया था।
- राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति:
  - राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति, 2018 का मुख्य उद्देश्य पवन और सौर संसाधनों, पारेषण बुनियादी ढाँचे और भूमि के इष्टतम तथा कुशल उपयोग के लिये बड़े ग्रिड से जुड़े पवन-सौर पीवी हाइब्रिड सिस्टम को बढ़ावा देने के लिये एक ढाँचा प्रदान करना है।
- राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति:
  - राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति को अक्तूबर 2015 में भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में 7600 किलोमीटर की भारतीय तटरेखा के साथ अपतटीय पवन ऊर्जा विकसित करने के उद्देश्य से अधिसूचित किया गया था।
- विद्युत उत्पादन के लिये अन्य नवीकरणीय वस्तुएँ:
  - शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्टों/अवशेषों से ऊर्जा उत्पादन पर कार्यक्रम।
  - चीनी मिलों और अन्य उद्योगों में बायोमास आधारित सह उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये योजना।
  - बायोगैस पावर (ऑफ-ग्रिड) उत्पादन और थर्मल एप्लीकेशन प्रोग्राम (BPGTP)।
  - नया राष्ट्रीय बायोगैस और जैविक खाद कार्यक्रम (NNBOMP)।

आगे की राह:

- क्षेत्रों की पहचान: नवीनीकरण संसाधन विशेष रूप से पवन ऊर्जा को हर जगह स्थापित नहीं किया जा सकता क्योंकि इनके लिये विशिष्ट स्थान की आवश्यकता होती है।
  - इन विशिष्ट स्थानों की पहचान, उन्हें मुख्य ग्रिड के साथ एकीकृत करना और शक्तियों का वितरण जैसे तीनों संयोजन ही भारत को आगे ले जा सकते हैं।
- अन्वेषण: अधिक संग्रहण समाधान तलाशने की आवश्यकता है।
- कृषि सब्सिडी: कृषि सब्सिडी में सुधार किया जाना चाहिये ताकि आवश्यक मात्रा में ऊर्जा की खपत को सुनिश्चित किया जा सके।
- हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित वाहन और इलेक्ट्रिक वाहन: जब ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों की ओर बढ़ने की बात आती है तो ये सबसे उपयुक्त विकल्प होते हैं, जहाँ हमें काम करने की आवश्यकता होती है।

नोट :

इतिहास

मध्य भारत में ताम्रपाषाण संस्कृति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) ने मध्य भारत में ताम्रपाषाणिक संस्कृति से संबंधित दो प्रमुख स्थलों (ऐरण, ज़िला सागर और तेवर, ज़िला जबलपुर) मध्य प्रदेश राज्य में खुदाई की।

प्रमुख बिंदु

- ताम्रपाषाणिक संस्कृति
  - परिचय: नवपाषाण काल के अंत में धातुओं का उपयोग देखा गया। कई संस्कृतियाँ तांबे और पत्थर के औजारों के उपयोग पर आधारित थीं।
    - जैसा कि नाम से संकेत मिलता है, ताम्रपाषाण काल (चाल्को = ताम्र और लिथिक = पाषाण) के दौरान, धातु और पत्थर दोनों का उपयोग दैनिक जीवन में उपकरणों के निर्माण के लिये किया जाता था।
    - ताम्रपाषाण संस्कृतियों ने कांस्य युग की हड़प्पा संस्कृति का अनुसरण किया।
    - यह लगभग 2500 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक फैला था।
  - मुख्य विशेषताएँ: विभिन्न क्षेत्र की ताम्रपाषाण संस्कृतियों को सिरेमिक और अन्य सांस्कृतिक उपकरणों जैसे तांबे की कलाकृतियों, अर्द्ध-कीमती पत्थरों के मोतियों, पत्थर के औजारों और टेराकोटा मूर्तियों में देखी गई कुछ मुख्य विशेषताओं के अनुसार परिभाषित किया गया था।
  - विशेषताएँ:
    - ग्रामीण बस्तियाँ: अधिकांश लोग ग्रामीण थे और पहाड़ियों और नदियों के पास रहते थे।
    - ताम्रपाषाण युग के लोग शिकार, मछली पकड़ने और कृषि पर आश्रित रहे।
    - क्षेत्रीय भिन्नता: सामाजिक संरचना, अनाज और मिट्टी के बर्तनों में क्षेत्रीय अंतर दिखाई देते हैं।
    - प्रवासन: जनसंख्या समूहों के प्रवासन और प्रसार को अक्सर ताम्रपाषाण काल की विभिन्न संस्कृतियों की उत्पत्ति के कारणों के रूप में उद्धृत किया जाता है।
    - भारत में प्रथम धातु युग: चूँकि यह भारत में प्रथम धातु युग की शुरुआत थी इसलिये तांबे और इसकी मिश्र धातु कांसा जो कम तापमान पर पिघल जाती थी, इस अवधि के दौरान विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में उपयोग की जाती थी।
    - कला और शिल्प: ताम्रपाषाण संस्कृति की विशेषता पहिया एवं मिट्टी के बर्तन थे जो ज़्यादातर लाल और नारंगी रंग के होते थे।
    - ताम्रपाषाण काल के लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार के मृदभांडों का प्रयोग किया जाता था। काले और लाल मिट्टी के मृदभांड काफी प्रचलित थे।
    - गैरिक मृदभांडों (Ochre-Coloured Pottery- OCP) का भी प्रचलन था।
- वर्ष 2020-21 में ऐरण में उत्खनन कार्य:
  - ऐरण (प्राचीन एयरिकिना) बीना (प्राचीन वेनवा) नदी के बाएँ किनारे पर स्थित है जो तीन तरफ से नदी से घिरा हुआ है।
    - बीना नदी भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह बेतवा नदी (यमुना नदी की एक सहायक नदी) की एक प्रमुख सहायक नदी है।
  - ऐरण, सागर ज़िला मुख्यालय से 75 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में स्थित है।

नोट :

- वर्ष 2020-21 में इस स्थल पर हुई खुदाई में तांबे का सिक्का, लोहे के तीर का सिरा, टेराकोटा मनका, पत्थर के मोतियों के साथ तांबे के सिक्के, पत्थर के सेल्ट, स्टीटाइट और जैस्पर के मोती, काँच, कारेलियन, देवनागरी में शिलालेख के साथ टेराकोटा व्हील, जानवरों की मूर्तियाँ, लघु बर्तन, लोहे की वस्तुएँ, मूसल और रेड-स्लिप्ड टेराकोटा सहित कई प्राचीन वस्तुओं का पता चला है।
- सादे, पतले भूरे रंग के बर्तन भी उल्लेखनीय है।
- कुछ धातु की वस्तुओं से लोहे के उपयोग के साक्ष्य भी मिले हैं।
- स्थल पर इस उत्खनन से ताम्रपाषाण संस्कृति के अवशेषों का भी पता चला, जिनमें चार प्रमुख काल थे।
  - अवधि I: ताम्रपाषाण काल (18वीं -7वीं ईसा पूर्व),
  - अवधि II: प्रारंभिक इतिहास (7वीं-दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व-पहली शताब्दी ई.),
  - अवधि III: पहली से छठी शताब्दी ई.
  - अवधि IV: उत्तर मध्यकालीन (16 वीं-18 वीं शताब्दी ई.)

- वर्ष 2020-21 के दौरान तेवर में प्रारंभिक ऐतिहासिक उत्खनन:
  - तेवर (त्रिपुरी) गाँव जबलपुर ज़िले से 12 किमी पश्चिम में जबलपुर-भोपाल राजमार्ग पर स्थित है।
  - इस उत्खनन से सांस्कृतिक अनुक्रमों के संदर्भ में चार वंशों अर्थात् कुषाण, शुंग, सातवाहन और कलचुरी का पता चलता है।
  - इस उत्खनन में पुरातात्त्विक अवशेषों में मूर्तियों के अवशेष, हॉप्सकॉच, टेराकोटा बॉल, लोहे की कील, तांबे के सिक्के, टेराकोटा के मोती, लोहे और टेराकोटा की मूर्ति के उपकरण, सिरेमिक में लाल बर्तन, काले बर्तन, हांडी के आकार के साथ लाल फिसले हुए बर्तन, नलयुक्त बर्तन, छोटा बर्तन, बड़ा ज़ार आदि शामिल है और संरचनात्मक अवशेषों में ईंट की दीवार और बलुआ पत्थर के स्तंभों की संरचना शामिल है।

तमिल साहित्य: संगम काल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा तोलकाप्पियम (Tolkāppiyam) के हिंदी अनुवाद और शास्त्रीय तमिल साहित्य की 9 पुस्तकों के कन्नड़ अनुवाद का विमोचन किया गया।

- तमिल साहित्य संगम युग से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम कवियों की सभा (संगम) के नाम पर रखा गया है।

मुख्य बिंदु

- संगम काल के बारे में:
  - यह लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य की अवधि है। दक्षिण भारत (कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित क्षेत्र) में लगभग तीन सौ ईसा पूर्व से तीन सौ ईस्वी के बीच की अवधि को संगम काल के नाम से जाना जाता है।
  - इसका नाम उस अवधि के दौरान आयोजित संगम अकादमियों/सभाओं के नाम पर रखा गया है जो मदुरै के पांड्य राजाओं के शाही संरक्षण में फली-फूली।
  - संगमों में प्रख्यात विद्वान इकट्ठे हुए और सेंसर बोर्ड के रूप में कार्य किया तथा संकलन के रूप में सबसे अच्छे साहित्य का प्रतिपादन किया गया।
  - ये साहित्यिक कृतियाँ द्रविड़ साहित्य के शुरुआती नमूने थे।
  - संगम युग के दौरान दक्षिण भारत पर तीन राजवंशों- चेरों, चोल और पांड्यों का शासन था।
  - तीन संगम:
    - तमिल किंवदंतियों के अनुसार, प्राचीन दक्षिण भारत में तीन संगमों (तमिल कवियों का समागम) का आयोजन किया गया था, जिसे मुच्चंगम (Muchchangam) कहा जाता था।
    - माना जाता है कि प्रथम संगम मदुरै में आयोजित किया गया था। इस संगम में देवता और महान संत शामिल थे। इस संगम का कोई साहित्यिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है।

नोट :

- दूसरा संगम कपाटपुरम् में आयोजित किया गया था, इस संगम का एकमात्र तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकाप्पियम ही उपलब्ध है।
- तीसरा संगम भी मदुरै में हुआ था। इस संगम के अधिकांश ग्रंथ नष्ट हो गए थे। इनमें से कुछ सामग्री समूह ग्रंथों या महाकाव्यों के रूप में उपलब्ध है।

- संगम साहित्य:
  - संगम साहित्य में तोलकाप्पियम, एट्टुटोगई, पट्टुप्पट्टू, पथिनेंकिलकनक्कु ग्रंथ और शिलप्पादिकारम् और मणिमेखलै नामक दो महाकाव्य शामिल हैं।
    - तोल्काप्पियम: यह तोलकाप्पियार द्वारा लिखा गया था और इसे तमिल साहित्यिक कृति में सबसे पुराना माना जाता है।
    - यह व्याकरण से संबंधित एक ग्रंथ है, साथ ही यह उस समय की राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों की जानकारी भी प्रदान करता है।
    - यह नौ खंडों के तीन भागों में व्याकरण और काव्य पर एक अनूठा काम है, जिनमें से प्रत्येक एज़ुट्टू (अक्षर), कोल (शब्द) और पोरुल (विषय वस्तु) से संबंधित है।
    - सामान्य बोलचाल से लेकर काव्यात्मकता तक मानव भाषा के लगभग सभी स्तर तोल्काप्पियार के विश्लेषण के दायरे में आते हैं, क्योंकि वे स्वर विज्ञान, आकृति विज्ञान, वाक्य रचना, बयानबाज़ी, छंद और काव्य पर उत्कृष्ट काव्यात्मक एवं एपिग्रामेटिक बयानों में व्यवहार करते हैं।
    - एट्टुटोगई (आठ संकलन): इसमें आठ रचनाएँ शामिल हैं- ऐंगुरुनूरु, नरिनाई, अगनौरु, पुराणनूरु, कुरुंतोगई, कलित्टोगई, परिपादल और पदिरट्टू।
    - पट्टुप्पट्टू (दस रचना): इसमें दस रचनाएँ शामिल हैं- थिरुमुरुगरुप्पडई, पोरुनाररुप्पडई, सिरुपनारुप्पडई, पेरुम्पनरुप्पडई, मुल्लाईपट्टू, नेदुनलवदाई, मदुरैक्कनजी, कुरिनजीपट्टू, पट्टिनप्पलई और मलाइपदुकदम।
    - पाथिनेंकिलकणक्कु (Pathinenkilkanakku): इसमें नैतिकता और नैतिकता संबंधी अठारह कार्य शामिल हैं।
  - इन कार्यों में सबसे महत्त्वपूर्ण महान तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर द्वारा लिखित तिरुक्कुरल है।
- तमिल महाकाव्य: शिलप्पादिकारम् 'इलांगोआदिगल' द्वारा और मणिमेखलै 'सीतलैसत्तनार' द्वारा लिखे गए महाकाव्य हैं।
  - वे संगम समाज और राज्य व्यवस्था के बारे में बहुमूल्य विवरण भी प्रदान करते हैं।

पं. मदन मोहन मालवीय

चर्चा में क्यों ?

भारत के प्रधानमंत्री ने पंडित मदन मोहन मालवीय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

प्रमुख बिंदु

- जन्म: पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर, 1861 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में हुआ था।
- संक्षिप्त परिचय:
  - वे महान शिक्षाविद्, बेहतरीन वक्ता और एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता थे।
  - उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनों, उद्योगों को बढ़ावा देने, देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान देने, शिक्षा, धर्म, सामाजिक सेवा, हिंदी भाषा के विकास और राष्ट्रीय महत्त्व से संबंधित कई अन्य गतिविधियों में हिस्सा लिया।
  - महात्मा गांधी ने उन्हें 'महामना' की उपाधि दी थी और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉ. एस. राधाकृष्णन ने उन्हें 'कर्मयोगी' का दर्जा दिया था।
- स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका:
  - गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक दोनों का ही अनुयायी होने के कारण उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में क्रमश: उदारवादी और राष्ट्रवादी तथा नरमपंथी एवं गरमपंथी दोनों के बीच की विचारधारा का नेता माना जाता था।

नोट :

- वर्ष 1930 में जब महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, तो उन्होंने इसमें सक्रिय रूप से हिस्सा लिया और गिरफ्तार भी हुए।

- कॉन्ग्रेस में भूमिका:
  - उन्हें वर्ष 1909, वर्ष 1918, वर्ष 1932 और वर्ष 1933 में कुल चार बार कॉन्ग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था।
    - वर्ष 1933 में निर्वाचित अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय की गिरफ्तारी के बाद नेली सेनगुप्त कॉन्ग्रेस की अध्यक्ष चुनी गईं।
- योगदान:
  - मालवीय जी को 'गिरमिटिया मज़दूरी' प्रथा को समाप्त करने में उनकी भूमिका के लिये याद किया जाता है।
    - 'गिरमिटिया मज़दूरी' प्रथा बंधुआ मज़दूरी प्रथा का ही एक रूप है, जिसे वर्ष 1833 में दास प्रथा के उन्मूलन के बाद स्थापित किया गया था।
    - 'गिरमिटिया मज़दूरों' को वेस्टइंडीज़, अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया में ब्रिटिश कालोनियों में चीनी, कपास तथा चाय बागानों एवं रेल निर्माण परियोजनाओं में कार्य करने के लिये भर्ती किया जाता था।
  - हरिद्वार के भीमगोड़ा में गंगा के प्रवाह को प्रभावित करने वाली ब्रिटिश सरकार की नीतियों से आशंकित मालवीय जी ने वर्ष 1905 में गंगा महासभा की स्थापना की थी।
  - वे एक सफल समाज सुधारक और नीति निर्माता थे, जिन्होंने 11 वर्ष (1909-1920) तक 'इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल' के सदस्य के रूप में कार्य किया।
  - उन्होंने 'सत्यमेव जयते' शब्द को लोकप्रिय बनाया। हालाँकि यह वाक्यांश मूल रूप से 'मुण्डकोपनिषद' से है। अब यह शब्द भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है।
  - मालवीय जी के प्रयासों के कारण ही देवनागरी (हिंदी की लिपि) को ब्रिटिश-भारतीय अदालतों में पेश किया गया था।
  - उन्होंने हिंदू-मुस्लिम एकता को बनाए रखने की दिशा में भी महत्त्वपूर्ण कार्य किया। उन्हें सांप्रदायिक सद्भाव से संबंधित विषयों पर भाषण देने के लिये जाना जाता था।
    - जातिगत भेदभाव और ब्राह्मणवादी पितृसत्ता पर अपने विचार व्यक्त करने के लिये उन्हें ब्राह्मण समुदाय से बाहर कर दिया गया था।
  - उन्होंने वर्ष 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की थी।
  - मालवीय जी ने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) की स्थापना की थी।
- पत्रकार:
  - पत्रकार के रूप में उन्होंने वर्ष 1907 में एक हिंदी साप्ताहिक 'अभ्युदय' की शुरुआत की, जिसे वर्ष 1915 में दैनिक बना दिया गया, इसके अलावा उन्होंने वर्ष 1910 में हिंदी मासिक पत्रिका 'मर्यादा' भी शुरू की थी।
  - उन्होंने वर्ष 1909 में एक अंग्रेज़ी दैनिक अखबार 'लीडर' भी शुरू किया था।
  - मालवीय जी हिंदी साप्ताहिक 'हिंदुस्तान' और 'इंडियन यूनियन' के संपादक भी रहे।
  - वे कई वर्षों तक 'हिंदुस्तान टाइम्स' के निदेशक मंडल के अध्यक्ष भी रहे।
- मृत्यु: 12 नवंबर, 1946 को 84 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।
- पुरस्कार और सम्मान:
  - वर्ष 2014 में उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
  - वर्ष 2016 में भारतीय रेलवे ने मालवीय जी के सम्मान में वाराणसी-नई दिल्ली 'महामना एक्सप्रेस' शुरू की थी।

पं. मदन मोहन मालवीय

चर्चा में क्यों ?

भारत के प्रधानमंत्री ने पंडित मदन मोहन मालवीय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- जन्म: पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर, 1861 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में हुआ था।
- संक्षिप्त परिचय:
  - वे महान शिक्षाविद्, बेहतरीन वक्ता और एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता थे।
  - उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनों, उद्योगों को बढ़ावा देने, देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान देने, शिक्षा, धर्म, सामाजिक सेवा, हिंदी भाषा के विकास और राष्ट्रीय महत्त्व से संबंधित कई अन्य गतिविधियों में हिस्सा लिया।
  - महात्मा गांधी ने उन्हें 'महामना' की उपाधि दी थी और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉ. एस. राधाकृष्णन ने उन्हें 'कर्मयोगी' का दर्जा दिया था।
- स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका:
  - गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक दोनों का ही अनुयायी होने के कारण उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में क्रमश: उदारवादी और राष्ट्रवादी तथा नरमपंथी एवं गरमपंथी दोनों के बीच की विचारधारा का नेता माना जाता था।
  - वर्ष 1930 में जब महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, तो उन्होंने इसमें सक्रिय रूप से हिस्सा लिया और गिरफ्तार भी हुए।
- कॉन्ग्रेस में भूमिका:
  - उन्हें वर्ष 1909, वर्ष 1918, वर्ष 1932 और वर्ष 1933 में कुल चार बार कॉन्ग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था।
    - वर्ष 1933 में निर्वाचित अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय की गिरफ्तारी के बाद नेली सेनगुप्त कॉन्ग्रेस की अध्यक्ष चुनी गईं।
- योगदान:
  - मालवीय जी को 'गिरमिटिया मज़दूरी' प्रथा को समाप्त करने में उनकी भूमिका के लिये याद किया जाता है।
    - 'गिरमिटिया मज़दूरी' प्रथा बंधुआ मज़दूरी प्रथा का ही एक रूप है, जिसे वर्ष 1833 में दास प्रथा के उन्मूलन के बाद स्थापित किया गया था।
    - 'गिरमिटिया मज़दूरों' को वेस्टइंडीज़, अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया में ब्रिटिश कालोनियों में चीनी, कपास तथा चाय बागानों एवं रेल निर्माण परियोजनाओं में कार्य करने के लिये भर्ती किया जाता था।
  - हरिद्वार के भीमगोड़ा में गंगा के प्रवाह को प्रभावित करने वाली ब्रिटिश सरकार की नीतियों से आशंकित मालवीय जी ने वर्ष 1905 में गंगा महासभा की स्थापना की थी।
  - वे एक सफल समाज सुधारक और नीति निर्माता थे, जिन्होंने 11 वर्ष (1909-1920) तक 'इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल' के सदस्य के रूप में कार्य किया।
  - उन्होंने 'सत्यमेव जयते' शब्द को लोकप्रिय बनाया। हालाँकि यह वाक्यांश मूल रूप से 'मुण्डकोपनिषद' से है। अब यह शब्द भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है।
  - मालवीय जी के प्रयासों के कारण ही देवनागरी (हिंदी की लिपि) को ब्रिटिश-भारतीय अदालतों में पेश किया गया था।
  - उन्होंने हिंदू-मुस्लिम एकता को बनाए रखने की दिशा में भी महत्त्वपूर्ण कार्य किया। उन्हें सांप्रदायिक सद्भाव से संबंधित विषयों पर भाषण देने के लिये जाना जाता था।
    - जातिगत भेदभाव और ब्राह्मणवादी पितृसत्ता पर अपने विचार व्यक्त करने के लिये उन्हें ब्राह्मण समुदाय से बाहर कर दिया गया था।
  - उन्होंने वर्ष 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की थी।
  - मालवीय जी ने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) की स्थापना की थी।
- पत्रकार:
  - पत्रकार के रूप में उन्होंने वर्ष 1907 में एक हिंदी साप्ताहिक 'अभ्युदय' की शुरुआत की, जिसे वर्ष 1915 में दैनिक बना दिया गया, इसके अलावा उन्होंने वर्ष 1910 में हिंदी मासिक पत्रिका 'मर्यादा' भी शुरू की थी।
  - उन्होंने वर्ष 1909 में एक अंग्रेज़ी दैनिक अखबार 'लीडर' भी शुरू किया था।

नोट :

- मालवीय जी हिंदी साप्ताहिक 'हिंदुस्तान' और 'इंडियन यूनियन' के संपादक भी रहे।
- वे कई वर्षों तक 'हिंदुस्तान टाइम्स' के निदेशक मंडल के अध्यक्ष भी रहे।

- मृत्यु: 12 नवंबर, 1946 को 84 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।
- पुरस्कार और सम्मान:
  - वर्ष 2014 में उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
  - वर्ष 2016 में भारतीय रेलवे ने मालवीय जी के सम्मान में वाराणसी-नई दिल्ली 'महामना एक्सप्रेस' शुरू की थी।

कोणार्क सूर्य मंदिर का संरक्षण: उड़ीसा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने खुलासा किया है कि वह कोणार्क सूर्य मंदिर के अंदरूनी हिस्सों से रेत को सुरक्षित रूप से हटाने के लिये एक प्रारंभिक रोडमैप पर कार्य कर रहा है।

- मंदिर की स्थिरता के लिये सूर्य मंदिर के जगमोहन (असेंबली हॉल) में एक सदी पहले अंग्रेज़ों द्वारा रेत भरी गई थी।

प्रमुख बिंदु

- संरक्षण प्रक्रिया:
  - वर्ष 1903 में ब्रिटिश प्रशासन ने तेरहवीं शताब्दी के विश्व धरोहर स्थल के स्थायित्व को बनाए रखने के लिये हॉल को रेत से भर दिया था और इसे सील कर दिया था।
    - उन्होंने जगमोहन के ऊपर के हिस्से में छेद कर दिया था और उसके जरिये रेत डाल दी थी।
  - एक अध्ययन के बाद रेत को हटाने की आवश्यकता महसूस की गई थी, जिसमें रेत के रहने से संभावित नुकसान की चेतावनी दी गई थी, इसके परिणामस्वरूप रेत की परत और संरचना के बीच 17 फीट का अंतर आ गया था।
  - बालू हटाने की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिये रुड़की में केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई) द्वारा एएसआई की सहायता की गई, जिसने वर्ष 2013 और 2018 के बीच मंदिर की संरचनात्मक स्थिरता पर एक वैज्ञानिक अध्ययन किया।
- कोणार्क सूर्य मंदिर:
  - कोणार्क सूर्य मंदिर पूर्वी ओडिशा के पवित्र शहर पुरी के पास स्थित है।
  - इसका निर्माण राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा 13वीं शताब्दी (1238-1264 ई.) में किया गया था। यह गंग वंश के वैभव, स्थापत्य, मज़बूती और स्थिरता के साथ-साथ ऐतिहासिक परिवेश का प्रतिनिधित्व करता है।
    - पूर्वी गंग राजवंश को रूधि गंग या प्राच्य गंग के नाम से भी जाना जाता है।
    - मध्यकालीन युग में यह विशाल भारतीय शाही राजवंश था जिसने कलिंग से 5वीं शताब्दी की शुरुआत से 15वीं शताब्दी की शुरुआत तक शासन किया था।
    - पूर्वी गंग राजवंश बनने की शुरुआत तब हुई जब इंद्रवर्मा प्रथम ने विष्णुकुंडिन राजा को हराया।
  - मंदिर को एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है।
  - यह सूर्य भगवान को समर्पित है।
  - कोणार्क मंदिर न केवल अपनी स्थापत्य की भव्यता के लिये बल्कि मूर्तिकला कार्य की गहनता और प्रवीणता के लिये भी जाना जाता है।
    - यह कलिंग वास्तुकला की उपलब्धि का सर्वोच्च बिंदु है जो अनुग्रह, खुशी और जीवन की लय को दर्शाता है।
  - इसे वर्ष 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।
  - कोणार्क सूर्य मंदिर के दोनों ओर 12 पहियों की दो पंक्तियाँ हैं। कुछ लोगों का मत है कि 24 पहिये दिन के 24 घंटों के प्रतीक हैं, जबकि अन्य का कहना है कि 12-12 अश्वों की दो कतारें वर्ष के 12 माह की प्रतीक हैं।

नोट :

- सात घोड़ों को सप्ताह के सातों दिनों का प्रतीक माना जाता है।
- समुद्री यात्रा करने वाले लोग एक समय में इसे 'ब्लैक पगोडा' कहते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि यह जहाज़ों को किनारे की ओर आकर्षित करता है और उनको नष्ट कर देता है।
- कोणार्क 'सूर्य पंथ' के प्रसार के इतिहास की अमूल्य कड़ी है, जिसका उदय 8वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर में हुआ, अंततः पूर्वी भारत के तटों पर पहुँच गया।

- ओडिशा में अन्य महत्त्वपूर्ण स्मारक:
  - जगन्नाथ मंदिर
  - तारा तारिणी मंदिर
  - उदयगिरि और खंडगिरि गुफाएँ
  - लिंगराज मंदिर

कलिंग स्थापत्य कला:

- परिचय:
  - भारतीय मंदिरों को मोटे तौर पर नागर, वेसर, द्रविड़ और गडग शैली की वास्तुकला में विभाजित किया गया है।
  - हालाँकि ओडिशा की मंदिर वास्तुकला मंदिर वास्तुकला की कलिंग शैली नामक उसके अद्वितीय प्रतिनिधित्व के लिये पूरी तरह से एक अलग श्रेणी से मेल खाती है।
  - यह शैली मोटे तौर पर नागर शैली के अंतर्गत आती है।
- स्थापत्य:
  - कलिंग वास्तुकला में मूल रूप से एक मंदिर दो भागों में बना होता है, एक मीनार और एक हॉल। टावर को देउला और हॉल को जगमोहन कहा जाता है।
  - देउला और जगमोहन दोनों की दीवारों को भव्य रूप से स्थापत्य रूपांकनों और आकृतियों की प्रचुरता के साथ तराशा गया है।
  - सबसे अधिक दोहराया जाने वाला रूप घोड़े की नाल का आकार है, जो प्राचीन काल से आया है, चैत्य-गृहों की बड़ी खिड़कियों से शुरू होता है।
  - यह देउल है जो कलिंग में तीन अलग-अलग प्रकार के मंदिर बनाता है
  - स्थापत्य:
    - रेखा देउला।
    - पिधा देउला।
    - खाखरा देउला।
  - पहले दो विष्णु, सूर्य और शिव मंदिरों से जुड़े हैं जबकि तीसरा मुख्य रूप से चामुंडा और दुर्गा मंदिरों से जुड़ा है।
  - रेखा देउला और खाखरा देउला में गर्भगृह है, जबकि पिधा देउला बाहरी नृत्य और प्रसाद हॉल का निर्माण करता है।

नोट :

कला एवं संस्कृति

यूनेस्को की ICH सूची में दुर्गा पूजा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में कोलकाता की दुर्गा पूजा को मानवता की 'अमूर्त सांस्कृतिक विरासत' (ICH) की यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया है।

- मानवता के यूनेस्को ICH के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला यह एशिया का पहला त्योहार है।
- इससे पहले यूनेस्को ने गुजरात में हड़प्पा शहर धौलावीरा को भारत की 40वीं विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया था।

प्रमुख बिंदु

- दुर्गा पूजा:
  - दुर्गा पूजा पाँच दिवसीय त्योहार है जो नौ दिवसीय नवरात्रि उत्सव की पाँचवीं रात से शुरू होता है और दसवें दिन दशमी को समाप्त होता है।
  - इस समय के दौरान, लोग सामूहिक रूप से देवी दुर्गा की पूजा करते हैं और उनका आह्वान करते हैं, जिन्हें ब्रह्मांड की ऊर्जा स्त्री माना जाता है, जिन्हें 'शक्ति' भी कहा जाता है।
  - यह देश के सबसे बड़े सांस्कृतिक कार्निवाल और स्ट्रीट आर्ट फेस्टिवल में से एक है।
  - इस समय के दौरान, देवी के जटिल रूप से डिजाइन किये गए मिट्टी के मॉडल को 'पंडालों' और मंडपों में पूजा जाता है जहाँ लोग एक साथ मिलते हैं।
    - लोक संगीत, पाक कला, शिल्प और प्रदर्शन कला परंपराएँ उत्सव का एक हिस्सा हैं।
  - इस त्योहार की शुरुआत पश्चिम बंगाल से हुई, जिसमें देश में सबसे बड़ा बंगाली समुदाय है, यह त्योहार भारत के कई अन्य हिस्सों और दुनिया में भी मनाया जाता है।
- महत्त्व:
  - यह पारंपरिक कला और शिल्प, समुदायों की भलाई और आर्थिक सशक्तीकरण तथा रचनात्मकता को सक्रिय बनाए रखने एवं संरक्षित करने में इस त्योहार के योगदान करता है।
    - इस वर्ष (2021) की शुरुआत में 'ब्रिटिश काउंसिल इन इंडिया' ने दुर्गा पूजा की रचनात्मक अर्थव्यवस्था के व्यय को 32,000 करोड़ रुपए बताया जो पश्चिम बंगाल के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 2.58% का योगदान देता है।
- यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची:
  - यह प्रतिष्ठित सूची उन अमूर्त विरासत तत्त्वों से बनी है जो सांस्कृतिक विरासत की विविधता को प्रदर्शित करने और इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करते हैं।
  - यूनेस्को के अनुसार, सांस्कृतिक विरासत स्मारकों और वस्तुओं के संग्रह पर समाप्त नहीं होती है।
    - इसमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली परंपराएँ या जीवित अभिव्यक्तियाँ भी शामिल हैं और हमारे वंशजों को हस्तांतरित की जाती हैं, जैसे कि मौखिक परंपराएँ, प्रदर्शन कला, सामाजिक प्रथाएँ, अनुष्ठान, उत्सव की घटनाएँ, प्रकृति और ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान, अभ्यास या पारंपरिक ज्ञान और कौशल शिल्प।
  - यह सूची वर्ष 2008 में स्थापित की गई थी जब अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिये कन्वेंशन लागू हुआ था।
    - संस्कृति मंत्रालय (भारत) ने भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH) की राष्ट्रीय सूची का मसौदा भी लॉन्च किया है।
    - राष्ट्रीय ICH सूची अपनी अमूर्त विरासत में अंतर्निहित भारतीय संस्कृति की विविधता को पहचानने का एक प्रयास है।
    - यह पहल संस्कृति मंत्रालय के विजन 2024 का भी हिस्सा है।

नोट :

- भारत वर्ष 2003 के यूनेस्को कन्वेंशन का भी एक हस्ताक्षरकर्त्ता देश है जिसका उद्देश्य परंपराओं और जीवित अभिव्यक्ति के साथ-साथ अमूर्त विरासत की सुरक्षा करना है।

- उत्कीर्ण तत्त्व:
  - वर्तमान में, इसमें 492 तत्त्व शामिल हैं, जिनमें से यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिष्ठित प्रतिनिधि सूची में भारत की अब 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें शामिल हैं।
  - भारत में दुर्गा पूजा के अलावा यूनेस्को द्वारा ICH के रूप में मान्यता प्राप्त 13 परंपराएँ हैं।

यूनेस्को (UNESCO)

- यूनेस्को के बारे में:
  - संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन' (UNESCO) संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है।
  - यूनेस्को के कार्यक्रम एजेंडा 2030 में परिभाषित सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals) की प्राप्ति में योगदान करते हैं, जिसे 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था।
  - इसके 193 सदस्य देश और 11 संबद्ध सदस्य हैं। भारत वर्ष 1946 में यूनेस्को में शामिल हुआ था।
    - संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़राइल ने यूनेस्को की सदस्यता वर्ष 2019 में औपचारिक रूप से छोड़ दी थी।
  - इसका मुख्यालय पेरिस (फ्राँस) में है।
  - यूनेस्को का अंतर-सरकारी महासागरीय आयोग (Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO) आपदा न्यूनीकरण रणनीति के हिस्से के रूप में महासागर आधारित सुनामी चेतावनी प्रणाली स्थापित करने हेतु वैश्विक प्रयास का नेतृत्व कर रहा है।
    - वर्ष 2020 में ओडिशा के दो गाँवों (वेंकटरायपुर और नोलियासाह) को सुनामी से निपटने हेतु तैयारियों के लिये 'सुनामी रेडी' (Tsunami Ready) के रूप में नामित किया है।
- यूनेस्को की अन्य पहलें:
  - मानव व जीवमंडल कार्यक्रम
  - विश्व विरासत कार्यक्रम
  - यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क
  - यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क

नोट :

सामाजिक न्याय

महिलाओं के लिये विवाह की कानूनी आयु में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुरुषों और महिलाओं की विवाह योग्य आयु में एकरूपता लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

- बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA), 2006 और अन्य पर्सनल लॉ में संशोधन कर महिलाओं की विवाह की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल की जाएगी।
- यह निर्णय समता पार्टी की पूर्व प्रमुख जया जेटली के नेतृत्व में गठित चार सदस्यीय टास्क फोर्स की सिफारिश पर आधारित है।

नोट:

टास्क फोर्स का गठन विवाह की उम्र और स्वास्थ्य एवं सामाजिक सूचकांकों जैसे- शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और माताओं तथा बच्चों के पोषण स्तर के साथ इसके संबंध की फिर से जाँच करने के लिये किया गया था।

प्रमुख बिंदु

- विवाह के लिये न्यूनतम आयु के कानूनी ढाँचे के बारे में:
  - पृष्ठभूमि:
    - भारत में विवाह की न्यूनतम आयु पहली बार शारदा अधिनियम, 1929 द्वारा निर्धारित की गई थी। बाद में इसका नाम परिवर्तित कर बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम (CMRA), 1929 कर दिया गया।
    - वर्ष 1978 में, लड़कियों के लिये विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कों के लिये 21 वर्ष करने के लिये कानून में संशोधन किया गया था।
    - यह स्थिति बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA), 2006 नामक नए कानून में भी बनी हुई है, जिसने CMRA, 1929 को प्रतिस्थापित किया।
  - विभिन्न धर्मों में विवाह की न्यूनतम आयु:
    - हिंदुओं के लिये, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित करता है।
    - इस्लाम में युवावस्था प्राप्त कर चुके नाबालिग की शादी को वैध माना जाता है।
    - विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 भी क्रमश: महिलाओं और पुरुषों के लिये विवाह की न्यूनतम आयु 18 और 21 वर्ष निर्धारित करते हैं।
    - विवाह की नई उम्र लागू करने के लिये इन कानूनों में संशोधन की संभावना है।
- महिलाओं के लिये विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने के लाभ:
  - महिला एवं बाल कल्याण: माता का गरीब होना उसके बच्चे और कुपोषण के संबंध में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं ।
    - विवाह की कम उम्र और इसके परिणामस्वरूप जल्दी गर्भधारण भी माताओं और उनके बच्चों के पोषण स्तर एवं उनके समग्र स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।.
  - महिला सशक्तिकरण और लिंग समानता: बच्चे के जन्म के समय माँ की उम्र उसके शैक्षिक स्तर, रह-सहन और स्वास्थ्य स्थिति, महिलाओं की निर्णय लेने की शक्ति को प्रभावित करती है।
  - बाल विवाह की समस्या का समाधान: वैश्विक स्तर पर भारत में सबसे अधिक कम उम्र में विवाह होते हैं। यह कानून बाल विवाह के खतरे को रोकने में मदद करेगा।

नोट :

- महिलाओं के विवाह हेतु न्यूनतम आयु बढ़ाने के विपक्ष में तर्क:
  - बाल विवाह की समस्या: बाल विवाह कानून का क्रियान्वयन कठिन है।
    - प्रमाण बताते हैं कि जब कानून का इस्तेमाल किया जाता है, तो यह ज़्यादातर युवा वयस्कों को स्व-व्यवस्थित विवाह के लिये दंडित करने हेतु होता है।
    - बाल विवाह रोकने वाला कानून ठीक से कार्यान्वित नहीं करता।
    - राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)-5 के अनुसार, बाल विवाह में गिरावट आई है, लेकिन यह मामूली है: वर्ष 2015-16 में 27% से गिरकर वर्ष 2019-20 में 23% हो गई।
    - 70% कम उम्र के विवाह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे वंचित समुदायों में होते हैं और कानून इन विवाहों को रोकने के बजाय उन्हें भूमिगत कर देता है।
  - बड़ी संख्या में विवाहों का अपराधीकरण: यह परिवर्तन उन भारतीय महिलाओं के विशाल बहुमत को छोड़ देगा, जिन्होंने 21 वर्ष की आयु से पहले शादी की है, बिना कानूनी सुरक्षा के जो उनके परिवारों को आपराधिक बना देगा।
  - शिक्षा की कमी एक बड़ी समस्या है: यूएनएफपीए द्वारा 'स्टेट ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट' 2020 के अनुसार, भारत में, बिना शिक्षा वाली 51% युवा महिलाओं और केवल प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वालों में से 47% ने 18 साल की उम्र में शादी कर ली थी।
    - इसके अलावा 'इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वीमेन' के एक अध्ययन में पाया गया है कि स्कूल से बाहर लड़कियों की शादी होने की संभावना 3.4 गुना अधिक है या उनकी शादी उन लड़कियों की तुलना में पहले ही तय हो गई है जो अभी भी स्कूल में हैं।

आगे की राह

- शिक्षा को बढ़ावा देना: कार्यकर्त्ताओं का कहना है कि बाल विवाह में देरी का जवाब शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करने में है क्योंकि यह प्रथा एक सामाजिक और आर्थिक मुद्दा है।
  - स्कूलों में स्किल और बिज़नेस ट्रेनिंग और सेक्स एजुकेशन से भी मदद मिलेगी।
- स्कूलों तक पहुँच बढ़ाना: सरकार को दूर-दराज़ के क्षेत्रों से लड़कियों की स्कूलों और कॉलेजों तक पहुँच बढ़ाने पर ध्यान देने की ज़रूरत है।
- जन जागरूकता कार्यक्रम: विवाह की उम्र में वृद्धि पर बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान की आवश्यकता है और नए कानून की सामाजिक स्वीकृति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण

चर्चा में क्यों ?

वर्ष 2019-20 के लिये नीति आयोग ने राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया है।

- "स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत" शीर्षक वाली रिपोर्ट राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को स्वास्थ्य परिणामों में साल-दर-साल वृद्धिशील प्रदर्शन के साथ-साथ उनकी समग्र स्थिति के आधार पर रैंक प्रदान करती है।
- इससे पहले ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी (GHS) इंडेक्स 2021 को न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव (NTI) और जॉन्स हॉपकिन्स सेंटर की साझेदारी में विकसित किया गया था। भारत का स्कोर 42.8 (100 में से) है और वर्ष 2019 की तुलना में इसमें 0.8 अंकों की गिरावट हुई है।

प्रमुख बिंदु:

- परिचय:
  - राज्य स्वास्थ्य सूचकांक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिये एक वार्षिक उपकरण है, जिसे वर्ष 2017 में संकलित और प्रकाशित किया गया है।

नोट :

- यह 'स्वास्थ्य परिणामों', 'शासन और सूचना' तथा 'प्रमुख इनपुट/प्रक्रियाओं' के डोमेन के तहत समूहीकृत 24 संकेतकों पर आधारित एक भारित समग्र सूचकांक है।
  - स्वास्थ्य परिणाम:
  - इसमें नवजात मृत्यु दर, अंडर-5 मृत्यु दर, जन्म के समय लिंगानुपात जैसे पैरामीटर शामिल हैं।
  - शासन और सूचना:
  - इसमें स्वास्थ्य से सम्बंधित वरिष्ठ अधिकारियों की संस्थागत प्रसव और औसत ऑक्यूपेंसी जैसे पैरामीटर शामिल हैं।
  - मुख्य इनपुट/प्रक्रियाएँ:
  - इसमें स्वास्थ्य देखभाल में कमी का अनुपात, कार्यात्मक चिकित्सा सुविधाएँ, जन्म और मृत्यु पंजीकरण तथा तपेदिक उपचार आदि शामिल हैं।

- विकास:
  - इस रिपोर्ट को नीति आयोग द्वारा विश्व बैंक की तकनीकी सहायता और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के गहन परामर्श से विकसित किया गया है।
- चौथे संस्करण का फोकस/केंद्रीय बिंदु:
  - रिपोर्ट का चौथा दौर वर्ष 2018-19 से वर्ष 2019-20 की अवधि में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के समग्र प्रदर्शन और वृद्धिशील सुधार को मापने और उजागर करने पर केंद्रित है।.
- राज्यों की रैंकिंग:
  - समान संस्थाओं के मध्य तुलना सुनिश्चित करने हेतु रैंकिंग को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है:
  - बड़े राज्य:
  - बड़े राज्यों' की श्रेणी के तहत 'वार्षिक क्रमिक प्रदर्शन' (Annual Incremental Progress) के मामले में उत्तर प्रदेश, असम और तेलंगाना शीर्ष रैंकिंग वाले तीन राज्य हैं।
  - छोटे राज्य:
  - 'छोटे राज्यों' की श्रेणी में मिज़ोरम और मेघालय ने अधिकतम वार्षिक क्रमिक प्रगति दर्ज की है।
  - केंद्रशासित प्रदेश:
  - केंद्रशासित प्रदेशों की श्रेणी में दिल्ली के बाद जम्मू और कश्मीर ने सबसे अच्छा क्रमिक प्रदर्शन किया है।
  - समेकित/ओवरआल:
  - वर्ष 2019-20 में समेकित सूचकांक अंक के आधार पर व्यापक रैंकिंग के तहत 'बड़े राज्यों' में केरल व तमिलनाडु, 'छोटे राज्यों' में मिज़ोरम व त्रिपुरा और केंद्रशासित प्रदेशों में दादरा एवं नगर हवेली व दमन व दीव तथा चंडीगढ़ शीर्ष रैंकिंग वाले राज्य हैं।
- इंडेक्स का महत्त्व:
  - नीति निर्माण:
  - राज्य द्वारा इसका उपयोग नीति निर्माण और संसाधनों के आवंटन में किया जाता है।
  - यह रिपोर्ट प्रतिस्पर्द्धी और सहकारी संघवाद दोनों का उदाहरण प्रस्तुत करती है।
  - स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा:
  - यह सूचकांक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा एवं क्रॉस-लर्निंग को प्रोत्साहित करता है।
  - इसका उद्देश्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में मज़बूत स्वास्थ्य प्रणाली विकसित करने और सेवा वितरण में सुधार करना है।
  - सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति में सहायक:
  - इस अभ्यास से स्वास्थ्य संबंधी सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने के लिये राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रयासों में मदद मिलने की आशा है, जिसमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (UHC) और अन्य स्वास्थ्य परिणामों से संबंधित लक्ष्य शामिल हैं।

नोट :

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में भूमिका:
  - राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु सूचकांक को जोड़ने में MoHFW के निर्णय से इस वार्षिक रिपोर्ट के महत्त्व पर ज़ोर दिया गया है।

- सूचकांक की सीमाएँ:
  - महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर नहीं किया गया:
    - कुछ महत्त्वपूर्ण क्षेत्र जैसे- संक्रामक रोग, गैर-संचारी रोग (एनसीडी), मानसिक स्वास्थ्य, शासन और वित्तीय जोखिम संरक्षण के वार्षिक आधार पर डेटा की स्वीकार्य गुणवत्ता की अनुपलब्धता के कारण स्वास्थ्य सूचकांक में ये सभी क्षेत्र पूरी तरह से शामिल नहीं हैं।
  - सीमित डेटा:
    - कई संकेतकों के लिये स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में निजी क्षेत्र के डेटा की कमी और असमान उपलब्धता के कारण डेटा सार्वजनिक सुविधाओं में सेवा वितरण तक सीमित है।
    - परिणामी संकेतकों के लिये, जैसे- नवजात मृत्यु दर, पाँच वर्ष से कम मृत्यु दर, मातृ मृत्यु अनुपात और जन्म के समय लिंग अनुपात संबंधी डेटा केवल बड़े राज्यों के लिये उपलब्ध है।
  - बिना क्षेत्रीय सत्यापन के डेटा का उपयोग:
    - कई संकेतकों के लिये, स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (HMIS) डेटा और अन्य कार्यक्रम संबंधी डेटा का उपयोग बिना किसी क्षेत्रीय सत्यापन के किया गया था, क्योंकि स्वतंत्र क्षेत्रीय सर्वेक्षण आयोजित करने में व्यवहार्यता की कमी देखी गई।

संबंधित पहल

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)
- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY)
- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई)
- प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना।
- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन

राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण

चर्चा में क्यों ?

वर्ष 2019-20 के लिये नीति आयोग ने राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया है।

- "स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत" शीर्षक वाली रिपोर्ट राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को स्वास्थ्य परिणामों में साल-दर-साल वृद्धिशील प्रदर्शन के साथ-साथ उनकी समग्र स्थिति के आधार पर रैंक प्रदान करती है।
- इससे पहले ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी (GHS) इंडेक्स 2021 को न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव (NTI) और जॉन्स हॉपकिन्स सेंटर की साझेदारी में विकसित किया गया था। भारत का स्कोर 42.8 (100 में से) है और वर्ष 2019 की तुलना में इसमें 0.8 अंकों की गिरावट हुई है।

प्रमुख बिंदु:

- परिचय:
  - राज्य स्वास्थ्य सूचकांक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिये एक वार्षिक उपकरण है, जिसे वर्ष 2017 में संकलित और प्रकाशित किया गया है।

नोट :

- यह 'स्वास्थ्य परिणामों', 'शासन और सूचना' तथा 'प्रमुख इनपुट/प्रक्रियाओं' के डोमेन के तहत समूहीकृत 24 संकेतकों पर आधारित एक भारित समग्र सूचकांक है।
  - स्वास्थ्य परिणाम:
  - इसमें नवजात मृत्यु दर, अंडर-5 मृत्यु दर, जन्म के समय लिंगानुपात जैसे पैरामीटर शामिल हैं।
  - शासन और सूचना:
  - इसमें स्वास्थ्य से सम्बंधित वरिष्ठ अधिकारियों की संस्थागत प्रसव और औसत ऑक्यूपेंसी जैसे पैरामीटर शामिल हैं।
  - मुख्य इनपुट/प्रक्रियाएँ:
  - इसमें स्वास्थ्य देखभाल में कमी का अनुपात, कार्यात्मक चिकित्सा सुविधाएँ, जन्म और मृत्यु पंजीकरण तथा तपेदिक उपचार आदि शामिल हैं।

- विकास:
  - इस रिपोर्ट को नीति आयोग द्वारा विश्व बैंक की तकनीकी सहायता और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के गहन परामर्श से विकसित किया गया है।
- चौथे संस्करण का फोकस/केंद्रीय बिंदु:
  - रिपोर्ट का चौथा दौर वर्ष 2018-19 से वर्ष 2019-20 की अवधि में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के समग्र प्रदर्शन और वृद्धिशील सुधार को मापने और उजागर करने पर केंद्रित है।.
- राज्यों की रैंकिंग:
  - समान संस्थाओं के मध्य तुलना सुनिश्चित करने हेतु रैंकिंग को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है:
  - बड़े राज्य:
  - बड़े राज्यों' की श्रेणी के तहत 'वार्षिक क्रमिक प्रदर्शन' (Annual Incremental Progress) के मामले में उत्तर प्रदेश, असम और तेलंगाना शीर्ष रैंकिंग वाले तीन राज्य हैं।
  - छोटे राज्य:
  - 'छोटे राज्यों' की श्रेणी में मिज़ोरम और मेघालय ने अधिकतम वार्षिक क्रमिक प्रगति दर्ज की है।
  - केंद्रशासित प्रदेश:
  - केंद्रशासित प्रदेशों की श्रेणी में दिल्ली के बाद जम्मू और कश्मीर ने सबसे अच्छा क्रमिक प्रदर्शन किया है।
  - समेकित/ओवरआल:
  - वर्ष 2019-20 में समेकित सूचकांक अंक के आधार पर व्यापक रैंकिंग के तहत 'बड़े राज्यों' में केरल व तमिलनाडु, 'छोटे राज्यों' में मिज़ोरम व त्रिपुरा और केंद्रशासित प्रदेशों में दादरा एवं नगर हवेली व दमन व दीव तथा चंडीगढ़ शीर्ष रैंकिंग वाले राज्य हैं।
- इंडेक्स का महत्त्व:
  - नीति निर्माण:
  - राज्य द्वारा इसका उपयोग नीति निर्माण और संसाधनों के आवंटन में किया जाता है।
  - यह रिपोर्ट प्रतिस्पर्द्धी और सहकारी संघवाद दोनों का उदाहरण प्रस्तुत करती है।
  - स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा:
  - यह सूचकांक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा एवं क्रॉस-लर्निंग को प्रोत्साहित करता है।
  - इसका उद्देश्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में मज़बूत स्वास्थ्य प्रणाली विकसित करने और सेवा वितरण में सुधार करना है।
  - सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति में सहायक:
  - इस अभ्यास से स्वास्थ्य संबंधी सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने के लिये राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रयासों में मदद मिलने की आशा है, जिसमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (UHC) और अन्य स्वास्थ्य परिणामों से संबंधित लक्ष्य शामिल हैं।

नोट :

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में भूमिका:
  - राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु सूचकांक को जोड़ने में MoHFW के निर्णय से इस वार्षिक रिपोर्ट के महत्त्व पर ज़ोर दिया गया है।

- सूचकांक की सीमाएँ:
  - महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर नहीं किया गया:
    - कुछ महत्त्वपूर्ण क्षेत्र जैसे- संक्रामक रोग, गैर-संचारी रोग (एनसीडी), मानसिक स्वास्थ्य, शासन और वित्तीय जोखिम संरक्षण के वार्षिक आधार पर डेटा की स्वीकार्य गुणवत्ता की अनुपलब्धता के कारण स्वास्थ्य सूचकांक में ये सभी क्षेत्र पूरी तरह से शामिल नहीं हैं।
  - सीमित डेटा:
    - कई संकेतकों के लिये स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में निजी क्षेत्र के डेटा की कमी और असमान उपलब्धता के कारण डेटा सार्वजनिक सुविधाओं में सेवा वितरण तक सीमित है।
    - परिणामी संकेतकों के लिये, जैसे- नवजात मृत्यु दर, पाँच वर्ष से कम मृत्यु दर, मातृ मृत्यु अनुपात और जन्म के समय लिंग अनुपात संबंधी डेटा केवल बड़े राज्यों के लिये उपलब्ध है।
  - बिना क्षेत्रीय सत्यापन के डेटा का उपयोग:
    - कई संकेतकों के लिये, स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (HMIS) डेटा और अन्य कार्यक्रम संबंधी डेटा का उपयोग बिना किसी क्षेत्रीय सत्यापन के किया गया था, क्योंकि स्वतंत्र क्षेत्रीय सर्वेक्षण आयोजित करने में व्यवहार्यता की कमी देखी गई।

संबंधित पहल

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)
- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY)
- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई)
- प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना।
- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन

उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2021

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण (ज़िला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के क्षेत्राधिकार) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है।

- अधिनियम, उपभोक्ता आयोग के प्रत्येक स्तर के आर्थिक क्षेत्राधिकार को निर्धारित करता है।
- नए नियमों ने उपभोक्ता की शिकायतों के लिये आर्थिक क्षेत्राधिकार को संशोधित किया।
- इससे पहले केंद्र ने प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग के लिये उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 को अधिसूचित किया था।

प्रमुख बिंदु:

- संशोधित आर्थिक क्षेत्राधिकार:
  - ज़िला आयोगों के लिये 50 लाख रुपए (पहले 1 करोड़ से कम),
  - 50 लाख रुपए से अधिक 2 करोड़ रुपए राज्य आयोगों के लिये (पहले 1 करोड़ से 10 करोड़),
  - 2 करोड़ रुपए से अधिक राष्ट्रीय आयोग के लिये (पहले 10 करोड़ से अधिक)।

नोट :

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के बारे में:
  - उत्पाद दायित्त्व (Product Liability): यदि किसी उत्पाद या सेवा में दोष पाया जाता है तो उत्पाद निर्माता/विक्रेता या सेवा प्रदाता को क्षतिपूर्ति के लिये ज़िम्मेदार माना जाएगा। विधेयक के अनुसार, किसी उत्पाद में निम्नलिखित आधारों पर दोष हो सकता है:
    - त्रि-स्तरीय अर्ध-न्यायिक तंत्र: अधिनियम उपभोक्ता विवादों के निवारण के लिये एक त्रि-स्तरीय अर्ध-न्यायिक तंत्र जैसे ज़िला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग की घोषणा करता है।
  - शिकायत का समयबद्ध निपटान: अधिनियम में कहा गया है कि प्रत्येक शिकायत का यथासंभव शीघ्र निपटारा किया जाएगा।
    - यदि वस्तुओं के विश्लेषण या परीक्षण की आवश्यकता नहीं है तो विरोधी पक्ष द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर और यदि वस्तुओं के विश्लेषण या परीक्षण की आवश्यकता है तो विरोधी पक्ष द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 5 महीने की अवधि के भीतर शिकायत पर निर्णय लेने का प्रयास किया जाएगा।
  - इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायत दर्ज करना: अधिनियम उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायत दर्ज करने का विकल्प भी प्रदान करता है।
    - उपभोक्ताओं को अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करने में सुविधा हेतु केंद्र सरकार ने 'ई-दाखिल' पोर्टल की स्थापना की है।
  - मध्यस्थता मार्ग: अधिनियम में दोनों पक्षों की सहमति से मध्यस्थता के लिये उपभोक्ता विवादों का संदर्भ भी शामिल है।
    - इससे न केवल विवाद में शामिल पक्षों के समय और धन की बचत होगी, बल्कि लंबित मामलों को कम करने में भी मदद मिलेगी।

दृष्टि The Vision

नोट :

आंतरिक सुरक्षा

अग्नि प्राइम मिसाइल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल 'अग्नि प्राइम' का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

- यह मिसाइल का दूसरा परीक्षण है, पहला परीक्षण जून 2021 में हुआ था।
- अग्नि-पी मिसाइल का लक्ष्य भारत की विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता को और मज़बूत करना है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - अग्नि-पी एक दो चरणों वाली कनस्तरीकृत ठोस प्रणोदक मिसाइल है जिसमें दोहरी नेविगेशन और मार्गदर्शन प्रणाली है।
  - इसे अत्यधिक कौशल और सटीकता सहित बेहतर मापदंडों के साथ अग्नि श्रेणी की मिसाइलों की एक नई पीढ़ी का उन्नत संस्करण कहा गया है।
    - मिसाइलों के कनस्तरीकरण से मिसाइल को लॉन्च करने के लिये आवश्यक समय कम हो जाता है, जबकि भंडारण और संचालन में आसानी होती है।
  - सतह-से-सतह पर मार करने वाली इस बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता 1,000 से 2,000 किमी. है।
- मिसाइलों की अग्नि श्रेणी:
  - अग्नि श्रेणी की मिसाइलें भारत की परमाणु प्रक्षेपण क्षमता का मुख्य आधार हैं, इनमें पृथ्वी- कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, पनडुब्बी से लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल और लड़ाकू विमान भी शामिल हैं।
    - 5,000 किमी. से अधिक रेंज वाली एक अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) अग्नि-V का कई बार परीक्षण किया गया था और इसे शामिल करने के लिये मान्य किया गया था।
  - अग्नि-पी और अग्नि-5 बैलिस्टिक मिसाइलों की उत्पत्ति एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP) से हुई है, जिसका नेतृत्त्व डीआरडीओ के पूर्व प्रमुख और पूर्व भारतीय राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने 1980 के दशक की शुरुआत में किया था।
- अग्नि मिसाइलों की अन्य रेंज:
  - अग्नि I: 700-800 किमी. की सीमा।
  - अग्नि II: रेंज 2000 किमी. से अधिक।
  - अग्नि III: 2,500 किमी. से अधिक की सीमा
  - अग्नि IV: इसकी रेंज 3,500 किमी. से अधिक है और यह एक रोड मोबाइल लॉन्चर से फायर कर सकती है।
  - अग्नि V: अग्नि शृंखला की सबसे लंबी, एक अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) है जिसकी रेंज 5,000 किमी. से अधिक है।
- हाल ही में परीक्षण की गई मिसाइल:
  - ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल (वायु संस्करण)
  - वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल (VL-SRSAM)

नोट :

एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP):

- इसकी स्थापना का विचार प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा दिया गया था। इसका उद्देश्य मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। इसे भारत सरकार द्वारा वर्ष 1983 में अनुमोदित किया गया था और मार्च 2012 में पूरा किया गया था।
- इस कार्यक्रम के तहत विकसित 5 मिसाइलें (P-A-T-N-A) हैं:
  - पृथ्वी: सतह-से-सतह पर मार करने में सक्षम कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल।
  - अग्नि: सतह-से-सतह पर मार करने में सक्षम मध्यम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल, यानी अग्नि (1,2,3,4,5)।
  - त्रिशूल: सतह से आकाश में मार करने में सक्षम कम दूरी वाली मिसाइल।
  - नाग: तीसरी पीढ़ी की टैंक भेदी मिसाइल।
  - आकाश: सतह से आकाश में मार करने में सक्षम मध्यम दूरी वाली मिसाइल।

भारत में मिसाइल प्रौद्योगिकी का इतिहास:

- मिसाइल प्रौद्योगिकी के बारे में:
  - आज़ादी से पहले भारत में कई राज्य अपनी युद्ध तकनीकों के हिस्से के रूप में रॉकेट (Rockets) का उपयोग कर रहे थे।
    - मैसूर के शासक हैदर अली ने 18वीं शताब्दी के मध्य में अपनी सेना में लोहे के आवरण वाले रॉकेटों को शामिल करना शुरू किया।
  - आज़ादी के समय भारत के पास कोई स्वदेशी मिसाइल क्षमता नहीं थी।
  - वर्ष 1958 में सरकार द्वारा स्पेशल वेपन डेवलपमेंट टीम (Special Weapon Development Team) गठित की गई।
    - बाद में इसका विस्तार कर इसे रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला (DRDL) कहा जाने लगा जिसे वर्ष 1962 में दिल्ली से हैदराबाद हस्तांतरित कर दिया गया।
  - वर्ष 1972 में मध्यम दूरी की सतह-से-सतह पर मार करने वाली मिसाइल के विकास के लिये प्रोजेक्ट डेविल (Project Devil) शुरू किया गया था।
  - वर्ष 1982 तक DRDL द्वारा एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (Integrated Guided Missiles Development Programme- IGMDP) के तहत कई मिसाइल प्रौद्योगिकियों पर कार्य किया गया।
- भारत के पास उपलब्ध मिसाइलों के प्रकार:
  - सरफेस-लॉन्च सिस्टम:
    - एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल:
    - नाग
    - सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल:
    - आकाश
    - मीडियम-रेंज सैम:
    - नौसेना के लिये MRSAM सिस्टम का उत्पादन पूरा हो गया है और नौसेना द्वारा इसका ऑर्डर दिया जा रहा है।
    - शॉर्ट-रेंज सैम:
    - नौसेना के लिये इसका पहला परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है।
  - सेवरल एयर-लॉन्च सिस्टम:
    - हवा-से-हवा:
    - अस्त्र
    - हवा से ज़मीन:
    - रुद्रम
    - ब्रह्मोस

नोट :

- भारत की सबसे महत्त्वपूर्ण मिसाइलें:
  - अग्नि (लगभग 5,000 किमी. रेंज):
    - यह भारत की एकमात्र अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (Inter-Continental Ballistic Missile- ICBM) है, जो केवल कुछ देशों के पास उपलब्ध है।
  - पृथ्वी:
    - यह 350 किमी. की रेंज वाली सतह-से-सतह पर मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल है और इसके सामरिक उपयोग हैं।
    - अप्रैल 2019 में भारत द्वारा एक एंटी-सैटेलाइट सिस्टम का भी परीक्षण किया गया।
    - पृथ्वी डिफेंस व्हीकल MK 2 नामक एक संशोधित एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग कम ऊँचाई की कक्षा के उपग्रह को हिट करने लिये किया गया।
    - अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत इस क्षमता को प्राप्त करने वाला देश है।
- हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी:
  - इस तकनीक के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत दुनिया का चौथा देश है।
  - 'रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन' ने सितंबर 2020 में एक 'हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल' (HSTDV) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था और अपनी हाइपरसोनिक एयर-ब्रीदिंग स्क्रैमजेट तकनीक का प्रदर्शन किया था।
- पाकिस्तान और चीन की तुलना में भारत की मिसाइल तकनीक:
  - भारत
    - 'इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम' (IGMP) के तहत पहले 'पृथ्वी' और फिर 'अग्नि' मिसाइल को विकसित किया गया।
    - 'ब्रह्मोस' (ध्वनि की गति से 2.5-3 गुना तेज़) के विकसित होने पर यह दुनिया के सबसे तेज़ मिसाइलों में से एक था।
    - भारत अग्नि VI और अग्नि VII पर काम कर रहा है, जिनकी रेंज काफी अधिक होगी।
  - चीन और पाकिस्तान
    - यद्यपि चीन भारत से आगे है, किंतु कई विशेषज्ञ मानते हैं कि 'चीन के विषय में बहुत से तथ्य केवल मनोवैज्ञानिक हैं।'
    - चीन ने पाकिस्तान को तकनीक दी है, "लेकिन तकनीक प्राप्त करना और वास्तव में उसका उपयोग करना तथा उसके बाद एक नीति विकसित करना पूर्णत: अलग-अलग हैं।
    - भारत की परमाणु मिसाइलें- 'पृथ्वी' और 'अग्नि' हैं, लेकिन उनसे परे सामरिक परमाणु हथियारों को भारतीय वायु सेना के कुछ लड़ाकू जेट विमानों से या सेना की बंदूकों से दागा जा सकता है, जिनकी सीमा कम होती है, लगभग 50 किलोमीटर है।

नोट :

चर्चा में

गोवा मुक्ति दिवस

हाल ही में भारतीय नौसेना ने गोवा के मुक्ति दिवस की हीरक जयंती (60 वर्ष) के उपलक्ष्य में एक सेमिनार का आयोजन किया। गोवा मुक्ति दिवस हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है।

प्रमुख बिंदु:

- यह दिन उस अवसर को चिह्नित करता है जब भारतीय सशस्त्र बलों ने वर्ष 1961 में 450 वर्षों के पुर्तगाली शासन से गोवा को मुक्त कराया था।
- वर्ष 1510 में पुर्तगालियों ने भारत के कई हिस्सों को उपनिवेश बनाया लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत में पुर्तगाली उपनिवेश गोवा, दमन, दीव, दादरा, नगर हवेली और अंजेदिवा द्वीप (गोवा का एक हिस्सा) तक ही सीमित रहें।
- 15 अगस्त, 1947 को जैसे ही भारत को स्वतंत्रता मिली, भारत ने पुर्तगालियों से अपने क्षेत्रों को सौंपने का अनुरोध किया लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया था।
- गोवा मुक्ति आंदोलन छोटे पैमाने पर एक विद्रोह के रूप में शुरू हुआ लेकिन वर्ष 1940 से 1960 के बीच अपने चरम पर पहुँच गया।
- वर्ष 1961 में पुर्तगालियों के साथ राजनयिक प्रयासों की विफलता के बाद भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन विजय चलाकर 19 दिसंबर को दमन और दीव तथा गोवा को भारतीय मुख्य भूमि के साथ मिला लिया गया।
- 30 मई 1987 को इस क्षेत्र का विभाजन हुआ और गोवा का गठन हुआ तथा दमन और दीव को केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया।
- 30 मई को गोवा के स्थापना दिवस (Statehood Day of Goa) के रूप में मनाया जाता है।

गोवा

- अवस्थिति: गोवा, भारत के दक्षिण-पश्चिमी तट पर कोंकण के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्र में स्थित है और भौगोलिक रूप से दक्कन उच्च भूमि से पश्चिमी घाट द्वारा अलग होता है।
- राजधानी: पणजी
- आधिकारिक भाषा: कोंकणी
  - कोंकणी, आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक है।
  - इसे वर्ष 1992 के 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा मणिपुरी और नेपाली भाषा के साथ आठवीं अनुसूची में जोड़ा गया था।
- सीमा: यह उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व और दक्षिण में कर्नाटक से घिरा हुआ है तथा अरब सागर इसके पश्चिमी तट पर है।
- भूगोल
  - गोवा का उच्चतम बिंदु सोंसोगोर (Sonsogor) है।
  - गोवा के उत्तर में तेरेखोल नदी बहती है जो गोवा को महाराष्ट्र से अलग करती है, राज्य की अन्य प्रमुख नदियों में मांडवी, जुआरी, चपोरा, रखोल, गलगिबाग, कुम्बरजुआ नहर, तलपोना और साल आदि शामिल हैं।
  - गोवा की अधिकांश मृदा आवरण लैटेराइट से बना है।
- वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान:
  - डॉ. सलीम अली पक्षी अभयारण्य
  - महादेई वन्यजीव अभयारण्य
  - नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य

नोट :

- कोटिगाओ वन्यजीव अभयारण्य
- भगवान महावीर अभयारण्य
- मोलेम नेशनल पार्क

आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना

आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना (Atmanirbhar Bharat Rojgar Yojana- ABRY) के तहत लाभार्थियों की सूची में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, इसके बाद तमिलनाडु और गुजरात का स्थान है।

प्रमुख बिंदु

- आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना के बारे में:
  - इसे नवंबर 2020 में औपचारिक क्षेत्र में रोज़गार को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत कोविड -19 रिकवरी चरण के दौरान नए रोज़गार के अवसरों के सृजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था।
- सरकारी योगदान:
  - यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organization - EPFO) के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठानों में नए कर्मचारियों को शामिल करने के लिये भविष्य निधि योगदान हेतु सब्सिडी प्रदान करता है।
  - 1000 कर्मचारियों तक के संगठनों को दो वर्ष के लिये कर्मचारी का योगदान (मजदूरी का 12%) और नियोक्ता का योगदान (मजदूरी का 12%), वेतन का कुल 24% प्राप्त होगा।
  - 1,000 से अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं/नियोजक (Employers) को दो वर्ष के लिये कर्मचारियों के योगदान का 12% प्राप्त होगा।
  - योजना के तहत सब्सिडी राशि केवल नए कर्मचारियों के आधार से जुड़े EPFO खातों (UAN) में जमा की जाएगी।
- प्रतिष्ठानों की पात्रता हेतु मानदंड:
  - EPFO के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठान लाभ के पात्र होंगे अगर वे सितंबर 2020 के कर्मचारियों के रेफरेंस बेस (Reference Base) की तुलना में नए कर्मचारियों को जोड़ते हैं।
  - 50 कर्मचारियों तक के प्रतिष्ठानों को कम से कम दो नए कर्मचारियों को जोड़ना होगा।
  - 50 से अधिक कर्मचारियों वाले संगठनों को कम से कम पाँच कर्मचारियों को जोड़ना होगा।
- लक्षित लाभार्थी:
  - EPFO पंजीकृत प्रतिष्ठानों में रोज़गार में शामिल होने वाला 15,000 रुपए से कम मासिक वेतन पर कोई भी नया कर्मचारी।
  - जिन्होंने 1 मार्च से 30 सितंबर के बीच अपनी नौकरी छोड़ दी और 1 अक्तूबर को या उसके बाद कार्यरत हैं।
- समय सीमा:
  - यह योजना 1 अक्तूबर, 2020 से प्रभावी होगी और 30 जून 2021 तक चालू रहेगी।

अन्य रोजगार संबंधी पहल

- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
- पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (DDU-GKY)
- दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
- आत्म निर्भर भारत पैकेज 3.0 के हिस्से के रूप में आत्म निर्भर भारत रोज़गार योजना
- आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस)

नोट :

सरदार वल्लभ भाई पटेल

हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल को उनकी 71वीं पुण्यतिथि पर 15 दिसंबर को श्रद्धांजलि अर्पित की।

प्रमुख बिंदु

- जन्म
  - 31 अक्तूबर, 1875 को नडियाद, गुजरात में।
  - भारत के पहले गृहमंत्री और उप-प्रधानमंत्री।
  - उन्होंने भारत के लोगों से एकजुट (एक भारत) होकर एक साथ एक अग्रणी भारत (श्रेष्ठ भारत) बनाने का अनुरोध किया।
    - यह विचारधारा अभी भी 'आत्मनिर्भर भारत' पहल में परिलक्षित होती है जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करती है।
- उन्होंने भारतीय संविधान सभा की विभिन्न समितियों का नेतृत्त्व किया-
  - मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति।
  - अल्पसंख्यकों और जनजातीय व बहिष्कृत क्षेत्रों पर समिति।
  - प्रांतीय संविधान समिति।
- सुधार:
  - उन्होंने शराब के सेवन, छुआछूत, जातिगत भेदभाव और महिला मुक्ति के लिये व्यापक पैमाने पर काम किया।
  - उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ खेड़ा सत्याग्रह (1918) और बारदोली सत्याग्रह (1928) में किसान हितों को एकीकृत किया।
    - बारदोली की महिलाओं ने वल्लभभाई पटेल को 'सरदार' की उपाधि दी, जिसका अर्थ है 'एक प्रमुख या एक नेता'।
  - सरदार पटेल को आधुनिक अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करने हेतु 'भारतीय सिविल सेवकों के संरक्षक संत' के रूप में भी जाना जाता है।
- रियासतों का एकीकरण:
  - भारत के पहले गृहमंत्री और उप-प्रधानमंत्री के रूप में, सरदार पटेल ने भारतीय संघ में लगभग 565 रियासतों के एकीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  - उस समय त्रावणकोर, हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल और कश्मीर जैसी कुछ रियासतें भारत राज्य में शामिल होने के विरुद्ध थीं।
  - सरदार पटेल ने रियासतों के साथ आम सहमति बनाने के लिये अथक प्रयास किया लेकिन जहाँ भी आवश्यक हो, साम, दाम, दंड और भेद के तरीकों को अपनाने में संकोच नहीं किया।
  - इन्होने नवाब द्वारा शासित जूनागढ़ की रियासतों और निज़ाम द्वारा शासित हैदराबाद को जोड़ने के लिये बल का इस्तेमाल किया था, दोनों ही अपने-अपने राज्यों को भारत संघ में विलय नहीं करना चाहते थे।
  - सरदार वल्लभभाई पटेल ने ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र के साथ-साथ रियासतों का एकीकरण किया और भारत के बाल्कनीकरण को भी रोका।
  - भारतीय रियासतों के भारतीय संघ में एकीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने और रियासतों को भारतीय संघ के साथ जुड़ने के लिये राजी करने हेतु इन्हें "भारत के लौह पुरुष" के रूप में जाना जाता है।
- मृत्यु:
  - उनकी 15 दिसंबर 1950 को बंबई में मृत्यु हो गई।

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी

- स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में किया गया है। सरदार पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्तूबर, 2018 को इसका उद्घाटन किया गया।

नोट :

- स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊँची (182 मीटर) मूर्ति है। यह चीन की स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध प्रतिमा (Spring Temple Buddha statue) से 23 मीटर ऊँची तथा अमेरिका में स्थित स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी (93 मीटर ऊँची) की ऊँचाई की लगभग दोगुनी है।
- जनवरी 2020 में इसे शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation- SCO) के आठ अजूबों में शामिल किया गया था।

जल नवाचार चुनौती

हाल ही में नवाचारों के माध्यम से वैश्विक जल संकट को दूर करने के लिये जल नवाचार चुनौतियों के दूसरे संस्करण की घोषणा की गई है।

प्रमुख बिंदु

- जल नवाचार चुनौती
  - इसकी घोषणा 'अटल इनोवेशन मिशन', 'नीति आयोग' और डेनमार्क के रॉयल दूतावास द्वारा भारत में वर्ष 2020 में 'भारत-डेनिश द्विपक्षीय हरित रणनीतिक साझेदारी' के हिस्से के रूप में की गई थी।
    - प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से उद्यमिता संचालित प्रौद्योगिकी, 'ग्रीन ट्रांजीशन' और 'हरित सामरिक भागीदारी' की एक महत्त्वपूर्ण प्रेरक शक्ति है।
    - 'जल नवाचार चुनौती' इस अवधारणा को बढ़ावा देगी और इसे ज़मीनी स्तर पर लागू भी करेगी।
  - यह सहयोग भारत में और वैश्विक स्तर पर स्थायी जल आपूर्ति में सुधार के लिये समाधान प्रदान करेगा।
    - इस चुनौती के विजेता 'अंतर्राष्ट्रीय जल कॉन्ग्रेस-2022' में भी भारत का प्रतिनिधित्त्व करेंगे।
- उद्देश्य
  - इस पहल का उद्देश्य कॉर्पोरेट और सार्वजनिक भागीदारों के सहयोग से प्रस्तावित चुनौतियों को हल करने के लिये जल क्षेत्र में नवीन तथा अगली पीढ़ी के समाधानों की पहचान करना है।
    - यह पहल देश भर के अग्रणी विश्वविद्यालयों और नवाचार केंद्रों से युवा प्रतिभाओं को अपने कौशल का निर्माण करने तथा अपने तकनीकी विषयों एवं नवाचार क्षमता को लागू करने हेतु संलग्न करेगी।
- आवश्यकता
  - भारत के लिये यह महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि भारत वर्तमान में बड़े पैमाने पर जल चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो हाल के वर्षों में सबसे ज़रूरी नीतिगत मुद्दों में से एक बन गया है।
  - प्रमुख समस्या भूमिगत जल स्तर में गिरावट, असुरक्षित पेयजल, अपर्याप्त सीवरेज सिस्टम के कारण जल की कमी, पानी तक पहुँच और भारत की प्रमुख नदियों को प्रदूषित करने वाले अनुपचारित अपशिष्ट जल से संबंधित है।

हरित रणनीतिक साझेदारी

- सितंबर 2020 में, भारत और डेनमार्क दोनों देश के प्रधानमंत्रियों की अध्यक्षता में दूरगामी लक्ष्यों वाली 'हरित रणनीतिक साझेदारी' (Green Strategic Partnership) के रूप में एक नए युग की शुरुआत की है।
- भारत और डेनमार्क दोनों के पास जलवायु एजेंडे के भीतर महत्त्वपूर्ण लक्ष्य हैं तथा दोनों देश दिन-प्रतिदिन अधिक टिकाऊ प्रथाओं को शामिल कर रहे हैं।
- हरित रणनीतिक साझेदारी एक संपूर्ण ढाँचा प्रदान करती है क्योंकि यह इस बात पर ज़ोर देती है कि किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ग्रीन ट्रांसमिशन (Green Transition) को तीव्र करने और वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करने में मदद कर सकता है।

नोट :

- यह साझेदारी आर्थिक संबंधों के विस्तार, हरित विकास और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों के सहयोग पर केंद्रित है।
  - हरित विकास शब्द उस आर्थिक विकास को वर्णित करने के लिये प्रयोग किया जाता है जो प्राकृतिक संसाधनों का स्थायी तरीके से उपयोग करता है।
- विशिष्ट प्रौद्योगिकियों और विशेषज्ञता वाली डेनमार्क कंपनियों ने पराली जलाने की समस्या से निपटने के प्रमुख क्षेत्र सहित अपने वायु प्रदूषण नियंत्रण लक्ष्यों को पूरा करने में भारत की मदद करने की पेशकश की है।
- साझेदारी के तहत अन्य प्रमुख बिंदुओं में कोविड -19 महामारी से निपटना, जल का दक्षतापूर्ण उपयोग और इसके दुरूपयोग को रोकने हेतु सहयोग शामिल है।
- बड़ी संख्या में डेनमार्क फर्मों वाले क्षेत्रों में भारत-डेनमार्क ऊर्जा पार्कों का निर्माण और भारतीय जनशक्ति को प्रशिक्षित करने के लिये एक भारत-डेनमार्क कौशल संस्थान का प्रस्ताव किया गया है।
- हरित रणनीतिक साझेदारी हेतु यह सहयोग मौजूदा संयुक्त आयोग और मौजूदा संयुक्त कार्य समूहों पर आधारित है।

विहंगम

हाल ही में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (MCL) में रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम (RPAS) के साथ एकीकृत 'विहंगम (VIHANGAM)' नामक एक इंटरनेट-आधारित प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

- यह भारत की प्रमुख कोयला उत्पादक कंपनियों तथा कोल इंडिया लिमिटेड की आठ सहायक कंपनियों में से एक है।
- MCL वर्ष 1999 में स्थापित पर्यावरण के अनुकूल भूतल खनन तकनीक पेश करने वाली पहली कोयला कंपनी थी।

प्रमुख बिंदु:

- परिचय:
  - इस प्रणाली में एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन (GCS), एक RPAS, 40 Mbps की इंटरनेट लीज़ लाइन और विहंगम पोर्टल शामिल हैं।
  - यह प्रणाली खनन गतिविधियों के हवाई वीडियो को खानों से इंटरनेट प्लेटफॉर्म तक वास्तविक समय में प्रसारित करने में सक्षम बनाती है, जिसे केवल आईडी और पासवर्ड रखने वाले अधिकृत कर्मियों द्वारा ही विहंगम पोर्टल के माध्यम से पहुँचा जा सकता है।
- रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम (RPAS):
  - RPAS मानवरहित विमान प्रणाली (UAS) का एक सब-सेट है।
  - मानव रहित विमान के तीन सब-सेट हैं- रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, ऑटोनॉमस एयरक्राफ्ट और मॉडल एयरक्राफ्ट।
    - ड्रोन मानव रहित विमान (Unmanned Aircraft) के लिये एक आम शब्दावली है।
  - ड्रोन को उनके वज़न (मौजूदा नियम) के आधार पर पाँच श्रेणियों में बाँटा गया है-
    - नैनो- 250 ग्राम से कम
    - माइक्रो- 250 ग्राम से 2 किग्रा. तक
    - स्मॉल- 2 किग्रा. से 25 किग्रा. तक
    - मीडियम- 25 किग्रा. से 150 किग्रा. तक
    - लार्ज- 150 किग्रा. से अधिक
  - रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट में रिमोट पायलट स्टेशन, आवश्यक कमांड और कंट्रोल लिंक तथा टाइप डिज़ाइन में निर्दिष्ट अन्य घटक होते हैं।

नोट :

- UAVs का उपयोग करने वाली अन्य पहलें:
  - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने उत्तर पूर्व (i-Drone) में ड्रोन रिस्पांस एंड आउटरीच नाम से एक ड्रोन आधारित वैक्सीन वितरण मॉडल लॉन्च किया है।
  - तेलंगाना सरकार ने एक महत्त्वाकांक्षी यानी इस प्रकार की पहली पायलट परियोजना 'मेडिसिन फ्रॉम द स्काई' के परीक्षण के लिये 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) का चयन किया है।
  - अंतर्राष्ट्रीय अर्द्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान' (International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics-ICRISAT) को कुछ कृषि विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के अलावा कृषि अनुसंधान गतिविधियों के लिये ड्रोन तैनात करने की अनुमति दी गई थी।

महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़: SC

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 से प्रतिबंधित महाराष्ट्र को पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़ के आयोजन को अनुमति दी है।

- यह निर्णय कर्नाटक और तमिलनाडु के अनुरूप राज्य द्वारा लागू किये गए 'पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 में संशोधन पर आधारित था।

पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960

- इस अधिनियम का विधायी उद्देश्य 'अनावश्यक सज़ा या जानवरों के उत्पीड़न की प्रवृत्ति' को रोकना है।
- भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (Animal Welfare Board of India- AWBI) की स्थापना वर्ष 1962 में अधिनियम की धारा 4 के तहत की गई थी।
- इस अधिनियम में अनावश्यक क्रूरता और जानवरों का उत्पीड़न करने पर सज़ा का प्रावधान है। यह अधिनियम जानवरों और जानवरों के विभिन्न प्रकारों को परिभाषित करता है।

प्रमुख बिंदु

- पृष्ठभूमि:
  - वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में 'जल्लीकट्टू', बैल दौड़ और बैलगाड़ी दौड़ जैसे पारंपरिक खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया, यह देखते हुए कि वे खतरनाक थे और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के प्रावधानों का उल्लंघन करते थे।
  - इसके बाद कर्नाटक और तमिलनाडु ने परंपरा को विनियमित तरीके से जारी रखने के लिये कानून में संशोधन किया था, जो वर्ष 2018 से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती और लंबित हैं।
  - फरवरी 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने 'जल्लीकट्टू' से संबंधित याचिकाओं को पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेज दिया था, जो यह तय करेगी कि क्या बैलों को वश में करने का खेल सांस्कृतिक अधिकारों के तहत आता है या जानवरों के साथ क्रूरता को बनाए रखता है।
- न्यायालय की राय:
  - न्यायालय ने पाया कि राज्य में इसे अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था जब देश भर में अन्य जगहों पर इसी तरह के खेल चल रहे थे।
  - यदि यह एक पारंपरिक खेल है और महाराष्ट्र को छोड़कर पूरे देश में चल रहा है, तो यह सामान्य ज्ञान के अनुकूल नहीं है।
- बैलगाड़ी दौड़:
  - एक पारंपरिक खेल आयोजन के अलावा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी बैलगाड़ी दौड़ से जुड़ी है।
    - हज़ारों खाद्य स्टाल विक्रेता दौड़ के माध्यम से अपनी आजीविका कमाते हैं।

नोट :

भारत में अन्य पशु खेल

• जल्लीकट्टू	• जल्लीकट्टू जिसे 'एरुथाज़ुवुथल' (Eruthazhuvuthal) के नाम से भी जाना जाता है तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल है, जो फसलों की कटाई के अवसर पर पोंगल के समय आयोजित किया जाता है। जिसमे बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है।
• कंबाला	• कंबाला कीचड़ और मिटटी से भरे धान के खेतों में एक पारंपरिक भैंस दौड़ है जिसका आयोजन आम तौर पर नवंबर से मार्च माह तक तटीय कर्नाटक (उडुपी और दक्षिण कन्नड़) में होता है।
• कॉक-फाइट	• कॉक-फाइट या मुर्गों की लड़ाई केवल भारत में ही प्रचलित नहीं है। यह एक ऐसा खेल है जो दुनियाभर में मौजूद है। भारत में मुर्गों की लड़ाई सिर्फ खेल नहीं है बल्कि जुए से संबंधित है।
• ऊँट दौड़	• यह दौड़ ऊँटों से संबंधित है, जिसमें लोग सवारी करते हैं और दौड़ में भाग लेते हैं। • यह राजस्थान में कई मेलों और त्योहारों जैसे पुष्कर मेला, बीकानेर ऊँट महोत्सव आदि का भी हिस्सा है।
• डॉग फाइट	• डॉग फाइटिंग (Dog fighting) एक प्रकार का ब्लड स्पोर्ट (Blood Sport) है जिसमें दर्शकों के मनोरंजन के लिये दो गेम डॉग एक दूसरे के खिलाफ रिंग या गड्ढे में होते हैं। • भले ही यह जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम अधिनियम के तहत अवैध है और पिछले वर्ष इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था, इन झगड़ों को गुप्त और अवैध रूप से आयोजित किया जाता है।
• बुलबुल फाइट	• यह असम राज्य में गुवाहाटी के पास हाजो में हयग्रीव माधव मंदिर में बिहू (फसल उत्सव) के दौरान आयोजित किया जाता है। • अक्सर बुलबुलों को आक्रामक बनाने के लिये उन्हें नशीला पदार्थ खिला दिया जाता है।
• घुड़दौड़	• यह प्राचीन काल से ग्रीस, बेबीलोन, सीरिया और मिस्र और भारत में 200 से अधिक वर्षों से प्रचलित एक प्रदर्शन खेल है, जिसमें जॉकी दूरी पर घोड़ों की सवारी करते हैं। • वर्ष 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि घुड़दौड़ पर दाँव लगाना कौशल का खेल है न कि भाग्य का और इस प्रकार से यह अवैध जुए में शामिल नहीं है। अत: घुड़दौड़ देश में कानूनी है।

जैतापुर परमाणु रिएक्टर: महाराष्ट्र

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के जैतापुर में छह परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने के लिये सैद्धांतिक (प्रथम चरण) मंज़ूरी दे दी है।

- जैतापुर परियोजना भारत और फ्राँस के बीच रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख घटक है।

परमाणु ऊर्जा

- परिचय:
  - "स्थायी आधार पर देश की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की विशाल क्षमता" होने के अलावा परमाणु ऊर्जा स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल है।
  - परमाणु ऊर्जा संयंत्रों ने अब तक लगभग 755 बिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया है, जिससे लगभग 650 मिलियन टन CO_2 उत्सर्जन की बचत हुई है।
- नेट ज़ीरो लक्ष्य प्राप्त करने में योगदान:
  - परमाणु ऊर्जा सहित विभिन्न स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के संयोजन के माध्यम से नेट ज़ीरो लक्ष्यों को पूरा करने की उम्मीद है।

नोट :

- परियोजनाओं के पूरा होने पर 6,780 मेगावाट की वर्तमान परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्ष 2031 तक बढ़ाकर 22,480 मेगावाट करने की उम्मीद है।

प्रमुख बिंदु:

- जैतापुर परमाणु रिएक्टर:
  - जैतापुर दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा। जो 9.6 गीगावॉट की स्थापित क्षमता वाले छह अत्याधुनिक विकासवादी पावर रिएक्टर होने के साथ निम्न कार्बन बिजली का उत्पादन करेंगे।
    - छह परमाणु ऊर्जा रिएक्टर, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 1,650 मेगावाट होगी, को फ्राँस के तकनीकी सहयोग से स्थापित किया जाएगा।
  - यह परियोजना भारत और फ्रांस के बीच कम कार्बन भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता की मज़बूत साझेदारी को मूर्त रूप देगी और हज़ारों स्थानीय नौकरियों के साथ महाराष्ट्र को सीधे लाभ पहुँचाएगी।
- भारत में परमाणु ऊर्जा की स्थिति:
  - भारत बिजली उत्पादन के उद्देश्य से परमाणु ऊर्जा के दोहन की संभावना का पता लगाने के लिये सचेत रूप से आगे बढ़ा है।
  - इस दिशा में 1950 के दशक में होमी भाभा द्वारा त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम तैयार किया गया था।
  - परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 को दो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्त्वों यूरेनियम और थोरियम के उपयोग के निर्धारित उद्देश्यों के साथ तैयार तथा कार्यान्वित किया गया था।
  - परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादन बढ़ाने के लिये किये गए अन्य उपाय:
    - 10 स्वदेशी 700 मेगावाट 'भारी जल दाबित रिएक्टरों' (PHWR) के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।
    - 'भारी जल दाबित रिएक्टर' एक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है, जो आमतौर पर अपने ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करता है। यह अपने शीतलक और मंदक के रूप में भारी जल (ड्यूटेरियम ऑक्साइड- D_2O) का उपयोग करता है।
    - वर्तमान में भारत में 6780 इलेक्ट्रिक मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ 22 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर संचालित हैं।
    - इसमें से 18 रिएक्टरों में 'भारी जल दाबित रिएक्टर' (PHWRs) और चार 'हल्के जलयुक्त रिएक्टर' (LWRs) हैं।
    - परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 में भी संशोधन किया गया है, ताकि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के संयुक्त उपक्रमों को परमाणु ऊर्जा परियोजनाएँ स्थापित करने में सक्षम बनाया जा सके।

वर्तमान में संचालित परमाणु ऊर्जा संयंत्र	निर्माणाधीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र	नियोजित परमाणु ऊर्जा संयंत्र
रावतभाटा (राजस्थान)	काकरापार 3 और 4 (गुजरात)	जैतापुर (महाराष्ट्र)
तारापुर (महाराष्ट्र)	रावतभाटा (राजस्थान)	कोव्वाडा (आंध्र प्रदेश)
कुडनकुलम् (तमिलनाडु)	कुडनकुलम् 3 और 4 (तमिलनाडु)	मीठी विरदी (गुजरात)
काकरापार (गुजरात)	कलपक्कम् PFBR (तमिलनाडु)	हरिपुर (पश्चिम बंगाल)
कलपक्कम् (तमिलनाडु)		गोरखपुर (हरियाणा)
नरोरा (उत्तर प्रदेश)		भीमपुर (मध्य प्रदेश)
कैगा (कर्नाटक)		माही बांसवाड़ा (राजस्थान)
		कैगा (कर्नाटक)
		चुटका (मध्य प्रदेश)
		तारापुर (महाराष्ट्र)

नोट :

पीएम को मिला भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, 'ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो' से सम्मानित किया गया है, इसे "नगदग पेल जी खोरलो" के नाम से भी जाना जाता है।

प्रमुख बिंदु:

- परिचय:
  - पुरस्कार की घोषणा भूटान के 114वें राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर की गई।
  - यह भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है तथा भूटान साम्राज्य और वहाँ के आम लोगों की सेवा करने हेतु सम्मानित किया जाता है।
  - 'द ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग' (ड्रुक ग्यालपो) की स्थापना 7 नवंबर, 2008 को उन लोगों को पुरस्कृत करने के लिये की गई थी, जिन्होंने देश और भूटान के लोगों की जीवन भर सेवा की।
  - यह सम्मान दो श्रेणियों में दिया जाता है और यह ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।

भारतीय प्रधानमंत्री को दिये गए अन्य पुरस्कार:

- अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद ऑर्डर (2016): यह सऊदी अरब का सर्वोच्च सम्मान है जो गैर-मुस्लिम गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाता है।
- गाज़ी अमीर अमानुल्लाह खान स्टेट ऑर्डर (2016): अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान।
- फिलिस्तीन राज्य का ग्रैंड कॉलर पुरस्कार (2018): विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाने वाला फिलिस्तीन का सर्वोच्च सम्मान।
- ऑर्डर ऑफ़ ज़ायद अवार्ड (2019): संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक सम्मान।
- ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड (2019): रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान
- ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन (2019) मालदीव का सर्वोच्च सम्मान जो विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाता है।
- पुनर्जागरण के राजा हमद आदेश- प्रथम श्रेणी (2019): बहरीन का सर्वोच्च सम्मान।
- लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार (2020) : उत्कृष्ट सेवाओं और उपलब्धियों के प्रदर्शन में असाधारण मेधावी आचरण के लिये दिया जाने वाला संयुक्त राज्य सशस्त्र बल पुरस्कार।
- सियोल पीस प्राइज़ (2018): सियोल पीस प्राइज़ कल्चरल फाउंडेशन का द्विवार्षिक पुरस्कार (दक्षिण कोरिया) उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने मानव विकास में सुधार, राष्ट्र और विश्व में शांति तथा लोकतंत्र को मज़बूती प्रदान करने हेतु कार्य किये हैं।
- चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड (2018): संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान।
- पहला फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार (2019): यह किसी राष्ट्र के प्रमुख नेता को दिया जाता है।
- ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड: स्वच्छ भारत अभियान (2019) के लिये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किया गया है।
- वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार (2021): वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के भविष्य के प्रति नेतृत्व की प्रतिबद्धता के लिये कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स सीईआरए द्वारा सम्मानित किया गया है।

इंडियन डेज़र्ट कैट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मध्य प्रदेश के 'पन्ना टाइगर रिज़र्व' (PTR) में पहली बार एक 'इंडियन डेज़र्ट कैट' को देखा गया है।

- 'इंडियन डेज़र्ट कैट' को एशियाटिक वाइल्ड कैट या एशियन स्टेपी वाइल्ड कैट के नाम से भी जाना जाता ह

प्रमुख बिंदु

- वैज्ञानिक नाम: फेलिस सिल्वेस्ट्रिस ओरनाटा

नोट :

- परिचय:
  - यह आमतौर पर राजस्थान के थार रेगिस्तान का एक प्राणी है और झाड़ीदार रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है।
  - यह बिल्ली पश्चिमी भारत के शुष्क और अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र (पुणे व नागपुर) शामिल हैं।
  - यह बिल्ली रेगिस्तान में पाई जाती है और पानी के बिना भी जीवित रह सकती है।
  - इन प्रजातियों के पैर की उंगलियों में कुशन जैसे बाल होते हैं जो इसे उतार-चढ़ाव वाले रेगिस्तानी तापमान को संतुलित करने में मदद करते हैं।
- प्राकृतिक वास:
  - यह अधिकतर स्क्रब रेगिस्तान में 2,000-3,000 मीटर की ऊँचाई तक, पर्याप्त वनस्पति वाले पहाड़ी क्षेत्रों, साथ ही समशीतोष्ण जंगलों में पाई जाती है।
  - एशियाई जंगली बिल्ली आमतौर पर जल स्रोतों के करीब रहती है, लेकिन कम पानी वाले क्षेत्रों में भी रह सकती है।
    - यह विशाल रेगिस्तानों, घने जंगलों और गहरी बर्फ में भी बच जाती है।
- खतरा:
  - इसके सुंदर मुलायम फर होते हैं, इसलिये अंतर्राष्ट्रीय फर व्यापार में इसकी सबसे अधिक मांग है।
  - घरेलू बिल्लियों के साथ संकरण से आनुवंशिक गुणों का नुकसान हो सकता है और इसलिये इसे मुख्य खतरों में से एक माना जाता है। पाकिस्तान और मध्य एशिया से संकरण की सूचना मिली थी तथा यह भारत में भी एक बड़ी समस्या है।
  - एक अन्य महत्त्वपूर्ण खतरा मानव संघर्ष से संबंधित अवैध शिकार है।
  - आवास विनाश और आवास की गुणवत्ता में कमी महत्त्वपूर्ण मुद्दे बने हुए हैं। भूमि उपयोग में बदलाव के कारण एशियाई जंगली बिल्ली भारी दबाव में है।
  - कृंतक और अन्य रसायनों से भी इन्हें खतरा है।
- सुरक्षा की स्थिति:
  - IUCN रेड लिस्ट: कम संकटग्रस्त
  - CITES: परिशिष्ट-II
  - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम: अनुसूची-I

पन्ना टाइगर रिज़र्व

- अवस्थिति:
  - मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर ज़िलों में लगभग 576 वर्ग किलोमीटर में फैले पन्ना टाइगर रिज़र्व (Panna Tiger Reserve) में बाघों की वर्तमान आबादी 55 तक पहुँच गई है।
  - पन्ना टाइगर रिज़र्व की स्थापना 1981 में हुई थी।
  - इस रिज़र्व को भारत के 22वें टाइगर रिज़र्व के रूप में शामिल किया गया था।
  - केन-बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना टाइगर रिज़र्व के भीतर स्थित होगी।
- मान्यता:
  - जुलाई 2021 में PTR को बाघ संरक्षण और प्रबंधन के लिये स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने हेतु राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित संरक्षण बाघ मानक (CAITS) प्रमाणपत्र से सम्मानित किया गया था।
  - संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने 25 अगस्त, 2011 को पन्ना टाइगर रिज़र्व को बायोस्फीयर रिज़र्व के रूप में नामित किया।

नोट :

- मध्य प्रदेश में अन्य टाइगर रिज़र्व:
  - संजय-दुबरी
  - सतपुड़ा
  - बांधवगढ़
  - माधव राष्ट्रीय उद्यान
  - पेंच टाइगर रिज़र्व

अस्पतालों हेतु स्तनपान अनुकूल टैग

हाल ही में ब्रेस्टफीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया (BPNI) ने स्तनपान अनुकूल अस्पतालों हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन केंद्र (NAC) लॉन्च किया।

- BPNI भारत में स्तनपान के संरक्षण, संवर्द्धन और समर्थन के लिये एक राष्ट्रीय संगठन है। जो स्तनपान की रक्षा, प्रचार और समर्थन तथा शिशुओं एवं छोटे बच्चों के उचित पूरक आहार की दिशा में काम करता है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - यह एक नई पहल है जिसमें देश भर के अस्पतालों को ब्रेस्टफीडिंग फ्रेंडली/स्तनपान अनुकूल के रूप में प्रमाणित किया जाएगा।
  - यह कदम नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के मद्देनज़र उठाया गया है, जिसमें सिजेरियन डिलीवरी में और वृद्धि देखी गई है।
    - एक सीज़ेरियन डिलीवरी जिसे सी-सेक्शन भी कहा जाता है, एक शल्य प्रक्रिया है, इसे तब किया जाता है जब प्राकृतिक डिलीवरी सुरक्षित नहीं होती है।
  - इसका उद्देश्य अस्पतालों के लिये नीति, कार्यक्रमों और प्रथाओं को निर्धारित करना है।
  - यह नवजात मृत्यु दर को कम करने में मदद करेगा और हमारी शिशु मृत्यु दर (IMR) में सुधार करेगा।
    - शिशु मृत्यु दर को जन्म के पहले 28 दिनों के भीतर मृत्यु के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- स्तनपान का महत्त्व:
  - यह माताओं और शिशुओं दोनों के लिये इष्टतम है। यह शिशुओं को संक्रमण से बचाता है और बाद में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं जैसे- मधुमेह, मोटापा और अस्थमा की दर को कम कर सकता है।
    - माता के दूध में मौजूद प्रोटीन फार्मूला, गाय के दूध के बजाय बच्चे द्वारा आसानी से पचा लिया जाता है। साथ ही माता के दूध में मौजूद कैल्शियम और आयरन का पाचन अधिक आसानी से होता है।
  - ऐसा कहा जाता है कि इससे स्तनपान कराने वाली माताओं के गर्भाशय को सिकुड़ने में मदद मिलती है और प्रसव के बाद होने वाला रक्तस्राव अधिक तेज़ी से बंद हो जाता है। इसके अलावा यह स्तन और डिम्बग्रंथि के कैंसर के खतरे को कम करता है तथा माताओं का अपने बच्चों के साथ एक अच्छा बंधन बनाने में मदद करता है।
- संबंधित डेटा:
  - नवीनतम NFHS (2019-21) के अनुसार, केवल 41.8% माताएँ जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान कराने और जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु की त्वचा से त्वचा का संपर्क स्थापित करने में सक्षम हैं। इसका मतलब है कि 58% माताएँ सक्षम नहीं हैं।
  - प्रतिवर्ष लगभग 24.5 मिलियन जन्मों में से 14.2 मिलियन बच्चे माँ के दूध और माताएँ इसके लाभों से वंचित हैं, ये माँ और बच्चे के मानवाधिकारों का उल्लंघन है।

संबंधित सरकारी पहल

- माँ- "माँ पूर्ण स्नेह"
- किशोर अनुकूल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम

नोट :

- सहायक नर्स दाई
- जननी सुरक्षा योजना (JSY)
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)
- इंदिरा गांधी मातृत्त्व सहयोग योजना (IGMSY)
- केरल में कुदुम्बश्री
- पोषण अभियान

कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम

हाल ही में अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (Aerial Delivery Research and Development Establishment-ADRDE) ने 500 किलोग्राम क्षमता (CADS-500) के कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम का हवाई प्रदर्शन किया।

- यह हवाई प्रदर्शन स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' मनाने के लिये आयोजित गतिविधियों की शृंखला का एक हिस्सा है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - CADS-500 का उपयोग रैम एयर पैराशूट (Ram Air Parachute- RAP) की युद्धाभ्यास क्षमताओं का उपयोग कर पूर्व निर्धारित स्थान पर 500 किलोग्राम तक के पेलोड की सटीक डिलीवरी के लिये किया जाता है।
  - यह उड़ान के दौरान सभी आवश्यक जानकारी के लिये निर्देशांक, ऊँचाई और शीर्षक सेंसर में ग्लोबल पोज़िशनिंग सिस्टम का उपयोग करता है।
  - CADS अपनी ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इकाई के साथ ऑपरेटिंग नियंत्रण प्रणाली द्वारा निर्धारित लक्ष्य स्थल की ओर वेपॉइंट नेविगेशन का उपयोग करके अपने उड़ान पथ को स्वायत्त रूप से संचालित करता है।

पोज़िशनिंग सिस्टम:

- पोज़िशनिंग सिस्टम किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान को निर्धारित करने का एक उपकरण है। सटीक स्थान प्राप्त करने के लिये प्रौद्योगिकी को वैश्विक कवरेज और सटीकता की आवश्यकता होती है।
  - उदाहरण के लिये: 'गूगल मैप्स' पोज़िशनिंग और नेविगेशन सिस्टम में से एक है जो व्यक्तियों को उनके सटीक स्थान के साथ-साथ उनके गंतव्य के लिये रास्ता खोजने में मदद करता है। हालाँकि सिस्टम केवल नेविगेशन के तहत क्षेत्र का एक उपग्रह दृश्य प्रस्तुत करता है।

ग्लोबल पोज़िशनिंग सिस्टम (GPS)

- GPS एक उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है, जिसका उपयोग किसी वस्तु की ज़मीनी स्थिति को निर्धारित करने हेतु किया जाता है। इसका उपयोग अमेरिका के स्वामित्व में किया जाता है जो उपयोगकर्त्ताओं को पोज़िशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग (PNT) सेवाएँ प्रदान करती है।
- यह एक 24 उपग्रहों का नेटवर्क है जो नागरिक और सैन्य उपयोगकर्त्ताओं को सेवा प्रदान करता है। नागरिक सेवा सभी उपयोगकर्त्ताओं के लिये निरंतर, विश्वव्यापी आधार एवं स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। सैन्य सेवा अमेरिका और संबद्ध सशस्त्र बलों के साथ-साथ अनुमोदित सरकारी एजेंसियों के लिये उपलब्ध है।
- ADRDE:
  - यह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) की एक अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला है।
  - यह पैराट्रूपर पैराशूट सिस्टम, एयरक्रू पैराशूट सिस्टम, गोला बारूद पैराशूट सिस्टम, ब्रेक पैराशूट, रिकवरी पैराशूट सिस्टम, एरियल डिलीवरी पैराशूट सिस्टम, हैवी ड्रॉप सिस्टम, इन्फ्लेटेबल सिस्टम, एयरशिप टेक्नोलॉजी और एयरक्राफ्ट अरेस्टर बैरियर सिस्टम के विकास में शामिल है।
  - वर्तमान में यह आयुध वितरण पैराशूट, बैलून बैराज व निगरानी प्रणाली, हवाई पोत और संबंधित अनुप्रयोगों एवं अंतरिक्ष पैराशूट जैसी परियोजनाओं में शामिल है।

नोट :

घड़ियाल

हाल ही में पंजाब वन और वन्यजीव संरक्षण विभाग ने 'वर्ल्ड-वाइड फंड फॉर नेचर-इंडिया' (WWF-India) के सहयोग से 'ब्यास संरक्षण रिज़र्व' में 24 घड़ियाल (Gavialis Gangeticus) छोड़े हैं।

- ब्यास संरक्षण रिज़र्व में घड़ियाल पुनरुत्पादन पंजाब सरकार का एक महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - घड़ियाल, जिसे कभी-कभी गेवियल (Gavials) भी कहा जाता है, एक प्रकार का एशियाई मगरमच्छ है जो अपने लंबे, पतले थूथन के कारण अलग आकृति का होता है। मगरमच्छ सरीसृपों का एक समूह है जिसमें मगरमच्छ, घड़ियाल, कैमन आदि शामिल हैं।
  - भारत में मगरमच्छों की तीन प्रजातियाँ हैं अर्थात्:
    - घड़ियाल (गेवियलिस गैंगेटिकस): IUCN रेड लिस्ट- गंभीर रूप से संकटग्रस्त
    - मगर (Crocodylus Palustris): IUCN- सुभेद्य।
    - खारे पानी का मगरमच्छ (Crocodylus Porosus): IUCN- कम चिंतनीय।
    - तीनों को CITES के परिशिष्ट I और वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में सूचीबद्ध किया गया है।
    - अपवाद: ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी की खारे पानी की मगरमच्छ आबादी को CITES के परिशिष्ट II में शामिल किया गया है।
- घड़ियाल का निवास स्थान:
  - प्राकृतिक आवास: भारत के उत्तरी भाग का ताज़ा पानी।
  - प्राथमिक आवास: चंबल नदी (यमुना की एक सहायक नदी)।
  - माध्यमिक आवास: घाघरा, गंडक नदी, गिरवा नदी (उत्तर प्रदेश), रामगंगा नदी (उत्तराखंड) और सोन नदी (बिहार)।
- महत्व: घड़ियाल की आबादी स्वच्छ नदी के पानी का एक अच्छा संकेतक है।
- संरक्षण के प्रयास:
  - लखनऊ, उत्तर प्रदेश में कुकरैल घड़ियाल पुनर्वास केंद्र व प्रजनन केंद्र, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य (घड़ियाल इको पार्क, मध्य प्रदेश)।
- जोखिम:
  - नदी प्रदूषण में वृद्धि, बाँध निर्माण, बड़े पैमाने पर मछली पकड़ना और बाढ़।
  - अवैध बालू खनन व अवैध शिकार।

ब्यास संरक्षण रिज़र्व:

- यह मुख्य रूप से पंजाब राज्य के उत्तर-पश्चिम में स्थित ब्यास नदी का 185 किलोमीटर लंबा खंड है।
- यह रिज़र्व भारत में लुप्तप्राय सिंधु नदी डॉल्फिन (प्लैटनिस्टा गैंगेटिका माइनर) की एकमात्र ज्ञात आबादी का भी आवास स्थल है।
- वर्ष 2017 में गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल (गेवियलिस गैंगेटिकस) के पुनर्संरक्षण के लिये एक कार्यक्रम शुरू किया गया था।

व्यास नदी:

- यह रोहतांग दर्रे के पास, समुद्र तल से 4,062 मीटर की ऊँचाई पर, पीर पंजाल रेंज के दक्षिणी छोर पर रावी के स्रोत के करीब से निकलती है। यह सिंधु नदी की एक सहायक नदी है।
- यह पंजाब के हरिके में सतलुज नदी से मिलती है। यह तुलनात्मक रूप से एक छोटी नदी है जो केवल 460 किमी. लंबी है लेकिन पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में स्थित है।
- यह धौलाधार रेंज में 'काटी और लार्गी' में एक गॉर्ज का निर्माण करती है।
- ब्यास नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ बैन, बाणगंगा, लूनी और उहल के साथ-साथ बैनर, चक्की, गज, हरला, ममुनि, पार्वती, पाटलीकुहल, सैंज, सुकेती और तीर्थन हैं।

नोट :

काले-भूरे रंग का अल्बाट्रॉस

हाल के एक अध्ययन में अल्बाट्रॉस (Albatrosses) की आबादी के मध्य रिश्तों की लंबी उम्र पर पड़ने वाले पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रभाव का प्रमाण प्रदान किया है।

- शोधकर्त्ताओं के अनुसार, जलवायु परिवर्तन और गर्म जल के कारण काले-भूरे रंग के अल्बाट्रॉस की आपस में बिछुड़ने की दर में अधिक वृद्धि हुई है।

प्रमुख बिंदु

- काले-भूरे रंग का अल्बाट्रॉस:
  - वैज्ञानिक नाम: थालास्सारचे मेलानोफ्रिस (Thalassarche melanophris)
  - ये अल्बाट्रॉस डायोमेडीडे (Diomedeidae) परिवार के सदस्य हैं इनकी 'नालिकानुमा नाक' (Tube-Noses) शीयरवाटर (Shearwaters), पेट्रेल (Petrels) और फुलमार(Fulmars) से संबंधित है।
    - यह सबसे सामान्य और व्यापक स्तर पर पाया जाने वाला अल्बाट्रॉस है।
  - इस बड़े समुद्री पक्षी का यह नाम इनकी आँखों के ऊपर गहरे काले रंग के पंखों के कारण है।
  - अल्बाट्रॉस वास्तव में समुद्री पक्षी हैं, जो दक्षिणी गोलार्द्ध में महासागरों को पार करते हुए केवल प्रजनन के लिये भूमि पर लौटते हैं।
- वितरण:
  - ये दक्षिण अटलांटिक में और दक्षिणी गोलार्द्ध में सर्कपोलर के पास पाए जाते हैं। इनका परिवेश ठंडी धाराओं के साथ उत्तर की ओर बढ़ता जाता है।
  - सितंबर और अक्तूबर के दौरान ये पक्षी दक्षिण अटलांटिक द्वीपों जैसे- दक्षिण जॉर्जिया और फॉकलैंड द्वीप समूह, दक्षिण सैंडविच एवं केप हॉर्न द्वीपों पर प्रजनन करते हैं।
- खतरा:
  - स्थलीय जानवरों के शिकार।
  - मत्स्य पालन और जलीय संसाधनों का संचयन।
  - आक्रामक और अन्य समस्यात्मक प्रजातियाँ, जीन एवं रोग।
  - ज्वालामुखी।
  - जलवायु परिवर्तन और खतरनाक मौसम।
- संरक्षण स्थिति:
  - अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN): कम चिंतनीय (Least Concern- LC)

श्री अरबिंदो

हाल ही में प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2022 को आध्यात्मिक नेता श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती को चिह्नित करने के लिये 53 सदस्यीय समिति का गठन किया है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - अरबिंदो घोष का जन्म 15 अगस्त, 1872 को कलकत्ता में हुआ था। वह एक योगी, द्रष्टा, दार्शनिक, कवि और भारतीय राष्ट्रवादी थे जिन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से पृथ्वी पर दिव्य जीवन के दर्शन को प्रतिपादित किया।
    - 5 दिसंबर, 1950 को पांडिचेरी में उनका निधन हो गया।
- शिक्षा:
  - उनकी शिक्षा दार्जिलिंग के एक क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल में शुरू हुई।

नोट :

- उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहाँ वे दो शास्त्रीय और कई आधुनिक यूरोपीय भाषाओं में कुशल हो गए।
- वर्ष 1892 में उन्होंने बड़ौदा (वडोदरा) और कलकत्ता (कोलकाता) में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य किया।
- उन्होंने शास्त्रीय संस्कृत सहित योग और भारतीय भाषाओं का अध्ययन शुरू किया।

- भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन:
  - वर्ष 1902 से 1910 तक उन्होंने भारत को अंग्रेज़ों से मुक्त कराने हेतु संघर्ष में भाग लिया। उनकी राजनीतिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप उन्हें वर्ष 1908 (अलीपुर बम कांड) में कैद कर लिया गया था।
  - दो साल बाद वह ब्रिटिश भारत से भाग गए और पांडिचेरी (पुदुचेरी) के फ्राँसीसी उपनिवेश में शरण ली, जहाँ उन्होंने अपने पूरे जीवन को एक पूर्ण और आध्यात्मिक रूप से परिवर्तित जीवन के उद्देश्य से अपने "अभिन्न" योग के विकास के हेतु समर्पित कर दिया।
- आध्यात्मिक यात्रा:
  - पांडिचेरी में उन्होंने आध्यात्मिक साधकों के एक समुदाय की स्थापना की, जिसने वर्ष 1926 में श्री अरबिंदो आश्रम के रूप में आकार लिया।
  - उनका मानना था कि पदार्थ, जीवन और मन के मूल सिद्धांतों को स्थलीय विकास के माध्यम से सुपरमाइंड के सिद्धांत द्वारा अनंत और परिमित दो क्षेत्रों के बीच एक मध्यवर्ती शक्ति के रूप में सफल किया जाएगा।
- साहित्यिक कार्य:
  - बंदे मातरम नामक एक अंग्रेज़ी अखबार (वर्ष 1905 में)।
  - योग के आधार।
  - भगवतगीता और उसका संदेश।
  - मनुष्य का भविष्य विकास।
  - पुनर्जन्म और कर्म।
  - सावित्री: एक किंवदंती और एक प्रतीक।
  - आवर ऑफ गॉड।

'चिल्लाई कलां'

40 दिनों की सबसे कठोर सर्दियों की अवधि में से एक, जिसे 'चिल्ले/चिल्लाई कलां' (Chillai Kalan) कहा जाता है, कश्मीर में शुरू हो गई है।

प्रमुख बिंदु

- चिल्लाई कलां के बारे में:
  - यह हर साल 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक कश्मीर में सबसे कठोर सर्दियों की अवधि होती है।
  - 'चिल्लाई कलां' एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है 'बड़ी सर्दी'।
  - चिल्लाई कलां के बाद 20 दिन की लंबी चिल्लाई खुर्द (छोटी सर्दी) होती है जो 30 जनवरी से 18 (Chillai Baccha) तक होती है और इसके बाद 10 दिनों तक चलने वाली चिल्लाई बच्चा (बेबी कोल्ड) अवधि जो 19 फरवरी से 28 फरवरी तक होती है।
  - 40 दिनों की अवधि कश्मीरियों के लिये बहुत कठिनाइयाँ लेकर आती है क्योंकि इस दौरान तापमान में भारी गिरावट आती है, जिससे यहाँ की प्रसिद्ध डल झील सहित जलाशय जम जाते हैं।
  - इन 40 दिनों के दौरान बर्फबारी की संभावना सबसे अधिक होती है और तापमान में काफी गिरावट आती है। घाटी में न्यूनतम तापमान हिमांक बिंदु से नीचे बना होता है।
- कश्मीरियों के दैनिक जीवन पर प्रभाव:
  - फेरन (कश्मीरी पोशाक) और कांगेर (Kanger) नामक पारंपरिक फायरिंग पॉट का उपयोग बढ़ जाता है।

नोट :

- तापमान शून्य से नीचे होने के कारण इस दौरान नल की पाइपलाइन में पानी आंशिक रूप से जम जाता है और विश्व प्रसिद्ध डल झील भी जम जाती है।
- कश्मीरी हरिसा (Harissa) के साथ जश्न मनाते हैं जो चावल में मिश्रित सौंफ, इलायची, लौंग एवं नमक जैसे मसालों के स्वाद के साथ पतले मटन से बना पकवान होता है।
- इसके अलावा वे अक्सर सूखी सब्जियों का सेवन करते हैं क्योंकि भारी बर्फबारी के बाद सड़कों के अवरुद्ध होने के कारण ताज़ा सब्जियों की आपूर्ति में कमी आती है।

प्रलय' मिसाइल

हाल ही में 'रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन' (DRDO) ने एक नई स्वदेशी रूप से विकसित सतह-से-सतह पर मार करने वाली मिसाइल 'प्रलय' का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है।

- मिसाइल का परीक्षण 'डॉ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वीप' (ओडिशा) के तट से किया गया।

प्रमुख बिंदु

- प्रलय के विषय में: 'प्रलय' भारत की पहली पारंपरिक अर्द्ध-बैलिस्टिक मिसाइल है और उत्तरी या पश्चिमी सीमाओं से किसी भी पारंपरिक मिसाइल हमले का जवाब देने में सक्षम है।
  - एक अर्द्ध-बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपवक्र कम होता है और यद्यपि यह काफी हद तक बैलिस्टिक मिसाइल के समान ही होती है, यह उड़ान के दौरान 'मनूवर' (Maneuver) में सक्षम होती है।
  - मिसाइल को इस तरह से विकसित किया गया है कि यह इंटरसेप्टर मिसाइलों को हराने में सक्षम है और हवा में एक निश्चित सीमा को कवर करने के बाद अपना रास्ता बदलने की क्षमता भी रखती है।
  - यह एक ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर और कई नई तकनीकों से संचालित है।
  - मिसाइल गाइडेंस प्रणाली में अत्याधुनिक नेविगेशन प्रणाली और एकीकृत एवियोनिक्स शामिल हैं।
- पृष्ठभूमि: यह 'प्रहार' मिसाइल कार्यक्रम से व्युत्पन्न है, जिसका पहली बार वर्ष 2011 में परीक्षण किया गया था।
  - 'प्रहार' सतह-से-सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है।
  - इसका प्राथमिक उद्देश्य अनगाइडेड पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर और निर्देशित पृथ्वी मिसाइल वेरिएंट के बीच के मौजूदा अंतराल को कम करना है।
- रेंज: मिसाइल की रेंज 150-500 किलोमीटर है और इसे मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है।
  - 'प्रलय' सेना की सूची में सतह-से-सतह पर मार करने वाली सबसे लंबी दूरी की मिसाइल होगी।
    - सेना के पास अपने शस्त्रागार में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल भी है, जिसकी सीमा 290 किलोमीटर से अधिक है।
- महत्त्व: यह सामरिक युद्धक्षेत्र की गतिशीलता को पूरी तरह से बदल देगा और भारत के पास लंबी दूरी की दो पारंपरिक मिसाइलें होंगी।
  - ब्रह्मोस एक क्रूज़ मिसाइल विकल्प होगा, जबकि 'प्रलय' एक बैलिस्टिक मिसाइल विकल्प होगा।

बैलिस्टिक मिसाइल बनाम क्रूज़ मिसाइल

बैलिस्टिक मिसाइल	क्रूज़ मिसाइल
इसमें प्रक्षेप्य गति और प्रक्षेपवक्र में यात्रा गुरुत्वाकर्षण, वायु प्रतिरोध तथा कोरिओलिस बल पर निर्भर करती है।	यह तुलनात्मक रूप से गति के लिये सीधे प्रक्षेपवक्र का अनुसरण करती है।
पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाती है और पुन: उसमें प्रवेश करती है।	इसका उड़ान पथ पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर ही होता है।
लंबी दूरी की मिसाइलें (300 किमी. से 12,000 किमी. तक)	कम दूरी की मिसाइलें (1000 किमी. तक की रेंज)
उदाहरण: पृथ्वी-I, पृथ्वी-II, अग्नि-I, अग्नि-II और धनुष मिसाइलें।	उदाहरण: ब्रह्मोस मिसाइल

नोट :

ओलिव रिडले' कछुए

'भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण' (ZSI) के शोधकर्त्ता तीन स्थानों- गहिरमाथा, देवी नदी के मुहाने और रुशिकुल्या में 'ओलिव रिडले' कछुओं की टैगिंग कर रहे हैं।

- लगभग 25 वर्षों की अवधि के बाद जनवरी 2021 में ओडिशा में यह अभ्यास किया गया था और 1,556 कछुओं को टैग किया गया था।

प्रमुख बिंदु

- टैगिंग और उसका महत्त्व
  - कछुओं पर लगे धातु के टैग गैर-संक्षारक होते हैं, जिन्हें बाद में हटाया जा सकता है और वे कछुओं के शरीर को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं।
  - ये टैग विशिष्ट रूप से क्रमांकित होते हैं, जिनमें संगठन का नाम, देश-कोड और ईमेल पता जैसे विवरण शामिल होते हैं।
  - यदि अन्य देशों के शोधकर्त्ताओं को टैग किये गए कछुओं का पता चलता है, तो वे भारत में शोधकर्त्ताओं को देशांतर और अक्षांश में अपना स्थान ईमेल करेंगे। इस प्रकार यह कछुओं पर काम करने वाला एक स्थापित नेटवर्क है।
  - यह उन्हें प्रवासन पथ और समुद्री सरीसृपों द्वारा मण्डली व घोंसले के शिकार के बाद जाने वाले स्थानों की पहचान करने में मदद करेगा।
- ओलिव रिडले कछुए
  - परिचय
    - ओलिव रिडले कछुए विश्व में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटे और सबसे अधिक हैं।
    - ये कछुए मांसाहारी होते हैं और इनका पृष्ठवर्म ओलिव रंग (Olive Colored Carapace) का होता है जिसके आधार पर इनका यह नाम पड़ा है।
    - ये कछुए अपने अद्वितीय सामूहिक घोंसले (Mass Nesting) अरीबदा (Arribada) के लिये सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, अंडे देने के लिये हज़ारों मादाएँ एक ही समुद्र तट पर एक साथ यहाँ आती हैं।
  - पर्यावास:
    - ये मुख्य रूप से प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागरों के गर्म पानी में पाए जाते हैं।
    - ओडिशा के गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य को विश्व में समुद्री कछुओं के सबसे बड़े प्रजनन स्थल के रूप में जाना जाता है।
- संरक्षण की स्थिति:
  - आईयूसीएन रेड लिस्ट: सुभेद्य (Vulnerable)
  - CITES: परिशिष्ट- I
  - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची- 1
- संकट:
  - समुद्री प्रदूषण और अपशिष्ट।
  - मानव उपभोग: इन कछुओं के मांस, खाल, चमड़े और अंडे के लिये इनका शिकार किया जाता है।
  - प्लास्टिक कचरा: पर्यटकों और मछली पकड़ने वाले श्रमिकों द्वारा फेंके गए प्लास्टिक, मछली पकड़ने हेतु फेंके गए जाल, पॉलिथीन और अन्य कचरों का लगातार बढ़ता मलबा।
  - फिशिंग ट्रॉलर: ट्रॉलर के उपयोग से समुद्री संसाधनों का अत्यधिक दोहन अक्सर समुद्री अभयारण्य के भीतर 20 किलोमीटर की दूरी तक मछली नहीं पकड़ने के नियम का उल्लंघन करता है।
  - कई मृत कछुओं पर चोट के निशान पाए गए थे जो यह संकेत देते हैं कि वे ट्रॉलर या गिल जाल में फँस गए होंगे।
- ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण की पहल
  - ऑपरेशन ओलिविया:
    - प्रतिवर्ष आयोजित किये जाने वाले भारतीय तटरक्षक बल का "ऑपरेशन ओलिविया" 1980 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ था, यह ओलिव रिडले कछुओं की रक्षा करने में मदद करता है क्योंकि वे नवंबर से दिसंबर तक प्रजनन और घोंसले बनाने के लिये ओडिशा तट पर एकत्र होते हैं।
    - यह अवैध ट्रैपिंग गतिविधियों को भी रोकता है।

नोट :

- टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस (TED) का अनिवार्य उपयोग:
  - भारत में इनकी आकस्मिक मौत की घटनाओं को कम करने के लिये ओडिशा सरकार ने ट्रॉल के लिये टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस (Turtle Excluder Devices- TED) का उपयोग अनिवार्य कर दिया है, जालों को विशेष रूप से एक निकास कवर के साथ बनाया गया है जो कछुओं के जाल में फँसने के दौरान उन्हें भागने में सहायता करता है।

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI)

- भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण (ZSI), पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1916 में की गई थी।
- समृद्ध जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु यह अग्रणी संसाधनों के सर्वेक्षण और अन्वेषण के लिये एक राष्ट्रीय केंद्र है।
- इसका मुख्यालय कोलकाता में है तथा वर्तमान में इसके 16 क्षेत्रीय स्टेशन देश के विभिन्न भौगोलिक स्थानों में स्थित हैं।

किसान दिवस

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती (23 दिसंबर) को देश भर में 'किसान दिवस' या राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है।

- यह दिवस समाज में किसानों के योगदान और देश के समग्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास के महत्त्व को समझने के लिये नागरिकों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु मनाया जाता है।
- सरकार का उद्देश्य कृषि पर वाद-विवाद और सेमिनार जैसी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करके देश भर के किसानों को प्रोत्साहित करना भी है।

प्रमुख बिंदु

- चौधरी चरण सिंह का जन्म वर्ष 1902 में उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले के नूरपुर में हुआ था और वह 28 जुलाई, 1979 से 14 जनवरी, 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे।
- ग्रामीण और कृषि विकास के समर्थक होने के नाते उन्होंने भारत में योजना के केंद्र में कृषि को रखने के लिये निरंतर प्रयास किये।
- पूरे देश में किसानों के उत्थान और कृषि के विकास की दिशा में उनके काम के लिये उन्हें 'चैंपियन ऑफ इंडियाज़ पीजेंट्स' उपनाम दिया गया था।
- उन्होंने साहूकारों से किसानों को राहत देने के लिये ऋण मोचन विधेयक 1939 के निर्माण और उसे अंतिम रूप देने में अग्रणी भूमिका निभाई।
- उन्होंने भूमि जोत अधिनियम, 1960 को लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका उद्देश्य पूरे राज्य में भूमि जोत की सीमा को कम करना था ताकि इसे एक समान बनाया जा सके।
- उन्होंने वर्ष 1967 में कॉन्ग्रेस छोड़ दी और अपनी स्वतंत्र पार्टी बनाई जिसे भारतीय लोक दल के नाम से जाना जाता है।
- उन्होंने दो बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। वे वर्ष 1979 में भारत के प्रधानमंत्री बने।
- वह 'ज़मींदारी का उन्मूलन', 'को-ऑपरेटिव फार्मिंग एक्सरेड', 'भारत की गरीबी और उसका समाधान', 'किसान स्वामित्व या श्रमिकों के लिये भूमि' तथा 'श्रमिकों के विभाजन की रोकथाम' सहित 'प्रीवेंशन ऑफ डिवीज़न ऑफ होल्डिंग्स ब्लो अ सर्टेन मिनिमम' जैसी कई पुस्तकों और पुस्तिकाओं के लेखक थे।।

भारत में कृषि का महत्त्व

- भारत के लगभग आधे ग्रामीण परिवारों की कृषि में नगण्य हिस्सेदारी है।
- वर्ष 2019 के सिचुएशन असेसमेंट सर्वे (एसएएस) के अनुसार, ग्रामीण भारत में 93.1 मिलियन कृषक परिवार हैं।
- एक कृषक परिवार को उस परिवार के रूप में परिभाषित किया गया है, जो 4,000 रुपए से अधिक के खेत या बागवानी फसलों, पशुधन, या अन्य निर्दिष्ट कृषि उत्पादों का उत्पादन करता है और उस परिवार का कोई एक सदस्य सर्वेक्षण से 365 दिनों पहले कृषि में स्व-नियोजित हो।

नोट :

टाइफून राय

दिसंबर के मध्य में फिलीपींस के कुछ हिस्सों में टाइफून राय (स्थानीय रूप से ओडेट नाम दिया गया) के कारण आधिकारिक तौर पर मौतों की संख्या बढ़कर 388 हो गई है।

- राय इस वर्ष (2021) आपदा-प्रवण द्वीप समूह से टकराने वाला सबसे शक्तिशाली तूफान है।

प्रमुख बिंदु

- टाइफून एक तरह का चक्रवात है। इसकी उत्पत्ति स्थान के आधार पर इसे तूफान, आँधी या चक्रवात कह सकते हैं।
  - टाइफून: चीन सागर और प्रशांत महासागर में।
  - हरिकेन: कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर में पश्चिम भारतीय द्वीपों में।
  - टोरनाडो: पश्चिम अफ्रीका और दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका की गिनी भूमि में।
  - विली-विलीज: उत्तर-पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में।
  - उष्णकटिबंधीय चक्रवात: हिंद महासागर क्षेत्र में।
- इन सभी प्रकार के तूफानों का वैज्ञानिक नाम उष्णकटिबंधीय चक्रवात है।
  - उष्णकटिबंधीय चक्रवात तीव्र तूफान होते हैं, जो 119 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति और भारी बारिश के साथ गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होते हैं।
  - उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्तरी गोलार्द्ध में वामावर्त घूमते हैं।
- क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र (RSMC) टोक्यो- यह टाइफून का नामकरण करता है। 'राय' नाम माइक्रोनेशिया द्वारा दिया गया है।

किसान दिवस

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती (23 दिसंबर) को देश भर में 'किसान दिवस' या राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है।

- यह दिवस समाज में किसानों के योगदान और देश के समग्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास के महत्त्व को समझने के लिये नागरिकों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु मनाया जाता है।
- सरकार का उद्देश्य कृषि पर वाद-विवाद और सेमिनार जैसी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करके देश भर के किसानों को प्रोत्साहित करना भी है।

प्रमुख बिंदु

- चौधरी चरण सिंह का जन्म वर्ष 1902 में उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले के नूरपुर में हुआ था और वह 28 जुलाई, 1979 से 14 जनवरी, 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे।
- ग्रामीण और कृषि विकास के समर्थक होने के नाते उन्होंने भारत में योजना के केंद्र में कृषि को रखने के लिये निरंतर प्रयास किये।
- पूरे देश में किसानों के उत्थान और कृषि के विकास की दिशा में उनके काम के लिये उन्हें 'चैंपियन ऑफ इंडियाज़ पीजेंट्स' उपनाम दिया गया था।
- उन्होंने साहूकारों से किसानों को राहत देने के लिये ऋण मोचन विधेयक 1939 के निर्माण और उसे अंतिम रूप देने में अग्रणी भूमिका निभाई।
- उन्होंने भूमि जोत अधिनियम, 1960 को लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका उद्देश्य पूरे राज्य में भूमि जोत की सीमा को कम करना था ताकि इसे एक समान बनाया जा सके।
- उन्होंने वर्ष 1967 में कॉन्ग्रेस छोड़ दी और अपनी स्वतंत्र पार्टी बनाई जिसे भारतीय लोक दल के नाम से जाना जाता है।
- उन्होंने दो बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। वे वर्ष 1979 में भारत के प्रधानमंत्री बने।
- वह 'ज़मींदारी का उन्मूलन', 'को-ऑपरेटिव फार्मिंग एक्सरेड', 'भारत की गरीबी और उसका समाधान', 'किसान स्वामित्व या श्रमिकों के लिये भूमि' तथा 'श्रमिकों के विभाजन की रोकथाम' सहित 'प्रीवेंशन ऑफ डिवीज़न ऑफ होल्डिंग्स ब्लो अ सर्टेन मिनिमम' जैसी कई पुस्तकों और पुस्तिकाओं के लेखक थे।।

नोट :

भारत में कृषि का महत्त्व

- भारत के लगभग आधे ग्रामीण परिवारों की कृषि में नगण्य हिस्सेदारी है।
- वर्ष 2019 के सिचुएशन असेसमेंट सर्वे (एसएएस) के अनुसार, ग्रामीण भारत में 93.1 मिलियन कृषक परिवार हैं।
- एक कृषक परिवार को उस परिवार के रूप में परिभाषित किया गया है, जो 4,000 रुपए से अधिक के खेत या बागवानी फसलों, पशुधन, या अन्य निर्दिष्ट कृषि उत्पादों का उत्पादन करता है और उस परिवार का कोई एक सदस्य सर्वेक्षण से 365 दिनों पहले कृषि में स्व-नियोजित हो।

टाइफून राय

दिसंबर के मध्य में फिलीपींस के कुछ हिस्सों में टाइफून राय (स्थानीय रूप से ओडेट नाम दिया गया) के कारण आधिकारिक तौर पर मौतों की संख्या बढ़कर 388 हो गई है।

- राय इस वर्ष (2021) आपदा-प्रवण द्वीप समूह से टकराने वाला सबसे शक्तिशाली तूफान है।

प्रमुख बिंदु

- टाइफून एक तरह का चक्रवात है। इसकी उत्पत्ति स्थान के आधार पर इसे तूफान, आँधी या चक्रवात कह सकते हैं।
  - टाइफून: चीन सागर और प्रशांत महासागर में।
  - हरिकेन: कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर में पश्चिम भारतीय द्वीपों में।
  - टोरनाडो: पश्चिम अफ्रीका और दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका की गिनी भूमि में।
  - विली-विलीज: उत्तर-पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में।
  - उष्णकटिबंधीय चक्रवात: हिंद महासागर क्षेत्र में।
- इन सभी प्रकार के तूफानों का वैज्ञानिक नाम उष्णकटिबंधीय चक्रवात है।
  - उष्णकटिबंधीय चक्रवात तीव्र तूफान होते हैं, जो 119 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति और भारी बारिश के साथ गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होते हैं।
  - उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्तरी गोलार्द्ध में वामावर्त घूमते हैं।
- क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र (RSMC) टोक्यो- यह टाइफून का नामकरण करता है। 'राय' नाम माइक्रोनेशिया द्वारा दिया गया है।

संकल्प स्मारक: अंडमान और निकोबार

हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भारत आगमन के ठीक 78 वर्ष (29 दिसंबर, 2021) बाद एक संकल्प स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया था।

- इस स्मारक का उद्देश्य इतिहास की इस महत्त्वपूर्ण घटना को सहेज कर रखना है।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - अंडमान और निकोबार में बना यह स्मारक भारतीय राष्ट्रीय सेना के जवानों के संकल्प और उनके असंख्य बलिदानों को श्रद्धांजलि है।
  - यह स्वयं नेताजी द्वारा प्रतिष्ठापित प्रतिबद्धता, कर्तव्य और बलिदान जैसे मूल्यों का एक प्रतीक भी है, जो भारतीय सशस्त्र बलों के लोकाचार और भारतीय सेना के संकल्प को रेखांकित करना है।
- महत्त्व:
  - यह भी महत्त्वपूर्ण है कि नेताजी 16 जनवरी, 1941 को कोलकाता से ब्रिटिश निगरानी से बच निकले और 29 दिसंबर, 1943 को पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे पर लगभग तीन वर्षों के बाद भारतीय धरती पर वापस चले आए।

नोट :

- 30 दिसंबर, 1943 को उन्होंने पोर्ट ब्लेयर में पहली बार भारतीय धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया।
- आज़ाद हिंद की अनंतिम सरकार के प्रमुख (अरजी हुकुमत-ए-आज़ाद हिंद के रूप में जाना जाता है) और भारतीय राष्ट्रीय सेना के सर्वोच्च कमांडर के रूप में नेताजी की द्वीपों की यात्रा ने उनके वादे की प्रतीकात्मक पूर्ति को चिह्नित किया कि भारतीय राष्ट्रीय सेना वर्ष 1943 के अंत तक भारतीय धरती पर खड़ी होगी।
- इस ऐतिहासिक यात्रा ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को "भारत के पहले मुक्त क्षेत्र" के रूप में घोषित किया।

सुभाष चंद्र बोस

- परिचय:
  - सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी, 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनकी माता का नाम प्रभावती दत्त बोस (Prabhavati Dutt Bose) और पिता का नाम जानकीनाथ बोस (Janakinath Bose) था।
  - अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने रेवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल (Ravenshaw Collegiate School) में दाखिला लिया। उसके बाद उन्होंने प्रेसीडेंसी कॉलेज (Presidency College) कोलकाता में प्रवेश लिया परंतु उनकी उग्र राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण उन्हें वहाँ से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय (University of Cambridge) चले गए।
  - वर्ष 1919 में बोस भारतीय सिविल सेवा (Indian Civil Services- ICS) परीक्षा की तैयारी करने के लिये लंदन चले गए और वहाँ उनका चयन भी हो गया। हालाँकि बोस ने सिविल सेवा से त्यागपत्र दे दिया क्योंकि उनका मानना था कि वह अंग्रेज़ों के साथ कार्य नहीं कर सकते।
  - सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, जबकि चितरंजन दास (Chittaranjan Das) उनके राजनीतिक गुरु थे।
  - वर्ष 1921 में बोस ने चित्तरंजन दास की स्वराज पार्टी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र 'फॉरवर्ड' के संपादन का कार्यभार संभाला।
  - वर्ष 1923 में बोस को अखिल भारतीय युवा कॉन्ग्रेस का अध्यक्ष और साथ ही बंगाल राज्य कॉन्ग्रेस का सचिव चुना गया।
  - वर्ष 1925 में क्रांतिकारी आंदोलनों से संबंधित होने के कारण उन्हें माण्डले (Mandalay) कारागार में भेज दिया गया जहाँ वह तपेदिक की बीमारी से ग्रसित हो गए ।
  - वर्ष 1930 के दशक के मध्य में बोस ने यूरोप की यात्रा की। उन्होंने पहले शोध किया तत्पश्चात् 'द इंडियन स्ट्रगल' नामक पुस्तक का पहला भाग लिखा, जिसमें उन्होंने वर्ष 1920-1934 के दौरान होने वाले देश के सभी स्वतंत्रता आंदोलनों को कवर किया।
  - बोस ने वर्ष 1938 (हरिपुरा) में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। यह नीति गांधीवादी विचारों के अनुकूल नहीं थी।
  - वर्ष 1939 (त्रिपुरी) में बोस फिर से अध्यक्ष चुने गए लेकिन जल्द ही उन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और कॉन्ग्रेस के भीतर एक गुट 'ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक' का गठन किया, जिसका उद्देश्य राजनीतिक वाम को मज़बूत करना था।
  - 18 अगस्त, 1945 को जापान शासित फॉर्मोसा (Japanese ruled Formosa) (अब ताइवान) में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई।
- भारतीय राष्ट्रीय सेना::
  - वह जुलाई 1943 में जर्मनी से जापान-नियंत्रित सिंगापुर पहुँचे, वहाँ से उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा 'दिल्ली चलो' जारी किया और 21 अक्तूबर, 1943 को आज़ाद हिंद सरकार तथा भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की घोषणा की।
  - INA का गठन पहली बार मोहन सिंह (Mohan Singh) और जापानी मेजर इविची फुजिवारा (Iwaichi Fujiwara) के नेतृत्त्व में किया गया था तथा इसमें मलायन (वर्तमान मलेशिया) अभियान में सिंगापुर में जापान द्वारा कब्जा किये गए ब्रिटिश-भारतीय सेना के युद्ध के भारतीय कैदियों को शामिल किया गया था।
  - INA में सिंगापुर के जेल में बंद भारतीय कैदी और दक्षिण-पूर्व एशिया के भारतीय नागरिक दोनों शामिल थे। इसकी सैन्य संख्या बढ़कर 50,000 हो गई।

नोट :

- INA ने वर्ष 1944 में इम्फाल और बर्मा में भारत की सीमा के भीतर संबद्ध सेनाओं का मुकाबला किया।
- हालाँकि रंगून के पतन के साथ ही आज़ाद हिंद सरकार एक प्रभावी राजनीतिक इकाई बन गई।
- नवंबर 1945 में ब्रिटिश सरकार द्वारा INA के लोगों पर मुकदमा चलाए जाने के तुरंत बाद पूरे देश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए।
  - प्रभाव: INA के अनुभव ने वर्ष 1945-46 के दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना में असंतोष की लहर पैदा की, जिसकी परिणति फरवरी 1946 में बॉम्बे के नौसैनिक विद्रोह के रूप में हुई जिसने ब्रिटिश सरकार को जल्द-से-जल्द भारत छोड़ने के लिये मज़बूर कर दिया।
  - INA की संरचना: INA अनिवार्य रूप से गैर-सांप्रदायिक संगठन था, क्योंकि इसके अधिकारियों और रैंकों में मुस्लिम काफी संख्या में थे तथा इसने झांसी की रानी के नाम पर एक महिला टुकड़ी की भी शुरुआत की।

ARIIA 2021 रैंकिंग

हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के नवचार प्रकोष्ठ ने संस्थानों की 'नवोन्मेष उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग' (ARIIA) 2021 की।

- ARIIA का पहला संस्करण वर्ष 2019 में जारी हुआ था।

प्रमुख बिंदु

- परिचय:
  - यह छात्रों तथा संकायों के बीच "नवाचार और उद्यमिता विकास" से संबंधित संकेतकों पर भारत के सभी प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों को व्यवस्थित रूप से रैंक प्रदान करने के लिये शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) की एक संयुक्त पहल है।
  - ARIIA नवाचारों की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करता है और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन नवाचारों द्वारा उत्पन्न वास्तविक प्रभाव को मापने का प्रयास करता है।
- मूल्यांकन के मापदंड: ARIIA संस्थानों का मूल्यांकन निम्नलिखित मानकों पर करता है जैसे:
  - बजट और अनुदान सहायता
  - बुनियादी ढाँचा और सुविधाएँ
  - आइडिया जनरेशन और इनोवेशन के लिये जागरूकता, प्रचार और समर्थन
  - उद्यमिता विकास के लिये प्रोत्साहन और समर्थन
  - सीखने के अभिनव तरीके और पाठ्यक्रम
  - बौद्धिक संपदा सृजन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और व्यावसायीकरण
  - संस्थान के शासन में नवाचार
- रैंक वर्गीकरण:
  - रैंकिंग तकनीकी और गैर-तकनीकी दो श्रेणियों के तहत बनाई गई है।
    - तकनीकी श्रेणी में 5 उप-श्रेणियाँ शामिल हैं -
    - केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थान(CFTIs), केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान
    - राज्य विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय (सरकारी और सरकारी द्वारा सहायता प्राप्त)
    - सरकारी कॉलेज/संस्थान (सरकारी और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त)
    - विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय (स्व-वित्त / निजी)
    - निजी कॉलेज/संस्थान (स्व-वित्त/निजी)
    - गैर-तकनीकी श्रेणी में दो उप-श्रेणियाँ शामिल हैं-
    - केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान (CFIs)/ केंद्रीय विश्वविद्यालय/ राष्ट्रीय महत्त्व के गैर-तकनीकी संस्थान।
    - सामान्य (गैर-तकनीकी)।

नोट :

- वर्ष 2021 में उच्च रैंकिंग वाले संस्थान:
  - राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय और सीएफटीआई (CFTIs):
    - IIT मद्रास के बाद IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली का स्थान है।
  - सरकारी और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों में: पंजाब विश्वविद्यालय
  - सरकार और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त कॉलेज/संस्थान: इंजीनियरिंग कॉलेज पुणे
  - निजी या स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालय: कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान, खोरधा
  - निजी या स्व-वित्तपोषित कॉलेज / संस्थान: जी एच रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, नागपुर
  - राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय और सीएफटीआई (गैर-तकनीकी): इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
  - सामान्य (गैर-तकनीकी): भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान
- रैंकिंग का महत्त्व:
  - रैंकिंग निश्चित रूप से भारतीय संस्थानों को अपने परिसरों में उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिये अपनी मानसिकता को पुन: उन्मुख करने तथा पारितंत्र का निर्माण करने हेतु प्रेरित करेगी।
  - इसके अलावा, हाल ही में घोषित नई शैक्षिक नीति 2020 भी इन प्रयासों को अधिक प्रभावी और कुशल और लंबे समय में प्रभावशाली बनाएगी।
  - भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) रैंकिंग में लगातार सुधार कर रहा है और अब यह वर्ष 2015 में 81वें स्थान से बढ़कर वर्ष 2021 में 46वें स्थान पर पहुँच गया है। यह विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप हब के रूप में भी उभरा है।

उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालयों के लिये अन्य रैंकिंग.

- भारत रैंकिंग 2021:
  - इसे राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) (छठे संस्करण) द्वारा स्थापित शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था।
- क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग:
  - यह विश्वविद्यालय रैंकिंग का एक वार्षिक प्रकाशन है जिसमें क्वाक्वेरेली साइमंड्स (क्यूएस) द्वारा जारी वैश्विक समग्र और विषय रैंकिंग शामिल है।
- विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग:
  - यह टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी किया गया है।

भारतीय पैंगोलिन

हाल ही में सॉफ्ट रिलीज़ प्रोटोकॉल का पालन और रिलीज के बाद की निगरानी के लिये प्रावधान के बाद नंदनकानन ज़ूलॉजिकल पार्क (ओडिशा) में एक रेडियो टैग भारतीय पैंगोलिन को छोड़ा गया।

- रेडियो-टैगिंग में एक ट्रांसमीटर द्वारा किसी वन्यजीव की गतिविधियों पर नज़र रखी जाती है। इससे पहले कई वन्यजीवों जैसे- बाघ, तेंदुआ और प्रवासी पक्षियों को भी टैग किया जा चुका है।

प्रमुख बिंदु:

- परिचय:
  - पैंगोलिन टेढ़े-मेढ़े एंटीटर स्तनधारी होते हैं और इनकी त्वचा को ढकने के लिये बड़े सुरक्षात्मक केराटिन स्केल्स होते हैं। ये इस विशेषता वाले एकमात्र ज्ञात स्तनधारी हैं।
  - यह इन केराटिन स्केल्स को कवच के रूप में इस्तेमाल करता है ताकि शिकारियों के खिलाफ खुद को एक गेंद की तरह लुढ़क कर खतरों से बचा जा सके है।

नोट :

- आहार:
  - कीटभक्षी-पैंगोलिन रात्रिचर होते हैं और इनका आहार मुख्य रूप से चीटियाँ तथा दीमक होते हैं, जिन्हें वे अपनी लंबी जीभ का उपयोग कर पकड़ लेते हैं।
- प्रकार:
  - पैंगोलिन की आठ प्रजातियों में से भारतीय पैंगोलिन (Manis crassicaudata) और चीनी पैंगोलिन (Manis pentadactyla) भारत में पाए जाते हैं।
  - अंतर:
    - भारतीय पैंगोलिन एक विशाल एंटीटर है जो पीठ पर 11-13 पंक्तियों की धारियो वाले आवरण से ढका होता है।
    - भारतीय पैंगोलिन की पूँछ के निचले हिस्से पर एक टर्मिनल स्केल भी मौजूद होता है, जो चीनी पैंगोलिन में अनुपस्थित होता है।
- प्राकृतिक वास:
  - भारतीय पैंगोलिन:
    - भारतीय पैंगोलिन व्यापक रूप से शुष्क क्षेत्रों, उच्च हिमालय एवं पूर्वोत्तर को छोड़कर शेष भारत में पाया जाता है। यह प्रजाति बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में भी पाई जाती है।
  - चीनी पैंगोलिन
    - चीनी पैंगोलिन पूर्वी नेपाल में हिमालय की तलहटी क्षेत्र में, भूटान, उत्तरी भारत, उत्तर-पूर्वी बांग्लादेश और दक्षिणी चीन में पाया जाता है।
- भारत में पैंगोलिन को खतरा
  - पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों, खासकर चीन एवं वियतनाम में इसके मांस का व्यापार तथा स्थानीय उपभोग (जैसे कि प्रोटीन स्रोत और पारंपरिक दवा के रूप में) हेतु अवैध शिकार इसके विलुप्त होने के प्रमुख कारण हैं।
  - ऐसा माना जाता है कि ये विश्व के ऐसे स्तनपायी हैं जिनका बड़ी मात्रा में अवैध व्यापार किया जाता है।
- संरक्षण की स्थिति
  - अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature-IUCN) की रेड लिस्ट में इंडियन पैंगोलिन को संकटग्रस्त (Endangered), जबकि चीनी पैंगोलिन को गंभीर संकटग्रस्त (Critically Endangered) की श्रेणी में रखा गया है।
  - वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 अनुसूची-I के तहत सूचीबद्ध।
  - CITES: सभी पैंगोलिन प्रजातियों को 'लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन' (CITES) के परिशिष्ट-I में सूचीबद्ध किया गया है।

नंदनकानन ज़ूलॉजिकल पार्क

- यह ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका उद्घाटन वर्ष 1960 में किया गया था।
- यह 'वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ ज़ू एंड एक्वेरियम' (WAZA) का सदस्य बनने वाला देश का पहला चिड़ियाघर है।
  - 'वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ ज़ू एंड एक्वेरियम' क्षेत्रीय संघों, राष्ट्रीय संघों, चिड़ियाघरों और एक्वेरियम का वैश्विक गठबंधन है, जो दुनिया भर में जानवरों और उनके आवासों की देखभाल और संरक्षण हेतु समर्पित है।
- इसे भारतीय पैंगोलिन और सफेद बाघ के प्रजनन हेतु एक प्रमुख चिड़ियाघर के रूप में मान्यता प्राप्त है।
  - तेंदुए, माउस डियर, शेर, चूहे और गिद्ध भी यहाँ पाए जाते हैं।
- यह दुनिया का पहला कैप्टिव मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भी था, जहाँ वर्ष 1980 में घड़ियालों को रखा गया था।
- नंदनकानन का राज्य वनस्पति उद्यान ओडिशा के अग्रणी पौधों के संरक्षण और प्रकृति शिक्षा केंद्रों में से एक है।

नोट :

साहित्य अकादमी पुरस्कार

हाल ही में साहित्य अकादमी ने 20 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा की। साहित्य अकादमी ने वर्ष 2021 के लिये युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार की भी घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु:

- परिचय:
  - साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1954 में स्थापित, एक साहित्यिक सम्मान है। यह पुरस्कार साहित्य अकादमी (नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स) द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है।
  - अकादमी द्वारा प्रत्येक वर्ष अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त 24 भाषाओं में साहित्यिक कृतियों के साथ ही इन्हीं भाषाओं में परस्पर साहित्यिक अनुवाद के लिये भी पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।
    - भारत के संविधान में शामिल 22 भाषाओं के अलावा साहित्य अकादमी ने अंग्रेज़ी तथा राजस्थानी को भी उन भाषाओं के रूप में मान्यता दी है जिसमें अकादमी के कार्यक्रम को लागू किया जा सकता है।.
  - साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है।
- पुरस्कार विजेता के चयन हेतु मानदंड:
  - लेखक के पास अनिवार्य रूप से भारतीय राष्ट्रीयता होनी चाहिये।
  - पुरस्कार के लिये पात्र पुस्तक/रचना का संबंधित भाषा और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान होना चाहिये।
  - जब दो या दो से अधिक पुस्तकों के लिये समान योग्यता पाई जाती है, तो पुरस्कार की घोषणा हेतु कुछ निश्चित मानदंडों जैसे- साहित्य के क्षेत्र में कुल योगदान तथा लेखकों की स्थिति/प्रतिष्ठा आदि को ध्यान में रखा जाता है।
- अन्य साहित्य अकादमी पुरस्कार:
  - साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार लेखकों द्वारा बाल साहित्य में उनके योगदान के आधार पर दिया जाता है और पुरस्कार वर्ष से तुरंत पहले के पाँच वर्षों के दौरान पहली बार प्रकाशित पुस्तकों से संबंधित है।
  - साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 35 वर्ष और उससे कम आयु के लेखक द्वारा प्रकाशित पुस्तकों से संबंधित है।

ज्ञानपीठ पुरस्कार:

- ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है और इसे केवल एक भारतीय नागरिक को प्रतिवर्ष प्रदान किया जा सकता है।
- भारतीय संविधान (8 वीं अनुसूची) में उल्लिखित अन्य भाषाओं के साथ अंग्रेज़ी में भी यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
- इस पुरस्कार के अंतर्गत 11 लाख रुपए की नकद राशि, एक प्रशस्ति पत्र और ज्ञान की देवी वाग्देवी (सरस्वती) की एक कांस्य प्रतिकृति प्रदान की जाती है।
- यह सांस्कृतिक संगठन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रायोजित है।
- वर्ष 2018 में लेखक अमिताव घोष ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता बनने वाले पहले अंग्रेजी भाषा के लेखक बने।
- मलयालम भाषा के अक्कीतम अच्युतन नंबूदिरी को वर्ष 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था।

नोट :

विविध

विजय दिवस

वर्ष 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय की स्मृति में प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने 3 दिसंबर, 1971 को बंगाली मुसलमानों और हिंदुओं की रक्षा के लिये पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ने का निर्णय लिया। यह युद्ध भारत और पाकिस्तान के मध्य 13 दिनों तक लड़ा गया था। 16 दिसंबर, 1971 को पाकिस्तानी सेना के प्रमुख ने 93,000 सैनिकों के साथ ढाका में भारतीय सेना जिसमें मुक्ति वाहिनी भी शामिल थी, के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया था। मुक्ति वाहिनी उन सशस्त्र संगठनों को संदर्भित करती है जो बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान पाकिस्तान सेना के विरुद्ध लड़े थे। इसी दिन बांग्लादेश की उत्पत्ति हुई थी। इसलिये बांग्लादेश प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को स्वतंत्रता दिवस (बिजोय डिबोस) मनाता है।

सोलर हमाम

स्थानीय रूप से डिज़ाइन किया गया 'सोलर हमाम' नामक ब्रांडेड हीटिंग सिस्टम को लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में प्रयोग किया जा रहा है। 'सोलर हमाम' का उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों के घरों में स्वच्छ ऊर्जा पहुँचाना है। यह जंगलों को संरक्षित करने, महिलाओं को ईंधन इकट्ठा करने से मुक्त करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने का प्रयास करता है। इस तकनीक का विकास काफी महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पहाड़ों पर रहने वाले परिवार ईंधन, चारा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, आजीविका और रोज़गार के लिये प्राय: प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। इस तकनीक के प्रोटोटाइप को सर्वप्रथम वर्ष 2008 में विकसित किया गया था। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड में अब तक 1,200 सोलर हमाम सिस्टम स्थापित किये जा चुके हैं। 'सोलर हमाम' तकनीक को वर्ष 2016-17 के लिये 'हिमाचल प्रदेश स्टेट इनोवेशन अवार्ड' प्रदान किया गया था।

'स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया' अवार्ड्स

हाल ही में 'स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया' (SJFI) ने अपनी वार्षिक बैठक में विश्व प्रसिद्ध क्रिकेटर 'सुनील गावस्कर' को प्रतिष्ठित 'एसजेएफआई पदक' प्रदान करने का फैसला किया है। टोक्यो ओलंपिक में भारत का एकमात्र स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा को 'एसजेएफआई स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर' के रूप में चुना गया, जबकि भारोत्तोलक मीराबाई चानू, जिन्होंने रजत पदक जीता था, को 'स्पोर्ट्सवीमेन ऑफ द ईयर' चुना गया। वहीं टोक्यो में 40 वर्षों बाद कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष टीम को 'टीम ऑफ द ईयर' घोषित किया गया।

'माल्टा' में भाँग के प्रयोग को वैधता

'माल्टा', व्यक्तिगत उपयोग के लिये भाँग की खेती और उपयोग को वैध बनाने वाला पहला यूरोपीय देश बन जाएगा। यूरोपीयाई देश 'माल्टा' में लागू नए नियमों के मुताबिक, 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिये सात ग्राम तक भाँग वैध होगी तथा नागरिकों को घर पर चार भाँग के पौधों को उगाने की अनुमति होगी, जिसमें सूखे उत्पाद का 50 ग्राम तक भंडारण किया जा सकता है। यूरोपीय संघ के सबसे छोटे सदस्य देश 'माल्टा' के इस कदम के बाद आने वाले समय में यूरोप के अन्य देश भी इस प्रकार के कदम उठा सकते हैं। ज्ञात हो कि स्विट्ज़रलैंड, लक्ज़मबर्ग और नीदरलैंड की घोषणा के बाद जर्मनी ने भी हाल ही में भाँग को लेकर एक कानूनी रूप से विनियमित बाज़ार स्थापित करने की घोषणा की है। इस संबंध में इटली में एक जनमत संग्रह की योजना बनाई गई है, जबकि कनाडा, मैक्सिको और 18 अमेरिकी राज्यों ने पहले ही इसी तरह के कानून लागू कर दिये हैं।

रक्षा संपदा महानिदेशालय

रक्षा मंत्री द्वारा 16 दिसंबर, 2021 को नई दिल्ली में 'रक्षा संपदा महानिदेशालय' के 96वें स्थापना दिवस के अवसर पर उत्कृष्टता के लिये 'रक्षा मंत्री पुरस्कार-2021' प्रदान किये गए। इस पुरस्कार के तहत प्राप्तकर्त्ताओं को सार्वजनिक सेवा और भूमि प्रबंधन के साथ स्वच्छता तथा स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और डिजिटल उपलब्धियों के लिये सम्मानित किया गया। रक्षा संपदा महानिदेशालय (DGDE) 'भारतीय रक्षा संपदा सेवा' का मुख्यालय है। रक्षा संपदा महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय और सेवा मुख्यालय यानी सेना, नौसेना, वायु सेना और रक्षा मंत्रालय के तहत अन्य संगठनों को सभी छावनियों के मामलों पर सलाहकारी इनपुट प्रदान करता है। सैन्य उद्देश्यों के लिये भूमि अधिग्रहण, विस्थापित

नोट :

व्यक्तियों का पुनर्वास, भूमि एवं भवनों को किराए पर लेना और अधिग्रहण करना 'रक्षा संपदा महानिदेशालय' की कुछ प्रमुख जिम्मेदारियाँ हैं। वर्तमान में देश में कुल 62 छावनी बोर्ड हैं। ये स्थानीय निकाय हैं, जो नागरिक प्रशासन प्रदान करने और सामाजिक कल्याण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षा, जल आपूर्ति, स्वच्छता, शहरी नवीनीकरण और शिक्षा की केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने हेतु उत्तरदायी हैं।

पार्कर सोलर प्रोब

अपने प्रक्षेपण के तीन वर्ष बाद 'पार्कर सोलर प्रोब' ने अंतत: सूर्य को 'स्पर्श' कर लिया है। हाल ही में नासा ने घोषणा की कि यह मिशन सूर्य के ऊपरी वायुमंडल- जिसे कोरोना के रूप में जाना जाता है, में पहुँचने वाला अब तक का पहला ज्ञात अंतरिक्ष यान बन गया है, जहाँ इसने कणों एवं चुंबकीय क्षेत्रों का नमूना एकत्र किया है। सूर्य के वर्णमंडल के वाह्य भाग को किरीट/कोरोना (Corona) कहते हैं। सूर्य का कोरोना बाहरी अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर तक फैला है और इसे सूर्य ग्रहण के दौरान आसानी से देखा जाता है। 'पार्कर सोलर प्रोब' को फ्लोरिडा स्थित नासा के केप केनेडी स्पेस सेंटर- काम्प्लेक्स37 (Complex37) से डेल्टा-4 रॉकेट द्वारा वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। नासा ने पार्कर सोलर प्रोब का नाम प्रख्यात खगोल भौतिकीविद् यूज़ीन पार्कर के सम्मान में रखा है। यूज़ीन पार्कर ने ही सबसे पहले वर्ष 1958 में अंतरिक्ष के सौर तूफानों के बारे में भी बताया था। पार्कर सोलर प्रोब की लंबाई 1 मीटर, ऊँचाई 2.5 मीटर तथा चौड़ाई 3 मीटर है। इस मिशन का उद्देश्य सौर पवन के स्रोतों और चुंबकीय क्षेत्र की बनावट तथा उनके डायनामिक्स की जाँच करना है। यह मिशन सूर्य की सतह से इसके कोरोना के ज़्यादा तापमान होने के कारणों का भी अध्ययन करेगा।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ

भारत के पहले 'चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ' (CDS) जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद आगामी कुछ समय के लिये सरकार द्वारा अस्थायी रूप से पुरानी व्यवस्था को पुन: लागू कर दिया गया है और तीनों सेनाओं के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु तीनों सेना प्रमुखों में से सबसे वरिष्ठ सेना प्रमुख को 'चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी' के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। पुरानी व्यवस्था के तहत सबसे वरिष्ठ होने के नाते भारतीय सेना प्रमुख जनरल 'एम.एम. नरवणे' ने 'चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी' के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद की घोषणा 15 अगस्त, 2019 को की गई थी। इनका प्रमुख कार्य भारत की जल, थल एवं वायु सेना के एकीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाना व आपस में उनके संपर्क को स्थापित करना होता है। ज्ञात हो कि 'चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सैन्य मामलों के विभाग (DMA) का भी प्रमुख होता है।

ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्यालपो

हाल ही में भूटान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार- 'ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्यालपो' से सम्मानित करने की घोषणा की है। 'द ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग' (ड्रक ग्यालपो) भूटान सरकार का सर्वोच्च सम्मान है, जिसके माध्यम से भूटान द्वारा साम्राज्य और आम लोगों की सेवा करने हेतु किये गए कार्यों को रेखांकित किया जाता है। ध्यातव्य है कि इससे पूर्व भी प्रधानमंत्री को कई देशों द्वारा अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री को 'ऑर्डर ऑफ अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद' (2016- सऊदी अरब का सर्वोच्च सम्मान), 'स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान' (2016- अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान), 'ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड (2019- रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान) और अमेरिकी सरकार द्वारा 'लीज़न ऑफ मेरिट' (2020) आदि शामिल हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री को सियोल शांति पुरस्कार (2018), चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड (2018), 'फर्स्ट फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशीयल अवार्ड' (2019), 'ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशीप अवार्ड' (2021) से भी सम्मानित किया जा चुका है।

'लुईस हैमिल्टन' को 'नाइटहुड' की उपाधि

हाल ही में सात बार फॉर्मूला वन चैंपियन रहे चुके 'लुईस हैमिल्टन' को खेल के प्रति उनकी सेवाओं के चलते 'नाइटहुड' की उपाधि प्रदान की गई है। गौरतलब है कि लुईस हैमिल्टन के पास सबसे अधिक रेस जीतने (103) का रिकॉर्ड है, जबकि उन्होंने कुल सात बार चैंपियनशिप जीत कर विश्व प्रसिद्ध जर्मन रेसर 'माइकल शूमाकर' की भी बराबरी कर ली है। हैमिल्टन चौथे फॉर्मूला वन ड्राइवर हैं जिन्हें 'नाइट' की उपाधि प्रदान की गई है, उनके अलावा दिवंगत ऑस्ट्रेलियाई जैक ब्रभम, स्टर्लिंग मॉस और ट्रिपल चैंपियन 'जैकी स्टीवर्ट' को भी यह उपाधि प्रदान की जा चुकी है। नाइटहुड एक ब्रिटिश राजा या रानी द्वारा किसी क्षेत्र विशिष्ट के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त उच्च उपलब्धियों और सेवाओं हेतु दिया जाने वाला एक पुरस्कार और उपाधि है।

नोट :

विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस

भारत समेत पूरे विश्व में जातीय अल्पसंख्यकों के लिये स्वतंत्रता और समानता के अधिकार को बनाए रखने तथा अल्पसंख्यकों के सम्मान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिये प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को 'विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस' के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस विभिन्न जातीय मूल के अल्पसंख्यक समुदायों के समक्ष आने वाली चुनौतियों और मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 18 दिसंबर को 'विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस' के रूप में घोषित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने 18 दिसंबर, 1992 को धार्मिक या भाषायी राष्ट्रीय अथवा जातीय अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्ति के अधिकारों पर वक्तव्य (Statement) को अपनाया था। भारत में इस दिवस का आयोजन 'राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग' (NCM) द्वारा किया जाता है। 'राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग' की स्थापना वर्ष 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। भारतीय संविधान में "अल्पसंख्यक" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। हालाँकि संविधान धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29, 30, 350A तथा 350B में 'अल्पसंख्यक' शब्द का प्रयोग किया गया है लेकिन इसकी परिभाषा कहीं नहीं दी गई है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस

18 दिसंबर को विश्व भर में 'अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस' का आयोजन किया जाता है। दुनिया भर में प्रवासियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2000 में 18 दिसंबर को 'अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस' के रूप में नामित किया था। साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसी दिवस पर वर्ष 1990 में सभी प्रवासी कामगारों और उनके परिवारों के सदस्यों के अधिकारों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन को भी अपनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, वर्ष 2020 में लगभग 281 मिलियन लोगों को (वैश्विक जनसंख्या का 3.6 प्रतिशत) अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यद्यपि बहुत से लोग अपनी इच्छा से पलायन करते हैं, किंतु अधिकांश लोगों को आर्थिक चुनौतियों, प्राकृतिक आपदाओं, अत्यधिक गरीबी और संघर्ष जैसे कारणों के चलते मजबूर होकर पलायन करना पड़ता है। 'अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस' 2021 की थीम 'मानव गतिशीलता की क्षमता का दोहन' है। यह विषय प्रवासियों द्वारा अपने ज्ञान, नेटवर्क और कौशल के माध्यम से समुदायों के निर्माण हेतु किये गए महत्त्वपूर्ण योगदान को उजागर करता है। ज्ञात हो कि भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान को चिह्नित करने के लिये प्रतिवर्ष 9 जनवरी को 'प्रवासी भारतीय दिवस' का आयोजन किया जाता है।

हैती का 'जौमौ सूप'

संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी यूनेस्को ने हैती के पारंपरिक सूप को 'अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची' में शामिल कर लिया है। यूनेस्को के मुताबिक, हैती का यह 'जौमौ सूप' सिर्फ एक डिश नहीं है, बल्कि यह देश की आज़ादी का प्रतीक है, जो हैती के स्वतंत्रता नायकों और नायिकाओं की कहानी, मानवाधिकारों के लिये उनके संघर्ष एवं उनकी कड़ी मेहनत की कहानी बयाँ करता है। 'स्क्वैश-आधारित' यह सूप उन चीज़ों का प्रतीक बन गया, जिन्हें लंबे समय तक फ्राँसीसी वर्चस्व के तहत गुलामों के लिये प्रतिबंधित किया गया था, जब तक कि 'हैती' ने 1 जनवरी, 1804 को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की। इस प्रकार हैती विद्रोही अश्वेत दासों द्वारा निर्मित प्रथम राष्ट्र के रूप में सामने आया था। 'अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची' उन अमूर्त विरासतों से मिलकर बनी है जो सांस्कृतिक विरासत की विविधता को प्रदर्शित करने और इसके महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करते हैं। इस सूची का निर्माण वर्ष 2008 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा पर कन्वेंशन के समय किया गया था।

किदाम्बी श्रीकांत

भारतीय शटलर 'किदाम्बी श्रीकांत' ने हाल ही में 'बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप' में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। ऐसा करने वाले वह पहले पुरुष भारतीय शटलर बन गए हैं। फाइनल मैच में उनका मुकाबला सिंगापुर के 'लोह किन येव' से हुआ, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा।

वीरा रानी अब्बक्का

21 दिसंबर, 2021 को 'वीरा रानी अब्बक्का उत्सव' का आयोजन किया जाएगा। रानी अब्बक्का, उल्लाल की पहली तुलुव रानी थीं। उन्होंने 16वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में पुर्तगालियों से युद्ध लड़ा था। रानी अब्बक्का, चौटा वंश से संबद्ध थीं, जिन्होंने तटीय कर्नाटक (तुलु नाडु) के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। इस राजवंश की राजधानी पुट्टीगे थी। बंदरगाह शहर- 'उल्लाल' उनकी सहायक राजधानी थी। 'उल्लाल' को रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण माना जाता था, जिसके कारण पुर्तगालियों ने इस पर कब्ज़ा करने के कई प्रयास किये लेकिन रानी ने चार दशकों से अधिक समय तक उनके हमलों को रोका। उनकी बहादुरी के कारण उन्हें 'अभय रानी' के नाम से भी जाना जाता है।

नोट :

विंटर सोल्स्टिस

21 दिसंबर को भारत समेत कई देशों में सबसे छोटा दिन होता है। ऐसा केवल पृथ्वी के उत्तरी गोलार्द्ध के देशों में ही होता है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्द्ध के देशों में सबसे बड़ा दिन होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर साढ़े तेइस डिग्री झुकी हुई है, इस कारण सूर्य की दूरी पृथ्वी के उत्तरी गोलार्द्ध से अधिक हो जाती है। इससे सूर्य की किरणों का प्रसार पृथ्वी पर कम समय तक होता है। 21 दिसंबर को सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करता है। इस दिन सूर्य की किरणें मकर रेखा के लंबवत होती हैं और कर्क रेखा को तिरछा स्पर्श करती हैं। इस कारण सूर्य जल्दी डूबता है और रात जल्दी हो जाती है। अर्थात् पृथ्वी जब अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है तो किसी एक जगह पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें दिन के अंतराल को प्रभावित करती हैं जिस कारण दिन छोटा और बड़ा होता है।

एस-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम

देश के एयर डिफेंस सिस्टम को मज़बूती देते हुए भारतीय वायुसेना (IAF), S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम (S-400 Air Defence Missile System) की पहली स्क्वॉड्रन को पंजाब सेक्टर में तैनात करने जा रही है। एस-400 ट्रायम्फ रूस द्वारा डिज़ाइन की गई एक गतिशील और सतह से हवा में मार करने वाली (Surface-to-Air Missile System- SAM) मिसाइल प्रणाली है। यह विश्व में लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने में सक्षम (Modern Long-Range SAM- MLR SAM) परिचालन के लिये तैनात सबसे खतरनाक आधुनिक मिसाइल प्रणाली है, जिसे अमेरिका द्वारा विकसित 'टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम' (THAAD) से भी बेहतर माना जाता है। यह प्रणाली 30 किमी. तक की ऊँचाई पर 400 किमी. की सीमा के भीतर विमान, मानव रहित हवाई वाहन (UAV) और बैलिस्टिक तथा क्रूज़ मिसाइलों सहित सभी प्रकार के हवाई लक्ष्यों को भेद सकती है। यह प्रणाली एक साथ 100 हवाई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है तथा उनमें से छह को एक साथ लक्षित कर सकती है।

प्रदीप कुमार रावत

हाल ही में वरिष्ठ राजनयिक प्रदीप कुमार रावत को चीन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमा पर तनातनी के बीच उनकी नियुक्ति को अहम माना जा रहा है। भारतीय विदेश सेवा के वर्ष 1990 बैच के अधिकारी रावत वर्तमान में नीदरलैंड में भारतीय दूत के रूप में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। वह विक्रम मिश्री की जगह लेंगे। वह पहले हॉन्गकॉन्ग और बीजिंग में काम कर चुके हैं। रावत ने सितंबर 2017 से दिसंबर 2020 तक इंडोनेशिया एवं तिमोर-लेस्ते में राजदूत के रूप में अपनी सेवाएँ दी हैं।

राष्ट्रीय गणित दिवस

प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को देश में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। यह देश के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन को समर्पित है जिनका जन्म 22 दिसंबर, 1887 को हुआ था। गणित का मानवता के विकास में बड़ा महत्त्व है। इस महत्त्व के प्रति लोगों के बीच जागरुकता पैदा करना राष्ट्रीय गणित दिवस का मुख्य उद्देश्य है। इलाहाबाद स्थित सबसे पुरानी विज्ञान अकादमी नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस इंडिया प्रत्येक वर्ष गणित के अनुप्रयोगों और रामानुजन पर कार्यशाला का आयोजन करती है। गणित में रामानुजन का सबसे बड़ा योगदान हार्डी-रामानुजन नंबर को माना जाता है। यह सबसे छोटी संख्या है जिसको दो अलग-अलग तरीकों से दो घनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है।" तब से 1729 को उनके सम्मान में हार्डी-रामानुजन नंबर कहा जाता है।

मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा-एयर एम्बुलेंस

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु 'मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा-एयर एम्बुलेंस' की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पहले चरण में राज्य के चार ज़िलों- मलकानगिरी, नबरंगपुर, कालाहांडी और नुआ पाडा के लोगों के लिये निशुल्क सेवाएँ प्रदान की जाएंगी। इसके तहत विशेषज्ञ डाक्टर ज़िला मुख्यालयों के अस्पतालों से रोगियों तक पहुँचेंगे। राज्य के अन्य ज़िलों को चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम के तहत शामिल किया जाएगा। इसे स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अंतिम व्यक्ति तक उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। इस सेवा के माध्यम से समाज के कमज़ोर वर्गों को लाभ मिल सकेगा। यह सेवा स्वास्थ्य सेवाओं में मौजूद अंतराल को कम करने हेतु महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। यह प्रमुख रूप से राज्य के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों की सेवा करेगी।

नोट :

राष्ट्रीय किसान दिवस

समाज के विकास में किसानों के योगदान को रेखांकित करने के लिये भारत में प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस का आयोजन किया जाता है। भारत गाँवों का देश है, जहाँ की अधिकांश आबादी अपनी आजीविका के लिये प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। ऐसे में 'राष्ट्रीय किसान दिवस' भारत के आम नागरिकों को किसानों की समस्याओं को जानने और वार्ता करने का अवसर प्रदान करता है। यह दिवस भारत के पाँचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष में आयोजित किया जाता है। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर, 1902 को उत्तर प्रदेश के हापुड़ ज़िले में हुआ था। प्रधानमंत्री के तौर पर चरण सिंह का कार्यकाल अल्प अवधि का रहा। वे दो बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तथा उन्होंने केंद्र सरकार में भी कई मंत्री पदों पर कार्य किया, साथ ही महत्त्वपूर्ण पदों पर रहते हुए किसानों के कल्याण के लिये कई योजनाएँ लागू कीं, उन्हें उत्तर प्रदेश ज़मींदारी उन्मूलन अधिनियम का प्रधान वास्तुकार माना जाता है। चरण सिंह ने ज़मींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार और किसानों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने से संबंधित कई पुस्तकें भी लिखीं। किसानों के कल्याण में चौधरी चरण सिंह के योगदान को देखते हुए सरकार ने वर्ष 2001 में इस दिवस की शुरुआत की थी।

राजधानी दिल्ली में पहला 'शिक्षक विश्वविद्यालय'

दिल्ली कैबिनेट ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी में पहला 'शिक्षक विश्वविद्यालय' स्थापित करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। इस संबंध में घोषणा करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य बेहतर रूप से प्रशिक्षित और योग्य शिक्षकों को तैयार करना है। शिक्षकों की एक नई और उच्च योग्यता प्राप्त पीढ़ी को विकसित करने के लिये यह विश्वविद्यालय 'कक्षा-12' के बाद चार वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। इस कार्यक्रम में बीए और बीएड, बीएससी, बीएड, बीकॉम और बीएड जैसे विभिन्न पाठ्यक्रम शामिल किये जाएंगे। साथ ही विश्वविद्यालय में नामांकित छात्रों को प्रशिक्षण के उद्देश्यों से दिल्ली सरकार के स्कूलों से जोड़ा जाएगा, ताकि वे क्रियात्मक अनुसंधान पर ज़ोर देने के साथ व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर सकें।

आर्मी सिक्योर इंडिजिनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन

भारतीय सेना ने एक आधुनिक मैसेजिंग एप्लीकेशन- 'आर्मी सिक्योर इंडिजिनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन' (ASIGMA) का शुभारंभ किया है। यह नई पीढ़ी का आधुनिक वेब आधारित एप्लीकेशन है। इसे सेना के सिग्नल्स कोर के अधिकारियों के समूह द्वारा विकसित किया गया है। इसे पिछले 15 वर्ष से कार्यरत 'आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क मेसेजिंग' (AWAN) एप्लीकेशन के स्थान पर सेना के आंतरिक नेटवर्क पर लगाया जा रहा है। यह वेब एप्लीकेशन एक नई पीढ़ी, अत्याधुनिक, वेब-आधारित एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में कई प्रकार की अत्याधुनिक विशेषताएँ हैं, जिनमें बहु-स्तरीय सुरक्षा, संदेश प्राथमिकता और ट्रैकिंग, गतिशील वैश्विक पता पुस्तिका और सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विभिन्न विकल्प शामिल हैं। भविष्य हेतु तैयार यह मैसेजिंग एप्लीकेशन सेना के रीयल-टाइम डेटा ट्रांसफर और मैसेजिंग आवश्यकताओं को पूरा करेगी, यह विशेष रूप से वर्तमान भू-राजनीतिक सुरक्षा वातावरण की पृष्ठभूमि में और साथ ही भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस

देश में उपभोक्ताओं के महत्त्व, उनके अधिकारों और दायित्वों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिये प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। भारत की एक बड़ी आबादी अशिक्षित है, जो अपने अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के प्रति अनभिज्ञ है, लेकिन उपभोक्ता अधिकारों के मामले में शिक्षित लोग भी अपने अधिकारों के प्रति उदासीन नज़र आते हैं। इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिये प्रतिवर्ष इस दिवस का आयोजन किया जाता है। वर्ष 1986 में इसी दिन राष्ट्रपति ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को मंज़ूरी दी थी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के शोषण जैसे- दोषयुक्त सामान, असंतोषजनक सेवाओं और अनुचित व्यापार प्रथाओं के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना है। वर्ष 2020 के लिये इस दिवस की थीम 'सतत् उपभोक्ता' है। यह थीम वैश्विक स्वास्थ्य संकट, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान आदि से निपटने के लिये तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित करती है। ज्ञात हो कि वैश्विक स्तर पर प्रतिवर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का आयोजन किया जाता है।

सिल्वरलाइन परियोजना

केरल की सिल्वरलाइन परियोजना के खिलाफ राज्य भर में विरोध प्रदर्शन आयोजित किये जा रहे हैं, यह एक सेमी हाई-स्पीड रेलवे परियोजना है जिसमें राज्य के उत्तरी और दक्षिणी छोर के बीच 200 किमी/घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों के संचालन की परिकल्पना की गई है। केरल सरकार द्वारा चलाई जा रही 63,940 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना को सबसे बड़ी बुनियादी अवसंरचना योजनाओं में से

नोट :

एक के रूप में चिह्नित किया गया है। इस परियोजना के तहत 11 स्टेशनों के माध्यम से 11 राज्यों के 11 ज़िलों को कवर किया जाना है। परियोजना के पूरा होने पर कासरगोड से तिरुवनंतपुरम तक के सफ़र को मात्र 4 घंटों में पूरा किया जा सकेगा, जबकि वर्तमान में भारतीय रेलवे के माध्यम से इस सफर को तय करने में कुल 12 घंटे से अधिक समय लगता है। इस परियोजना को 'केरल रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड' (KRDCL) द्वारा वर्ष 2025 तक पूरा किया जाएगा। हालाँकि कई राजनीतिक समूहों द्वारा यह तर्क देते हुए इस परियोजना का विरोध किया जा रहा है कि यह परियोजना आर्थिक रूप से पूर्णत: अलाभकारी है और इसके कारण लगभग 30000 परिवारों को विस्थापन का सामना करना पड़ेगा, साथ ही इस परियोजना के कारण वृक्षों के नुकसान का भी सामना करना पड़ेगा।

आर्कबिशप डेसमंड टूटू

दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को समाप्त करने में मदद करने वाले नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आर्कबिशप डेसमंड टूटू का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे रंगभेद विरोध के प्रतीक नेल्सन मंडेला के समकालीन थे। उन्होंने वर्ष 1948 से वर्ष 1991 तक दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत बहुमत के खिलाफ श्वेत अल्पसंख्यक सरकार द्वारा लागू नस्लीय भेदभाव की नीति को समाप्त करने के आंदोलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें वर्ष 1984 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारतीय प्रधानमंत्री ने आर्कबिशप डेसमंड टूटू के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आर्कबिशप विश्व भर में असंख्य लोगों के लिये मार्गदर्शक थे, उन्होंने मानवीय गरिमा और समानता के लिये जो कार्य किये वे सदैव याद रखे जाएंगे।

मैग्नस कार्लसन

नॉर्वे के शतरंज मास्टर्स मैग्नस कार्लसन ने फिडे विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। उन्होंने रूस के इयान नेपोमनियाच्ची को 7.5-3.5 से हराकर खिताब पर कब्जा किया। कार्लसन का यह पाँचवाँ वैश्विक खिताब है। उन्होंने सात अंकों के लक्ष्य को पार करने के लिये ज़रूरी एक अंक हासिल कर नेपोमनियाच्ची को पराजित किया। 14 गेम की इस शृंखला की 11वीं बाजी कार्लसन ने तीन घंटे और 20 मिनट में जीती। कार्लसन ने एक के बाद एक कई गेम के ड्रॉ होने के बाद नेपोमनियाच्ची की गलती का फायदा उठाते हुए रोमांचक जीत दर्ज की। पहले पाँच दौर ड्रॉ पर छूटे, जबकि आठ घंटे तक चले छठे दौर का मुकाबला कार्लसन ने जीता। उन्होंने 136 चाल के बाद जीत दर्ज की जो विश्व चैंपियनशिप के इतिहास की सबसे लंबी बाजी रही।

रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र और ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में डीआरडीओ के रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र और ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की आधारशिला रखी। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। ये केंद्र, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा बनाए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल बनाने का उद्देश्य एक सुरक्षा कवच तैयार करना है। यह प्रणाली भारत और रूस के बीच केवल तकनीकी सहयोग ही नहीं बल्कि लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक, राजनीतिक और राजनयिक संबंधों को भी दर्शाती है। ब्रह्मोस दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे तेज़ तथा सटीक-मारक क्षमता वाला हथियार है। उत्तर प्रदेश रक्षा आद्योगिक गलियारे (यूपी डीआईसी) में रक्षा और अंतरिक्ष वैमानिकी निर्माण समूहों के तेज़ी से विकास के लिये लगभग 22 एकड़ में अपनी तरह का पहला रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र (डीटीटीसी) स्थापित किया जा रहा है। ब्रह्मोस एयरोस्पेस का यह ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र, यूपीडीआईसी के लखनऊ नोड में एक अत्याधुनिक सुविधा वाला केंद्र होगा। यहाँ अगली पीढ़ी के ब्रह्मोस मिसाइल बनाए जाएंगे। यह नया केंद्र अगले दो से तीन वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ प्रतिवर्ष 80 से 100 ब्रह्मोस-एनजी मिसाइलें बनाई जाएंगी।

कौशल विकास, पुनर्वास और दिव्यांग सशक्तीकरण केंद्र

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने मणिपुर के इम्फाल में कौशल विकास, पुनर्वास और दिव्यांग सशक्तीकरण संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर वहाँ दिव्यांगों को सहायक उपकरणों का वितरण करने के लिये एक शिविर का भी उद्घाटन किया गया। मणिपुर सरकार ने संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र का नया भवन बनाने के लिये तीन एकड़ भूमि नि:शुल्क दी है।

अंतर्राष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस

27 दिसंबर को विश्व भर में 'अंतर्राष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस' का आयोजन किया गया। इस दिवस का आयोजन पहली बार वर्ष 2020 में किया गया था, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महामारी के विरुद्ध तैयारियों, इसकी रोकथाम और साझेदारी के महत्त्व की वकालत करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया था। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, विभिन्न महामारियों के प्रबंधन से सबक लेना और महामारी की रोकथाम के लिये मज़बूत

नोट :

उपाय को लागू करना काफी महत्त्वपूर्ण है ताकि भविष्य में किसी भी प्रतिकूल स्थिति में सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया दी जा सके। यह दिवस प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय संगठन और प्रत्येक समुदाय एवं व्यक्ति के बीच एकजुटता तथा साझेदारी के महत्त्व को भी रेखांकित करता है, ताकि कोविड-19 जैसी महामारी का मुकाबला आसानी से किया जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, मौजूदा समय में यह आवश्यक है कि ऐसी प्रणालियों में निवेश किया जाए, जो महामारी जैसे प्रकोपों का पता लगाने, उन्हें रोकने और तत्काल प्रतिक्रिया देने में मदद कर सकती हैं, जिनमें स्वास्थ्य प्रणालियों, आपूर्ति शृंखलाओं और विशेष रूप से सबसे गरीब देशों की आजीविका को बाधित करने की क्षमता है।

सुशासन दिवस

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य भारत के नागरिकों के मध्य सरकार की जवाबदेही के प्रति जागरूकता पैदा करना है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर, 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी अपने छात्र जीवन के दौरान सर्वप्रथम राष्ट्रवादी राजनीति में तब सामने आए जब उन्होंने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। कॉलेज के दिनों में ही उनकी रुचि विदेशी मामलों में काफी अधिक रही, यही कारण है कि बाद में उन्होंने विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व कर अपने कौशल का परिचय दिया। वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री के तौर पर कुल 3 कार्यकाल मिले, वर्ष 1996 में उनका पहला कार्यकाल केवल 13 दिनों तक चला, जिसके बाद वर्ष 1998 से वर्ष 1999 तक वह 13 महीने के लिये प्रधानमंत्री पद पर रहे और अंत में वर्ष 1999 से वर्ष 2004 तक उन्होंने सफलतापूर्वक अपना पाँच वर्षीय कार्यकाल पूरा किया। 16 अगस्त, 2018 को 93 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई।

हरभजन सिंह

भारतीय ऑफ स्पिनर 'हरभजन सिंह' ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। पंजाब के 41 वर्षीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अपने शानदार क्रिकेट कॅरियर में 103 टेस्ट में 417 विकेट, 236 एक दिवसीय मैचों में 269 विकेट और 28 टी20 मैचों में 25 विकेट लिये हैं। 'इंडियन प्रीमियर लीग' (IPL) में मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिये 13 सीज़न के 163 मैचों में 150 विकेट लिये हैं। वर्ष 1998 में शारजाह (संयुक्त अरब अमीरात) में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ एक दिवसीय मैच के दौरान अपने अंतर्राष्ट्रीय कॅरियर की शुरुआत करने वाले हरभजन ने आखिरी बार मार्च, 2016 में ढाका में संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ एक टी20 के दौरान देश के लिये खेला था। हरभजन वर्ष 2007 टी20 विश्व कप और वर्ष 2011 वनडे विश्व कप विजेता टीम का भी हिस्सा रहे हैं।

बेल्जियम वर्ष 2025 तक सभी परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा

बेल्जियम सरकार ने हाल ही में आगामी तीन वर्षों (वर्ष 2025 तक) में देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है। ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की यह प्रक्रिया वर्ष 2022 में शुरू की जाएगी। बेल्जियम के परमाणु बेड़े में सात दबावयुक्त जल रिएक्टर शामिल हैं। बेल्जियम में वर्ष 2003 में एक कानून पारित किया गया, जिसके माध्यम से बेल्जियम के सभी रिएक्टरों की परिचालन अवधि को 40 वर्षों तक सीमित कर दिया गया और नए रिएक्टर निर्माण को भी प्रतिबंधित कर दिया गया। ज्ञात हो कि जर्मनी ने भी वर्ष 2022 के अंत तक अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है। यह निर्णय जापान की 'फुकुशिमा परमाणु आपदा' के बाद लिया गया था।

आर्कबिशप डेसमंड टूटू

दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को समाप्त करने में मदद करने वाले नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आर्कबिशप डेसमंड टूटू का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे रंगभेद विरोध के प्रतीक नेल्सन मंडेला के समकालीन थे। उन्होंने वर्ष 1948 से वर्ष 1991 तक दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत बहुमत के खिलाफ श्वेत अल्पसंख्यक सरकार द्वारा लागू नस्लीय भेदभाव की नीति को समाप्त करने के आंदोलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें वर्ष 1984 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारतीय प्रधानमंत्री ने आर्कबिशप डेसमंड टूटू के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आर्कबिशप विश्व भर में असंख्य लोगों के लिये मार्गदर्शक थे, उन्होंने मानवीय गरिमा और समानता के लिये जो कार्य किये वे सदैव याद रखे जाएंगे।

मैग्नस कार्लसन

नॉर्वे के शतरंज मास्टर्स मैग्नस कार्लसन ने फिडे विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। उन्होंने रूस के इयान नेपोमनियाच्ची को 7.5-3.5 से हराकर खिताब पर कब्जा किया। कार्लसन का यह पाँचवाँ वैश्विक खिताब है। उन्होंने सात अंकों के लक्ष्य को पार करने के लिये ज़रूरी एक अंक हासिल कर नेपोमनियाच्ची को पराजित किया। 14 गेम की इस शृंखला की 11वीं बाजी कार्लसन ने तीन घंटे और 20 मिनट में जीती।

नोट :

कार्लसन ने एक के बाद एक कई गेम के ड्रॉ होने के बाद नेपोमनियाच्ची की गलती का फायदा उठाते हुए रोमांचक जीत दर्ज की। पहले पाँच दौर ड्रॉ पर छूटे, जबकि आठ घंटे तक चले छठे दौर का मुकाबला कार्लसन ने जीता। उन्होंने 136 चाल के बाद जीत दर्ज की जो विश्व चैंपियनशिप के इतिहास की सबसे लंबी बाजी रही।

रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र और ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में डीआरडीओ के रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र और ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की आधारशिला रखी। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। ये केंद्र, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा बनाए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल बनाने का उद्देश्य एक सुरक्षा कवच तैयार करना है। यह प्रणाली भारत और रूस के बीच केवल तकनीकी सहयोग ही नहीं बल्कि लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक, राजनीतिक और राजनयिक संबंधों को भी दर्शाती है। ब्रह्मोस दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे तेज़ तथा सटीक-मारक क्षमता वाला हथियार है। उत्तर प्रदेश रक्षा आद्योगिक गलियारे (यूपी डीआईसी) में रक्षा और अंतरिक्ष वैमानिकी निर्माण समूहों के तेज़ी से विकास के लिये लगभग 22 एकड़ में अपनी तरह का पहला रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र (डीटीटीसी) स्थापित किया जा रहा है। ब्रह्मोस एयरोस्पेस का यह ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र, यूपीडीआईसी के लखनऊ नोड में एक अत्याधुनिक सुविधा वाला केंद्र होगा। यहाँ अगली पीढ़ी के ब्रह्मोस मिसाइल बनाए जाएंगे। यह नया केंद्र अगले दो से तीन वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ प्रतिवर्ष 80 से 100 ब्रह्मोस-एनजी मिसाइलें बनाई जाएंगी।

कौशल विकास, पुनर्वास और दिव्यांग सशक्तीकरण केंद्र

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने मणिपुर के इम्फाल में कौशल विकास, पुनर्वास और दिव्यांग सशक्तीकरण संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर वहाँ दिव्यांगों को सहायक उपकरणों का वितरण करने के लिये एक शिविर का भी उद्घाटन किया गया। मणिपुर सरकार ने संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र का नया भवन बनाने के लिये तीन एकड़ भूमि नि:शुल्क दी है।

अंतर्राष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस

27 दिसंबर को विश्व भर में 'अंतर्राष्ट्रीय महामारी तत्परता दिवस' का आयोजन किया गया। इस दिवस का आयोजन पहली बार वर्ष 2020 में किया गया था, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महामारी के विरुद्ध तैयारियों, इसकी रोकथाम और साझेदारी के महत्त्व की वकालत करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया था। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, विभिन्न महामारियों के प्रबंधन से सबक लेना और महामारी की रोकथाम के लिये मज़बूत उपाय को लागू करना काफी महत्त्वपूर्ण है ताकि भविष्य में किसी भी प्रतिकूल स्थिति में सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया दी जा सके। यह दिवस प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय संगठन और प्रत्येक समुदाय एवं व्यक्ति के बीच एकजुटता तथा साझेदारी के महत्त्व को भी रेखांकित करता है, ताकि कोविड-19 जैसी महामारी का मुकाबला आसानी से किया जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, मौजूदा समय में यह आवश्यक है कि ऐसी प्रणालियों में निवेश किया जाए, जो महामारी जैसे प्रकोपों का पता लगाने, उन्हें रोकने और तत्काल प्रतिक्रिया देने में मदद कर सकती हैं, जिनमें स्वास्थ्य प्रणालियों, आपूर्ति शृंखलाओं और विशेष रूप से सबसे गरीब देशों की आजीविका को बाधित करने की क्षमता है।

सुशासन दिवस

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य भारत के नागरिकों के मध्य सरकार की जवाबदेही के प्रति जागरूकता पैदा करना है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर, 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी अपने छात्र जीवन के दौरान सर्वप्रथम राष्ट्रवादी राजनीति में तब सामने आए जब उन्होंने वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। कॉलेज के दिनों में ही उनकी रुचि विदेशी मामलों में काफी अधिक रही, यही कारण है कि बाद में उन्होंने विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व कर अपने कौशल का परिचय दिया। वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री के तौर पर कुल 3 कार्यकाल मिले, वर्ष 1996 में उनका पहला कार्यकाल केवल 13 दिनों तक चला, जिसके बाद वर्ष 1998 से वर्ष 1999 तक वह 13 महीने के लिये प्रधानमंत्री पद पर रहे और अंत में वर्ष 1999 से वर्ष 2004 तक उन्होंने सफलतापूर्वक अपना पाँच वर्षीय कार्यकाल पूरा किया। 16 अगस्त, 2018 को 93 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई।

हरभजन सिंह

भारतीय ऑफ स्पिनर 'हरभजन सिंह' ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। पंजाब के 41 वर्षीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अपने शानदार क्रिकेट कॅरियर में 103 टेस्ट में 417 विकेट, 236 एक दिवसीय मैचों में 269 विकेट और 28 टी20 मैचों में 25

नोट :

विकेट लिये हैं। 'इंडियन प्रीमियर लीग' (IPL) में मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिये 13 सीज़न के 163 मैचों में 150 विकेट लिये हैं। वर्ष 1998 में शारजाह (संयुक्त अरब अमीरात) में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ एक दिवसीय मैच के दौरान अपने अंतर्राष्ट्रीय कॅरियर की शुरुआत करने वाले हरभजन ने आखिरी बार मार्च, 2016 में ढाका में संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ एक टी20 के दौरान देश के लिये खेला था। हरभजन वर्ष 2007 टी20 विश्व कप और वर्ष 2011 वनडे विश्व कप विजेता टीम का भी हिस्सा रहे हैं।

बेल्जियम वर्ष 2025 तक सभी परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा

बेल्जियम सरकार ने हाल ही में आगामी तीन वर्षों (वर्ष 2025 तक) में देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है। ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की यह प्रक्रिया वर्ष 2022 में शुरू की जाएगी। बेल्जियम के परमाणु बेड़े में सात दबावयुक्त जल रिएक्टर शामिल हैं। बेल्जियम में वर्ष 2003 में एक कानून पारित किया गया, जिसके माध्यम से बेल्जियम के सभी रिएक्टरों की परिचालन अवधि को 40 वर्षों तक सीमित कर दिया गया और नए रिएक्टर निर्माण को भी प्रतिबंधित कर दिया गया। ज्ञात हो कि जर्मनी ने भी वर्ष 2022 के अंत तक अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है। यह निर्णय जापान की 'फुकुशिमा परमाणु आपदा' के बाद लिया गया था।

साइके मिशन'

नासा ने अगस्त 2022 में 'साइके मिशन' को लॉन्च किये जाने की घोषणा की है। यह 'मुख्य क्षुद्रग्रह बेल्ट' में '16 साइकी' नामक एक विशाल धातु क्षुद्रग्रह की खोजबीन करने के लिये लॉन्च पहला मिशन होगा। इस संबंध में नासा द्वारा जारी सूचना के मुताबिक, इस मिशन को अगस्त 2022 में लॉन्च किया जाएगा और यह वर्ष 2026 तक क्षुद्रग्रह बेल्ट में पहुँच जाएगा। पृथ्वी से लगभग 370 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित '16 साइकी' हमारे सौरमंडल की क्षुद्रग्रह बेल्ट में सबसे बड़े खगोलीय निकायों में से एक है। इस रहस्यमयी क्षुद्रग्रह की खोज इतालवी खगोलशास्त्री एनीबेल डी गैस्पारिस द्वारा 17 मार्च, 1852 को की गई थी और इसका नाम ग्रीक की प्राचीन आत्मा की देवी साइकी (Psyche) के नाम पर रखा गया था। चूँकि यह वैज्ञानिकों द्वारा खोजा जाने वाला 16वाँ क्षुद्रग्रह है, इसलिये इसके नाम के आगे 16 जोड़ा गया है। नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप (HST) से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, इस रहस्यमय क्षुद्रग्रह की सतह पर पृथ्वी के कोर के समान लोहा और निकेल (Nickel) की मौजूदगी हो सकती है। अधिकांश क्षुद्रग्रहों (Asteroids) के विपरीत, जो कि चट्टानों या बर्फ से बने होते हैं, वैज्ञानिकों का मानना है कि '16 साइकी' क्षुद्रग्रह एक बहुत बड़ा धातु निकाय है जिसे पूर्व के किसी ग्रह का कोर माना जा रहा है, जो कि पूर्णत: ग्रह के रूप में परिवर्तित होने में सफल नहीं हो पाया था।

भारत करेगा 'आतंकवाद विरोधी समिति' की अध्यक्षता

भारत जनवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। यह समिति भारत के दृष्टिकोण से काफी महत्त्वपूर्ण है और यह वैश्विक स्तर पर आतंकवाद का मुकाबला करने हेतु भारत के प्रयासों में मददगार साबित हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता तकरीबन 10 वर्षों के बाद भारत के पास आई है, जबकि इससे पूर्व भारत ने वर्ष 2012 में इस समिति की अध्यक्षता की थी। गौरतलब है कि भारत 2021-22 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 3 महत्त्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता करेगा, जिसमें तालिबान प्रतिबंध समिति, लीबिया प्रतिबंध समिति और आतंकवाद विरोधी समिति शामिल हैं। गौरतलब है कि भारत ने जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना दो वर्ष का कार्यकाल शुरू किया था। साथ ही भारत ने अगस्त 2021 में एक महीने के लिये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भी की थी। UNSC में यह भारत का आठवाँ कार्यकाल है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है। 'संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद' मुख्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु उत्तरदायी है।

विक्रम मिश्री

चीन संबंधी विषयों के विशेषज्ञ और बीजिंग में पूर्व भारतीय राजदूत 'विक्रम मिश्री' को हाल ही में 'राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय' में 'उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार' नियुक्त किया गया है। वर्ष 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी 'विक्रम मिश्री', पंकज सरन का स्थान लेंगे। बतौर 'उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार' विक्रम मिश्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को रिपोर्ट करेंगे। चीन में भारत के राजदूत के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान विक्रम मिश्री ने 'वास्तविक नियंत्रण रेखा' (LAC) पर चीन की सेना के साथ चल रहे तनाव पर बीजिंग में आधिकारिक बैठकों का नेतृत्त्व किया था। विक्रम मिश्री का जन्म श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर में हुआ था और नवंबर 2018 में उन्हें चीन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था। इसके अलावा वर्ष 2012 में उन्हें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निजी सचिव नियुक्त किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भी वे कार्यरत रहे।

नोट :

यूज़र डेटा और कॉल रिकॉर्ड रखने की अवधि

दूरसंचार विभाग (DoT) ने हाल ही में दूरसंचार कंपनियों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISP) को सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कम-से-कम दो वर्ष तक वाणिज्यिक और कॉल विवरण रिकॉर्ड बनाए रखने का आदेश दिया है। 'यूनिफाइड लाइसेंस एग्रीमेंट' में यह संशोधन राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के अनुरोध पर किया गया है। इससे पूर्व ग्राहकों के कॉल डेटा और इंटरनेट उपयोग रिकॉर्ड संग्रहीत करने की अवधि केवल एक वर्ष थी। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को दो वर्ष की अवधि के लिये आईपी विवरण रिकॉर्ड के साथ इंटरनेट टेलीफोनी का विवरण बनाए रखने की आवश्यकता होगी।

'क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला और 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र'

हाल ही में भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के महू में स्थित एक सैन्य इंजीनियरिंग संस्थान में एक 'क्वांटम कंप्यूटिंग' प्रयोगशाला और 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र' स्थापित किया है। ये दोनों केंद्र सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग हेतु परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियों के विकास में व्यापक शोध करेंगे। इस केंद्र का गठन 'राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद' (NSC) के सहयोग से किया गया है। क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सेना द्वारा किये गए शोध से संचार के क्षेत्र में प्रगति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी और यह क्रिप्टोग्राफी की वर्तमान प्रणाली को पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में बदलने में भी मददगार साबित होगा। ये केंद्र मुख्य तौर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, क्वांटम संचार और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में कार्य करेंगे। गौरतलब है कि भारतीय सेना उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में लगातार महत्त्वपूर्ण प्रगति कर रही है। अत्याधुनिक साइबर रेंज और साइबर सुरक्षा प्रयोगशालाओं के माध्यम से सैन्यकर्मियों को साइबर युद्ध के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ध्यातव्य है कि 'राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद' (NSC) एक त्रिस्तरीय संगठन है, जो सामरिक चिंता के राजनीतिक, आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा जैसे मुद्दों का प्रबंधन करता है। 'राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार' (NSA) 'राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद' की अध्यक्षता करता है और वे प्रधानमंत्री का प्राथमिक सलाहकार भी होता है। वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं।

नगालैंड में छह माह के लिये 'AFSPA' का विस्तार

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने समग्र नगालैंड में 'सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम' (AFSPA) को छह माह अतिरिक्त समयावधि के लिये विस्तारित कर दिया है। पिछली बार ऐसा विस्तार इसी वर्ष जून माह में किया गया था। यह अधिनियम वर्ष 1958 से पूर्वोत्तर क्षेत्रों में लागू है जो सशस्त्र बलों और 'अशांत क्षेत्रों' में तैनात 'केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों' को कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने, गिरफ्तारी करने और वारंट के बिना किसी भी परिसर की तलाशी लेने का अधिकार देता है। साथ ही यह सुरक्षा बलों को अभियोजन और कानूनी मुकदमों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। AFSPA के तहत केंद्र सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर किसी राज्य या क्षेत्र को अशांत घोषित कर वहाँ केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करती है। केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषायी, क्षेत्रीय समूहों, जातियों, समुदायों के बीच मतभेद या विवादों के चलते अशांत घोषित करती है।

झांसी स्टेशन का नाम परिवर्तन

उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर 'वीरांगना लक्ष्मीबाई' रेलवे स्टेशन कर दिया है। केंद्र सरकार की मंज़ूरी के बाद राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इससे पूर्व 'मुगलसराय' रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर 'पंडित दीन दयाल उपाध्याय' रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। ध्यातव्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बीते कुछ समय में कई स्थानों और रेलवे स्टेशनों के नाम परिवर्तित किये गए हैं, जिसमें इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया जाना भी शामिल है। गौरतलब है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर, 1828 को वाराणसी के एक मराठी परिवार में हुआ था तथा इनके बचपन का नाम 'मणिकर्णिका' था। वर्ष 1842 में 14 वर्ष की उम्र में इनका विवाह झाँसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ कर दिया गया उसके बाद से इन्हें लक्ष्मीबाई के नाम से जाना गया। रानी लक्ष्मीबाई ने वर्ष 1857 की क्रांति में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की थी।

तमिलनाडु की महिला संबंधी राज्य नीति

तमिलनाडु सरकार के तहत 'समाज कल्याण और महिला अधिकारिता विभाग' ने महिलाओं के लिये नीति का नया मसौदा जारी किया है। इस नीति के तहत तमिलनाडु सरकार राज्य में 3.2 करोड़ महिला आबादी को सशक्त बनाने हेतु एक सुरक्षित, स्वस्थ एवं आकांक्षात्मक वातावरण प्रदान करेगी। विभागों के बीच परिचालन समन्वय के माध्यम से इस लक्ष्य की दिशा में काम करने हेतु दोनों लिंगों को नीति निर्धारण प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। भारत में अपनी तरह की यह पहली नीति तमिलनाडु में महिलाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु आगामी महिला योजनाओं के लिये एजेंडा निर्धारित करेगी। इस नीति को पाँच वर्ष की अवधि में क्रियान्वित किया जाएगा।

नोट :